अष्टम माला, खंड 10 , अंक 3

बुधवार, 20 नवम्बर, 1985
29 कार्तिक, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

(खंड 10 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 20 नवम्बर, 1985/29कार्तिक, 1907 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (iii), पंक्ति 4, "उत्तर" के स्थान पर "उत्तर प्रदेश" पढ़िये।

पृष्ठ 2, पंक्ति 6, "श्री के0पी0उन्नीकृष्नू" के स्थान पर "श्री के0पी0 उन्नीकृष्णन्" पढ़िये।

पृष्ठ 7, नीचे से पंक्ति 6, "श्री गिरधर गोमांगो" के स्थान पर "श्री गिरिधर गोमांगो" पढ़िये।

पृष्ठ 13, पंक्ति 5 एवं 18, "श्री पी0कुलन्दईवेलू" के स्थान पर "श्री पी0 कुलन्दईवेलू" पढ़िये।

पृष्ठ 82, पंक्ति 9, "श्री हन्नाम मोल्लाह" के स्थान पर "श्री हन्नान मोल्लाह" पढ़िये।

पृष्ठ 136, पंक्ति 10, "श्री के0कुजम्बु" के स्थान पर "श्री के0कुन्जम्बु" पढ़िये।

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 10, चौथा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 3, बुधवार, 20 नवम्बर, 1985/29 कार्तिक, 1907 (शक)

विषय	पृष्ठ
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1—21
*तारांकित प्रश्न संख्या : 41 से 45 और 47	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	21—153
तारांकित प्रश्न संख्या : 46, 48 से 60	21—28
अतारांकित प्रश्न संख्या : 443 से 462, 464 से 467, 469 से 472, 474 से 484, 486 से 506 508 से 538 और 540 से 615	28—153
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	157—159
राज्य सभा से संदेश	159
ंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) संशोधन विधेयक	160
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति छठा प्रतिवेदन	160
प्राक्कलन समिति 17वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश	160
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में	160—163

*किसी नाम पर अंकित + और † चिन्ह इस बात के द्योतक हैं कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण 163—178

हथकरघा, विद्युतकरघा, कपड़ा मजदूरों और कपास उत्पादकों पर नई कपड़ा नीति के घातक प्रभाव के समाचार

डा० ए० के० पटेल 163

श्री खुर्शीद आलम खाँ 164

श्री सी० जंगा रेड्डी 166

प्रो० मधु दण्डवते 168

श्रीमती जयंती पटनायक 171

नियम 377 के अधीन मामले 179—182

(एक) रेणुकूट और आस-पास के अन्य स्थानों के लोगों के लाभार्थ दूरदर्शन केन्द्र, वाराणसी, में वर्तमान 7 किलोवाट की क्षमता वाले ट्रांसमीटर के स्थान पर, पूर्वघोषित 10 किलोवाट की क्षमता का ट्रांसमीटर लगाने की आवश्यकता

श्री राम प्यारे पनिका 179

(दो) सरकारी विभागों में, विशेषकर सर्वाधिक प्रभावित डाक और तार विभाग में, नए पदों के सृजन पर लगे प्रतिबंध को हटाने अथवा वर्तमान रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता

प्रो० नारायण चन्द्र पराशर 179

(तीन) स्थगित की गई दरभंगा-समस्तीपुर बड़ी लाइन परियोजना का काम पुनः आरम्भ करने और सकरी-हसनपुर लाइन का भी निर्माण आरम्भ करने की आवश्यकता

डा० गौरीशंकर राजहंस 179

(चार) इलायची का उचित मूल्य सुनिश्चित करने और इसके निर्यात में वृद्धि करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता

प्रो० पी० जे० कुरियन 180

(पाँच) जम्मू और कश्मीर के अधिक पिछड़े क्षेत्रों में इलैक्ट्रानिक्स उद्योगों का विकास करने की आवश्यकता

प्रो० सैफुद्दीन सोज 181

(छः) शहरी संपत्ति पर अधिकतम सीमा लागू करने और शहरी तथा ग्रामीण निवासियों की संपत्तियों के मूल्य में समानता बनाए रखने की आवश्यकता

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी 181

(सात) उत्तर के अविकसित पर्वतीय क्षेत्रों, विशेषकर अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जिलों आदि में उद्योग स्थापित करने के लिए राज सहायता देने की आवश्यकता

श्री हरीश रावत 182

नागरिकता (संशोधन) विधेयक 182—232

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री एस० बी० चव्हाण 182

श्री एच० ए० डोरा 185

श्री भोलानाथ सेन 187

श्री अब्दुल हन्नान अंसारी 190

श्री सैफुद्दीन चौधरी 191

श्री पी० नामग्याल 193

डा० गौरीशंकर राजहंस 200

श्री काली प्रसाद पाण्डे 201

श्री विजय एन० पाटिल 202

श्री इन्द्रजीत गुप्त 203

श्री मानवेन्द्र सिंह 208

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया 210

श्री एस० एम० भट्टम 211

श्री पीयूष तिरकी 214

श्री जी० एम० बनातवाला 216

श्री अमर राय प्रधान 219

श्री सी० जंगा रेड्डी 222

खण्ड 2, 3 और 1 230

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री एस० बी० चव्हाण 232

रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबंध) विधेयक 232—241

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 232

श्री मूल चन्द डागा 234

श्री सी० माधव रेड्डी 235

श्री बनवारी लाल पुरोहित 238

डा० गौरीशंकर राजहंस 240

लोक सभा

बुधवार, 20 नवम्बर, 1985/29 कार्तिक, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे मध्याह्न पूर्व समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण

श्रीमती सुखबन्स कौर (गुरदासपुर) :

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

नागरिकता अधिनियम और विदेशियों विषयक अधिनियम में संशोधन

*41. श्री के०पी० उन्नीकृष्णन् : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले कई वर्षों से आसाम में रह रहे कुछ विदेशी राष्ट्रिकों को कुछ विशेष अधिकार दिलाने के लिए नागरिकता अधिनियम तथा विदेशियों विषयक अधिनियम में संशोधन करने का विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या हाल ही में ए०ए०एस०यू० के नेताओं को गृह मंत्री से मिलने पर ऐसा कुछ आश्वासन दिया गया था ?

गृह मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) और (ख) आसाम समझौते के अनुसरण में नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन के लिये 18-11-1985 को लोक सभा में एक विधेयक पुरःस्थापित किया गया है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : महोदय, सन्धिवार्ता काफी समय तक चलती रही लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया। यह समझौता और यह विधेयक असम राज्य की जनसंख्या के बड़े भाग के भय, शंकाओं या दुष्शकाओं को शान्त करने में असफल रहे हैं। मैं विस्तार में जाना नहीं चाहता हूँ। यह लोगों के उस बड़े वर्ग के भयों को शान्त करने में असफल रहा है जो यह अनुभव करते हैं कि वे नागरिक हैं और वर्तमान स्थिति बदल जाएगी क्योंकि संघ सरकार ने उन्हें एक ऐसे वर्ग को सौंप दिया है जो कि उन्हें निकाल फेंकेगा। इस सन्दर्भ में, मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गृह मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार सोचती है कि संविधान में या विदेशियों विषयक अधिनियम में और संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ? क्या सरकार का यह अन्तिम और सुविचारित मत है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : कम से कम, कुछ समय के लिए तो हम नहीं समझते हैं कि कोई संशोधन आवश्यक है ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : यहां पर "कुछ समय के लिए" को परिभाषित करने की आवश्यकता है ।

एक माननीय सदस्य : समयबद्ध ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि विधि मंत्री श्री ए० के० सेन ने 11-10-85 को आपको लिखे एक पत्र में विशेषरूप से सुझाव दिया था कि विदेशियों विषयक अधिनियम की धारा 2(क) को यह परिभाषा सम्मिलित करने के लिए संशोधित किया जाए कि 'विदेशी' से अर्थ ऐसे व्यक्ति का है जो कि भारत का नागरिक नहीं है परन्तु उसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित नहीं है जो कि असम समझौते के खण्ड 5.4 और 5.6 में तथा धारा 2(क) के लिए स्पष्टीकरण अथवा परन्तुक सहित सम्मिलित नहीं है यदि ऐसा है तो गृह मन्त्रालय ने विधि मन्त्री के मत को क्यों नहीं माना ?

श्री एस० बी० चव्हाण : माननीय सदस्य जो कुछ कह रहे हैं वह तथ्यों पर आधारित नहीं है । जो कुछ भी सलाह सम्बद्ध मन्त्रालय हमको देता है वह एक ऐसा मामला है जिसे मैं सम्भवतया सदन में उदघाटित नहीं कर सकता हूँ ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : क्या वह जन-हित का बहाना बना रहे हैं ? अध्यक्ष महोदय, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वह अब 'जन-हित' का सहारा ले रहे हैं ? मैं जानना चाहता हूं, क्योंकि यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । मन्त्री महोदय ने पहले 'कुछ समय के लिए' शब्द का प्रयोग किया है और अब वह कह रहे हैं कि "मैं इसको उद्घाटित नहीं कर सकता हूं ।" यह सब क्या है यह मैं बाद में बताऊंगा । इसे भूल जाइए । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय अब यह कह रहे हैं कि विधि मन्त्री महोदय के मत को प्रकट करना जन-हित में नहीं है ।

श्री एस० बी० चव्हाण : मेरे विचार से आप वे शब्द कहने का प्रयास कर रहे हैं जो कि मैंने नहीं कहे हैं । जो कुछ मैं स्पष्ट कर रहा हूं, वास्तव में स्थिति वही है । मैंने यह कभी नहीं कहा कि जन-हित में मैं वह राय कभी प्रकट नहीं करूंगा जो कि हमें दी गई है । यह हमारा आन्तरिक मामला है कि कितने मन्त्रालयों से सलाह करनी है और क्या-क्या राय दी जाती हैं और अन्ततः अन्तिम निर्णय सभा में लिया जाता है ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् : क्या उन्होंने कोई मत प्रकट किया है ? यही प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : यह एक आन्तरिक मामला है मैं उन्हें प्रकट करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता हूं ।

प्रो० मधु दण्डवते : इसमें उनका अपना हित है ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना हित देखना चाहिये ।

चिन्तामणि पाणिग्रही जी, अब हमारे पास एक विधेयक है । हमारे पास चर्चा के लिए पूर्ण विधेयक है । विधेयक आ रहा है और मैं यही कह रहा हूं । क्या आप अब कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या मैं मन्त्री महोदय से यह पूछ सकता हूं कि क्या यह संशोधन असम समझौते के अनुसार लाया गया है और क्या यह सच नहीं है, कि अल्पसंख्यकों की विशाल संख्या में से लगभग सभी ने इस संशोधन का स्वागत किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय को यह पता है।

श्री एस० बी० चव्हाण : मुझे इसके बारे में सब पता है और मैं माननीय सदस्य के कथन से पूर्णतया सहमत हूं।

पाकिस्तान द्वारा परमाणु बम का निर्माण

+

*42. **श्री जगन्नाथ पटनायक**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार है कि पाकिस्तान द्वारा निकट भविष्य में परमाणु बम विस्फोट किये जाने की संभावना है;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके बारे में विचार है कि वे तकनीकी और वित्तीय रूप से पाकिस्तान की सहायता कर रहे हैं;

(ग) क्या प्रधान मंत्री ने अपनी हाल की विदेश यात्रा के दौरान उन देशों के राष्ट्राध्यक्षों को पाकिस्तान द्वारा बम बनाये जाने पर भारत की आशंकाओं और प्रतिक्रियाओं से अवगत कराया था;

(घ) क्या प्रधान मंत्री ने हाल ही में न्यूयार्क में पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ अपनी बातचीत के दौरान परमाणु बम विस्फोट की बात उठाई थी और यदि हां, तो इस संबंध में पाकिस्तान के राष्ट्रपति की क्या प्रतिक्रिया रही;

(ङ) पाकिस्तान द्वारा किस स्थान पर अपने परमाणु बम का विस्फोट किये जाने की संभावना है; और

(च) पाकिस्तान के परमाणु बम से इस क्षेत्र के सुरक्षा वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सरकार का क्या मूल्यांकन है ?

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) उपलब्ध प्रमाणों से यह पता चलता है कि पाकिस्तान के नाभिकीय कार्यक्रम के शांति से इतर आयाम हैं।

(ख) ऐसी अनेक खबरें मिलीं हैं जिससे यह पता चलता है कि पाकिस्तान के नाभिकीय कार्यक्रम को विभिन्न देशों से तकनीकी और वित्तीय सहायता मिली है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रधान मंत्री ने राष्ट्रपति जियां को इस बात से अवगत कराया है कि भारत पाकिस्तान के नाभिकीय अस्त्र कार्यक्रम के संबंध में चिन्तित है। सरकार पाकिस्तान के इस कथन से संतुष्ट नहीं है कि उसका कोई नाभिकीय शस्त्र कार्यक्रम नहीं है।

(ङ) सरकार ने ऐसी खबरें देखी हैं कि पाकिस्तान अपने ही क्षेत्र में या किसी अन्य देश के क्षेत्र में नाभिकीय परीक्षण कर सकता है।

(च) सरकार को इस बात की चिन्ता है कि पाकिस्तान द्वारा नाभिकीय शस्त्र खरीदे जाने की संभावना है जिससे कि हमारे क्षेत्र में सुरक्षा वातावरण में गुणात्मक परिवर्तन होगा। सरकार उन सभी घटनाओं पर बराबर निगरानी रखेगी जिनका कि देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ सकता है।

श्री जगन्नाथ पटनायक : सभा का नया सदस्य होने के नाते, मुझे यह उल्लेख करने का खेद है कि मेरे प्रश्न के भाग (क) और (ख) का जो उत्तर दिया गया है वह न तो स्पष्ट है और न ही यथार्थ।

आप कृपया प्रश्न पर दृष्टिपात कीजिए। प्रश्न के भाग (क) में मैं यह जानना चाहता था कि क्या सरकार का यह मत है कि पाकिस्तान के निकट भविष्य में परमाणु बम विस्फोट की सम्भावना है। मैं यह भी जानना चाहता था कि क्या सरकार यह अनुभव करती है कि यह शीघ्र ही होने वाला है। परन्तु उत्तर में कुछ और ही है।

प्रश्न के भाग (ख) में मैं उन देशों के नाम जानना चाहता था जो कि पाकिस्तान को तकनीकी और वित्तीय सहायता दे रहे हैं। जबकि प्रमुख समस्या यह है कि पाकिस्तान ने अमरीकी विशेषज्ञों के प्रमाण और चीन की आतुरता के अनुसार नाभिकीय क्षमता प्राप्त कर ली है, जबकि इसके बारे में एक भी पंक्ति नहीं दी गई है। कुछ भी हो, मैं दो पूरक पूछने जा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछिये।

श्री जगन्नाथ पटनायक : मेरे प्रश्न में उचित सावधानी नहीं बरती गई है। क्या दक्षिण एशिया नाभिकीय संधि का कोई प्रस्ताव अमरीका में रखा था? यदि हां तो उसके प्रति हमारी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? मेरा द्वितीय पूरक....

अध्यक्ष महोदय : एक समय में एक।

श्री बी०आर० भगत : माननीय सदस्य ने जिस अमरीकी प्रस्ताव के बारे में उल्लेख किया है, हमें उसका पता नहीं है।

श्री जगन्नाथ पटनायक : मेरा द्वितीय पूरक प्रश्न इस प्रकार है। यह समस्त उपलब्ध साक्ष्य से पता चलता है कि पाकिस्तान के नाभिकीय कार्यक्रम का गैर-शान्तिपूर्ण आयाम है। बहुत से आसूचना स्रोतों को ऐसा विश्वास है कि पाकिस्तान एक ऐसे परमाणु बम के निर्माण पर कार्य कर रहा है जो कि एफ–16 द्वारा ढोए जाने के उपयुक्त हो जो कि नवीनतम आदर्श लडाकू बम वर्धक है, और हमारे देश के लिए खतरा उत्पन्न करता है। इस बात को ध्यान में रखते और शान्तिपूर्ण उपयोग की हमारी नाभिकीय नीति में कोई मुख्य परिवर्तन किये बिना, क्या मैं यह जान सकता हूं कि हमारे पास ऐसा क्या विकल्प है जो हम भविष्य में पाकिस्तान द्वारा नाभिकीय ब्लैकमेल करने से बच सकें?

श्री बी०आर० भगत : जब माननीय सदस्य अपने प्रश्न को पढ़ते हैं तो उसके वास्तविक अर्थ को समझना बड़ा कठिन है। उन्हें प्रश्न पूछना पड़ेगा। जहां तक मैं समझ पाया हूं वह यह

जानना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान के नाभिकीय आयुध कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप हमारी नाभिकीय नीति में कोई परिवर्तन आया है। मैंने बताया है कि इस घटना के फलस्वरूप हमारी नामिकीय नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परन्तु यह तथ्य कि पाकिस्तान अपने नाभिकीय आयुध कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ रहा है इस क्षेत्र के सम्पूर्ण सुरक्षा आयामों में एक नये तत्व को जन्म देता है। हम इसे अपने ध्यान में रखे हुए हैं और हम सचेत हैं और इस पर निरन्तर सावधानी बरत रहे हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि हमारे प्रधान मंत्री महोदय ने अमरीका के अपने दौरे के समय अमरीकी राष्ट्रपति को यह बात बहुत ही स्पष्ट कर दी थी। उन्होंने यह स्थिति चीन को भी स्पष्ट कर दी थी, जब दिल्ली में उनकी बात हुई थी। और सोवियत संघ को भी स्पष्ट कर दी है। 'इस क्षेत्र में नाभिकीय गतिविधियों' के बारे में अमरीका के राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया यह है कि उन्होंने भारत को 'इस क्षेत्र की नाभिकीय गतिविधि' के बारे में याद दिलाया, न कि पाकिस्तान की नाभिकीय क्षमता के बारे में। अतः, मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि जहां तक पाकिस्तान का सम्बन्ध है, तैयारी की वास्तविक स्थिति क्या है। जहां तक इसके नाभिकीय बम का सम्बन्ध है, हम यह जानना चाहते हैं कि जैसा कि हमारे थल-सेना अध्यक्ष ने भी उल्लेख किया था क्या उन्होंने इस बम का किसी अन्य देश में विस्फोट कर लिया है और यदि हां तो, वास्तविक स्थिति क्या है। सभा यह भी जानना चाहेगी। और यह भी कि जहां तक पाकिस्तान की नाभिकीय क्षमता जो इस क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है का सम्बन्ध हैं, सोवियत संघ और चीन की स्पष्ट, सार्थक प्रतिक्रिया उस पर क्या है। उन महा-शक्तियों का स्पष्ट उत्तर क्या था, जिनके समक्ष हमने अपनी विचारधारा को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था ?

श्री बी०आर० भगत : इस मामले में निश्चितरूप से यह कहना तो बहुत ही मुश्किल है कि नाभिकीय आयुध कार्यक्रम किस अवस्था में है, परन्तु निश्चितरूप से यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान के पास नाभिकीय आयुध ग्रेड सामग्री है और यदि वे चाहें तो वे कुछेक बम तैयार कर सकते हैं, छोटे-आकार के तीन से पांच बम।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है। श्री भगत को इस सबका भली भांति पता है।....

श्री बी०आर० भगत : प्रक्रिया यह है कि आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आप बहुत से प्रश्न पूछ डालेंगे तो मेरे लिए उत्तर देना बहुत कठिन हो जायेगा। मैंने मुख्य प्रश्न को चुना और उत्तर दे दिया है। आपको स्वयं स्पष्ट और सीधा प्रश्न पूछना चाहिये, बहुत से प्रश्न एक साथ नहीं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : कृपया हमें बताइये कि उनकी प्रतिक्रिया क्या है। हमारे प्रधान मंत्री महोदय की राष्ट्रपति जिया से छः बैठकें हो चुकी हैं....

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : मैं इसको सही करना चाहता हूं। राष्ट्रपति जिया के साथ मेरी छः बैठकें नहीं हुई हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : हमें यह पता चलना चाहिए कि इस बारे में राष्ट्रपति जिया की क्या निश्चित प्रतिक्रिया है ?

श्री बी०आर० भगत : महोदय, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं उत्तर दे सकता हूं क्योंकि उन्होंने अलग से प्रश्न पूछा है **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जी, हां ।

प्रो० मधु दण्डवते : वह पहले ही विनिर्णय दे चुके हैं कि एक से अधिक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं है । भूतपूर्व अध्यक्ष होने के नाते वह अपना विनिर्णय दे चुके हैं ।

श्री बी०आर० भगत : माननीय सदस्य प्रक्रिया को भली भांति जानते हैं । महोदय, जैसाकि मैंने अपने उत्तर में बताया है प्रधान मन्त्री महोदय पाकिस्तान के नाभिकीय आयुध कार्यक्रम के प्रति भारत की चिन्ता व्यक्त कर चुके हैं । उत्तर में, राष्ट्रपति जिया ने इससे इंकार किया और कहा कि उनका सारा नाभिकीय कार्यक्रम शान्तिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है । उन्होने सुझाव दिया है कि हम आपसी निरीक्षण और अन्य बहुत सी बातें कर सकते हैं । प्रधान मंत्री महोदय ने उन्हें बताया कि वह इससे सन्तुष्ट नहीं हैं और वास्तव में उन्होंने जो सुझाव रखा है वह हमारे लिए नहीं है । यह प्रस्ताव अमरीकी कांग्रेस से किया गया है जहां पर सुलभ शर्तों पर और अधिक सहायता हेतु उनका आवेदन लाम्बित पड़ा है और इसे वह उचित ठहराना चाहता है कि वह नाभिकीय आयुध कार्यक्रम नहीं बना रहा है, अपितु यह एक शान्तिमय उद्देश्य कार्यक्रम है ।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : महोदय, हाल ही इस विषय में दो महत्वपूर्ण वक्तव्य दिये गये हैं, एक तो प्रधान मंत्री महोदय ने दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने बम बनाने की आवश्यक क्षमता अर्जित कर ली है, और वह शीघ्र ही बम बना सकता है और द्वितीय वक्तव्य परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डा० रामन्ना ने दिया है । उन्होंने कहा है कि जहां तक उन्हें ज्ञात है पाकिस्तान उस क्षमता की प्राप्ति के द्वार तक अभी नहीं पहुंचा है । ये दोनों परस्पर-विरोधी बाते हैं । उन्होंने हम सभी के मन में असमंजस पैदा कर दिया है । क्या मैं मन्त्री महोदय से पूछ सकता हूं कि इन वक्तव्यों में से निकट या पूर्ण सत्य कौन सा वक्तव्य है ?

श्री राजीव गांधी : डा० रामन्ना ने यह नहीं कहा था । जो आपने कहा है वह डा० रामन्ना ने नहीं कहा था ।

प्रो० मधु दण्डवते : देश को उन्होंने यही बताया था ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने बताया था कि खबर है कि कुछ देश पाकिस्तान को परमाणु हथियार कार्यक्रम के लिए तकनीकी तथा वित्तीय सहायता दे रहे हैं । क्या मंत्री जी बताएंगे कि कौन-कौन से देश वित्तीय सहायता दे रहे हैं और कौन-कौन से तकनीकी सहायता ? क्या उनके पास कोई सूचना है ?

श्री बी०आर० भगत : महोदय, मुझे उन देशों के नाम बताने की जरूरत नहीं है । हमारे अखबारों में उनके नाम छपे हैं । उनके नाम अमरीकी अखबारों में अधिक छपे हैं यह बात सभी को मालूम है ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मैं विदेश मंत्री से प्रश्न पूछ सकता हूं कि क्या सरकार के पास कोई सूचना है ?

श्री अमल दत्त : भविष्य में सभी मंत्री हमें अखबार देखने को कहेंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बड़ा टाल-मटोल करने वाला जबाव है।

अध्यक्ष महोदय : जब वे पेपर की बात कहें तो आप ध्यान रखें।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : प्रश्न के उत्तर में उन्होंने समाचार पत्रों की खबर का उल्लेख नहीं किया था। उन्होंने सूचना का उल्लेख किया था अर्थात् सरकार को मिली सूचना का। यहां मैं सरकार से प्रश्न पूछने के लिए हूं और मंत्री जी उसका जवाब देने के लिए। मेरे विचार से प्रश्नों को इतने हल्के-फुल्के ढंग से नहीं लिया जाना चाहिए।

श्री राजीव गांधी : इस स्तर पर सदन में इसका उल्लेख करना जनहित में नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं आपको अलग से बता सकता हूं और सच बताऊंगा।

डा० सी०पी० ठाकुर : प्रधान मंत्री जी ने स्पष्ट वक्तव्य दिया था कि भारत परमाणु-बम नहीं बनायेगा। इसका उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों के लिए किया जायेगा। लेकिन इस क्षेत्र में जो गतिविधियां चल रही है उसे देखते हुए हमने अपने समक्ष विकल्प रखा हुआ है। अगर हम पहले सिद्धान्त पर दृढ़ रहना चाहते हैं तो हमें कुछ करना होगा और अगर हम अपने समक्ष विकल्प रखते हैं तो हमें कुछ और करना होगा क्योंकि ऐसे में हमें उस दिशा में कार्यवाई करनी होगी। इन वक्तव्यों को देखते हुए इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और वह क्या कार्रवाई करना चाहती है ?

श्री बी०आर० भगत : इन सभी घटनाओं की हम निरन्तर समीक्षा करते रहते हैं और हम अपनी स्थिति बता चुके हैं कि जहां तक परमाणु कार्यक्रम और नीति का संबंध है इस समय उसमें कोई परिवर्तन नहीं आयेगा। लेकिन इस क्षेत्र में घट रही घटनाओं के कारण हम सुरक्षा पहलू की निरंतर समीक्षा करते रहते हैं।

बहुउद्देशीय सहकारी समितियों द्वारा आदिवासियों का शोषण

*43 **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आदिवासियों का शोषण समाप्त करने के लिए उड़ीसा में स्थापित की गई बहुत बड़ी बहुउद्देशीय सहकारी समितियां उनके संसाधनों को समाप्त करने का साधन बन गई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन किया गया है अथवा केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा सरकार से कोई रिपोर्ट मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरधर गोमांगो) : (क) आदिवासी लोगों को ऋण प्रदान करने, आदिवासी उत्पादनों के लिए विपणन-प्रबंध करने तथा आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण करने के लिए देश के आदिवासी उप-योजना राज्यों में त्रिमुखी से उद्देश्य बहुत बड़ी बहु-उद्देशीय सहकारी समितियां (लैम्पस) स्थापित की गयी हैं। ऐसा कोई विशिष्ट मामला सूचित नहीं किया गया है जिसमें बहुत बड़ी बहुउद्देशीय सहकारी समितियां उड़ीसा के आदिवासियों के संसाधनों को समाप्त करने का साधन बन गई हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : यह अच्छी बात है कि आदिवासियों की सहायता के लिए आदिवासी उप-योजना राज्यों खासकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों में बड़ी बहुउद्देशीय समितियां (लैम्पस) काम कर रही हैं। लेकिन वस्तुतः इनमें से कई समितियां सहायता के बजाय आदिवासियों का शोषण कर रही हैं।

माननीय मंत्री जी ने अपने जबाब में बताया है कि ऐसी समितियों, खासकर 'लैम्पस' की स्थापना का लक्ष्य त्रिमुखी है और इन तीन में से केवल एक लक्ष्य अर्थात ऋण देकर आदिवासियों की सहायता करना, की प्राप्ति की गई है अन्य दो लक्ष्य पूरे नहीं हुए हैं : ये दो लक्ष्य हैं। उड़ीसा में आदिवासी लोगों को अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुएं सप्लाई करना तथा आदिवासी क्षेत्रों के उत्पादों के विपणन का प्रबंध करना है। जहां तक कुछ क्षेत्रों में आदिवासी उत्पादों के विपणन-प्रबंध का संबंध है, केवल एक-दो वस्तुओं की खरीद की जाती है और उसकी भी उचित कीमत नहीं दी जाती क्योंकि समितियां इन वस्तुओं को एकाधिकार योजना के अन्तर्गत खरीदती हैं। उदाहरण के लिए इमली को लीजिए जो वनों में पैदा होती है। आदिवासी खुले बाजार में इसे 3 रुपए किलो के भाव पर बेचते हैं लेकिन ये समितियां उसे केवल एक रुपए किलो के भाव से खरीद रही हैं। महोदय, क्या यह शोषण नहीं है ? इस शोषण का प्रत्यक्ष उदाहरण..... (व्यवधान) में एक स्पष्ट प्रश्न पूछता हूँ। इसकी और माननीय मंत्री जी का ध्यान संसद सदस्यों की एक बैठक में दिलाया गया था.....।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं है बल्कि वार्तालाप है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : एक अक्टूबर को हुई इस बैठक में माननीय राज्य मंत्री मौजूद थे। मैं जानना चाहता हूँ कि गरीब आदिवासियों के शोषण को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न का महत्त्व समाप्त करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं ?

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : क्या बैठक में माननीय मंत्री का ध्यान इस ओर दिलाया गया था ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया तैयारी करके आया कीजिए। यहां भाषण मत दीजिए। यह प्रश्न काल है।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं भाषण नहीं दे रहा। मैं थोड़ी सी भूमिका बताने के बाद प्रश्न पूछ रहा हूँ ताकि प्रश्न की गंभीरता को ठीक से समझा जा सके। महोदय, मैं उसके लिए तैयार होकर आया हूँ।

एक माननीय सदस्य : आप मंत्री नहीं हैं जो ऐसा करें।

श्री गिरिधर गोमांगो : जी हां, पहली अक्तूबर को संसद सदस्यों की एक बैठक हुई थी। माननीय सदस्यों द्वारा भिन्न-भिन्न मुद्दे उठाए जाने के अलावा इस मुद्दे को भी – उस तरह नहीं जिस तरह माननीय सदस्य कह रहे हैं—उठाया गया था। वहां सहकारी समितियां (लैम्पस) है लेकिन यह राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि वे कैसे काम करती हैं। लघु वन-उत्पादों का राष्ट्रीयकरण राज्य सरकार करती है। यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि 'लैम्पस' के अन्य कार्य तो बढ़े हैं लेकिन लघु वन-उत्पादों की खरीद में वृद्धि नहीं हुई है। यह निर्णय लेना राज्य सरकार पर निर्भर करता है कि इन लघु वन उत्पादों का राष्ट्रीयकरण किया जाए या नहीं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हम मंत्री जी की बात समझ नहीं पा रहे इसलिए प्रश्न नहीं पूछ सकते ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्नकर्त्ता उत्तर समझ गए हैं ।

प्रो० एन० जी० रंगा : वे एक रुपये में खरीदते हैं और तीन रुपए में बेचते हैं । क्या यह शोषण नहीं है ?

कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी) : सरकार के ध्यान में यह बात नहीं लाई गई है ।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि उड़ीसा में 'लैम्पस' की संख्या कितनी है तथा इससे अब तक कितने आदिवासी लाभान्वित हुए हैं । दूसरी बात यह कि ये समितियां किन वस्तुओं की खरीद करती हैं तथा उड़ीसा में वे अब तक कितनी खरीद कर चुकी हैं ।

श्री गिरिधर गोमांगो : उड़ीसा में 222 बड़ी बहु-उद्देशी समितियाँ काम कर रही हैं और इनमें से कुछ टी०डी०सी०सी० से सम्बद्ध हैं । उक्त समितियों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं की सप्लाई करने के अलावा इनका उद्देश्य यही है कि ये आदिवासियों की सहायता करें । इनका प्रमुख लक्ष्य अतिरिक्त कृषि उत्पादों तथा लघु वन उत्पादों की खरीद करना तथा उनकी बिक्री की व्यवस्था करना है । इसका दूसरा लक्ष्य आदिवासी क्षेत्रों में उचित दर की दुकानों के माध्यम से उन्हें अनिवार्य वस्तुओं तथा अन्य उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराना है ।

[हिन्दी]

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, आदिवासियों का शोषण समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में इस तरह की सोसायटीज बनाई गई हैं, लेकिन वहां ऋण प्राप्त करने के लिए अनावश्यक विलम्ब किया जाता है । इसकी वजह से उनको एक बार ऋण प्राप्त करने में दर्जनों दिनों का नुकसान करना पड़ता है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ, सोसायटियों की संख्या क्या है और उपर्युक्त बात क्या सही है ? यदि सही है, तो इस चीज को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कर रही है ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, मुख्य प्रश्न उड़ीसा से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वैशचन नहीं है । माननीय सदस्य अगर उत्तर प्रदेश के लिए पूछना चाहते हैं, तो अलग से पूछ सकते हैं । प्रश्न ट्राइबल के संबंध में है ।

अध्यक्ष महोदय: कहाँ चन्द्रशेखर जी ने उड़ीसा में जाकर टांग फंसाई ।

[अनुवाद]

श्री के० प्रधानी : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उड़ीसा में काम कर रही उक्त 222 समितियों में से कितनी ठीक से काम कर रही हैं अर्थात आदिवासियों से वन उत्पाद खरीद रही हैं और उन्हें अनिवार्य वस्तुएं उपलब्ध करा रही हैं । मेरी सूचना के अनुसार अधिकतर समितियां ठीक से काम नहीं कर रही अर्थात् वे उन उत्पादों की खरीद तथा अनिवार्य वस्तुएं उपलब्ध नहीं करा रही हैं ।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : महोदय, यह कहना सही नहीं है कि ये समितियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप किसका जिक्र कर रहे हैं। 'लैंप' का या "लैम्ब" (भेड़) का ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : महोदय लैम्पस से तात्पर्य है बड़ी बहु उद्देशीय सहकारी समितियां।

'लैम्पस' आदिवासी क्षेत्रों में कार्य कर रही हैं और आंकड़ों से आप देख सकते हैं कि 1978-79 में 76 करोड़ रुपए विपणन हुआ जो 1984-85 में बढ़कर 300 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यह आंकड़े उपभोक्ता वस्तु के संबंध में हैं। 1984-85 में यह 65.29 लाख से बढ़कर 850 लाख हो गया है। इसका अर्थ है कि वे लोगों की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं तथा जिन उद्देश्यों के लिए उनकी स्थापना की गई थी वे उनको पूरा कर रही हैं।

श्री रेणुपद दास : कितनी 'लैम्पस' देश में कार्य कर रही हैं ? छठी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना था। छठी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों के संदर्भ में, मैं जानना चाहूंगा कि सारे देश में कितनी बहुत बड़ी बहु-उद्देशीय सहकारी समितियां बनाई गयी हैं ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : सारे देश में 2584 लैम्पस बनाई गई हैं और अगर आप इसका राज्यवार ब्यौरा चाहते तो मैं वह भी दे सकती हूं।

श्री रेणुपद दास : उनमें से कितनी समितियों ने छठी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों को पूरा किया है ?

श्री राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : जिन उद्देश्यों के लिए ये गठित की गई थीं ये सभी उन्हीं पर चल रही हैं। मुख्य उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में विशेष प्रकार की बहुत बड़ी बहु-उद्देशीय समितियां स्थापित करना था। इन्हें आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित किया गया और उनको तीन प्रकार के कार्य, ऋण देने (उत्पादन तथा उपभोग दोनों के लिए), आदिवासियों के उत्पादन का विपणन तथा उपभोक्ता वस्तुओं और कृषि साधन सामग्री का वितरण सौंपा गया है। अतः ये सभी वहां पर कार्य कर रही हैं। समय-समय पर सरकार इन समितियों के कार्य का जायजा लेती है और जो भी कठिनाइयां होती हैं उनको दूर करने की कोशिश करती है और हम महसूस करते हैं कि इनके ठीक तरह से कार्य करने से इस क्षेत्र में अच्छा काम होगा।

अध्यक्ष महोदय : जहां अच्छी चीजें होती हैं वहां बुरी भी होती हैं।

श्रीलंका की जातीय समस्या

44. **डा० गौरी शंकर राजहंस**
श्रीमती कृष्णा साही } : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका में जातीय समस्या हल करने का कोई समाधान ढूंढ लिया गया है; और

(ख) पिछले तीन महीनों में श्रीलंका सरकार के प्रतिनिधियों के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी, नहीं। जातीय समस्या का समाधान खोजने के लिए बातचीत अभी भी चल रही है।

(ख) बातचीत का दूसरा दौर अगस्त के मध्य में थिम्पू में स्थगित हो गया था। उसके बाद बातचीत 23 और 31 अगस्त के बीच डा० एच० डब्ल्यू० जयवर्धने तथा श्रीलंका के उन अन्य अधिकारियों के साथ हुई थी जिन्होंने थिम्पू वार्ता में भाग लिया था। श्रीलंका ने एक ऐसा कार्य पत्र तैयार किया था जो राजनैतिक समझौते की दिशा में आगे बातचीत करने के लिए आधार बन सकता है। बाद में श्रीलंका के तीन अधिकारियों का एक दल नई दिल्ली आया और उसने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करके उन कुछ मामलों का कुछ और स्पष्टीकरण दिया जो कार्य पत्र में उठे थे।

प्रभावी युद्ध विराम को बनाए रखने तथा कार्य पत्र में सम्मिलित मसलों से संबंधित मामलों पर सितम्बर में विभिन्न तमिल दलों के साथ बातचीत की गई थी। बाद में विदेश सचिव 26 सितम्बर को श्रीलंका गए और उन्होंने राष्ट्रपति जयवर्धने तथा अन्य नेताओं के साथ युद्ध विराम को बनाये रखने तथा युद्ध विराम पर निगरानी रखने के लिए एक निगरानी समिति गठित करने के बारे में विचार-विमर्श किया।

उसके बाद तमिल दलों के साथ अक्तूबर में आगे बातचीत की गई थी तथा प्रधान मन्त्री तथा विदेश सचिव ने नसाऊ के दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति और अन्य नेताओं को राजनैतिक समाधान के सम्बन्ध में इन दलों के विचारों से अवगत करा दिया था। तमिल दलों के साथ बातचीत का एक और दौर 7 से 9 नवम्बर तक हुआ था।

डा० गौरी शंकर राजहंस : महोदय, मैं माननीय मन्त्री के उत्तर के अन्तिम अंश का हवाला दे रहा हूं। क्या मैं तमिल ग्रुप के साथ 7 से 9 नवम्बर, 1985 के बीच हुई बातचीत का विवरण जान सकता हूं, अगर वह गोपनीय न हो ?

श्री बी० आर० भगत : सारा मामला बहुत ही नाजुक बातचीत की प्रक्रिया में है अतः विवरण देना सम्भव नहीं होगा। परन्तु मैं मोटे तौर पर कह सकता हूं कि यह बात वास्तविक युद्ध विराम प्रबन्ध पर निगरानी रखने से सम्बन्धित थी। यह पहली बात है। और दूसरे प्रोविंसियल काउंसिलज, उत्तरी तथा पूर्वी काउंसिलज, तमिल ग्रुपों की मांगों को जोड़ने का प्रश्न, कानून व्यवस्था, इन प्रोविंसों में कानून व्यवस्था को बनाये रखने से सम्बन्धित कुछ शक्तियां, भूमि-समझौता तथा राजनैतिक काउंसिलों को और अधिक शक्तियां देने से सम्बन्धित राजनैतिक समझौते के कुछ मुद्दे थे। मोटे तौर पर इन्हीं मुद्दों पर बातचीत हुई।

डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या सरकार को पता है कि श्रीलंका की सेना तमिलों का संहार कर रही है, और यदि हां तो सरकार का इस समस्या को हल करने के लिए क्या प्रस्ताव है ?

श्री बी० आर० भगत : बहुत सी खबरें आ रही हैं परन्तु यह सही नहीं है कि श्रीलंका की सेना तमिलों का संहार कर रही है। जो घटित हो रहा है वह यह है कि युद्ध विराम को तोड़ा जा

रहा है और इस युद्ध विराम के तोड़ने से आम जनता को नुकसान हो सकता है। हम यह बात श्रीलंका के अधिकारियों के ध्यान में लाते रहे हैं कि आम जनता पर असर नहीं पड़ना चाहिये क्योंकि उनका सबसे अधिक नुकसान होगा। युद्ध विराम बनाये रखने के मुद्दे को इन बातचीतों में सबसे अधिक वरीयता दी गई है।

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : मैं यह बता दूं कि दोनों तरफ से ही युद्धविराम को तोड़ा गया है और हम श्रीलंका के सुरक्षा दलों द्वारा की गई कुछ कार्यवाहियों से बहुत ही निराश हुए हैं और हमने उनसे ऐसी कार्यवाहियों पर काबू करने की कोशिश करने का निवेदन किया है। दूसरी तरफ, हमें बातचीत के लिए निश्चित सुझाव तमिल लोगों से नहीं मिला है कि वास्तव में संक्षेप में वे क्या चाहते हैं। क्योंकि उस आधार के बिना हमारे लिए बातचीत करना कठिन है। श्रीलंका सरकार किन बातों पर बातचीत करना चाहती है उनसे हमें एक पेपर मिला है। परन्तु अब यह तमिलों पर निर्भर है कि वे क्या करते हैं वे हमें बताएं कि वे क्या चाहते हैं।

एक माननीय सदस्य : शेरे तमिल, लड़के नहीं.....

(व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : ठीक है, श्रीलंका के तमिल नेता। मैं अपने को ठीक करता हूं..... क्या आप श्रीलंका के तमिलों की तरफ से बोल रहे हैं? ..... **(व्यवधान)** क्या आप दोनों बोल रहे हैं अथवा एक बोल रहा है?

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों ही बेतुकी बातें कर रहे हैं कृपया बैठ जाइए।

प्रो० मधु दण्डवते : 'ब्वाय' शब्द का प्रयोग सिर्फ युवा कांग्रेसियों के लिए किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इस शब्द का प्रयोग उन लोगों के लिए किया जा रहा है जो वर्तमान वार्ता में भाग ले रहे हैं।

श्री राजीव गांधी : प्रो० दण्डवते जी हमेशा सही बात बोलते हैं। परन्तु दुःखद बात यह है कि हमारे पास युवा कांग्रेसी हैं परन्तु उनके दल में कोई भी युवा नहीं हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : हमारे दल में वृद्ध भी युवा हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, सरकार के द्वारा श्रीलंका में जातीय समस्या के समाधान के लिए जो प्रयास किया गया है वह प्रशंसनीय है और मैं प्रधान मन्त्री जी को बधाई देती हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप पूछिये, कहिये मत।

श्रीमती कृष्णा साही : मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहती हूं कि श्रीलंका सरकार द्वारा राजनीतिक मांगों को दबाने के लिए आर्म्ड फोर्सिज का इस्तेमाल न किया जाए, इस आशय का समझौता कहां तक हुआ है?

अध्यक्ष महोदय : इसका जवाब तो दे दिया है।

श्री बी० आर० भगत : सारी बात ही इसी बात पर चल रही है कि सेना की सहायता से दबाकर कोई मिल्ट्री सोल्यूशन इसका नहीं हो सकता, इसलिए रानजीतिक वार्ता के साथ, आपस में बातचीत के साथ ही इसको सुलझाया जाए, ये सारी बातें इसी बात को लेकर हो रही हैं।

[अनुवाद]

श्री पी० कुलन्वहंवेलू : तमिलनाडु तथा श्रीलंका में तमिलों में यह आशंका है कि जबतक हम किसी समझौते पर पहुंचेंगे तब तक श्रीलंका में तमिल जनसंख्या समाप्त हो चुकी होगी। मैं ऐसा क्यों सोचता हूं। पिछले सात या आठ महीनों में कभी भूटान में या कभी दिल्ली में या कहीं और वार्ताओं का दौर चलता रहा है। श्रीलंका में व्याप्त जातीय समस्या को सुलझाने के लिए हमारे प्रधान मन्त्री जी ने भी आश्वासन दिया है। वे इस मामले पर तुरन्त कार्यवाही करना चाहते हैं। हाल की विदेश यात्राओं के दौरान हमारे माननीय प्रधान मन्त्री जी श्रीलंका के मन्त्री श्री अथुलात-मुदाली से भी मिले थे। मैं माननीय प्रधान मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उनकी वहां क्या वार्ता हुई, अथवा क्या वे इस समस्या को तुरन्त निपटाना चाहते हैं क्योंकि यह जातीय समस्या पिछले कई वर्षों से चली आ रही है। तमिलों की जससंख्या वहां दिन-प्रति-दिन कम होती जा रही है। अतः प्रधान मंत्री जी हमें बतायें कि क्या वे इस समस्या को भी पंजाब अथवा असम की भांति तुरन्त सुलझाएंगे।

श्री राजीव गांधी : महोदय आपकी अनुमति से मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि श्रीलंका असम या पंजाब की भांति हमारा राज्य नहीं है अपितु यह एक स्वतंत्र देश है।

श्री पी० कुलन्वहंवेलू : तमिल समस्या हमारे देश से जुड़ी हुई है। आपने इसे राष्ट्रीय समस्या माना है। आपने यही कहा था।

श्री राजीव गांधी : मेरे विचार से तमिलों के बारे में हमारे विचार कुछ भिन्न हैं। हम इसे पूर्ण रूप से श्रीलंका की समस्या मानते हैं न कि भारत की समस्या। भारत की समस्या वे शरणार्थी हैं जो वहां से हमारे देश में आ रहे हैं। हमारी समस्या मानव अधिकारों का उल्लंघन होने, सामान्य कानून एवं व्यवस्था उपायों के प्रतिकूल काम होने से बनती है। इन मसलों पर हम दिलचस्पी लेंगे। इन मसलों को हम उठाएंगे। दक्षिण अफ्रीका में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और हम उसके विरुद्ध अपनी आवाज उठाते हैं। वस्तुतः मूलरूप में इस समस्या को सुलझाने का काम श्रीलंका का ही है। इसे सुलझाने के लिए हम उनकी जो कुछ भी मदद कर सकते हैं करेंगे। हम चाहेंगे कि जो शरणार्थी श्रीलंका से यहां आये हैं वे सम्मान एवं सुरक्षा के साथ वापस श्रीलंका जायें।

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे व्यक्ति

*45. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** }
श्री महेन्द्र सिंह } : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 में देश में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की प्रतिशतता क्या थी;

(ख) देश में इस समय गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे व्यक्तियों की प्रतिशतता क्या है; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये और सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस बारे में क्या कदम उठाये जायेंगे ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है :

विवरण

(क) और (ख)—योजना आयोग द्वारा निकाले गए गरीबी के अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए पंचवर्षीय परिवारिक उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण के परिणामों पर आधारित हैं। गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों का प्रतिशत 1977-78 (संशोधित) और 1983-84 (अनन्तिम) दोनों ही के लिए नीचे दिया गया है जो 1977-78 (32वें दौर) और 1983 (38वें दौर) में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए सर्वेक्षणों पर आधारित है। इसके अलावा, जैसा कि 1977-78 और 1983 के सर्वेक्षणों से पता चलता है, 1979-80 और 1984-85 के लिए भी गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत के अनुमान उपभोक्ता व्यय की वितरण पद्धति पर आधारित है।

वर्ष	देश में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों का प्रतिशत		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित
1977-78 (संशोधित)	51.2	38.2	48.3
1979-80 (संशोधित)	55.5	42.0	52.4
1983-84 (अनन्तिम)	40.4	28.1	37.4
1984-85 (अनन्तिम)	39.9	27.7	36.9

(ग) छठी योजना की समग्र कार्यनीति और संवृद्धि की रूपरेखा, गरीबी अनुपात में कमी लाने के लिए तैयार की गई थी। इसके अलावा, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम जैसे गरीबी दूर करने के अनेक कार्यक्रम जिनका छठी योजना में कार्यान्वयन किया जा रहा था, उनका उद्देश्य परिसम्पत्तियों के सृजन और रोजगार सृजन द्वारा कमजोर वर्गों की आय में वृद्धि करना था। इसके अलावा, अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजनाएं' जनजातीय विकास योजना, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों का बल, लघु और सीमान्त किसानों पर रहा है। ग्राम और लघु उद्योग आदि के लिए कार्यनीति से भी गरीबी कम करने में सहायता मिलेगी।

इन कार्यक्रमों को सातवीं पंचवर्षीय योजना में तीव्र गति से जारी रखा जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो मंत्री हिन्दी नहीं जानते हैं उनको हिन्दी जाननी चाहिये। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ओवर रूल, आपको पता है कि दोनों भाषाओं की व्यवस्था है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि पांचवी पंचवर्षीय योजना और छठवीं पंचवर्षीय योजना में लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिये कितने रुपये आवंटित किये गये और कितने आपने खर्च किये।

[अनुवाद]

श्री ए० के० पंजा : प्रश्न गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों एवं उनकी प्रतिशतता के बारे में पूछा गया है। अगर आप पूछते हैं कि इस उद्देश्य के लिये कितना रुपया आवंटित किया गया था तो मुझे इसके लिये पूर्व सूचना चाहिये। गरीबी कम करने के लिये विभिन्न उपाय किये जाते हैं। सच तो यह है कि पूरी की पूरी छठी एवं सातवीं पंचवर्षीय योजनाएं एवं इनसे पहले की योजनाएं गरीबी को कम करने के लिये बनाई गई थी तथापि कुछ योजनाएं ऐसी बनाई गई है जो शीघ्र ही गरीबी उन्मूलन से सम्बद्ध हैं।

[हिन्दी]

श्री नारायण चौबे : सवाल का जवाब ही नहीं हो रहा है।.....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल हो रहा है।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : मैं जरा इस बात को स्पष्ट करूंगा।

[हिन्दी]

पूरी योजना गरीबी हटाने के लिये है।

[अनुवाद]

पूरी की पूरी योजना गरीबी हटाने के लिये है।

[हिन्दी]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : मैं, योजना की बात नहीं कह रहा हूँ। योजना के लिये पैसे की जरुरत है। मैं तो यह पूछना चाहता हूँ कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिये कितने पैसे आवंटित किये गये और कितने खर्च किये। आंकड़े जो दिये गये हैं उनसे पता चल रहा है..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपके सवाल का जवाब आ गया है, सारा का सारा प्लान उसी उद्देश्य के लिये है।

.....(**व्यवधान**)

[**अनुवाद**]

अध्यक्ष महोदय : सारी की सारी योजना इसी कार्य के लिये है। मुख्य उद्देश्य गरीबी हटाने का है। वह सही कह रहे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य : सभी कार्यक्रम गरीबी कम करने के लिये नहीं है।

श्री राजीव गांधी : सारे कार्यक्रम गरीबी कम करने के लिये हैं। अगर हम कोई उद्योग लगाते हैं तो इसका उद्देश्य गरीबी कम करना होता है; अगर हम सड़के बनवाते हैं...(**व्यवधान**) मुझे प्रश्न को स्पष्ट करने दीजिये। प्रश्न था कि गरीबी दूर करने हेतु कितना धन खर्च किया गया। हम इसी का उत्तर दे रहे हैं (**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कुछ विशिष्ट कार्यक्रम हैं जो कि गरीबी को कम करने के लिये हैं; परन्तु सभी कार्यक्रमों को गरीबी कम करने के कार्यक्रम नहीं कहा जा सकता है।

श्री राजीव गांधी : यह प्रश्न नहीं पूछा गया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह जानना चाहते हैं कि गरीबी कम करने के लिये कितना पैसा खर्च किया जा रहा है।

श्री राजीव गांधी : आप उन्हें बोलने दीजिये वे क्या जानना चाहते हैं ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह अपनी बात को अच्छी तरह स्पष्ट नहीं कर पायेंगे।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

(**व्यवधान**)**

[**हिन्दी**]

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : जो आंकड़े दिये गये हैं उनके अनुसार 1977-78 में 51 प्रतिशत गरीबी की रेखा से नीचे और फिर कहते हैं कि 55 प्रतिशत हो गया यानी चार प्वाइन्ट बढ़ गया। मैं यह जानना चाहता हूँ कि 77-78 में प्लानिंग पर कितना खर्च हुआ और पैसा गया तो कहाँ गया .....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : सवाल कीजिये, रिवाइज्ड एस्टीमेट है। आंकड़ों में गलती हो सकती है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : कम से कम यही बतायें कि आंकड़ों में गलती नहीं हुई है। .... (**व्यवधान**)

**कार्यवाही में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राजीव गांधी : उन सालों में गरीबी बढ़ी थी। आपको याद होगा उस समय हमारी सरकार नहीं थी। जिनकी सरकार थी, वे उसका जवाब दे सकते हैं।

.....(व्यवधान)

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह : नहीं, ऐसी बात नहीं है। 1979-80 में सरकार इन्हीं की थी। (व्यवधान) श्रीमती गांधी ने 1971 से गरीबी हटाओ का नारा दिया था।

.....(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री महेन्द्र सिंह : आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी०, तथा आर० ई० एल० जी० पी० आदि गरीबी कम करने वाले कार्यक्रम, स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा शुरू किये गये थे तथा श्री राजीव गांधी ने हमारे देश के दूर-दराज क्षेत्रों का दौरा किया और निर्धनतम लोगों से मुलाकात की। इससे इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के बारे में उनकी चिन्ता का पता चलता है। हम जानते हैं कि क्रियान्वयन स्तर पर कुछ समस्याएं हैं। इन कायक्रमों के क्रियान्वयन के लिये क्या कदम उठाये गये हैं तथा इस संबंध में कितने लोगों को सजा दी गई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि सरकार इस विशेष प्रकार के कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर किस प्रकार निगरानी रखन/ाकरना चाहती है। क्या सरकार काम करने वालों को प्रोत्साहन तथा काम न करने वालों को दंड देने जा रही हैं, ताकि गरीब लोगों को लाभ पहुँच सके ?

श्री ए० के० पंजा : जहां तक निगरानी और क्रियान्विति का प्रश्न है, मेरा नम्र निवेदन है कि जैसा कि प्रधान मंत्री ने कहा है, गरीबी निवारण कार्यक्रम की क्रियान्विति अनिवार्य है। इसीलिए श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी के अधीन कार्यक्रम क्रियान्विति का पृथक मंत्रालय बनाया गया है।

श्री अमल दत्त : वह सभा में उपस्थित नहीं हैं।

श्री ए० के० पंजा : जहां तक प्रबोधन का प्रश्न है अभी तक योजना आयोग सभी परियोजनाओं का प्रबोधन कर रहा था। परन्तु अब न केवल विभिन्न विभाग स्वयं प्रबोधन कार्य कर रहे हैं अपितु उक्त मंत्रालय भी निगरानी रखता है। 100 करोड़ रु० तक की परियोजनाओं तथा 100 करोड़ रु० से कम परन्तु 50 करोड़ रु० से अधिक की परियोजनाओं का कार्य मंत्रालय द्वारा देखा जा रहा है। इसका प्रबोधन भी मंत्रालय द्वारा हो रहा है। हम इसे बढ़ाने की सोच रहे हैं। इस समय यह काम विभिन्न मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

श्री राजीव गांधी : मैं इसमें कुछ और जोड़ना चाहूँगा। आदिम जातीय क्षेत्रों तथा अन्य क्षेत्रों के अपने दौरों के दौरान मैंने पाया कि कतिपय योजनाओं की क्रियान्विति में कि बहुत सी समस्याएं हैं। जैसा कि आप जानते हैं, क्रियान्विति का अधिकांश काम लगभग 100% काम राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। हम कार्यवाही कर रहे हैं। कुछ योजनाओं को संशोधित किया गया है, परन्तु इस प्रश्न का संबन्ध योजनाओं में संशोधन से नहीं है, और यदि आप पृथक प्रश्न पूछे तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूँ। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उन सभी परिवर्तनों संबंधी विवरण दे सकता हूँ, जो कि मेरी यात्राओं के बाद हुए हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मंत्री महोदय ने अपने लिखित उत्तर में गरीबी की रेखा से नीचे के स्तर पर जीवन यापन कर रहे व्यक्तियों के संबंध में विभिन्न वर्षों के प्रतिशत में आंकड़े दिये हैं।

मैं इस प्रतिशत के बारे में एक मूलभूत प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या यह सच नहीं है, कि 1971 के लगभग श्री दांडेकर तथन्थ द्वारा किये गये अध्ययन में परिभाषित किया था कि भारत में औसतन एक मनुष्य 2250 कैलोरीज लेता है जिसकी कुल लागत प्रति मास 1960-61 के मूल्यों के स्तर पर 14.2 रुपये प्रति व्यक्ति बैठती है ? इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति जिसे इससे कम मिलता है गरीबी के स्तर से नीचे जीवन यापन कर रहा है।

अब मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या उन्होंने गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों का आकलन करने संबंधी मानकों में परिवर्तन किया है, क्योंकि यह संभव है कि जब आप कहते हैं कि लोग गरीबी की रेखा से उपर उठे हैं, शायद गरीबी की रेखा के मानदण्ड गिर गये हैं जिसके परिणामस्वरूप लोग शायद गरीबी रेखा से उपर उठ गये माने गए हैं। अतः मैं उसके मानदण्ड जानना चाहूँगा।

और आपकी अनुमति से, चूंकि प्रधान मंत्री ने पूर्व के वर्षों का उल्लेख किया है, उनका कहना था कि जहां तक पूर्व वर्षों का संबन्ध है (व्यवधान)

श्री राजीव गांधी : इससे पहले कि प्रश्न का उत्तर दिया जाये। एक छोटी सी बात, प्रो० दण्डवते जी, उस समय वह योजना मंत्री नहीं थे।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने योजना का कार्य तो नहीं किया परन्तु परिवार नियोजन का कार्य भली प्रकार किया है।

जहां तक इस पहलु का प्रश्न है, मैं यह बात बताना चाहता हूँ कि 1978-1979 में जब दूसरी सरकार थी तब श्रीमती इन्दिरा गाँधी के नेतृत्व वाले योजना आयोग ने यह पता लगाने के लिए कि गरीबी उन्मूलन योजनाएं कैसे कार्य कर रही हैं, एक मूल्यांकन समिति नियुक्त की थी और उस समिति की रिपोर्ट थी कि "काम के बदले अनाज" अंत्योदय कार्यक्रम जो जनता शासन के दौरान चलाये गये थे, उससे अत्यधिक गरीब लोगों को बहुत लाभ पहुँचा था।

अध्यक्ष महोदय : उसके कुछ परिणाम निकले ?

श्री राजीव गांधी : पहले भाग का उत्तर 'नहीं' है। मानदण्ड नहीं बदले गये हैं। कैलोरीज का उपभोग अभी भी उतना ही है यानि इस समय औसत 2050 कैलोरीज है जो छः हजार रुपए से उपर बैठता है। मेरे पास सही आंकड़े नहीं है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : किस मूल्य स्तर पर ?

श्री राजीव गांधी : वर्तमान मूल्य स्तर पर। इसका अर्थ है हम कैलोरीज का मूल्य निर्धारित करते हैं और उसके हिसाब से मूल्य का हिसाब लगाते हैं। शायद कीमतें 1979-80 से संबन्धित हैं। मेरे पास निश्चित आंकड़े नहीं हैं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह गलत है।

श्री राजीव गांधी : यह अधिक गलत नहीं है। परन्तु कैलोरीज की खपत 2100 है। हमने इसे बढ़ा दिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : 1971 में खपत 2250 कैलोरीज थी।

श्री राजीव गांधी : ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 और शहरी क्षेत्रों के लिए 2100 कैलोरीज । उस बारे में हमने प्रणाली बदली नहीं है ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उसके मूल्य की क्या स्थिति है ?

श्री राजीव गांधी : यह मेरे पास उपलब्ध नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : हम इसका पता लगा सकते हैं ।

श्री राजीव गांधी : मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र में प्रति कुटुम्ब 6400 रुपए है । **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उसका हिसाब लगाया जा सकता है । यह हिसाब की बात है । **(व्यवधान)**

श्री राजीव गांधी : मैं समझता हूं कि कुटुम्ब की परिभाषा बिल्कुल स्पष्ट है । मैं नहीं जनता कि माननीय सदस्य के अपने कितने कुटुम्ब हैं परन्तु हमारे मन में कुटुम्ब के बारे में कोई सन्देह नहीं है ।

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया हमारे घरों में भ्रम मत पैदा करें ।

श्री राजीव गांधी : जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है उनके द्वारा शुरु की गई, कुछ योजनाएं उपयोगी थी मैं इससे इनकार नहीं करता । वास्तव में हम उनके कुछ विचारों का अभी भी उपयोग कर रहे हैं । परन्तु बात यह है कि हमारे पास उनका उपयोग करने की क्षमता है, जो कि आपके पास नहीं थी ।

ग्रामीण निर्धनता समाप्त करने संबंधी नीति

*47. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता समाप्त करने के सम्बन्ध में सातवीं योजना में क्या नीति निर्धारित की गई है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार ने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को नया रूप दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने देश में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का अनुमान लगाया है; और

(ङ) उनके उत्थान के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

(ख) जी, हां । प्रस्तुत किए जाने वाले विवरण में ब्यौरे दिए गए हैं ।

(ग) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को नया रूप देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं । एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

(घ) जी, हां। वर्ष 1983-84 में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की

(ङ) इसका उत्तर उपरोक्त (क) और (ख) में आ गया है।

विवरण

भारत में गरीबी दूर करना योजना का मुख्य विषय रहा है। इस उद्देश्य के अनुकूल, सातवीं योजना के विकास की कार्यनीति और इससे उत्पन्न होने वाले विकास के स्वरुप से गरीबी कम होने की आशा की जा सकती है। त्वरित कृषि विकास, पूर्वी भारत में चावल की उत्पादकता में वृद्धि, शुष्क भूमि कृषि की क्षमता का विकास, लघु और सीमांत किसानों की उत्पादकता और आय में वृद्धि करने के लिए विशेष उपाय अपनाने, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के कार्यान्वयन और सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर बल देने से गरीबी काफी हद तक कम होगी। इसके अलावा, सातवीं योजना में गरीबी दूर करने और रोजगार में वृद्धि करने संबंधी अनेक कार्यक्रम शामिल किए गए हैं जो विशेष रुप से गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे लोगों की आय और उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए बनाए गए हैं।

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को नया रूप देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :--

1. नए लाभग्राहियों के लिए निवेश पर उचित प्रतिलाभ प्राप्त करने के निमित्त सहायता के पैकेज सहित प्रति परिवार अधिक निवेश;
2. उन परिवारों को प्रतिपूरक सहायता देना जिन्हें छठी योजना में सहायता दी गई थी, लेकिन जो अपनी किसी गलती के बिना गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं उठ सके;
3. समानता के रास्ते को, गरीबी के आधार पर चयन के रास्ते से बदल दिया गया है;
4. लाभग्राहियों की पहचान के काम में जनता के प्रतिनिधियों का अधिक योगदान होना चाहिए;
5. इस उद्देश्य के लिए जिला स्तर पर निकायों की पहचान के जरिए या जिला पूर्ति और विपणन समितियों की स्थापना के जरिए सहलग्नता में सुधार के प्रयास;
6. महिला लाभग्राहियों की संख्या 30 प्रतिशत तक बढ़ाना;
7. संयुक्त ग्रामीण प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी केन्द्रों की स्थापना से प्रशिक्षण प्रयासों में समुचित समन्वय के लिए नई स्कीम शुरू करना। यह भारत सरकार के विचाराधीन है और इसके लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त अलग से जारी किए जाएंगे;
8. जहां भी आवश्यक हो, ब्लाक, जिला और राज्य स्तरों पर प्रशासनिक ढांचा सुप्रवाही और सफल बनाया जाना चाहिए। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए निमित्त एक उच्च स्तरीय समिति भी नियुक्त की जा चुकी है;
9. लाभग्राहियों की जानकारी का और उनके उचित संगठन का अच्छा वातावरण बनाना;

10. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम स्कीमों (ट्राइसम सहित) के कार्यान्वयन के लिए स्वैच्छिक अभिकरणों का अधिक योगदान प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाएगा ताकि परिवार-अभिमुखी परियोजनाओं के नए स्वरुपों को अधिकतम प्रभावी तरीके से अमल में लाया जा सके।

11. कार्यक्रम के घनिष्ठ प्रबोधन के लिए, समवर्ती मूल्यांकन की एक नई प्रणाली शुरु की जा रही है जिसके लिए प्रतिमास 36 जिलों, 72 ब्लाकों और 10 वर्तमान लाभग्राहियों के दल और 10 ऐसे लाभग्राहियों को आधार बनाया जाएगा जिन्होंने 2 वर्ष पहले सहायता प्राप्त की हो।

श्री सोमनाथ रथ : यह सर्व विदित है कि, बैंक लाभार्थियों को सहायता पहुँचाने के लिए व्यापक रूप से आगे नहीं आ रहे हैं। उन्हें महीनों भाग-दौड़ करनी पड़ती है, सरकार इस समस्याओं का निवारण कर इस योजनाओं की क्रियान्विति के लिए क्या कदम उठा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

बांग्ला देश से घुसपैठ

*46. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र से निरंतर हो रही घुस पैठ को रोकने की दृष्टि से सरकार ने सीमा को सील करने की वांछनीयता पर विचार किया है;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान बांग्ला देश से घुसपैठ की दर कितनी रही;

(ग) कितने घुसपैठिये पकड़े गए और कितनों को खदेड़ दिया गया; और

(घ) सीमा को सील करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है और यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (घ) अवैध प्रवासियों के प्रवेश को प्रभावशाली ढंग से रोकने हेतु सीमा सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर घुसपैठ विरोधी उपायों, सीमा सुरक्षा बल बटालियनों को सुदृढ़ करने तथा अन्य सुरक्षा उपायों का पुनरीक्षण किया जाता है। यह कार्य एक बार का नहीं बल्कि निरन्तर चलने वाला कार्य है। बांग्ला देश से जनवरी, 1984 से सितम्बर, 1985 की अवधि के दौरान घुसपैठ की दर 2,000 से 2,700 व्यक्ति प्रतिमाह है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय तथा त्रिपुरा में सीमा सुरक्षा बलों द्वारा पकड़े गये तथा सीमा सुरक्षा बलों द्वारा अन्य सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त किये गये घुसपैठियों की संख्या वर्ष 1984 के दौरान 24,772 तथा वर्ष 1985 के दौरान (सितम्बर, 1985 तक) 24,553 थी। ये सभी घुसपैठिये वापस भेज दिये गये।

जम्मू तथा काश्मीर सीमा पर पाकिस्तानी सेना का जमाव

*48. **श्री सनत कुमार मण्डल**
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत } : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर में नियंत्रण रेखा के आस-पास पाकिस्तानी सेना द्वारा सर्दी के महीनों के लिए सेना का जमाव करने और आधुनिकतम हथियार और खाद्य सामग्री जमा करने सहित मौजूदा व्यापक तैयारियों से इस राज्य पर उनके नापाक इरादों के संकेत मिलते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रधान मंत्री ने न्यूयार्क में पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ अपनी हाल की भेंट के दौरान पाकिस्तान की इन सभी विरोधी गतिविधियों की जानकारी उनको दी हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में पाकिस्तान के राष्ट्रपति की क्या प्रतिक्रिया रही ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) इस बात के कोई प्रमाण नहीं हैं कि जम्मू और काश्मीर में नियंत्रण रेखा के साथ-साथ पाकिस्तानी सेना द्वारा असामान्य गतिविधियां या जमाव या सर्दियों के लिए असामान्य रूप से खाद्य सामग्री जमा की जा रही है

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पाकिस्तानी और भारतीय सेना के बीच गोलाबारी

*49. **श्री राम भगत पासवान**
श्री लक्ष्मण मलिक } : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि गत तीन महीनों के दौरान भारत-पाक सीमा क्षेत्रों में पाकिस्तानी और भारतीय सैनिकों के बीच अत्यधिक गोलीबारी के समाचार हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या थे जिससे ऐसी गोली बारी हुई;

(ग) इन गोलाबारीयों के कारण भारत के कितने रक्षा कर्मी मारे गये;

(घ) क्या सरकार ने इस बारे में पाकिस्तान सरकार को कोई विरोधी पत्र भेजा है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या सितम्बर, 1985 में कुछ पाकिस्तानी सैनिक भारत की सीमा में घुस आये थे जिन्हें गिरफ्तार करने के बाद पाकिस्तानी अधिकारियों को सौंप दिया गया था; और

(छ) क्या ऐसी परिस्थतियों में भारतीय सैनिकों को मार दिया गया था और उनके शव भारत को लौटाये नहीं गये ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ग) पिछले तीन महीनों में जम्मू और काश्मीर में नियंत्रण रेखा के आर-पार भारतीय और पाकिस्तानी सैनिकों के

बीच गोलीबारी की कुछ घटनाएं हुई जिसके परिणाम-स्वरूप दोनों ओर के कुछ सैनिक हताहत हुए। ये घटनाएं पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा अकारण गोली चलाने के कारण हुईं।

(घ) और (ङ) इस प्रकार की घटनाओं के मामलों को क्षेत्रीय कमाण्डरों के स्तर पर ध्वज बैठकों में निपटाया जाता है।

(च) जी, हां।

(छ) जम्मू और काश्मीर के कारगिल क्षेत्र में 25-9-1985 को हुई एक घटना में एक जे० सी० ओ० और दो जवान गलती से नियंत्रण रेखा के पार निकल गये और उन्हें पाकिस्तानी सैनिकों ने पकड़ लिया। उन्हें 8-10-1985 को वापिस कर दिया गया।

उसी क्षेत्र में 4-10-1985 को हुई एक अन्य घटना में पाकिस्तानी सैनिकों ने नियंत्रण रेखा से हमारी तरफ तीन भारतीय सैनिक मार डाले। पाकिस्तान ने उनके शव 6-10-1885 को लौटाए।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के लिए निधियों का आवंटन

*50. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई थी;

(ख) 1984-85 के दौरान बोर्ड द्वारा कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) 1985-86 के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) (क) 16.98 करोड़ रुपए

(ख) 16.93 करोड़ रुपए।

(ग) 20. 08 करोड़ रुपए।

आदिवासी क्षेत्रों में समाचार पत्रों के निःशुल्क वितरण के लिये सहायतानुदान

*51. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसे समाचार पत्रों को, जो गांवों में आदिवासियों के लिये अपनी पत्रिकाओं का निःशुल्क वितरण करना चाहते हैं, और ऐसे स्वयं सेवी संगठनों को जो आदिवासियों और अन्य दुर्बल वर्गों के व्यक्तियों के उत्थान के लिये आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, सहायतानुदान देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) जी नहीं, श्री मान्।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पाकिस्तानी सैनिक विमानों द्वारा भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन

*52. **श्री बी० वी० देसाई**
श्री रणजीत सिंह गायकवाड } : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा सूत्रों ने यह सूचित किया है कि पिछले तीन महीनों में पाकिस्तानी सैनिक विमानों द्वारा भारतीय वायु सीमा का पांच बार उल्लंघन किया गया है;

(ख) क्या पाकिस्तानी लड़ाकू विमान पुंछ, उरी और तंगधार क्षेत्रों में भारतीय वायु सीमा के भीतर घुस आए थे;

(ग) क्या पहले पाकिस्तानी विमानों ने पुंछ, तथा अखनूर के भारतीय क्षेत्रों के ऊपर से भी उड़ान भरी थी ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ग) पिछले तीन महीनों के दौरान पाकिस्तानी सैनिक विमानों द्वारा भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन किये जाने की कुछ घटनाएं हुई हैं। इस बारे में आगे और ब्यौरे देना वांछनीय नहीं होगा।

ब्रिटेन, अमरीका, कनाडा और पश्चिमी जर्मनी में "खालिस्तान करेंसी"

*53. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस आशय के समाचारों की जानकारी है कि पश्चिमी यूरोप में खालिस्तान के समर्थक 'खालिस्तान' मुद्रा का विनिमय करते हैं और उसे वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करते हैं;

(ख) क्या सरकार ने ब्रिटेन, अमरीका, कनाडा और पश्चिम जर्मनी के साथ यह मामला उठाया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) से (ग) सरकार को इस बात की जानकारी है कि यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में कुछ लोग कुछ ऐसे कागजों को परिचालित करने और बेचने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें वे 'खालिस्तानी मुद्रा' कहते हैं। लेकिन इस 'मुद्रा' को किसी भी देश में वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। इस मामले की ओर यूनाइटेड किंगडम और कनाडा की सरकारों का ध्यान आकर्षित किया गया है। ब्रिटेन के कानून के अनुसार 'मुद्रा' को छापना आपराधिक अपराध नहीं है बशर्ते कि यह 'मुद्रा' किसी प्रचलित वैध मुद्रा का अनुकरण न हो।

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में सेना की टुकड़ियां तैनात करना

*54. **श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी** : क्या **गृह** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानून और व्यवस्था बनाए रखने के प्रयोजन से राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में सेना की टुकड़ियों को तैनात करने के लिए कोई नियम अथवा मानदण्ड तैयार किए गए हैं; और

(ख) क्या ऐसे भी अवसर आये हैं जहां राज्य सरकार के अनुरोध के बावजूद गृह मन्त्रालय सेना की टुकड़ियां तैनात करने के लिए सहमत नहीं हुआ ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) कानून के अनुसार मौके पर सबसे बड़े रैंक का वरिष्ठतम मजिस्ट्रेट कानून और व्यवस्था के प्रयोजनों के लिये असैनिक अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों की सेवाओं की मांग कर सकता है। ऐसी सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। प्रश्न ही नहीं उठता।

चीन-भारत विचार-विमर्श के छठे दौर का परिणाम

*55. **श्री अमर राय प्रधान**
श्री विलास मुतेमवार } : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकारी स्तर के चीन-भारत विचार-विमर्श के छठे दौर में भारत तथा चीन के बीच सीमा सम्बन्धी प्रश्न के बारे में चर्चा हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उक्त चर्चा का क्या परिणाम निकला ?

विदेश मन्त्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी हां।

(ख) नई दिल्ली में 4 से 11 नवम्बर, 1985 तक अधिकारी स्तर की बातचीत के छठे दौर में भारत और चीन के प्रतिनिधि मण्डलों ने भारय-चीन सीमा के सवाल पर कुछ ठोस बात-चीत की थी। एक-एक सेक्टर पर अलग-अलग बातचीत की नीति अख्तियार करते हुए दोनों पक्षों ने सीमा के पूर्वी क्षेत्र के सम्बन्ध में अपनी-अपनी स्थिति स्पष्ट की। इस बात पर सहमति हुई कि सीमा के सभी क्षेत्रों के सम्बन्ध में शीघ्र और व्यापक समाधान पर पहुंचने की दृष्टि से वार्ता के अगले दौरों में सीमा के सम्बन्ध में तत्वगत विचार-विमर्श जारी रखा जाएगा।

पाकिस्तान की जेलों में भारतीय नागरिक

*56. **श्री सुभाष यादव**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक } : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय मूल के नागरिक बड़ी संख्या में अभी भी पाकिस्तान की जेलों में हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे भारतीयों की अनुमानित संख्या कितनी है जो पाकिस्तान की जेलों में हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन्हें भारत वापस लाने के लिए किसी विदेशी एजेंसी की सहायता मांगने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 850।

(ग) इस मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर उठाया गया है। इस वर्ष, नई दिल्ली में, भारत-पाक संयुक्त आयोग के पिछले अधिवेशन में भी इस पर विचार किया गया था। इस मामले पर द्विपक्षीय आधार पर भी विचार किया जा रहा है।

महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद

*57. श्री एम० रघुमा रेड्डी
श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद को सुलझाने में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) उक्त मामला किस स्तर पर है; और

(ग) उक्त विवाद कब तक हल हो जाने की संभावना है ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) और (ख) महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्य मंत्री इस मसले पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। भारत सरकार ने इस द्विपक्षीय प्रयासों के नतीजे की प्रतीक्षा करने को तरजीह दी है।

(ग) इस अवस्था में इस सम्बन्ध में कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

सरकारिया आयोग

*58. **श्री शरद दिघे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र-राज्य सम्बन्धों पर विचार करने के लिए 9 जून, 1983 को गठित सरकारिया आयोग के कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) इसका कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) और (ख) आयोग ने सूचित किया है कि कार्य में काफी प्रगति हुई है और यह सुनिश्चित करने की प्रत्येक कोशिश की जा रही है कि इसकी बढ़ी हुई कालावधि में अर्थात 30 जून, 1986 तक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी जाए।

राष्ट्र मण्डल शासनाध्यक्षों की बैठक में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्धों की चर्चा

*59. श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्री भोला नाथ सेन } : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्र मण्डल शासनाध्यक्षों की हाल में नसाऊ में हुई बैठक में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाने के प्रश्न पर चर्चा हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया।

विदेश मन्त्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) और (ख) दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ राष्ट्र मण्डल की कार्रवाई का सवाल नसाऊ में राष्ट्र मण्डल राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के विचार-विमर्श का एक मुख्य मुद्दा था। राष्ट्र मण्डल के अधिकांश नेताओं ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने का समर्थन किया ताकि उस पर जातीय पृथग्वासन की नीति समाप्त करने और नामीबिया पर अपना गैर-कानूनी कब्जा छोड़ने के लिए दबाव डाला जा सके। प्रारम्भिक अधिवेशन में ही प्रधान मन्त्री राजीव गांधी ने व्यापक प्रादेशात्मक प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया था।

2. राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के बीच व्यापक विचार विनियम के परिणामस्वरूप अन्ततः नसाऊ में दक्षिण अफ्रीका के संबंध में राष्ट्र मंडल समझौता हुआ। इस समझौते में प्रीटोरिया सरकार से कहा गया है कि वह :—

(1) जातीय पृथग्वासन समाप्त करने का वचन दे,

(2) मौजूदा आपात-कालीन स्थिति समाप्त कर दे,

(3) जातीय पृथग्वास का विरोध करने के लिये बंदी बनाए गए नेल्सन मंडेला और अन्य लोगों को रिहा करे,

(4) ए० एन० सी० और दूसरी राजनीतिक पार्टियों पर लगाया गया प्रतिबन्ध उठाए और राजनीतिक स्वतंत्रता प्रदान करे, और

(5) एक गैर जातीय तथा प्रतिनिधि सरकार की स्थापना की दिशा में रंग गत जाति और धर्म से ऊपर उठकर बातचीत शुरू करे।

3. दक्षिण अफ्रीका की बहु-संख्यक अश्वेत आबादी के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए रास्ट्र मण्डल के नेता राष्ट्र मण्डल के प्रमुख व्यक्तियों का एक समूह गठित करने को सहमत हुए। आस्ट्रेलिया, वहामास, कनाडा, भारत, यूनाइटेड किंगडम, जाम्बिया, जिम्बाब्वे ने इस प्रयास के तौर तरीके विकसित करने का आदेश दिया है जो वे राष्ट्र मण्डल के महासचिव के साथ मिलकर तय करेंगे।

4. दक्षिण अफ्रीका पर दबाव डालने के लिए दो स्तर का एक कार्यक्रम भी तैयार किया गया। इस कार्यक्रम के पहले स्तर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कतिपय उपाय करने की बात सोची गई है जिसमें अन्य बातों के अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्पों के अनुसार प्रादेशात्मक शस्त्र प्रतिबंध को सख्ती के साथ लागू करने 1977 के ग्रीन ईगल्स घोषणा की पुष्टि जिसमें खेल सम्पर्क को हतोत्साहित करने की बात कही गई है दक्षिण अफ्रीका की सरकार और उसके अभिकरणों को नए सरकारी ऋण देने पर प्रतिबंध लगाने, क्रमरैंड स्वर्ण मुद्राओं के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक तरफ कार्रवाई, दक्षिण अफ्रीकी पुलिस सेना और सुरक्षा बल के उपयोग के लायक कम्प्यूटर के उपकरणों के विक्रय और आयात पर प्रतिबंध, तेल के विक्रय और निर्यात पर प्रतिबंध नाभिकीय उपकरणों, सामग्रियों और प्रौद्योगिकी की नई आपूर्तियों पर प्रतिबंध तथा दक्षिण अफ्रीका के साथ सभी सैनिक सहयोग पर पाबंदी लगाना भी शामिल है।

5. दूसरे स्तर पर जो छह महीने बाद शुरू होगा (दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होगा), अगर पर्याप्त प्रगति न हो तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नए उपाय किये जाएं। इन उपायों में दूसरी बातों के अलावा हवाई सम्पर्क पर प्रतिबंध, कृषि उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध, दक्षिण

अफ्रीका में सभी प्रकार की सरकारी वसूली पर प्रतिबंध, बहुमत के स्वामित्व अधीन दक्षिण अफ्रीकी कम्पनियों के साथ सरकारी संविदाओं पर प्रतिबंध तथा दक्षिण अफ्रीका में सरकारी पर्यटन पर प्रतिबंध भी शामिल हो सकते हैं।

ध्वनि प्रदूषण

*60. **श्री श्रीहरि राव** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि ध्वनि से सबसे अधिक प्रदूषण होता है और यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस समस्या की व्यापकता पर विचार करने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक पेनल या समिति गठित करने का है; और

(ग) क्या लाउडस्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

प्रधान मन्त्री (श्री राजीव गांधी) : (क) ध्वनि एक पर्यावरणीय खतरा है परन्तु इससे सबसे अधिक प्रदूषण नही होता है।

(ख) जी, हां।

(ग) लाउडस्पीर ध्वनि जनता के लिए कष्टकारी है और स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा नागरिक कानूनों के तहत इसे रोका जा सकता है।

[अनुवाद]

लम्बित पड़े पेन्शन के मामलों को निपटाना

443. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशन संबंधी मामलों को निपटाने और देय राशि (सेवा निवृत्त कर्मचारियों के बकाया आदि) का भुगतान करने के लिये कोई आदेश जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो जारी करने की तिथि सहित सही आदेश क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो ऐसे आदेश कब तक जारी होने की संभावना है तथा ऐसे मामलों की संख्या क्या है जो रेलवे डाक व तार, नागर विमानन आदि विभागों के संबंध में अभी भी (एक) 10 वर्षों से (दो) 5 वर्षों से (तीन) 3 वर्षों से (चार) 2 वर्षों से निपटाने के लिए लम्बित पड़े हुए हैं तथा किस तारीख तक ऐसे सभी मामलों को निपटाये जाने की संभावना है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 29 अगस्त, 1985 को एक अर्द्ध शासकीय परिपत्र संख्या 51/13/85-पी० एण्ड पी० डब्ल्यू०, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को जारी किया गया था, जिसमें उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे पेंशन

मामलों को अन्तिम रूप दिए जाने की प्रगति की पुनरीक्षा छह मास में एक बार सचिव के स्तर पर तथा तीन माह में एक बार अपर सचिव/संयुक्त सचिव के स्तर पर की जाए ताकि सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत प्रसुविधाओं के निपटान में होने वाले विलम्ब को दूर किया जा सके। सभी मंत्रालयों/विभागों से यह भी आग्रह किया गया था कि वे विभिन्न आयु-वर्गों से संबंधित पेंशन के बकाया पड़े मामलों के तिमाही विवरण भेजे। इसके अतिरिक्त, भारत के महानियंत्रक तथा लेखा परीक्षक ने भी सभी महालेखाकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए थे कि वे उच्चतम न्यायालय के दिनांक 17-1-1982 के निर्णय को ध्यान में रखते हुए पेंशन के मामलों में शीघ्र संशोधन करें। इन निर्देशों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी गई हैं। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1509/85]

(ग) लम्बित मामलों के संबंध में सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

दिल्ली में दहेज के कारण हुई मौतें

444. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 से लेकर आज तक दहेज के कारण दिल्ली में कितनी मौतें हुई हैं;

(ख) कितने मामलों में सुसराल वालों को दण्ड दिया गया है तथा कितने मामलों में उन्हें मुक्त किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इस बुराई को समाप्त करने के लिये कोई कठोर कदम उठाये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) और (ख) पुलिस को सूचित किए गये दहेज के कारण हुई मौतों के मामलों की कुल संख्या, उन मामलों की संख्या जिनमें सुसराल वालों को दण्ड दिया गया है और उन मामलों की संख्या जिनमें उन्हें मुक्त किया गया, नीचे दी गयी है :

वर्ष	दहेज के कारण हुई मौतों के मामले	उन मामलों की संख्या जिनमें सजा दी गई	उन मामलों की संख्या जिगमें मुक्त किया गया
1980	22	1	9
1981	22	1	6
1982	40	—	9
1983	41	—	1
1984	44	—	—
1985	37	—	—
कुल	206	2	25

(ग) और (घ) दिल्ली में दहेज के कारण हुई मौतों को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कड़े कदम इस प्रकार से हैं :—

1. दहेज निषेध अधिनियम 1961 को "दहेज निषेध (संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा संशोधित किया गया है और अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों को संज्ञेय अपराध बनाया गया है।
2. आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम, 1983 के द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की एक नई धारा 498-क जोड़ी गयी है, जिसके द्वारा पति या पति के रिश्तेदारों द्वारा महिला को सताने के बारे में शिकायतों को संज्ञेय बनाया गया है।
3. जनता को रेडियो, दूरदर्शन और अन्य जन संचार माध्यमों से शिक्षित किया जा रहा है।
4. मुसीबत में पड़ी महिला के प्रयोग के लिए दिल्ली प्रशासन ने कम समय तक ठहरने के लिए सदन स्थापित किये हैं ताकि वे मुसीबत का समय बिता सके।
5. दहेज के कारण हुई मौतों और दुल्हन को जलाने की घटनाओं से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस में पुलिस उपायुक्त के प्रभार में एक विशेष एकक स्थापित किया गया है।
6. हेर-फेरी के अवसरों को समाप्त करने के लिए, दहेज के कारण हुई मौतों के मामलों में दो सर्जनों द्वारा शव-परीक्षा करने के निर्देश जारी किये गये हैं।
7. इस प्रकार के मामलों में शिकार व्यक्ति के मरते समय के बयानों को दर्ज करने के लिए विशेष मजिस्ट्रेटों को तैनात किया जाता है।
8. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में एक नयी धारा 113-क जोड़ी गयी है, जो न्यायालय द्वारा कार्रवाई के लिए विवाहित महिला को आत्म हत्या के लिए उकसाने की धारणा के बारे में है।
9. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के संशोधन के अनुसार यह अधिदेश बना दिया गया है कि यदि किसी महिला की उसके विवाह के बाद सात वर्षों के भीतर संदेह उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों में मृत्यु हो जाती है या मृत्यु के कारणों के बारे में किसी प्रकार का संदेह किया जाता है तो उसकी मृत्यु के कारणों की जांच सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट द्वारा की जानी चाहिए।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

तट रक्षक दल के लिए मूल नियम तैयार करना

445. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तट रक्षक दल का कानून बनाये जाने के सात वर्ष के बाद भी इसके गठन, अभिशासन, नियंत्रण और अनुशासन के विनियमों के मूल नियम तैयार नहीं किये गये हैं;

(ख) यदि हां तो सांविधिक नियम बनाने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसे मूल नियम आदि शीघ्र तैयार करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अजय सिंह) : (क) से (ग) सैट रक्षक संगठन के भर्ती, अनुशासन आदि जैसे विभिन्न पहलुओं से संबंधित नियमों के 27 सैट पहले ही अधिसूचित किये जा चुके हैं। नियमों के 3 सैट तैयार किये जा रहे हैं जिनमें से एक को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है।

इस समय आगे और किसी नियम की आवश्यकता महसूस नहीं होती।

गंगा की सफाई के लिए विश्व बैंक द्वारा मंजूर की गई राशि

446. श्री ज्ञानेन्द्र सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक के एक दल ने, गंगा को कार्बनिक प्रदूषण से साफ करने की योजना के बारे में केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण निदेशालय के साथ बातचीत करने के लिए हाल ही में भारत का दौरा किया था; और

(ख) यदि हां, तो चर्चा की मुख्य बातें क्या है और इस प्रयोजन के लिए विश्व बैंक द्वारा कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करने में विश्व बैंक किस प्रकार मदद कर सकता है यह सुनिश्चित करने के लिए विचार विमर्श समन्वेषी रूप में था।

विश्व बैंक की ओर से सहायता की राशि, यदि कोई हो तो अभी निर्धारित की जानी है।

प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रोद्योगिकी का आयात

447. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण हेतु चालू वर्ष के दौरान सरकार की प्रोद्योगिकी के आयात के लिए कोई योजना/करार है;

(ख) क्या जल प्रदूषण के नियंत्रण के लिए देशीय प्रौद्योगिक की खोज के लिए इस समय कोई अनुसंधान संस्थान है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) यदि सरकार ने जल प्रदूषण को समाप्त करने और जल के गुणवत्ता स्तर को बनाये रखने के लिए कोई कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान, नागपुर, हरिद्वार में भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड का प्रदूषण नियंत्रण अनुसंधान संस्थान, दिल्ली तथा बम्बई में

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तमिलनाडु में गुइन्डी इन्जिनियरिंग महाविद्यालय, गुइन्डी इत्यादि जैसे संस्थान, इस प्रकार के अनुसंधान कार्य को कर रहे हैं। उनकी उपलब्धियां कम लागत से अपशिष्ट जल उपचार, जहरीले अपशिष्टों के लिए विशेष उपचार प्रौद्योगिकी, बायोगैस बनाने के लिए मलजल मतस्यपालन एवं ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं।

(ग) सरकार द्वारा एक्वैटिक प्रदूषण नियंत्रण तथा जल गुणवत्ता मानक बनाये रखने के लिए उठाये गये कदमों में निम्न शामिल हैं :

(i) प्रदूषण नियंत्रण उपायों की स्थापना के लिए उद्योगों को सम्मत किया जाता है तथा दोषी उद्योगों के विरुद्ध मुकदमें चलाये गए हैं।

(ii) उत्सर्जनों तथा निस्सरणों के लिए मानक निर्धारित किये गये हैं तथा उद्योगों को निर्धारित मानकों के अनुपालन के निर्देश दिए गये हैं।

(iii) गुणवत्ता स्तर निर्धारण के लिए लगातार देश में नदी जल गुणवत्ता का प्रवोधन किया जा रहा है।

(iv) सभी प्रमुख नदियों के नदीं बेसिनवार अध्ययन पूरे किये गये हैं।

(v) प्रदूषण नियंत्रण उपायों की स्थापना तथा घनी आवादी वाले क्षेत्रों से प्रदूषक उद्योगों को हटाने के लिए, कर प्रोत्साहन दिये गये हैं।

इलैक्ट्रॉनिक माल का उत्पादन

448. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984 के कलेण्डर वर्ष के दौरान देश में कुल कितने मूल्य का इलेक्ट्रॉनिक माल तैयार किया गया;

(ख) उस वर्ष इलेक्ट्रॉनिक माल के उत्पादन की वृद्धि दर पहले वर्ष की तुलना में क्या थी;

(ग) वर्ष 1985-86 के लिये इलेक्ट्रॉनिक माल के उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रॉनिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) वर्ष 1984 के दौरान इलेक्ट्रॉनिकी का 1890 करोड़ रु० मूल्य का उत्पादन हुआ।

(ख) वर्ष 1934 के दौरान 39 प्रतिशत वृद्धि की दर हासिल की गई जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष 12.9 प्रतिशत वृद्धि की दर हासिल की गई थी।

(ग) वर्ष 1985-86 के लिए उत्पादन का लक्ष्य 2636 करोड़ रु० रखा गया है।

(घ) इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किए गये उपायों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

देश में इलेक्ट्रानिकी के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार ने नई संवर्धनात्मक नीति तैयार करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। नई नीति में मूलभूत रूप से निम्नलिखित दिशाओं में अधिक जोर दिया गया है :

(1) लाइसेंसिंग नीति को आमतौर पर उदार बनाना जिसमें विनियमन के बजाए संवर्धन पर अधिक जोर दिया गया है।

(2) जिन क्षेत्रों में नियंत्रण अपरिहार्य हैं, वहाँ सामान्यत: वास्तविक नियंत्रण के बजाए आर्थिक नियंत्रण को तरजीह दी जाएगी।

(3) कुल मिलाकर, उत्पादन क्षमता की कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी और उन मामलों को छोड़कर जहां किन्हीं बहुत ही विशेष कारणों से किसी उत्पाद के लिए विशिष्ट आरक्षण किए गये हों; बड़े पैमाने के उद्योग, लघु क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र, आदि जैसे कोई क्षेत्रीय किस्म के प्रतिबन्ध नही रहेंगे।

(4) समकालीन प्रौद्योगिकी से किफायती स्तर पर अधिक मात्रा में उत्पादन करना मार्गदर्शी सिद्धान्त होगा।

निम्नलिखित विशिष्ट उपायों का मुख्य रूप से उल्लेख करना जरूरी होगा :

(i) कुछ चुनिन्दा उत्पादों के लिये एक ही लाइसेंस के अन्तर्गत उत्पादों के विनिर्माण का लाइसेंस जारी किया जाएगा।

(ii) इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जा उद्योग को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है। साथ ही उपभोक्ता वस्तुओं के लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी लेकिन शर्त यह है कि ये इकाइयां वित्तीय संस्थानों से साधन स्रोत नहीं ले पाएंगी।

(iii) इलेक्ट्रानिकी के सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के आयात तथा विदेशी सहयोग की अनुमति दी जाएगी। 40 प्रतिशत से कम की विदेशी साम्या-पूँजी वाली इकाइयों को सभी क्षेत्रों में अनुमति दी जायेगी।

(iv) कम लागत पर अधिक मात्रा में उत्पादन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए निम्नलिखित उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी को केन्द्रीकृत रूप से प्राप्त किया जाएगा।

(क) टेलीफोन उपकरण।
(ख) इलेक्ट्रानिक पी० ए० बी० एक्स० प्रणालियां।
(ग) ग्रामीण स्वचालित एक्सचेंज।

(v) लघु क्षेत्र के उद्योग के विकास को प्रोत्साहित किया जायेगा। अनेक उत्पादों के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के कार्य का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है और अब ऐसे अनुमोदन राज्य स्तरीय उद्योग निदेशकों के स्तर पर प्राप्त किया जा सकता है। इस क्षेत्र में किए जाने वाले पूँजीनिवेश को संशोधित करके उसे 35.0 लाख रु० कर दिया गया है और सहायक इकाइयों के लिए पूँजीनिवेश 45.0 लाख रु० कर दिया गया है।

(vi) कम लागत पर अधिक मात्रा में उत्पादन करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिये कुछ ऐसे संघटक-पुर्जों को, जो अब तक लघु क्षेत्र के उद्योग के लिए आरक्षित हैं, उन्हें आरक्षण के दायरे से हटाने का प्रस्ताव है।

(vii) किसी भी अनुमति देने योग्य स्थापना-स्थल में इलेक्ट्रानिक इकाइयां स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी।

(viii) दूरसंचार के क्षेत्र में, टेलीफोन, ई० पी० ए० बी० एक्स० दूरमुद्रक, प्रतिद-उपस्कर, आंकड़ा संचार टर्मिनल, आदि के विनिर्माण की अनुमति निज क्षेत्र में दी गई है। निजी क्षेत्र द्वारा अन्य वस्तुओं का भी उत्पादन किया जा सकता है जिसमें केन्द्रीय/राज्य सरकारों का इक्विटी (साम्यापूंजी) के रूप में कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सा होगा।

(xi) उपभोक्ता इलेक्ट्रानिकी को छोड़कर, इलैक्ट्रानिकी के लगभग सभी क्षेत्रों में काएधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों को एकाधिकार प्रतिबन्धनकारी व्यापार पद्धति अधिनियम की धारा 21 तथा 22 के अन्तर्गत अनुमति लेने से छूट दी गई है। यह सुविधा उसके अतिरिक्त है जिसके अन्तर्गत एकाधिकारी प्रतिबन्धनकारी व्यापार पद्धति के अन्तर्गगत पूंजीनिवेश की सीमा को 20 करोड़ रु० से बढ़ाकर 100 करोड़ रु० कर दिया गया है।

(x) एक नई कम्प्यूटर नीति की घोषणा की गई है, जिसमें यतन प्रौद्योगिकी के आधार पर तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के समतुल्य मूल्यों पर कम्प्यूटरों के विनिर्माण और आर्थिक व्यवहार्यता के अनुरूप क्रमशः स्वदेशीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है।

(xi) कच्ची सामग्रियों, संघटक-पुर्जों तथा पूंजीगत उपस्करों पर लगने वाला आयात शुल्क कम कर दिया गया है। कम्प्यूटरों, जिसमें साफ्टवेयर भी शामिल है, और 36 इंची श्याम तथा श्वेत दूरदर्शन रिसीवरों के मामले में उत्पादन शुल्क पर पूरी छूट दी गई है।

(xii) उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से आयात नीति को तर्क संगत बनाया गया है।

जेल सुधार समिति प्रतिवेदन पर आंध्र प्रदेश सरकार की टिप्पणियां

449. **श्री के० एस० राव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जल सुधार समिति के प्रतिवेदन पर आंध्र प्रदेश सरकार से टिप्पणियां मांगी थी ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक सिफारिश पर उन्होंने क्या टिप्पणियां दी हैं ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां, श्री मान।

(ख) राज्य सरकार की टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।

पटना में गंगा के जल में प्रदूषण

450. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा के जल को शुद्ध करने संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ख) पटना में गंगा के जल में प्रदूषण को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ग) गंगा के पानी को साफ करने का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) तीन राज्य सरकारों, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल द्वारा निर्माण कार्यों का एक कार्यक्रम तैयार किया गया है जिस पर 292.31 करोड़ रु० की लागत आएगी। इसमें से ऐसी योजनाओं पर कार्य आरम्भ किया जाएगा जिन्हें सातवीं योजना की अवधि के दौरान 240 करोड़ रुपए तक के व्यय से पूर्ण हो जाने की आशा है। यह योजनाएं निम्न प्रकार की हैं :—

- अपशिष्ट जल के दिक्परिवर्तन के लिए योजनाएं जिसमें अवरोधकों तथा पम्पिंग स्टेशनों का नवीकरण/लगाना शामिल है।

- मलजल उपचार संयंत्रों का नवीकरण अथवा उन्हें लगाने की योजनाएं जिनमें जीव-ऊर्जा तथा व्यवहार्य रूप में अन्य संसाधन प्रतिलभ्य अंश भी शामिल हैं और

- अन्य योजनाएं जिनमें कम लागत से सफाई, नदी के मुहाना पर आवश्यक सुविधाएं और जैविक संरक्षण योजनाएं भी शामिल हैं।

(ख) बिहार सरकार से पटना के लिए 88.59 लाख रुपए की योजनाओं के बारे में विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं। इनमें से निम्नलिखित योजनाएं स्वीकृत कर दी गई हैं।

(1) सैदपुर में मलजल उपचार संयंत्र का नवीकरण–35.49 लाख रुपए।

(2) बोर मलजल उपयार संयंत्र को पुनः चालू करना और बाबू बाजार पम्पिंग स्टेशन का नवीकरण –10.62 लाख रुपए।

(3) 42.48 लाख रुपए के व्यय की योजनाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत योजनाओं का सातवीं पंच वर्षीय योजना की अवधि के दौरान पूर्ण होने की आशा है।

यूरेनियम खानों द्वारा प्रभावित व्यक्ति

451. **श्री साइमन तिग्गा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जादुगोड़ा में भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड के संयंत्रों और खानों से उस स्थान पर पौधों और स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर घातक प्रभाव पड़ रहा है ;

(ख) वहां पर डाले गए रेडियो एक्टिव पट्टियों द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की संख्या कितनी है ;

(ग) यूरेनियम अवशेष को समुद्र में न डालने या भूमि नीचे न दबाने जैसा यह अन्य देशों में किया जाता है, के क्या कारण हैं ;

(घ) यूरेनियम की खानों से कितने गांव प्रभावित हुए हैं और उनकी जनसंख्या कितनी है ; और

(ङ) हानिकारक कारणों से बचने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ङ) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के जादुगोड़ा स्थित संयंत्र के स्थल पर भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के स्वास्थ्य भौतिकी प्रभाग का एक पूरा यूनिट काम करता है। यह प्रभाग जादुगोडा स्थित खानों और मिल से निकलने वाले बहिस्रावों की जांच करता है और विकिरणसक्रिया के सभी पहलुओं का बारीकी से अध्ययन लगातार करता है। यूरेनियम अलग करने के बाद जो अयस्कहीन पछोड़न खान से निकलती है वह बहुत ही कम विकिरणसक्रिय होती है अतः उसका प्रभाव उस क्षेत्र के पौधों और वहां रहने वाले लोगों पर नहीं पड़ता। इस ही कारण से अपशिष्ट पदार्थों को समुद्र में और पृथ्वी के नीचे काफी गहरे दबाने की आवश्यकता नहीं रहती। उन अपशिष्ट पदार्थों का स्थानीय स्तर पर निपटान अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रक्रिया द्वारा कर दिया जाता है।

प्रत्यावर्तन कानून के लिए समान संहिता

452. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियाई मादक तथा दक्षिण प्रशान्त के देशों में वस्तुओं के अपराधों के दोषी व्यक्तियों प्रत्यावर्तन के लिए समान कानून बनाने हेतु आदर्श प्रत्यावर्तन संहिता बनाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो प्रस्तावित संहिता की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ख) क्या इस संहिता के लिए दण्ड की अपेक्षा शिक्षा कार्यक्रम मजबूत आधार होगा ?

विदेश मंत्री : (श्री बी० आर० भगत) : (क) और (ख) सरकार को कोई माडल कोड स्थापित करने के सम्बन्ध में ऐसी किसी कार्रवाई की जानकारी नहीं है।

कम्प्यूटरों का प्रयोग आरम्भ करना

453. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वे फील्ड क्षेत्र उपयोगी सेवायें कौन सी हैं जहां कम्प्यूटरों का प्रयोग आरम्भ किया गया है ; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान तथा विशेष रूप से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अन्य सेवाओं में कम्प्यूटर का प्रयोग प्रारम्भ करने के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जिन प्रमुख क्षेत्रों/दिशाओं/

उपयोगिता से संबंधित सेवाओं में कम्प्यूटरीकरण लागू किया गया है, वे इस प्रकार हैं : सरकारी निर्णय लेने में कम्प्यूटर पर आधारित सूचना प्रणाली का विकास; प्रक्रिया नियंत्रण, तारों का भंडारण तथा प्रेषण करना, निर्देशिका के बारे में पूछ-ताछ, टेलीफोन के आवागमन पर निगरानी, अपराधों की खोज, एअर लाइनों में यात्री आरक्षण, विद्युत उत्पादन तथा संप्रेषण आदि ।

(ख) जिन अन्य प्रमुख क्षेत्रों में कम्प्यूटरीकरण आरम्भ करने की दृष्टि से योजनाएं बनाई गई हैं वे इस प्रकार हैं : बैंकिंग सेवा, रेलवे में माल परिवहन सूचना तथा यात्री आरक्षण और मौसम विज्ञान । राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सभी बड़े क्षेत्रों में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कम्प्यूटरों के प्रयोग को भी प्रोत्साहन देकर उन्हें बढ़ावा दिया जाएगा ताकि कार्य क्षमता तथा उत्पादकता में वृद्धि हो सके ।

गरीबी की रेखा को पुनः परिभाषित करने हेतु रिपोर्ट देने वाली समिति का समापन

454. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा गरीबी की रेखा को पुनः परिभाषित करने हेतु स्थापित समिति को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत किए बिना अथवा गरीबी की संगणना के आधार में कोई परिवर्तन किए बिना समाप्त कर दिया गया है ;

(ख) इस समिति को समाप्त करने के क्या कारण हैं और उसकी यदि कोई सिफारिश हैं तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या गरीबी के प्रसार का पता लगाने के लिए 1977-78 को आकस्मिक तरीख अपनाई गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सही स्थिति का पता लगाने हेतु कोई अन्य समिति गठित करने और सर्वेक्षण वर्ष के रूप में कोई अन्य वर्ष अपनाने का है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) से (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी की रेखा की संकल्पनाओं और अनुमान पर, योजना आयोग द्वारा 1983 में एक अध्ययन दल गठित किया गया और इस अध्ययन दल ने नवम्बर, 1984 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इसके पश्चात, गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों की प्रतिशतता के अनुमान के लिए एक सलाहकार समिति का भी गठन किया गया था । 1977-78(संशोधित) और 1983-84 (अनंतिम) के गरीबी संबन्धी अनुमान, इस सलाहकार समिति को सिफारिशों पर आधारित हैं तथा समिति ने अध्ययन दल को सिफारिशों को भी ध्यान में रखा है । वस्तुतः गरीबी का अनुपात 1977-78 (संशोधित) में 48.3 प्रतिशत से कम होकर 1983-84 (अनंतिम) में 37.4 प्रतिशत हो गया है ।

(घ) उपर्युक्त तथ्यों को देखते हुए, अन्य समिति गठित करने या किसी अन्य वर्ष को सर्वेक्षण वर्ष अपनाने का प्रश्न नहीं उठता ।

सार्वजनिक क्षेत्र का वित्त पोषण

455. **श्री सुरेश कुरुप :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिये वर्तमान और 1979-80 के मूल्य स्तर पर सरकारी क्षेत्र के लिये कुल अन्तिम परिव्यय क्या है ;

(ख) निजी क्षेत्र द्वारा अनुमानित पूंजी निवेश क्या है ; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के परिव्यय के वित्त पोषण संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में 1984-85 की कीमतों पर सरकारी क्षेत्र में 1,80,000 करोड़ रु० के कुल परिव्यय की व्यवस्था की गई है। यह 1979-80 की कीमतों पर लग भग 1,03,000 करोड़ रु० होता है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में 3,22,366 करोड़ रु० के कुल निवेश में से, यह अनुमान लगाया गया है कि 1984-85 की कीमतों पर निजी क्षेत्र में निवेश 1,68,148 करोड़ रु० होगा।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र के लिए 1,80,000 करोड़ रु० के परिव्यय की वित्त व्यवस्था से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(1984-85 की कीमतों पर करोड़ रु०)

	केन्द्र (संघ शासित क्षेत्रों सहित)	राज्य	जोड़ (कालम 1+2)
	1	2	3
1. चालू राजस्वों से शेष (कराधान की 1984-85 की दरों पर	(—)12,011	6,762	(—)5,249
2. **सार्वजनिक उद्यमों का अंशदान**			
(क) केन्द्र (i) रेलवे	4,225	—	4,225
(ii) डाक तथा तार	1,729	—	1,729
(iii) अन्य उद्यम	31,500	—	31,500
(ख) राज्य (i) राज्य विद्युत बोर्ड	—	(—)1,569	(—)1,569
(ii) राज्य सड़क परिवहन निगम	—	(—) 415	(—) 415
(iii) अन्य	—	15	(—) 15
जोड़ (2)	37,454	(—)1,969	35,485
3. विपणन ऋण (निवल)	20,620	9,942	30,562
4. लघु बचतों में भाग	6,377	11,539	17,916
5. राज्य भविष्य निधि	2,300	5,027	7,327
6. विविध पूंजी प्राप्तियां (निवल)	19,809	(—)7,191	12,618

	1	2	3
7. समझौता ऋण	—	4,639*	4,639
8. अतिरिक्त संशाधन जुटाना	22,490	22,212	44,702
9. विदेशों से निवल पूंजी अंतर्वाह	18,000	—	18,000
10. घाटा वित्तीय	14,000	—	14,000
11. कुल संसाधन	129,039	50,961	180,000
12. राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	( )29,737	29,737	—
13. औसत संसाधन	99,302	80,698	180,000

* जीवन बीमा निगम से उत्तर पूर्वी परिषद की 100 करोड़ रु० का ऋण शामिल है।

रंगीन टी० वी० का स्वदेशीकरण

456. **श्री रेणु पद दास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा कुछ महत्त्वपूर्ण पुर्जे निर्मित करने के साथ-साथ रंगीन टी० वी० का स्वदेशीकरण करने में भारत सरकार के प्रयासों को कहां तक उत्तरोत्तर सफलता मिली है; और

(ख) क्या भारत इलेक्ट्रानिक्स द्वारा निर्मित पुर्जे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) रंगीन दूरदर्शन में जो महत्त्वपूर्ण संघटक-पुर्जे प्रयुक्त होते हैं, वे इस प्रकार हैं, पिक्चर ट्यूब, विक्षेपण संघटक-पुर्जे, ई० एच० टी०, समस्वरित्र (ट्यूनर), एस० एम० पी० एस० विद्युत आपूर्ति, एकीकृत परिपथ तथा सेमीकण्डक्टर और रंगीन दूरदर्शन में प्रयुक्त होने वाले संघटक-पुर्जों की लागत में इनका कुल योगदान 80 प्रतिशत से भी अधिक बैठता है। भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा संयोजित किए जा रहे कुछ एकीकृत परिपथों को छोड़कर इस समय वस्तुतः इन सभी संघटक-पुर्जों का आयात किया जाता है। भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने हाल ही में सौ फिल्टरों तथा क्रिस्टलों के उत्पादन का कार्य भी शुरू किया है, जिनका प्रयोग रंगीन दूरदर्शन में किया जाता है। संधारित्र (कैपेसिटर), प्रतिरोधक (रेजिस्टर), स्विच, लाउडस्पीकर जैसे सामान्य प्रयोजन के अन्य संघटक-पुर्जों का उत्पादन देश में ही होता है और भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा हाल ही में प्रस्तुत रंगीन दूरदर्शन के डिजाइन में इनमें से अधिकांश खूबियों को शामिल किया गया है। विक्षेपण संघटक-पुर्जों, ई० एच० टी०, समस्वरित्र (ट्यूनर), एस० एम० पी० एस० विद्युत आपूर्ति तथा डिले लाइनों का उत्पादन 1986 में शुरू होने की सम्भावना है। यह भी आशा की जाती है कि रंगीन पिक्चर ट्यूबों का विनिर्माण भी वर्ष 1987-88 में शुरू हो जाएगा।

(ख) भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड में जिन संघटक-पुर्जों का विनिर्माण किया जाता है अर्थात् सौ फिल्टर, क्रिस्टल, ट्रांजिस्टर और एकीकृत परिपथ, वे अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं।

साल्ट लेक, कलकत्ता में इलेक्ट्रानिक्स उद्योग

457. **श्री हन्नान मोल्लाह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि साल्ट लेक कलकत्ता में इलेक्ट्रानिक्स उद्योगों की स्थापना की जा रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्रों में कोई उद्योग स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभाग में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

अनुसूचित जनजातियों को रोजगार

458. **श्रीमती ऊषा चौधरी** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

अनुसूचित जनजाति कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा उद्योग स्थापित करने में उन्हें सहायता देने के बारे में की गई प्रगति का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : प्राप्त सूचना के अनुसार 1984 के दौरान, रोजगार कार्यालयों के द्वारा 21,132 अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया । संलग्न विवरण एक में राज्यवार ब्यौरा दिया गया है ।

1984-85 के दौरान विभिन्न खादी तथा ग्राम-उद्योग में 4.99 लाख अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को रोजगार दिया गया । रोजगार के ब्यौरे संलग्न विवरण दो में दिये गये हैं ।

16,036 अनुसूचित जनजाति ठेकेदारों का पता लगाया गया तथा 1983-84 के दौरान जिला उद्योग केन्द्रीय कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जनजाति ठेकेदारों के नये पंजीकरण किये गये । उक्त अवधि के दौरान अनुसूचित जनजाति ठेकेदारों को वित्तीय संस्थानों के द्वारा 556.30 करोड़ रुपये की राशि का ऋण प्रदान किया गया ।

विवरण-एक

1984 के दौरान रोजगार कार्यालयों से रोजगार प्रदान किये रोजगार चाहने वाले अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की संख्या

	राज्य	
1.	आन्ध्र प्रदेश	785
2.	असम	619
3.	बिहार	617

4.	गुजरात	2,829
5.	हरियाणा	7
6.	हिमाचल प्रदेश	303
7.	जम्मू और काश्मीर	1
8.	कर्नाटक	593
9.	केरल	90
10.	मध्य प्रदेश	8,059
11.	महाराष्ट्र	2,701
12.	मणिपुर	373
13.	मेघालय	170
14.	नागालैण्ड	228
15.	उड़ीसा	1,368
16.	पंजाब	6
17.	राजस्थान	892
18.	सिक्किम*	
19.	तमिलनाडु	238
20.	त्रिपुरा	97
21.	उत्तर प्रदेश	292
22.	पश्चिम बंगाल	319

संघ शासित क्षेत्र प्रशासन

1.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2
2.	अरुणाचल प्रदेश*	
3.	चण्डीगढ़	31
4.	दादरा व नगर हवेली**	
5.	दिल्ली	296
6.	गोआ	3
7.	लक्षद्वीप	—
8.	मिजोरम	211
9.	पांडिचेरी	2
	भारत में कुल	21,132

विवरण-दो

खादी तथा ग्रामोद्योग

1984-85 के दौरान रोजगार में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों का हिस्सा

रोजगार : लाख व्यक्तियों में

क्रम सं०	उद्योग	रोजगार : अनुसूचित जनजाति
I. खादी		
1.	सूती	0.13
2.	ऊनी	0.05
3.	रेशमी	0.05
	कुल खादी	0.23
II. ग्रामोद्योग		
1.	अनाज तथा दालों का संसाधन	0.12
2.	घानी तेल	0.96
3.	ग्राम चमड़ा	—
4.	लघु दियासिलाई	0.02
5.	गन्ना गुड़ तथा खण्डसारी	0.03
6.	नारियल गुड़ निर्माण तथा अन्य नारियल उत्पादन	0.05
7.	अखाद्य तेल तथा साबुन	1.71
8.	हाथ से बना कागज	*
9.	मधु मक्खी पालन	0.58
10.	ग्राम बर्तन निर्माण	—
11.	रेशे	0.22
12.	बढ़ईगिरी तथा लुहारगिरी	0.10
13.	चूना निर्माण	—
14.	गोबर (मिथेन) गैस	—
15.	जंगली पौधों का संग्रह	0.49
16.	शैलक	0.02
17.	गोंद तथा रेसिन	0.85
18.	कत्था निर्माण	0.10
19.	फल संसाधन तथा फल परिरक्षण	0.04
20.	बांस तथा केन कार्य	0.37
21.	अल्युमिनियम के घरेलू बर्तनों का निर्माण	*
22.	पोलियस्टर	—
23.	नवग्रामोद्योग	*
	कुल ग्रामोद्योग	—
	कुल खादी तथा ग्रामोद्योग	4.99

ट्रकों और डीजल इंजनों के निर्माण के लिए भारत अर्थ मूवर्ज तथा जापान के कोमातसु के बीच सहयोग समझौता

459. **श्री आनन्द सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्ज भारत अर्थ मूवर्ज लिमिटेड ने स्वदेश में डिजाइन किये गये और विकसित किये गये 20 टन क्षमता के ट्रक और 1600 होर्स पावर तक की क्षमता के हैवी ड्यूटी डीजल इंजनों के निर्माण के लिये जापान की फर्म "कोमातसु" के साथ एक सहयोग समझौता किया है; और

(ख) यदि हां, तो लागत, क्षमता और संबंधित इक्विटी तथा अन्य प्रकार के शेयरों सहित सहयोग समझौते का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) 20 टन क्षमता के ट्रक के निर्माण के लिए कोई समझौता नहीं हुआ है लेकिन 90 और 1200 होर्स पावर तक की क्षमता के हैवी ड्यूटी इंजनों के निर्माण के लिए मैसर्स भारत अर्थ मूवर्ज लिमिटेड ने जापान की फर्म "कोमातसु" के साथ एक सहयोग समझौता किया है ।

(ख) सहयोग समझौते में उस तकनीक के ट्रांसफर और संगठकों की पूर्ति की व्यवस्था है जिसके लिए वास्तविक उत्पादन के आधार पर लाइसेंस फीस तथा रायल्टी जानी है । समझौते में इक्विटी साझेदारी या लागत एवं क्षमता के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है ।

सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध गुमनाम शिकायतों पर की गई कार्यवाही

460. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों और राजनीतिज्ञों के विरुद्ध आरोपों वाली गुमनाम शिकायतों अथवा पत्रों के निपटाने के लिये कोई मार्गदर्शी निदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकांश मामलों में आरोप वैयक्तिक घटिया किस्म के और निराधार होते हैं और इनका उद्देश्य इनमें उल्लिखित व्यक्तियों को भयभीत और परेशान करना होता है;

(घ) क्या इस समय उनके मंत्रालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केन्द्रीय जांच ब्यूरो, किसी मंत्रालय या विभाग और अन्य संबंधित एजेन्सियों ने गुमनाम शिकायतों पर कोई कार्यवाही शुरू की है; और

(ङ) यदि हां, तो जांच के आधार पर विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) सरकार के पास यह मानने का आधार है कि बहुत सी गुमनाम शिकायतें असत्य और विद्वेषपूर्ण होती हैं और ऐसी शिकायतें सूचना की विश्वसनीय स्रोत नहीं होती हैं । ऐसी शिकायतों की जांच-पड़ताल से सेवाओं के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । तदनुसार भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि गुमनाम शिकायतों पर कोई कार्रवाई न की जाए ।

(घ) और (ङ) जबकि साधारणतया मंत्रालयों/विभागों तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा गुमनाम शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, केन्द्रीय सतर्कता आयोग से अपने आपको विशिष्ट और सत्यापित किए जाने योग्य आरोपों से युक्त किसी ऐसी शिकायत पर, जिस पर कार्रवाई की जानी आवश्यक है, विचार करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा है। यदि आयोग किसी गुमनाम शिकायत पर जांच करने का निर्णय ले लेता है तो प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/संगठन से शिकायत का अध्ययन करने, आवश्यक जांच-पड़ताल करने और आयोग की सलाह प्राप्त करने के लिए उक्त जांच-पड़ताल के परिणाम सूचित करने का अनुरोध किया जाता है।

मोटर गाड़ियों से वायु प्रदूषण

461. **श्री आई० रामाराय** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने चल रही मोटर गाड़ियों के वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिये क्या कदम उठाए हैं; और

(ख) क्या इस प्रदूषण के नियंत्रण के लिये सरकार का विचार हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा मोटर गाड़ियों के लिये विकसित किये गये नये [illegible]ीय रियेक्टर का उपयोग करने का है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) चल रही मोटर गाड़ियों द्वारा वायु प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) निरीक्षण तथा नियंत्रण उपायों के प्रवर्तन के लिए मोटर-गाड़ी नियमों में अनिवार्य प्रावधानों को शामिल करने के बारे में राज्य सरकारों को सूचित किया गया है।

(2) प्रदूषण कम करने और ईंधन संरक्षण के लिए उत्तम रख-रखाव तथा चालन के बारे में जानकारी का प्रसारण।

(3) विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के सम्बन्ध में उत्सर्जन मानक तैयार करना;

(4) दिल्ली में 15 साल पुराने वाहनों के लिए उपयुक्तता प्रमाण पत्र।

(5) मोटर स्पिरिट में सीसे की मात्रा की उत्तरोत्तर कमी।

(6) जनमत को सुग्राही बनाने के लिए जन जागरुकता अभियोजन ।

(ख) जी, नहीं।

हंगरी के रक्षा मंत्री का दौरा

462. **श्री गुरुदास कामत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी के रक्षा मंत्री ने भारत का दौरा किया है और भारत सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत की है; और

(ख) यदि हां, तो बातचीत का स्वरूप क्या था और उसके परिणाम क्या हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी हां, । हंगरी गण-राज्य के रक्षा मंत्री ने नवम्बर, 1985 के प्रथम सप्ताह में भारत का दौरा किया था और रक्षा राज्य मंत्री श्री सुखराम तथा भारत सरकार के अधिकारियों से बातचीत की ।

(ख) हंगरी से रक्षा मंत्री के साथ हुई बातचीत के ब्यौरे देना जनहित में नहीं होगा ।

पंजाब समझौते की क्रियान्विति

464. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रधान मंत्री और स्वर्गीय श्री हरचन्द सिंह लोगोवाल के बीच पंजाब समस्या पर हुए समझौते की विविध धाराओं की क्रियान्विति के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : सरकार ने, पंजाब संबंधी समझौते के ज्ञापन में उल्लिखित विभिन्न मुद्दों को कार्यान्वित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। सामुहिक हिंसा की घटनाओं आदि में मारे गए व्यक्तियों के नजदीकी रिश्तेदारों को अनुग्रहपूर्वक अनुदान देने और चल और अचल सम्पत्ति के नुकसान के लिए राहत देने के लिए कार्रवाई की गयी है ।

रक्षा मंत्रालय, नौकरी से हटाए गए 237 सैनिकों को समाहत करने के लिए कदम उठा रहा है ।

न्यायमूर्ति श्री रंगानाथ मिश्र आयोग के क्षेत्राधिकार को चास (बोकारो) तहसील और कानपुर तक बढ़ा दिया गया है । चण्डीगढ़ के बदले में हरियाणा को दिये जाने वाले पंजाब के विशिष्ट हिन्दी भाषी इलाकों के निर्धारण के लिए एक आयोग गठित किया गया है जिसमें न्यायमूर्ति श्री के० के० मैथ्यू हैं ।

सशस्त्र बल (पंजाब और चण्डीगढ़ विशेष शक्तियां अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत पंजाब राज्य और चण्डीगढ़ (संघ शासित क्षेत्र) को दंगा ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने वाली अधिसूचनाओं को निरस्त कर दिया गया है और आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र विशेष न्यायालय (अधिनियम, 1984 को संशोधित किया गया है । अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के बारे में प्रधान मंत्री ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को लिखा है । पंजाबी भाषा के विकास के लिए कुछ उपाय जैसे पंजाबी पुस्तकों के प्रकाशन के लिए सहायता, विश्वविद्यालय स्तर के प्रयोग के लिए पंजाबी में पाठ्य पुस्तकों को तैयार करने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए सहायता और पंजाबी से अन्य भाषाओं में कुछ पुस्तकों के अनुवाद, किए जा रहे हैं ।

नदी जल के बटवारे के विषय में न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिए जल संसाधन मंत्रालय कदम उठा रहा है ।

जेल सुधार सम्बन्धी मुल्ला समिति की सिफारिशें

465. **श्री थम्पन थामस**
श्री मुकुल वासनिक
श्री के० एस० राव
श्री विलास मुतमेवार } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेल सुधार सम्बन्धी न्यायाधीश मुल्ला समिति ने कुछ ठोस सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां, तो जेल सुधार संबंधी मुल्ला समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को ये सिफारिशें लागू करने की सलाह दी है ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी हां, श्री मान ।

(ख) समिति ने जेल प्रशासन के सभी प्रकार के विकास के लिए विस्तृत सिफारिशें की हैं जिनकी संख्या 658 है । उनमें विधायी उपायों, वर्तमान भवनों के नवीकरण, रहन सहन की दशाओं व्यवसायिक तथा सुधारात्मक उपायों आदि सहित विभिन्न पहलू शामिल हैं । प्रतिवेदन 22.8.1984 को लोक सभा के पटल पर रखा गया था ।

(ग) जी हां, श्री मान ।

बंगलौर में श्वास की बीमारियां

466. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा**
श्री जी० एस० बसवराजू } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंगलौर में जे० पी० नगर के इर्द-गिर्द रहने वाले 20,000 से अधिक लोग आस पास की फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले रसायनों का धुआं श्वास के साथ शरीर में जाने के कारण श्वास की बीमारियों से ग्रस्त हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या जे०पी० नगर, बंगलौर के निवासी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से लगातार अपील कर रहे हैं कि उनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कदक उठाये जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बी० ई० एल० द्वारा रंगीन टी० वी० सेट के रिसीवर का निर्माण

467. **श्री मोहनभाई पटेल**
श्री चिंतामणि जेना } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रंगीन टी० वी० सेट में प्रयोग किए जाने वाले रिसीवर का आयात किया जाता है;

(ख) बी० ई० एल० ने रंगीन टी० वी० सेट का रिसीवर बनाया है;

(ग) यदि हां, तो बी० ई०एल० इसका निर्माण कब शुरू करेगा और यह कब तक बाजार में बिकने लगेगा;

(घ) बी० ई० एल० द्वारा बनाए जाने वाले रिसीवर का मूल्य कितना होगा;

(ङ) क्या बी० ई० एल० के उपकरणों से बनाए जाने वाले सेट सस्ते होंगे यदि हां, तो कितने सस्ते होंगे; और

(च) देश में टी० वी० के शतप्रतिशत पुर्जों के निर्माण तथा इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) रंगीन दूरदर्शन सेट एक रिसीवर है। रंगीन दूरदर्शन का विनिर्माण देश में किया जाता है।

(ख) से (ङ) भारत इलेक्ट्रानिकी लिमिटेड ने रंगीन दूरदर्शन रिसीवर का एक डिजाइन तैयार किया है। इसमें भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित ट्रांजिस्टर एकीकृत परिपथ तथा क्रिस्टल जैसी युक्तियों को शामिल किया गया है। उनके द्वारा विकसित डिजाइन किसी भी ऐसी पार्टी के लिए उपलब्ध है जो इसे अपनाना चाहते हों।

भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड को रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों के विनिर्माण के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया है। इसके अलावा, चूंकि भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित युक्तियाँ भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड के डिजाइन पर आधारित रंगीन दूरदर्शन की कुल सामग्री की लागत का केवल एक छोटा भाग है, अतः इससे रंगीन दूरदर्शन सेट की लागत पर कोई खास प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

(च) रंगीन दूरदर्शन में जो महत्वपूर्ण संघटक-पुर्जे प्रयुक्त होते हैं, वे इस प्रकार हैं : पिक्चर ट्यूब, विक्षेपण संघटक-पुर्जे, समस्वरित्र (ट्यूनर), डिले लाइन, एस० एम० पी० एस० विद्युत आपूर्ति, एकीकृत परिपथ तथा सेमीकण्डक्टर और रंगीन दूरदर्शन में प्रयुक्त होने वाले संघटक-पुर्जों की लागत में इनका कुल योगदान 80 प्रतिशत से भी अधिक बैठता है। प्रतिरोधक (रेजिस्टर), संधारित्र (कैपेसिटर), स्विच, लाउडस्पीकर जैसे सामान्य प्रयोजन के अन्य संघटक-पुर्जों का उत्पादन देश में ही किया जाता है, हालांकि इनके कुछ ग्रेड-उन्नय की जरूरत होगी। हाल ही में दिए गए अनुमोदनों के आधार पर रंगीन पिक्चर ट्यूबों के उत्पादन का कार्य वर्ष 1987 में, विक्षेपण संघटक -पुर्जों, समस्वरित्रों (ट्यूनर), एस० ए० पी० एस० विद्युत आपूर्ति तथा डिले लाइनों का उत्पादन वर्ष 1986 तक और अधिकांश एकीकृत परिपथों तथा सेमीकण्डक्टर का भी उत्पादन वर्ष 1987 तक शुरू हो जाने की संभावना है। अतः यह आशा की जाती है कि वर्ष 1988 तक रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों में प्रयुक्त होने वाले वस्तुतः सभी संघटक-पुर्जों का स्वदेशीकरण हो जाएगा।

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति आय

469. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस देश में बनाई गई तथा कार्यान्वित की गई योजनाओं का एक उद्देश्य आर्थिक विषमता को कम करना है;

(ख) प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति पर न्यूनतम तथा अधिकतम प्रति व्यक्ति औसत आय कितनी थी तथा इस समय कितनी है;

(ग) क्या यह सच है कि इन वर्षों के दौरान अमीर और अधिक अमीर हो गए और गरीब और अधिक गरीब हो गए; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, हां।

(ख) पहली योजना अवधि के अन्त में और 1983-84 में (नवीनतम वर्ष जिसके लिए त्वरित अनुमान उपलब्ध हैं) अखिल भारतीय स्तर पर वार्षिक प्रति व्यक्ति आय अर्थात् वार्षिक प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय उत्पादन, वर्तमान और 1970-71 की कीमतों पर नीचे दिए गए हैं।

वर्ष	अखिल भारतीय स्तर पर प्रति व्यक्ति वार्षिक आय	(रु०)
	वर्तमान कीमतें	1970-71 की कीमतों पर
1955-56	236	508
1983-84 (त्वरित अनुमान)	2201	749

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग

470. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की अनुमानित संख्या क्या है और विभिन्न राज्यों की ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या की तुलना में यह संख्या उस राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है;

(ख) क्या सरकार ने शहरी क्षेत्र में अब तक कोई निर्धनता रोधी कार्य क्रम आरम्भ किया है ; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं।

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार का विचार शहरी क्षेत्रों में निर्धनता मिटाने के लिये समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और इस तरह के अन्य गरीबी रोधी कार्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों तक बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाये हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन०एस०एस०ओ०) 1972-73 (27वां दौर) 1977-78 (32वां दौर) और 1983 (38वां दौर) में पंचवर्षीय पारिवारिक उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण करता रहा है। इन सर्वेक्षणों पर आधारित रिपोर्टों में व्यय की श्रेणी के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की सरत और व्यय की श्रेणी के अनुसार परिवारों की संख्या, उनकी संरचना सहित, दी होती है। रिपोर्टों में दिए गए परिणामों का योजना आयोग द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों और उनके प्रतिशत का अनुमान लगाने में उपयोग किया जाता रहा है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 1983 के सर्वेक्षण (नवीनतम उपलब्ध) के आधार पर, राज्यवार तथा ग्रामीण/शहरी, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या और उनका प्रतिशत, 1983-84 (अनंतिम) के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) शहरी गरीबों के लिए कोई विशेष गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है ; तथापि, राज्य क्षेत्र में "गंदी बस्तियों का पर्यावरणीय सुधार" की एक स्कीम है, जो विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है जिसमें बिजली, सीवरेज सुविधाएं आदि प्रदान करके, गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए है। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान इस स्कीम के अंतर्गत लगभग 8.8 मिलियन व्यक्ति लाभान्वित हुए और सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम के अन्तर्गत गंदी बस्तियों में रहने वाले 9.0 मिलियन व्यक्तियों को लाभान्वित करने का प्रस्ताव है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य	ग्रामीण		शहरी		सम्मिलित	
		संख्या (लाख)	प्रतिशत	संख्या (लाख)	प्रतिशत	संख्या (लाख)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आन्ध्र प्रदेश	164.4	38.7	40.7	29.5	205.1	36.4
2.	आसाम	44.9	23.8	4.9	21.6	49.8	23.5
3.	बिहार	329.4	51.4	36.1	37.0	365.5	49.5
4.	गुजरात	67.7	27.6	19.9	17.3	87.6	24.3
5.	हरियाणा	16.2	15.2	5.5	16.9	21.7	15.6
6.	हिमाचल प्रदेश	5.8	14.0	0.3	8.0	6.1	13.5
7.	जम्मू और कश्मीर	8.1	16.4	2.2	15.8	10.3	16.3
8.	कर्नाटक	102.9	37.5	34.7	29.2	137.6	35.0
9.	केरल	55.9	26.1	15.6	30.1	71.5	26.8
10.	मध्य प्रदेश	218.0	50.3	36.9	31.1	254.9	46.2
11.	महाराष्ट्र	176.1	41.5	55.9	23.3	232.0	34.9
12.	मणीपुर	1.3	11.7	0.6	13.8	1.9	12.3
13.	मेघालय	3.9	33.7	0.1	4.0	4.0	28.0
14.	उड़ीसा	107.7	44.8	10.4	29.3	118.1	42 8
15.	पंजाब	13.7	10.9	10.7	21.0	24.4	13.8
16.	राजस्थान	105.0	36.6	21.2	26.1	126.2	34.3
17.	तमिलनाडु	147.6	44.1	52.6	30.9	200.2	39.6
18.	त्रिपुरा	4.6	23.5	0.5	19.6	5.1	23.0
19.	उत्तर प्रदेश	440.0	46.5	90.6	40.3	530.6	45.3
20.	पश्चिम बंगाल	183.9	43.8	41.2	26.5	225.1	39.2
21.	नागालैंड, सिक्किम और सभी संघ राज्य क्षेत्र	17.9	47.4	14.4	17.7	32.3	27.1
	अखिल भारतीय	2215.0	40.4	495.0	28.1	2710.0	37.4

टिप्पणी : (1) उपर्युक्त अनुमान वर्ष 1973-74 की कीमतों के आधार पर 49.09 रु० प्रति व्यक्ति प्रति मास की गरीबी की रेखा का उपयोग करते हुये प्राप्त किये गये हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी की न्यूनतम दैनिक आवश्यकता के अनुसार है, 56·64 रु० की गरीबी की रेखा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी की आवश्यकता के अनुसार है।

(2) 1983-84 के लिये, गरीबी की रेखा को अंकित करने के लिये, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन का गरीबी उपभोक्ता सूचकांक इस्तेमाल किया गया है।

(3) ये परिणाम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के पारिवारिक उपभोक्ता व्यय के 38वें दौर (जनवरी, 1983 से दिसम्बर, 1983) से संबंधित अनंतिम और वरित सारणीयन पर आधारित हैं।

(4) केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा अपने राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी में दिये गये अखिल भारतीय निजी उपभोक्ता व्यय से संबंधित कुल अनुमानों और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों से प्राप्त कुल अनुमानों में जो अन्तर है, उसे राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आवंटित करने के सम्बन्ध में, किसी सूचना के अभाव में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में यथा अनुपात समायोजित किया गया है।

(5) गरीबी की रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या 1 मार्च, 1984 की जनसंख्या से संबंधित है।

20-सूत्री कार्यक्रम के लिए परिव्यय

471. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी**
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह
श्री मूल चन्द डागा : क्या **कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 1982-83 से वर्ष 1984-85 के दौरान राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों की वार्षिक योजनाओं के अधीन परिव्यय की व्यवस्था की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उपरलिखित अवधि के दौरान विभिन्न योजनाओं के लिये निर्धारित किए गए परिव्यय की तुलना में राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों तथा केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा वास्तव में खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) लक्ष्य कितना था तथा वास्तविक उपलब्धि कितनी रही;

(घ) कमी, यदि कोई है, के क्या कारण हैं; और

(ङ) उपर्युक्त अवधि के दौरान कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के मामले में विभिन्न राज्यों का क्रम क्या है ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) वर्ष 1982-83 से 1984-85 तक की अवधि में 20-सूत्री कार्यक्रम के लिये परिव्यय राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों

और केन्द्रीय मंत्रालयों की वार्षिक योजनाओं के अन्तर्गत अलग से और विशिष्ट रूप से निर्धारित नहीं किये गये थे क्योंकि 20-सूत्री कार्यक्रम राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय मंत्रालयों की योजनाओं का अभिन्न अंग है। फिर भी, 20-सूत्री कार्यक्रम के लिये परिव्यय राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय मंत्रालयों की योजनाओं के अन्तर्गत क्षेत्रकीय परिव्ययों से प्राप्त किये गये थे।

(ख) वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1984-85 तीन वर्षों के दौरान, 20-सूत्री कार्यक्रम की विभिन्न मदों पर परिव्ययों और व्यय के विवरण सभा-पटल पर रखे गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 1510/85]

(ग) वर्ष 1982-83 से 1984-85 की तीन वर्ष की अवधि में, 20-सूत्री कार्यक्रम के लक्ष्यों और वास्तविक उपलब्धियों से संबंधित 28 विवरण सभा-पटल पर रखे गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 1510/85]

(घ) 20-सूत्री कार्यक्रम की विभिन्न मदों के अन्तर्गत निष्पादन एकसा और समान नहीं रहा है। विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में, जो इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिये मुख्य रूप से जिम्मेवार हैं, विभिन्न मदों के अन्तर्गत भिन्न-भिन्न अंश में कमी रही है। राज्यों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों को दी गई प्राथमिकताएं और इस प्रकार के उच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के लिये वित्तीय संसाधनों की नितान्त आवश्यकता है जिसके परिणामस्वरूप इन कार्यक्रमों में धनराशि लगाई गई है, कमियों का मुख्य कारण है। अपर्याप्त आधार संरचना और प्रशासनिक प्रबन्ध इस प्रकार की कमी का अन्य महत्त्वपूर्ण कारण है।

(ङ) 1982-83 से 1984-85 तक तीन वर्ष की अवधि में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के मामले में विभिन्न राज्यों के क्रम का विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल० टी० 1510/85]

राज्यों के लिए योजना परिव्यय

472. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों का योजना परिव्यय कितना है, और उसके लिये क्या आधार अथवा मानदंड निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या सरकार राज्यों की अर्थ-व्यवस्था के संवर्द्धन हेतु पिछड़ापन तथा प्रति व्यक्ति कम व्यय के आधार पर विशेष सहायता दिये जाने की वांछनीयता पर विचार करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) से (ग) विभिन्न राज्यों की सातवीं योजना के लिये सहमत परिव्ययों से सम्बन्धित विवरण संलग्न है।

राज्यों के लिये योजना परिव्ययों से सम्बन्धित राज्य सरकार के साथ विस्तृत विचार विमर्श के बाद राज्यों के अपने संसाधनों तथा केन्द्रीय सहायता के आधार पर अंतिम रूप दिया जाता है। राज्यों की योजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता का आबंटन राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा तथा अनुमोदित, संशोधित गाडगिल फार्मूले के आधार पर किया जाता है। इस फार्मूले के मापदंडों में से एक मापदंड के अन्तर्गत, कुल केन्द्रीय सहायता के 20 प्रतिशत का, विशेषइतर ऐसी

श्रेणी के राज्यों, जिनकी प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत आय से कम है, के बीच आवंटित किया जाता है ताकि इस प्रकार के अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों के आर्थिक विकास के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध कराये जा सकें।

विवरण

(करोड़ रु०)

क्रम संख्या	राज्य	सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) सहमत परिव्यय
1.	आन्ध्र प्रदेश	5200
2.	असम	2100
3.	बिहार	5100
4.	गुजरात	6000
5.	हरियाणा	2900
6.	हिमाचल प्रदेश	1050
7.	जम्मू और कश्मीर	1400
8.	कर्नाटक	3500
9.	केरल	2100
10.	मध्य प्रदेश	7000
11.	महाराष्ट्र	10500
12.	मणिपुर	430
13.	मेघालय	440
14.	नागालैण्ड	400
15.	उड़ीसा	2700
16.	पंजाब	3285
17.	राजस्थान	3000
18.	सिक्किम	230
19.	तमिलनाडु	5750
20.	त्रिपुरा	440
21.	उत्तर प्रदेश	10447
22.	पश्चिम बंगाल	4125
	जोड़—राज्य	78097

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में पाँच दिन के सप्ताह का मूल्यांकन

474. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर**
श्री श्याम लाल यादव } : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में पांच दिनों के सप्ताह के दौरान काम की प्रगति की कोई समीक्षा की गई है;

(ख) क्या यह सच है कि पांच दिनों के सप्ताह से जनता को काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) इस बात को देखते हुए कि अधिकांश कर्मचारियों को कार्यालय समय के पश्चात् बड़े नगरों में अपने-अपने कार्यालयों से लम्बी यात्रा करनी पड़ती है, क्या सरकार पांच दिनों के सप्ताह की प्रणाली में परिवर्तन करने पर विचार करेगी ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) भारत सरकार के सिविल प्रशासनिक कार्यालयों में पांच कार्य दिवस के सप्ताह की योजना 3.6.1985 से लागू की गई थी। यह सुनिश्चित किया गया है कि कर्मचारी प्रति सप्ताह 37½ घण्टे कार्य करेंगे। हालांकि इस योजना की प्रगति का कोई औपचारिक मूल्यांकन नहीं किया गया है फिर भी यह महसूस किया गया है कि इस योजना का काफी स्वागत हुआ है।

(ख) आम जनता को होने वाली किसी गम्भीर शिकायत और असुविधा का कोई विशेष मामला इस मंत्रालय की जानकारी में नहीं आया है।

(ग) सरकार पाँच कार्य दिवसों के सप्ताह की प्रणाली में कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं समझती है।

रंगीन टेलीविजन सेटों के निर्माण में विदेशी भागीदारी

475. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रंगीन टेलीविजन सेटों के निर्माण में भारतीय कम्पनियों को विदेशी भागीदारी करने की अनुमति के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इंडियन टेलीविजन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने हाल ही में इस प्रस्ताव का विरोध किया था; और

(ग) यदि हां, तो उपभोक्ता इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में विदेशी बहुराष्ट्रीय सम्पर्क शुदा कम्पनियों के प्रवेश पर सरकार का क्या मत है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) मामला सरकार के पास विचाराधीन है।

प्रत्यर्पण प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का संकल्प

476. **श्री बी० वी० रामैय्या :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान आतंकवाद के सम्बन्ध में 6 अगस्त, 1985 को मिलानों में हुये सातवें संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस में स्वीकृत संकल्प की ओर दिलाया गया है जिसमें सदस्य राष्ट्रों से प्रत्यर्पण सम्बन्धी प्रक्रियाओं एवं प्रथाओं को तर्कसंगत बनाने और आतंकवादी कार्य करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही का आह्वान किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) उक्त संकल्प के परिप्रेक्ष्य में आतंकवाद को रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मन्त्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी, हां । अपराधों की रोकथाम तथा अपराधियों के व्यवहार संबंधी सातवीं संयुक्त राष्ट्र कांग्रेस ने, जिसका विषय था "स्वतंत्रता न्याय, शांति तथा विकास के लिए अपराधों की रोकथाम" "उग्रवादी स्वरूप की आपराधिक हरकतें" नामक उग्रवादी विषय के प्रस्ताव सहित अपराध रोकथाम के विभिन्न पहलुओं पर अनेक प्रस्ताव पारित किए ।

(ख) प्रस्तावों को भारत सरकार का समर्थन प्राप्त है क्योंकि इनमें अपराधियों विशेषकर हवाई जहाजों का अपहरण करने वालों के साथ न्याय करने की आवश्यकता के बारे में भारत की चिंता का उल्लेख किया गया है ।

(ग) प्रस्ताव में विभिन्न उपायों की व्यवस्था है ताकि विभिन्न देश उग्रवाद पर काबू पाने के लिए इन्हें अपना सकें । इस संबंध में भारत ने निम्नलिखित कदम उठाये हैं :—

(1) भारत ने 1963 आकाश में विमान पर किये गये अपराधों तथा कतिपय अन्य कृत्यों पर से टोक्यो सम्मेलन; 1970 के विमान को असंवैधानिक रूप से किए गये कब्जे के दमन के लिए हैग सम्मेलन; 1971 के नागरिक उड्डयन की सुरक्षा के लिए असंवैधानिक कृत्यों के दमन के लिये मांट्रियल सम्मेलन; और 1973 के राजनयिक एजेण्टों सहित अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा प्रदान व्यक्तियों के ऊपर अपराधों की रोकथाम और सजा पर हुए सम्मेलन में भाग लिया है ।

(2) भारतीय संसद ने निम्नलिखित क्रियाशील कानून बनाये हैं :—

(1) टोक्यो सम्मेलन अधिनियम, 1975;

(2) विमान अपहरण विरोधी अधिनियम, 1982;

(3) नागरिक उड्डयन की सुरक्षा के लिये असंवैधानिक कृत्यों का दमनकारी अधिनियम, 1982 इसके अतिरिक्त, आतंक और विघटन कार्य-कलाप (निरोध) अधिनियम, 1985 आतंकवाद का सामना करने के लिए बनाया गया है ।

(3) इसके अलावा भारत सरकार आतंकवाद का सामना करने के लिए और अधिक प्रभावी उपाय और पद्धतियां तैयार करने की दृष्टि से मित्र सरकारों से परामर्श कर रही है ।

वर्ष (1985) के दौरान प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान

477. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1985 के दौरान किन-किन देशों के साथ प्रौद्योगिकी का समस्तरीय और विभिन्न स्तरीय आदान-प्रदान हुआ है;

(ख) किन-किन क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान में वृद्धि की जा सकती है और किन देशों के साथ इसके लिए संभावना है; और

(ग) इस सम्बंध में राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की क्या भूमिका है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासगार विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) वर्ष, 1985 (अक्तूबर, 1985 तक) के दौरान मुख्यतया निम्नलिखित देशों से प्रौद्योगिकी के आयात के लिए व्यवस्थाओं को स्वीकृति दी गई : संयुक्त राज्य अमरीका, पश्चिमी जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, स्विटजरलैंड, फ्रांस, इटली, हालैंड, आस्ट्रिया, स्वीडन, बेल्जियम, कनाडा, आस्ट्रेलिया, यूगोस्लाविया, डेनमार्क और कोरिया ।

(ख) औद्योगिक मशीनरी, विद्युत, इलैक्ट्रानिकी, रसायनों, सामग्री के लाने ले जाने से संबंधित उपकरणों आदि के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के आयात की व्यवस्था मुख्यत: संयुक्त राज्य अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्विटजरलैंड और जापान से की गई है ।

(ग) नेशनल रिसर्च डेवेलपमेंट कार्पोरेशन तकनीकी मूल्यांकन समिति का एक सदस्य है, जो प्रौद्योगिकी के आयात से संबंधित आवेदन पत्रों की जाँच करती है ।

पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सीमा विवाद

478. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वोत्तर राज्यों के बीच सीमा विवादों अर्थात मणिपुर-नागालैंड, मणिपुर-असम, मेघालय-असम, नागालैंड-असम के बीच बकाया सीमा विवादों को हल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ख) क्या इस संबंध में सरकार का कोई समय-बद्ध कार्यक्रम है ?

राज्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) असम नागालैंड सीमा विवाद के मामले में, दोनों मुख्यमंत्री, इस मामले पर अपने मतभेदों को दूर करने के लिये मान्य प्रस्तावों को तैयार करने के लिए एक दूसरे से सम्पर्क बनाए हुए हैं। असम और मेघालय के सीमा विवाद के विषय में दोनों राज्य सरकारें, अन्तर्राज्यीय संवैधानिक सीमा की व्याख्या के प्रश्न को, सलाह के लिए संवैधानिक विशेषज्ञों को भेजने के लिए सहमत हो गए हैं और वे इस संबंध में आगे की कार्रवाई से अवगत हैं । असम और मणिपुर या नागालैंड और मणिपुर के मध्य कोई सीमा विवाद सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है ।

पचास वर्ष की आयु पूरी करने पर सरकारी कर्मचारियों को सेवा से हटाया जाना

479. **श्री नारायण चौबे** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 अक्तूबर, 1985 के "इंडियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि सरकार पचास वर्ष की आयु पूरी करने वाले ऐसे सरकारी कर्मचारियों को अक्षमता और शिथिलता के आरोप पर सरकारी सेवा से जबरन हटा देगी;

(ख) क्या प्रैस में प्रकाशित समाचार के अनुसार सरकार की यह नीति है; और

(ग) क्या ऐसे कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए जायेंगे ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। 50/55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को सेवा में बनाए रखने अथवा न रखने, तथा उन्हें लोक हित में समय पूर्व सेवा निवृत्त करने के मामलों की पुनरीक्षा करना एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है। इससे संबंधित नियम कई वर्षों से सेवा-शर्तों का एक अंग बने रहे हैं। प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित रिपोर्ट भ्रामक प्रतीत होती है और इसमें भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में उप-मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य को सही तरह से प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस स्थिति को एक प्रैस नोट के माध्यम से तत्काल स्पष्ट कर दिया गया था और इंडियन एक्सप्रैस ने ही दिनांक 16.10.85 के अपने समाचार-पत्र में एक आंशिक स्पष्टीकरण छाप दिया था। उप-मंत्री ने बड़ी संख्या में बर्खास्तगियां करने अथवा उच्चतम न्यायालय के निर्णय का कोई हवाला नहीं दिया था। उन्होंने तो स्पष्ट रूप में यह कहा था कि सरकार की यह मंशा है कि सिविल सेवा में प्राधिकार और दर्जा दिया जाए ताकि सरकारी नीति को कार्यान्वित करने के लिए यह एक प्रभावी साधन बन सके।

(ग) मूल नियमावली के नियम 56 (जे) के अधीन सरकारी कर्मचारियों को समय पूर्व सेवानिवृत्त किया जाना, कोई दण्ड नहीं है, और इसमें उसकी वैधानिक स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता। अत; इस नियम के अन्तर्गत सेवानिवृत्त करने से पहले उन्हें कारण बताओ नोटिस देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

उच्च प्रौद्योगिकियां प्राप्त करना

480. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सेनाओं को अपनी सुरक्षा तैयारियों में उच्च प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता महसूस हो रही है और जो भी प्रौद्योगिकी उनके पास है वह दोषयुक्त है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उच्च प्रौद्योगिकी प्राप्त करने तथा अन्य दोषों/कमियों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारतीय सेनाओं की रक्षा तैयारी की निरंतर समीक्षा की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए उच्च प्रौद्योगिकी प्राप्त करने और महसूस की गई कमियों को दूर करने के लिए उचित कार्रवाई की जाती है ताकि हर समय रक्षा तैयारी का उच्च स्तर बनाये रखा जा सके।

[अनुवाद]

बंगलादेश से उड़ीसा में विदेशियों की घुसपैठ

481. **श्री अनादि चरण दास** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के वर्षों में भारी संख्या में विदेशी बंगलादेश की सीमा पार कर उड़ीसा में घुस आए हैं और स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे लोगों की वास्तविक संख्या कितनी है; और

(ग) इन विदेशियों का पता लगाने और उन्हें बंगलादेश वापस भेजने के लिए क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विश्व संसाधन संस्थान के अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ पेनल द्वारा तैयार की गई वनों संबंधी कार्यवाही योजना

482. **श्रीमती किशोरी सिंह**
श्री राम सिंह यादव } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व संसाधन के अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ पेनल द्वारा तैयार की गई वन संबंधी योजना की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारत के संबंध में उसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(ग) यदि हां, तो इन सिफारिशों पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सरकार ने विश्व संसाधन संस्थान की कार्यकारी योजना देख ली है।

(ख) और (ग) योजना की जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा राजस्थान सीमा पर बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास

483. **श्री शान्ति धारीवाल**
श्री काली प्रसाद पाण्डेय } : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 16 अक्तूबर, 1985 के "नवभारत टाइम्स" में पाक द्वारा राजस्थान सीमा पर बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति खतरे को देखते हुए सरकार द्वारा क्या ठोस कार्यवाही की गई है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रकाशित समाचारों को देखा है। लेकिन इस सम्बन्ध में राजस्थान की सीमा के साथ पाकिस्तानी सेनाओं की असामान्य गतिविधियों और जमाव के बारे में कोई सूचना नहीं है। पाकिस्तानी सैनिकों के लिए प्रतिवर्ष शीतकालीन प्रशिक्षण युद्धाभ्यास करना एक आम बात है।

सरकार उन सभी गतिविधियों पर नजर रखती है जिनका हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है और पूर्ण रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए उचित उपाय करती है।

[अनुवाद]

दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा संकट कालीन बुलावे पर उपस्थित होना

484. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली अग्निशमन सेवा प्राप्त होने वाले संकट कालीन बुलावों पर उपस्थित होने में समक्ष हैं; और

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान प्राप्त हुए उन बुलावों और उन्हें प्राप्त होने के समय का ब्यौरा क्या है जहां वे उपस्थित नहीं हो सके ?

राज्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) पिछले एक वर्ष के दौरान, दिल्ली अग्निशमन सेवा संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में संकटकालीन बुलावों पर तत्परता से कार्रवाई कर सका है। तथापि 31.10.1984 और 2.11.1984 के मध्य दंगों के कारण आग लगने की 17 घटनाओं में कार्रवाई नहीं की जा सकी क्योंकि अग्निशमन सेवा इन्जिनों को घटना-स्थल पर पहुंचने से रोका गया था। इन बुलावों के विवरण संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

17 घटनाओं की सूची, जिन पर कार्रवाई नहीं की जा सकी :

क्रम सं०	घटना की तारीख	समय	स्थिति
1.	31.10.1984	19.30	107, नई दिल्ली साऊथ एक्सटेंशन पार्ट-1 नई दिल्ली।
2.	-तदैव-	20.13	एण्ड्रयूज गंज चौक, दिल्ली।
3.	-तदैव-	20.22	रिंग रोड, डिफेंस कालोनी पैट्रोल पम्प
4.	-तदैव-	20.25	युसुफ सराय, अन्सारी नगर

क्रम संख्या	घटना की तारीख	समय	स्थिति
5.	31.10.1984	20.55	गुरुद्वारा डिफेंस कालोनी
6.	-तदैव-	20.55	मिनी मार्केट, नौरोजी नगर
7.	-तदैव-	21.45	सैक्टर-1, आर० के० पुरम
8.	-तदैव-	21.45	सैक्टर-13, आर० के० पुरम
9.	-तदैव-	22.35	परफैक्शन साड़ी हाऊस साऊथ एक्सटेंशन, नई दिल्ली
10.	-तदैव-	23.22	बी-5 सफदरजंग एन्कलेव
11.	1.11.1984	09.50	नेताजी नगर मार्केट
12.	-तदैव-	10.00	गुरुद्वारा, गांव मौजपुर
13.	-तदैव-	11.10	चूना मण्डी, पहाड़गंज
14.	-तदैव-	11.15	गुरुद्वारा यमुना विहार, शाहदरा
15.	-तदैव-	12.20	नजदीक सी-1/10 अशोक विहार, फेस-11, नई दिल्ली।
16.	2.11.1984	10.05	हरिनगर आश्रम
17.	-तदैव-	20.15	मिल्क बूथ, बाबरपुर रोड।

[हिन्दी]

अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था

486. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के प्रबन्ध संतोषजनक नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनके लिए कुछ विशेष सुरक्षा प्रबन्ध करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो कब तक तथा उनकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। अति विशिष्ट व्यक्तियों के सुरक्षा प्रबन्धों के लिए विशेष निर्देश विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त संबंधित सुरक्षा प्राधिकारियों द्वारा इन प्रबन्धों की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है और प्रत्येक मामले में खतरे को देखते हुए इनको मजबूत किया जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

टी० वी० सेट्स का स्वदेशीकरण

487 **श्री मुकुल वासनिक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर सरकार द्वारा पुर्जों की सप्लाई सुनिश्चित किये जाने पर टी० वी० उद्योग टी० वी० सेट्स का दो वर्षों में स्वदेशीकरण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना तैयार की है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कि संघटक-पुर्जों का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के यथा संभव निकटतम मूल्यों पर उत्पादन करने की दृष्टि से देश में इलेक्ट्रानिक संघटक-पुर्जों के विनिर्माण के लिए आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य उत्पादन क्षमता स्थापित हो सके, सरकार ने कई उपाय किये हैं, जिसमें उद्योग को लायसेंस से मुक्त करना, एकाधिकार प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति अधिनियम की धारा 22 क से छूट तथा दुर्लभ एवं उच्च किस्म की प्रौद्योगिकी के मामले में विदेशी साम्यापूंजी की अधिकाधिक सहभागिता शामिल है।

(ग) रंगीन दूरदर्शन में जो महत्वपूर्ण संघटक-पुर्जे प्रयुक्त होते हैं, वे इस प्रकार हैं : पिक्चर ट्यूब, विक्षेपण संघटक-पुर्जे, ई० एच० टी०, समस्वरित्र (ट्यूनर), स्विचें, एस० एम० पी० एस० विद्युत आपूर्ति, एकीकृत परिपथ तथा सेमीकण्डक्टर और रंगीन दूरदर्शन में प्रयुक्त होने वाले संघटक-पुर्जों की लागत में इनका कुल योगदान 80 प्रतिशत से भी अधिक बैठता है। भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा संयोजित किए जा रहे कुछ एकीकृत परिपथों तथा ट्रांजिस्टरों को छोड़कर इस समय वस्तुतः इन सभी संघटक-पुर्जों का आयात किया जाता है। भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने हाल ही में सौ फिल्टरों के उत्पादन का कार्य भी शुरु किया है, जिनका प्रयोग रंगीन दूरदर्शन में किया जाता है। संधारित्र (कैपेसिटर), प्रतिरोधक (रेजिस्टर), स्विच, लाउडस्पीकर, सौ फिल्टर तथा किस्टल जैसे सामान्य प्रयोजन के अन्य संघटक-पुर्जों का उत्पादन देश में ही होता है। विक्षेपण संघटक-पुर्जों, ई० एच० टी०, समस्वरित्र (ट्यूनर), एस० एम० पी० एस० विद्युत आपूर्ति तथा डिले लाइनों का उत्पादन 1986 में शुरु होने की सम्भावना है। यह भी आशा की जाती है कि रंगीन पिक्चर ट्यूबों का विनिर्माण भी वर्ष 1987-88 में शुरु हो जाएगा। अतः यह आशा की जाती है कि वर्ष 1988 तक रंगीन दूरदर्शन रिसीवरों में प्रयुक्त होने वाले वस्तुतः सभी संघटक-पुर्जों का स्वदेशीकरण हो जाएगा।

नई दिल्ली में नामीबिया का दूतावास खोलने का प्रस्ताव

488. **श्री पी० कुलन्दईवेलू** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नामीबिया ने नई दिल्ली में एक पूर्ण स्तर का दूतावास खोलने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत नामीबिया के प्रस्ताव से सहमत हो गया है; और

(ग) क्या इससे अमरीका के साथ हमारे सम्बन्धों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

विदेश मन्त्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) और (ख) दक्षिण पश्चिम अफ्रीका लोक संगठन (स्वापो) का एक कार्यालय भारत में जनवरी, 1982 से कार्य कर रहा है जिसे हमारा

पूरा सहयोग प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र और गुट निरपेक्ष आन्दोलन 'स्वापो' को ही नामीबिया के लोगों का एकमात्र और सामाजिक प्रतिनिधि मानता है और भारत पूरी तरह इस विचार से सहमत है। 'स्वापो' के इस मिशन को अब भारत सरकार द्वारा 'स्वापो' के राजदूतावास के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

(ग) जी, नहीं।

भारत-नेपाल संधि

489. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भारत-नेपाल संधि में कोहलापुर-महाकाली सड़क निर्माण जो इस समय बन्द है, के बारे में कोई अनुबन्ध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) नये समझौते के अनुसार नेपाल के तराई क्षेत्र में भारत द्वारा 200 किलोमीटर सड़क निर्माण पर अब तक कितनी धनराशि व्यय हुई है ?

विदेश मन्त्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) से (ग) कोहालपुर तथा महाकाली के बीच नेपाल के तराई क्षेत्र में एक सड़क के निर्माण के बारे में भारत और नेपाल के बीच 26 सितम्बर, 1985 को एक करार सम्पन्न हुआ था। इस करार के अन्तर्गत भारत इस निर्माण कार्य के लिए 50 करोड़ रु० की सहायता प्रदान करेगा। परियोजना को नेपाल द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा तथा यह परियोजना 48 महीने में पूरी होगी। दोनों सरकारें इस बात का सुनिश्चय करने के लिए आपस में सहयोग करेंगी कि यह परियोजना सहमत समय और संसाधनों के भीतर पूरी हो जाये।

पेंशन नियमों को उदार बनाना

490. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उदार पेंशन नियमों का लाभ उन कर्मचारियों को भी देगी जो मार्च, 1985 से पहले सेवा निवृत्त हुए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन सरकारी कर्मचारियों की संख्या क्या है जो इस तारीख से पहले सेवा-निवृत्त हुए हैं और इसके पात्र होंगे; और

(घ) यदि ऐसे कर्मचारियों को भी यह रियायत दी जाती है तो सरकार को कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय सिविल सेवा (पेन्शन) नियमावली, 1972 के अनुसार पेन्शन संबंधी दावों का विनियमन उस समय लागू उपबन्धों के

अनुसार किया जाता है जिस समय कि कोई सरकारी कर्मचारी यथास्थिति सेवानिवृत्त होता है अथवा सेवानिवृत्त कर दिया जाता है अथवा पदमुक्त किया जाता है अथवा उसे सेवा से त्याग-पत्र देने की अनुमति दे दी जाती है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है।

(ग) और (घ) यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

कलपाक्कम फास्ट ब्रीडर

491. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलपाक्कम में फास्ट ब्रीडर चालू हो गया है;

(ख) उससे कितनी ऊर्जा का उत्पादन होगा;

(ग) इस संयंत्र से कितना क्षेत्र लाभान्वित होगा; और

(घ) इससे ऊर्जा में कहां किस सीमा तक आत्मनिर्भरता मिली है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) कलपाक्कम स्थित फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने 18 अक्तूबर, 1985 को क्रांतिकता प्राप्त की थी। यह फास्ट ब्रीडर रिएक्टर मूलत: एक परीक्षण रिएक्टर है। इस कारण इसे देश की बिजली पैदा करने की क्षमता को बढ़ाने की दृष्टि से नहीं बनाया गया है। तथापि, यह नाममात्र को 13.2 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर से प्राप्त अनुभव से सन् 2000 तक एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाने में मदद मिलेगी। फिर भी सन् 2000 में परमाणु बिजली पैदा करने की क्षमता देश की बिजली पैदा करने की कुल क्षमता का केवल 10 प्रतिशत होगी।

विदेशी दूतावासों में नियुक्त भारतीय कर्मचारियों के हितों की रक्षा

492. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत स्थित विदेशी दूतावासों में नियुक्त भारतीय कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में ये दूतावास अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय के अधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे विदेशी दूतावासों में कार्यरत भारतीय कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(घ) सरकार भारत स्थित विदेशी दूतावासों के भारतीय कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विदेश मंत्रालय ने एक "मॉडल संविदा फार्म' तैयार किया था। इस फार्म में स्थानीय कर्मचारियों के नियोजन के सम्बन्ध में न्यूनतम सेवा शर्तें दी गई हैं। यह 'मॉडल संविदा फार्म' नवम्बर 1975 में ही सभी मिशनों को भेज दिया गया था।

इस 'मॉडल संविदा फार्म' का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि दोनों पक्ष इस नियोजन से अपने-अपने अधिकारों और दायित्वों से पूरी तरह अवगत हों तथा भारतीय कर्मचारियों को अपने नियोजकों से उचित व्यवहार मिले। तथापि यह बात समझ लेनी चाहिए कि यह संविदा फार्म समझाने और सिफारिश के लिए है इन्हें कानूनी वैधता नहीं है।

(घ) इस 'मॉडल संविदा फार्म' को परिचालित करने से इतना फायदा तो हुआ ही है कि विदेशी मिशनों के लिए कार्य करने वाले भारतीय राष्ट्रिकों की नियोजन संबंधी शर्तों के अधिशासन के सम्बन्ध में इस फार्म में उचित मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित किये गये हैं। जब भी कोई विवाद उठा है, इस मॉडल संविदा फार्म से विदेश मंत्रालय को उक्त विवादों को सौहार्द पूर्ण ढंग से हल करने के लिए एक आधार मिला है। ऐसी शिकायतें प्राप्त होने पर मंत्रालय उनका यथोचित समाधान के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करता है।

दिल्ली में डकैतियां और हत्याएं

493. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में वर्ष 1985 के आरम्भ से लेकर (अब तक) सशस्त्र डकैतियों और हत्याओं के मामलों की संख्या कितनी है और इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए अपराधों की संख्या क्या थी;

(ख) पिछले एक वर्ष के दौरान कितने मामलों को हल कर लिया गया है और शेष मामलों को हल न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) दिल्ली में कानून और व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान विभिन्न स्तरों पर पुलिस बल को सशक्त बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) 1.1.1985 से 31.10.1985 तक की अवधि के दौरान सशस्त्र डकैतियों, डकैतियों तथा हत्याओं की संख्या तथा इसकी 1984 की इसी अवधि के अपराध आंकड़ों से तुलना इस प्रकार है :—

अपराध शीर्ष	1-1-1984 से 31-10-1985 तक	1-1-1984 से 31-10-1984 तक
सशस्त्र डकैतियां	197	172
डकैतियां	18	23
हत्याएं	191	161

(ख) वर्ष 1984 में सूचित किये गये तथा हल किये गये सशस्त्र डकैतियों, डकैतियों तथा हत्यारों के मामले नीचे दिये गये हैं :—

अपराध शीर्ष	सूचित किए गए मामले	हल किये गये मामले
सशस्त्र डकैतियां	210	120
डकैतियां	28	19
हत्याएं	279	213

शेष मामलों के हल न होने का कारण किसी समुचित संकेत का न मिलना है।

(ग) सरकार ने दिल्ली पुलिस प्रशासन का अध्ययन करने तथा इसकी परिचालन कुशलता तथा आपातकालीन स्थितियों के प्रति संपूर्ण प्रतिक्रियाशीलता को बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए सिफारिशें करने के लिए उच्च स्तरीय दल को नियुक्त किया था। अध्ययन दल की सिफारिशों पर आधारित दिल्ली पुलिस में किये गये कुछ महत्वपूर्ण सुधार इस प्रकार हैं :—

(1) दिल्ली पुलिस जोनों को 6 से बढ़ाकर 9 कर दिया गया है। प्रत्येक जोन एक उप-पुलिस आयुक्त के अधीन होगा।

(2) 37 नये पुलिस थाने खोले जायेंगे, 1985-86 तथा 1986-87 में प्रत्येक वर्ष में 12 तथा 1987-88 में 13 पुलिस थाने। इन अतिरिक्त पुलिस थानों से दिल्ली में इस समय 63 के मुकाबले 100 पुलिस थाने हो जायेंगे।

(3) पुलिस बल की गतिशीलता को काफी हद तक सुधारा गया है, विशेष शाखा के सभी निरीक्षकों तथा 50% उप-निरीक्षकों को मोटर साइकिल दिये जायेंगे।

(4) 118 अतिरिक्त पेट्रोल कारों की मंजूरी दी गई है। ये बेतार संचार से सुसज्जित होंगी तथा पुलिस के नियंत्रण कक्ष द्वारा नियंत्रित की जाएंगी। इस उद्देश्य के लिये, 1923 कार्मिकों के स्टाफ की मंजूरी दी गई है। नियंत्रण कक्ष की कार्य कुशलता को सुधारने के लिये काफी अतिरिक्त स्टाफ हाट लाइन के संचालन के कर्मचारियों को लगाना, टेलीप्रिंटर मशीनों इत्यादि की मंजूरी दी गयी है।

(5) महिलाओं के प्रति अपराधों से निपटने के लिए एक विशेष कक्ष की मंजूरी दी गयी है जिसमें 44 कर्मचारी होंगे। वह एक उप-पुलिस आयुक्त के तहत काम करेगा।

(6) ट्रैफिक शाखा को सुधारने तथा दिल्ली सशस्त्र पुलिस में वाहनों की संख्या को बढ़ाने के प्रस्तावों को भी मंजूर किया गया है।

[हिन्दी]

शिक्षा के लिए भोजन कार्यक्रम

494. **श्री राम स्वरूप राम : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के बीच शिक्षा का प्रसार करने और निरक्षरता का उन्मूलन करने की दृष्टि से आगामी सातवीं पंचवर्षीय योजना में "शिक्षा के लिये भोजन" कार्यक्रम शामिल किया जायेगा और उसे लागू किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में फिलहाल शिक्षा हेतु भोजन का कोई कार्यक्रम शामिल नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत में सांस्कृतिक केन्द्र पुनः खोलने की अनुमति के लिए अमरीका का अनुरोध

495. **श्री हरीश रावत** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीकी सरकार ने लखनऊ और अन्य नगरों में सांस्कृतिक केन्द्र पुनः खोलने की अनुमति मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ।

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच गोली चलना

496. **श्री विष्णु मोदी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत-पाकिस्तान की सीमा पर भारतीय सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच गोली चलाये जाने से सम्बन्धित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या उन घटनाओं की ओर पाकिस्तान सरकार का ध्यान आकर्षित किये जाने के बावजूद ये घटनाएं निरन्तर जारी हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (घ) राजस्थान, गुजरात और पंजाब सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच कोई गोली-बारी नहीं हुई है । लेकिन जम्मू तथा कश्मीर सीमा पर सीमा सुरक्षा बल और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच गोलीबारी हुई है । सरकार हमारी आन्तरिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी गति-विधियों और संभाव्य घटनाओं पर लगातार नजर रखती है और समय-समय पर उपयुक्त उपाय करती है ।

[अनुवाद]

भारत और पाकिस्तान द्वारा परमाणु प्रतिष्ठानों का संयुक्त निरीक्षण

497. **प्रो० मधु दण्डवते**
डा० बी० एल० शैलेश } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच हुई हाल की बातचीत के दौरान दोनों देशों ने परमाणु क्षमताओं सहित परमाणु प्रतिष्ठानों का संयुक्त निरीक्षण करने संबंधी कोई सुझाव आया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी ?

विदेश मन्त्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) और (ख) नाभिकीय प्रतिष्ठानों के आपसी निरीक्षण का प्रस्ताव न तो व्यवहार्य है और न ही इसे कार्यरूप दिया जा सकता है।

केन्द्रीय सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

498. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र में श्रेणी–I, श्रेणी–II, श्रेणी–III, और श्रेणी–VI, में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व की अलग-अलग प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सेवाओं में उच्च श्रेणियों में उनके प्रतिनिधित्व में अधिक सुधार नहीं हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक, सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) 1.1.84 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला विवरण-एक संलग्न है।

(ख) भारत सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं/पदों में नियुक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। 1965 (1.1.65 की स्थिति के अनुसार) और 1984 (1.1.84 की स्थिति के अनुसार) के तुलनात्मक आंकड़े विवरण-दो में प्रस्तुत हैं।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के प्रतिनिधित्व में कमी आने का मुख्य कारण यह है कि विभिन्न समूहों/ग्रेडों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्ति के प्रयोजन से इन प्रवर्गों के उम्मीदवार अपेक्षित संख्या में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसके कुछेक अन्य कारण निम्नानुसार हैं :—

(i) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षण की प्रतिशतता, 1970 से 12½ प्रतिशत और 5 प्रतिशत से बढ़ाकर क्रमशः 15 प्रतिशत और 7½ प्रतिशत कर दी गई है।

(ii) उपयुक्तता की शर्त पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नतियों में आरक्षण केवल 1972 से ही लागू किया गया है।

(iii) चयन द्वारा पदोन्नतियों में आरक्षण समूह "क" के निम्नतम प्रवर्गों तक ही सीमित है और वह भी 1974 में ही शुरु किया गया था; और

(iv) समूह "क" के निम्नतम स्तर तक के ऐसे वैज्ञानिक और तकनीकी पद जिनमें अनुसंधान करने अथवा ऐसे अनुसन्धान आयोजित करने, उनका मार्गदर्शन तथा दिशा-निर्देश देने की अपेक्षा की जाती है, उन्हें केवल 1975 से इन आरक्षण नियमों के अधीन लाया गया है।

जहां तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व में सुधार लाने सम्बन्धी उपचारात्मक उपायों का सम्बन्ध है, इन समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए सीधी भर्ती में आयु, शुल्क, यात्रा भत्ता, उपयुक्तता के स्तर में विभिन्न रियायतें, अनुभव और अर्हता में छूट और इनके लिए अलग साक्षात्कार निर्धारित किए गए हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार उपलब्ध न हो पाने की स्थिति में, संगत निर्देशों के अनुसार, ऐसे आरक्षण को अग्रेनीत करने और रिक्तियों की अदला-बदली के सिद्धान्तों की व्यवस्था की गई है ताकि इनसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान किया जा सके। समाचार पत्रों, दूरदर्शन, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की स्वैच्छिक संस्थाओं और राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति कल्याण निदेशकों द्वारा इन आरक्षित रिक्तियों का व्यापक प्रचार भी किया जाता है। कुछ मामलों में, केवल अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए ही विशेष सीमित विभागीय परीक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं। परीक्षा केन्द्र भी अनुसूचित जनजातीय लोगों की बाहुल्यता वाले क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये तैयार करने के प्रयोजन से प्रशिक्षण (कोचिंग) केन्द्र भी खोले गए हैं। आशा है कि इन सभी उपायों से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के प्रतिनिधित्व में और आगे वृद्धि हो सकेगी और यह वृद्धि अपेक्षित स्तर तक पहुंच पायेगी।

विवरण-एक

1.1.1984 की स्थिति के अनुसार सरकारी सेवा में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला विवरण :

समूह/श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियां	प्रतिशततः	अनुसूचित जनजातियां	प्रतिशततः
क	55,229	3,825	6.92	943	1.71
ख	66,607	6,742	10.12	1,196	1.80
ग	19,89,013	2,78,133	13.98	75,353	3.79
*घ	11,91,266	2,40,596	20.20	71,895	6.04
योग	33,02,115	5,29,296	16.03	1,49,387	4.52

*सफाई कर्मचारियों को छोड़ कर

विवरण-दो

1965 से 1984 तक की अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों का प्रगामी प्रतिनिधित्व :

अनुसूचित जातियां

समूह	1-1-1965	1-1-1984
क	318	3,825
ख	864	6,742
ग	96,114	2,78,133
घ	2,01,073	2,40,596

अनुसूचित जन जातियां

समूह	1-1-1965	1-1-1984
क	52	943
ख	103	1,196
ग	12,390	75,353
घ	38,444	71,895

सातवीं योजना के दौरान परमाणु ऊर्जा संयंत्र

499. **श्री वी० एस० विजय राघवन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान देश में स्थापित किए जाने वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की संख्या के बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) क्या केरल सरकार ने उनके राज्य में एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करने हेतु अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) स्थल चयन समिति ने दक्षिणी विद्युत क्षेत्र में, जिसमें शामिल राज्यों में से केरल भी एक है, स्थलों का अध्ययन किया है। समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

सन्दिग्ध निष्ठा वाले कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति

500. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सन्दिग्ध निष्ठा वाले सरकारी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष विशेष अभियान के अन्तर्गत कुल कितने कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है;

(ग) क्या सन्दिग्ध निष्ठा वाले व्यक्तियों का पता लगाने के लिए कोई नया तंत्र गठित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने के अधिकार के संभावित दुरुपयोग को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेन्शन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) ऐसे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को जिनकी निष्ठा सन्दिग्ध है तथा ऐसे कर्मचारियों को जो अकुशल हो गए हैं उन्हें 50/55 वर्ष की आयु प्राप्त करने अथवा 30 वर्ष की सेवा करने के पश्चात्, सेवा में बनाए रखने अथवा सेवा से निकाल देने के लिए, सेवा नियमों के अधीन उनके मामलों की पुनरीक्षा की जाती है। यह एक नियमित तथा निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है तथा आदेश लोक हित में जारी किए जाते हैं। चूंकि संबंधित मन्त्रालयों/विभागों में उपयुक्त प्राधिकारी, मन्त्रालय/विभाग में अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत व्यक्तियों को सेवा में बनाए रखने अथवा सेवा से निकालने के लिए निर्णय लेने में सक्षम हैं, इसलिए ऐसे कर्मचारियों की संख्या जो सन्दिग्ध निष्ठा के कारण वर्ष के दौरान सेवा से समयपूर्व सेवानिवृत्त कर दिए गए हैं, इस मन्त्रालय में केन्द्रीयकृत रूप से उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) सन्दिग्ध निष्ठा वाले सरकारी कर्मचारियों का पता लगाने के लिए कोई पद्धति तैयार नहीं की गई है। किन्तु, पहले से निर्धारित मानदण्डों तथा मार्गदर्शी सिद्धान्तों को पुनः दोहरा दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों की पुनरीक्षा केवल उनके गोपनीय रिकार्ड पर ही आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनकी वैयक्तिक फाइल तथा अन्य संगत फाइलों में पाई जाने वाली सामग्री पर भी आधारित होनी चाहिए। इन फाइलों में उपलब्ध सामग्री के आधार पर एक सार तैयार करने और इस प्रकार पुनरीक्षा समितियों को सहायता पहुँचाने के प्रयोजन से मंत्रालयों/विभागों को आंतरिक जाँच समितियां गठित करने की सलाह दी गई है।

(ङ) सेवा नियमों के अधीन सरकारी कर्मचारियों के मामलों की पुनरीक्षा करने के लिए विस्तृत मानदण्ड तथा मार्गदर्शी सिद्धान्त पहले से ही विद्यमान हैं जो उपयुक्त प्राधिकारियों को प्रदान की गई शक्तियों के किसी मनमाने प्रयोग के विरुद्ध पर्याप्त सुरक्षोपाय प्रदान करते हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए राज्यों को धन का आवंटन

501. **श्री टी० बशीर** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धन के आवंटन का कार्य पूरा कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

(रु० करोड़ में)

राज्य	सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) सहमत परिव्यय
1	2
आंध्र प्रदेश	5200.00
असम	2100.00
बिहार	5100.00
गुजरात	6000.00
हरियाणा	2900.00
हिमाचल प्रदेश	1050.00
जम्मू और कश्मीर	1400.00
कर्नाटक	3500.00
केरल	2100.00
मध्य प्रदेश	7000.00
महाराष्ट्र	10500.00
मणिपुर	430.00
मेघालय	440.00
नागालैण्ड	400.00
उड़ीसा	2700.00
पंजाब	3285.00
राजस्थान	3000.00
सिक्किम	230.00
तमिलनाडु	5750.00
त्रिपुरा	440.00
उत्तर प्रदेश	10447.00
पश्चिम बंगाल	4125.00
जोड़ राज्य	78097.00

1	2
संघ राज्य क्षेत्र	
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	285.00
अरुणाचल प्रदेश	400.00
चंडीगढ़	203.09
दादरा और नागर हवेली	46.29
दिल्ली	2000.00
गोआ, दमन और दीव	360.00
लक्ष्यद्वीप	43.90
मिजोरम	260.00
पांडिचेरी	170.00
जोड़ (संघ राज्य क्षेत्र)	3768.28
जोड़ (राज्य और सं० रा० क्षे०)	81865.28

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के आजाद हिन्द फौज के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

502. **श्री राज कुमार राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आजाद हिन्द फौज के उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता सैनानियों को अभी तक केन्द्रीय पेंशन मंजूर नहीं की गई है यद्यपि सहबन्दी प्रमाणपत्रों सहित 100 आवेदन-पत्र दिये गये हैं;

(ख) क्या ये आवेदन-पत्र 1970 से लंबित पड़े हैं;

(ग) केन्द्रीय पेंशन के लिये इन आवेदकों में विधवाओं की संख्या कितनी है; और

(घ) उनमें से कितने आवेदकों की आवेदन-पत्र देने के बाद से अब तक मृत्यु हो चुकी है और कितने मामलों में उनके आश्रितों को अभी तक पेंशन मंजूर नहीं की गई है ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) स्वतंत्रता सैनानी पेंशन योजना, 1972, जिसका नाम बदल कर अब स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 रखा गया के अन्तर्गत 31.3.1982 तक पेंशन मंजूर करने हेतु उत्तर प्रदेश से भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के कार्मिक (फौजी वर्ग तथा सिविलीयन वर्ग) से संबंधित स्वतंत्रता सैनानियों से कुल 5191 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। इनमें से 3368 मामलों में पेंशन मंजूर कर दी गयी है, 1619 मामले अस्वीकृत कर दिए गए तथा 204 मामले प्राथियों अथवा संबंधित सेना रिकार्ड कार्यालयों से अपेक्षित सूचना के आभाव के कारण लम्बित पड़े हैं। उन लम्बित मामलों का जिनमें प्राथियों ने सह-बन्दी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये हैं, कोई अलग रिकार्ड नहीं रखा गया है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्। योजना केवल अगस्त 1972 में शुरु की गई थी।

(ग) 204 लम्बित मामलों में से, 50 मामलों में आवेदन-पत्र प्रथमतः विधवाओं से प्राप्त हुए थे।

(घ) हमें केवल ऐसे एक मामले की जानकारी है जिसमें विधवा से आगे की कार्रवाई के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

तारापुर परमाणु बिजली केन्द्र का बन्द किया जाना

503. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तारापुर परमाणु बिजली केन्द्र को इस वर्ष कितनी बार बन्द करना पड़ा था और उसके क्या कारण हैं;

(ख) इस बिजली केन्द्र में पुनः ईंधन भरने में कितना समय लगता है और इस समयावधि को कम करने हेतु कदम न उठाये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस वर्ष भरा गया ईंधन स्वदेशी प्रौद्योगिकी पर आधारित था अथवा वह आयातित ईंधन था; और

(घ) इस केन्द्र के सामने मूल कठिनाइयां क्या हैं और उन्हें दूर करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) वर्ष 1985 में तारापुर परमाणु बिजलीघर के दोनों यूनिटों में से प्रत्येक को तीन बार मजबूरन और दो बार पूर्वनियोजित तरीके से बन्द किया गया। यूनिटों को मजबूरन बन्द करने की घटनाओं के मुख्य कारण उपस्करों संबंधी समस्याएं तथा ग्रिड में होने वाले उतार-चढ़ाव थे।

(ख) बिजलीघर के अधिकारी ईंधन बदलने में लगने वाले समय को घटाने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहे हैं। आरम्भ के वर्षों में ईंधन बदलने में लगभग 100 दिन लगते थे तथा इस अवधि को क्रमशः घटाकर अब 70 दिन से भी कम किया जा चुका है।

(ग) तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए आवश्यक ईंधन का निर्माण नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र में फ्रांस से गैसीय अवस्था में आयात किए गए समृद्ध यूरेनियम से किया जाता है।

(घ) वर्तमान में इस बिजलीघर को किन्हीं भी विशेष कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्रों में रेल सुविधाओं का विस्तार

504. **श्री बाजुबन रियांग** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग पिछड़े पूर्व और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में रेलवे का विस्तार और रेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अधिक धनराशि आवंटित करेगा; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) पिछड़े क्षेत्रों में, विकास के निमित्त क्षेत्रों को शामिल करने के लिए और उन तक आने जाने में सुधार के हेतु रेलवे का विस्तार और रेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए परिवहन के अन्य वैकल्पिक साधनों पर भी विचार किया जाता है जो विकासार्थ कम खर्चीले हो सकते हैं। उद्देश्य यह होता है कि क्षेत्र की समग्र परिवहन आवश्यकताएं न्यूनतम संशोधन कीमत पर पूरी हो सकें। रेलवे में पहले से चल रही अनेक स्कीमों और सातवीं योजना में, पहले से चल रही अनिवार्य स्कीमों को पूरा करने को प्राथमिकता दी जाएगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 7 रेलवे परियोजनाएं चल रही हैं और इन परियोजनाओं को पूरा करने के काम को प्राथमिकता दी जाएगी।

[हिन्दी]

राज्यों में हिंसक गतिविधियां रोकने के लिये राज्य सरकारों को मार्ग-दर्शी निदेश जारी किया जाना

505. **प्रो० चन्द्र भानु देवी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों में हिंसक गतिविधियां रोकने के लिये राज्य सरकारों को कोई मार्ग-दर्शी निदेश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में आगे क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ग) कानून और व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण शान्ति सुनिश्चित करना और इसके लिये सभी आवश्यक पूर्वोपाय करना राज्य सरकारों का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। फिर भी, केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्य सरकारों से सम्पर्क बनाए रखती है और समय-समय पर ऐसे दिशा निर्देश और सहायता देती है जो अपेक्षित हों और जिनकी मांग की जाए। साम्प्रदायिक हिंसा के सम्बंध में केन्द्रीय सरकार ने साम्प्रदायिक दंगों को रोकने और नियंत्रित करने तथा सामुदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिये राज्य सरकारों को विस्तृत दिशा निर्देश भेजे हैं। अन्य बातों में इन दिशा निर्देशों में ज्ञात सत्य निष्ठा के निष्पक्ष अधिकारियों की तैनातगी, आसूचना एकत्र करने की पद्धति को सुदृढ़ करने, भड़काने वाले लेख लिखने वालों के विरुद्ध कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करने आदि पर ध्यान दिया गया है।

[अनुवाद]

हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए धनराशि का आवंटन

506. **श्री के० डी० सुलतानपुरी** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में हिमाचल प्रदेश को कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) उसी अवधि के दौरान राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए विशेष रूप से कितनी धनराशि नियत की गई है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) सातवीं योजना में हिमाचल प्रदेश के लिए 1050 करोड़ रु० के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है, जिसके ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं जो सभापटल पर रखा गया हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 1511/85]

(ख) सातवीं योजना में हिमाचल प्रदेश के लिए अनुमोदित 1050 करोड रु० के कुल आवंटन में से, विशेष संघटक योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के विकास के लिए 147.19 करोड़ रु० और जनजातीय उप योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातीयों के लिए 109.13 करोड़ रु० का आवंटन किया गया है।

दुभाषी समिति की सिफारिशें

508. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या **योजना** मंत्री कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के मूल्यांकन के बारे में 24 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4717 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुभाषी समिति की सभी सिफारिशें अब स्वीकार कर ली गई हैं;

(ख) यदि हां, तो स्वीकृत सिफारिशों का मद-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, नहीं। सभी नहीं।

(ख) तथापि, पहले से स्वीकार की गई सिफारिशें विवरण में दी गई हैं जो सभा-पटल पर रखा गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल० टी० 1512/85]

(ग) सिफारिशों को अभी तक स्वीकार न किए जाने के कारण भी सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिए गए हैं।

छठी योजना में पश्चिम बंगाल के लिए मंजूर की गई धनराशि

509. **कुमारी ममता बनर्जी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना में पश्चिम बंगाल के लिए योजना में सम्मिलित परियोजनाओं के निमित्त कुल कितनी धनराशि मंजूर की थी;

(ख) क्या राज्य सरकार राज्य में इन परियोजनाओं पर पूरी राशि का उपयोग कर पाने में समर्थ रही; और

(ग) यदि नही, तो क्या सरकार ने धन का उपयोग न किये जाने के कोई कारण बताए हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल की छठी योजना के अन्तर्गत व्यय के परिव्यय के ब्यौरे, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) अनुवर्ती वार्षिक योजनाएं तैयार करते समय राज्य सरकारों के साथ संयुक्त स्वरूप से राज्य योजनाओं की जो समीक्षाएं की गई थीं, उनसे यह पता चला है कि व्यय में कमी मुख्य रूप से इस कारण से हुई है कि राज्य सरकार योजना में परिकल्पित सीमा तक अपने संसाधनों को नहीं जुटा पाई थी। यदि केन्द्र सरकार द्वारा, अपनी मूल वचनबद्धताओं के अलावा, 81.89 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता और 414.43 करोड़ रुपये के मध्यावधि ऋण नहीं दिए गए होते तो व्यय और भी कम होता।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85)पश्चिम बंगाल

विकास का शीर्ष	परिव्यय	व्यय	(करोड़ रु०) अधिक(+) कमी (—)
1	2	3	4
विद्युत	886.55	589.46	(—) 297.09
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण	603.70	317.40	(—) 286.30
सामाजिक तथा सामुदायिक सेवाएं	912.80	687.50	(—) 225.30
शिक्षा	275.00	177.43	(—) 97.57
राज्य पूंजी परियोजनाएं	247.00	171.66	(—) 75.34
जल आपूर्ति	103.00	61.12	(—) 41.88
शहरी विकास	70.00	59.66	(—) 10.34
आवास	59.00	49.13	(—) 9.87
पौषाहार	25.00	22.05	(—) 2.95
श्रम और श्रम कल्याण	5.00	3.03	(—) 1 97
विशेष रोजगार योजना	4.75	2.95	(—) 1.80
सामाजिक कल्याण अनुसूचित जातियों का कल्याण	9.25	7.73	(—) 1.52
अनु/जन जाति और अन्य पिछड़े वर्ग	26.80	37.11	(+) 10.31
स्वास्थ्य	84.00	88.43	(+) 4.43
सूचना तथा प्रसारण	4.00	6.49	(+) 2.49
अन्य जूं और सार्वजनिक लैटरीन	...	0.71	(+) 0.71

1	2	3	4
उद्योग तथा खनिज	273.34	134.91	(—) 138.43
कृषि तथा सहायक सेवाएं	226.80	147.02	(—) 79.78
परिवहन तकनीकी	285.07	205.81	(—) 79.26
ग्रामीण विकास	239.00	173.76	(—) 65.24
सहकारिता	46.00	20.47	(—) 25.53
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी	1.50	1.34	(—) 0.16
सामान्य सेवाएं	23.50	14.66	(—) 8.84
आर्थिक सेवाएं	1.74	1.41	(—) 0.33
कुल जोड़	3500.00	2293.74*	(—) 1206.26

*इसमें योजना आयोग में परिकल्पित 1984-85 के लिए 411 करोड़ रुपये शामिल हैं जबकि राज्य सरकार के पास व्यय भिन्न आंकड़े सम्भवत: अधिक हो सकते हैं।

इलेक्ट्रानिक डिजीटल पी०ए०बी०एक्स० का विकास

510. **श्री आर० एम० भोये** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र के भारतीय इंजीनियरों द्वारा अति आधुनिक बहुद्देशीय 128 पोर्ट डिजीटल इलेक्ट्रानिक पी०ए०बी०एक्स०का विकास किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र (सी-डॉट) के भारतीय इंजीनियरों ने 128 पोर्ट अंकीय इलेक्ट्रानिक पी०ए०बी०एक्स०का विकास किया है।

(ख) सी-डॉट (टेलीमैटिक्स विकास केन्द्र) ने इलेक्ट्रॉनिक स्विचन प्रणालियों के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास करने की अपनी मुख्य परियोजना के एक उप उत्पाद के रूप में 128 पोर्ट अंकीय इलेक्ट्रानिक पी०ए०बी०एक्स० का विकास किया है। ई०पी०ए०बी०एक्स० बड़े वाणिज्यिक, व्यावसायिक अथवा सरकारी संगठनों के लिए आम तौर पर आवश्यक आधुनिक दूर संचार संबंधी सुविधायें प्रदान करती है तथा इसका डिजाइन भी इस प्रकार तैयार किया गया है कि भारतीय पर्यावरणीय परिस्थितियों के अन्तर्गत इसका विश्वसनीय रूप से संचालन हो सके। ई०पी०ए०बी०एक्स० का व्यवहार्यता मॉडल तैयार कर लिया गया है तथा क्षेत्रीय परीक्षण के लिए प्रायोगिक उत्पादन का कार्य प्रगति पर है।

संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति के साथ हुई बैठक के निष्कर्ष

511. **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जून में हुई पहली बैठक में विभिन्न मामलों के समाधान के संबंध में प्रगति की पुनरीक्षा करने के लिए प्रधानमंत्री की अक्तूबर में न्यूयार्क यात्रा के दौरान संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति के साथ कोई बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न मामलों के संबंध में पुनरीक्षा के क्या निष्कर्ष निकले ?

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र की 40वीं वर्षगांठ के सिलसिले में अपनी न्यूयार्क यात्रा में प्रधान मंत्री ने 23 अक्तूबर, 1985 को अमरीका के राष्ट्रपति रीगन से मुलाकात की थी। इस बातचीत में जिन विषयों पर विचार किया गया वे थे—भारत-अमरीका द्विपक्षीय संबंध, दक्षिण एशिया की स्थिति और दक्षिण अफ्रीका जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मसले तथा राष्ट्रपति रीगन और महासचिव गार्वच्योव के बीच आगामी शिखर बैठक।

(ख) यह महसूस किया गया कि दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय संबंध ठीक चल रहे हैं। पाकिस्तान के नाभिकीय शस्त्र कार्यक्रम तथा दक्षिण अफ्रीका और बाह्य अन्तरिक्ष के सैन्यीकरण की संभावना जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भारत और अमरीका के बीच मतभेद चले आ रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों की समस्यायें

512. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विभाजन के 38 वर्ष पश्चात् भी पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों की समस्या एक जटिल समस्या बनी हुई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिनांक 28 सितम्बर, 1985 के ब्लिटज में प्रकाशित समाचार के अनुसार अभी भी बांगलादेश से शरणार्थी नावों द्वारा इच्छमदी नदी पार करके भारत में आ रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने स्थिति का जायजा लिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने दिसम्बर, 1978 में गठित पश्चिम बंगाल शरणार्थी पुनर्वास समिति को सिफारिशों के अनुसार शरणार्थियों के पुनर्वास हेतु आवश्यक राशि स्वीकार की है; और

(ङ) इसके लिए अब तक कितनी राशि स्वीकार की गई है ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

पश्चिम बंगाल में पुनर्वास की अवशिष्ट समस्या के स्वरूप और आकार का समय-समय पर राज्य सरकार के परामर्श से मूल्यांकन किया गया था, अन्तिम बार ऐसा मूल्यांकन 1975 में भारत सरकार द्वारा स्थापित एक कार्य दल ने किया था। कार्य दल की सिफारिशें जैसे सरकार द्वारा स्वीकार की गई थीं के आधार पर विभिन्न योजनाएं स्वीकृत की गई थीं जो अब पूरी होने वाली हैं।

(ख) और (ग) 25 मार्च, 1971 तक भारत में आये भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदायों के व्यक्तियों को विस्थापित व्यक्ति समझा गया था। 25-3-1971 के बाद भारत में आने वाले व्यक्ति बांग्लादेश राष्ट्रिक हैं और विदेशी नागरिक अधिनियम द्वारा शासित होते हैं।

(घ) तथा (ङ) "चालू" योजनाओं जैसे अनुमोदित आबादकार कालोनियों में भूमि का अधिग्रहण, शिविरों से हटाये गये परिवारों का पुनर्वास और प्रवासी परिवारों को बसाना आदि के लिये राज्य सरकार को गत पांच वर्षों के दौरान अर्थात् 1980-81 से 1984-85 तक योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये 273.70 लाख रु० की धनराशि दी गई थी।

इसके अतिरिक्त 379.53 लाख रु० की धनराशि भी जो पश्चिमी बंगाल के महा-लेखाकार द्वारा प्रमाणित की गई थी राज्य सरकार को 1969-70 से 30 नवम्बर, 1978 तक की अवधि में स्थाई दायित्व सदन के निवासियों के पुनर्वास पर किये गये व्यय के लिये दी गई थी।

विस्थापित व्यक्तियों की कालोनियों के विकास के लिये शहरी विकास मंत्रालय द्वारा भी धनराशियां दी जा रही हैं और वे 1984-85 की समाप्ति तक 7.90 करोड़ रु० दे चुके हैं।

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को दी गई एक महत्वपूर्ण रियायत यह है कि विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये राज्य सरकार को 31-3-1984 तक पुनः दिये जाने वाले ऋणों को पूरा माफ करना।

विस्थापित व्यक्तियों को अब राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में शामिल हुआ माना जाना चाहिये और उनके उत्थान के लिये कोई और सहायता राज्य सरकार की सामान्य क्षेत्र विकास योजनाओं से दी जानी चाहिये।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में परिस्थितिकी प्रणाली का संरक्षण

513. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके विभाग द्वारा प्रयोजित अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के एक अध्ययन में जिस पर नई दिल्ली में पिछले दिनों भारतीय राष्ट्रीय कला और संस्कृति विरासत न्यास के तत्वाधान में विचार विमर्श किया गया था, परिस्थितिकी संबंधी असन्तुलन की खतरनाक स्थिति का पता चलता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने द्वीप समूह की परिस्थितिकी प्रणाली तथा वहां की तेजी से समाप्त होती जा रही जातियों के संरक्षण के लिये कोई दीर्घकालिक योजना तैयार की है;

(ग) उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां। यह अध्ययन अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह की पारिस्थितिकी पर उत्पन्न खतरों को दर्शाता है।

(ख) से (घ) इस द्वीप समूह के पर्यावरणीय संरक्षण और समन्वित विकास के लिए नीति तैयार करने हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह की आदिवासी आबादी के लिये एक आदिवासी उप-योजना तैयार की गई है जो उनकी विकासात्मक तथा कल्याणकारी आवश्यकताओं को ध्यान रखेगी। उपराज्यपाल की अध्यक्षता में गठित एक सलाहकार समिति विशेष रूप से पुरातन आदिवासियों के विकास को देखती है। द्वीप समूह की आदिवासी जनसंख्या जो कि 1971 में 18, 102 थी, बढ़कर 1981 में 22,261 हो गई।

हिमाचल प्रदेश में एक आयुध कारखाने की स्थापना

514. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में आयुध कारखाने की स्थापना करने के लिये राज्य सरकार तथा जनता के प्रतिनिधियों की मांग पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का निर्णय क्या है और कारखाना कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है और देरी के क्या कारण हैं ?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश में एक आयुध निर्माणी स्थापित करने के लिये राज्य सरकार तथा कुछ संसद सदस्यों और विधायकों से कुछ समय पूर्व आवेदन प्राप्त हुए थे। उन्हें सूचित कर दिया गया है कि इस समय हिमाचल प्रदेश में आयुध निर्माणी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और उनका यह अनुरोध नोट कर लिया गया है तथा उस पर उस समय उचित विचार किया जायगा जब कभी ऐसा अवसर आएगा।

आयुध निर्माणियों के स्थान का निर्धारण सामरिक एवं तकनीकी तथा आर्थिक बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश में एक आयुध निर्माणी का निर्माण कब तक होगा यह बताना संभव नही है।

भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन दरों में असमानता को समाप्त करना

515. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों द्वारा 1 जनवरी, 1972 से पूर्व सेवा निवृत्त हुए सैनिकों की पेंशन दरों में बाद में सेवा निवृत्त हुए अन्य सैनिकों की पेंशन दरों की तुलना में असमानता को दूर करने के बारे में भूतपूर्व सैनिकों द्वारा की गई जोरदार मांग पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस मांग पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है और निर्णय किस प्रकार का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है और देरी के क्या कारण हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ग) सरकार को भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में "असमानता" समाप्त करने के बारे में उनकी मांग की जानकारी है। भूतपूर्व सैनिकों की अलग-अलग श्रेणियों के लिए पेंशन फार्मूले को लागू करने के बारे में कोई असमानता नहीं है ? चूंकि पेंशन का निर्धारण अन्य बातों के साथ-साथ पेंशन की परिलब्धियों के आधार पर किया जाता है, जो कि समय-समय पर बदलती रहती है, इसीलिए अलग-अलग समयों पर सेवा-निवृत्त होने वाले पेंशनरों द्वारा वास्तव में की जाने वाली पेंशन की राशि में अन्तर आ जाता है।

पुराने पेंशनरों की वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार ने समय-समय पर कई उपाय किये हैं, जिनमें 1973 से पहले सेवा-निवृत्त हुये पेंशनरों को, उनकी सेवा-निवृत्ति की तारीख के अनुसार, पेंशन में अस्थाई वृद्धि, तदर्थ वृद्धि तथा तदर्थ राहत शामिल है और 1.4.1983 से सेवा-निवृत्ति की न्यूनतम पेंशन (राहत सहित) 160/- रुपए प्रति माह कर दी है। सरकार ने अभी हाल में सशस्त्र सेनाओं के 1973 से पहले सेवा निवृत्त हुए पेंशनरों की कुछ श्रेणियों को 1 सितम्बर 1984 से 10/- रु० से लेकर 75/- रु० तक प्रति माह तदर्थ अनुग्रहपूर्वक राहत भी मंजूर कर दी है। इस समय चतुर्थ वेतन आयोग भूतपूर्व तथा भावी पेंशनरों के पेंशन ढांचे की जांच कर रहा है।

कुवैत दूतावास के प्रथम सचिव के हत्यारों का पाकिस्तान पहुंचना

516. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित कुवैत दूतावास के प्रथम सचिव के दो कथित हत्यारे पाकिस्तान चले गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) और (ख) अब तक की छानबीन से यह संकेत मिलता है कि कुवैती राजदूतावास के प्रथम सचिव के तथाकथित दोनों हत्यारे जून, 1982 में पाकिस्तान चले गए। आगे छानबीन चल रही है।

पुलिस अधिनियम 1861 में संशोधन का प्रस्ताव

517. **श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय पुलिस आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार पुलिस अधिनियम 1861 में संशोधन करने का है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : देश में पुलिस प्रशासन में सुधार करने के लिये सिफारिशें करने हेतु स्थापित किए गए राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने पुलिस बलों की ड्यूटियों, शक्तियों आदि का पुनर्अनुकूलन करने के उपबंधों को निगमित करके पुलिस विधेयक

का मसौदा तैयार किया है। मसौदा पुलिस विधेयक के ब्यौरे आयोग के आठवें प्रतिवेदन में दिए गए हैं। आयोग के प्रतिवेदनों की प्रतियां 30-3-83 को सभा पटल पर रखी जा चुकी है। प्रतिवेदनों की प्रतियां उपयुक्त कार्रवाई करने के लिये राज्य सरकार को भेज दी गई हैं। राज्य सरकारों से मसौदा पुलिस विधेयक पर अपने विचार भेजने का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

दानापुर छावनी क्षेत्र में गंदगी की स्थिति

518. **श्री विजय कुमार यादव**
श्री अब्दुल हन्नान अंसारी } : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्हें दानापुर छावनी क्षेत्र में चल रही गंदगी की स्थिति के बारे में तथा सड़कों की दयनीय स्थिति के बारे में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन शिकायतों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ग) इस संबंध में जनता और माननीय संसद सदस्यों से समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। 1975-76 में बाढ़ के कारण दानापुर छावनी में सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थीं। 1980 में इन सड़कों की मरम्मत के लिए विशेष सहायतानुदान के रूप में 7·13 लाख रुपये मंजूर किए गए। पिछले तीन वर्षों में इसके लिए निम्नलिखित सामान्य सहायतानुसार मंजूर किया गया :—

1982-83	8,95,000 रु०
1983-84	9,56,000 रु०
1984-85	16,97,000 रु०

इसके अलावा 1982-83 में सफाई कार्यों के लिए 3.74 लाख रुपये का विशेष सहायतानुदान दिया गया। इस समय सहायतानुदान/विशेष सहातानुदान के लिए धन देने के बारे में छावनी बोर्ड से प्राप्त कोई भी प्रस्ताव मध्य कमान या सरकार के पास शेष नहीं है।

[अनुवाद]

इलेक्ट्रानिक सैक्टर में वृद्धि दर

519. **श्री आर० पी० दास** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपभोक्ता इलेक्ट्रानिक सैक्टर द्वारा उच्चतम वृद्धि दर प्राप्त की गई है जबकि वर्ष 1984-85 के दौरान वायु अंतरिक्ष तथा रक्षा के मामले में न्यूनतम दर रजिस्टर्ड की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) रक्षा तथा वायु आकाश के क्षेत्र में विकास रक्षा तथा अन्य मंत्रालय द्वारा दिए गए आर्डरों पर निर्भर करता है। वर्ष 1984 के दौरान इस क्षेत्र में विकास दर 18·3% थी। उपभोक्ता इलेक्ट्रानिकी के क्षेत्र में उच्चतर विकास दर दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के व्यापक नेटवर्क, औद्योगिक तथा वित्तीय नीतियों के संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों, इन नीतियों को तर्क संगत बनाने तथा उद्योगों के साथ निरन्तर पारस्परिक सहयोग बनाए रखने के कारण प्राप्त हुई है।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी की रेखा से ऊपर उठाये गये लोग

520. **श्री हन्नाम मोल्लाह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में कितने लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया है;

(ख) यह आधार आंकड़े किन स्रोतों से एकत्रित, संसाधित और संकलित की गई हैं; और

(ग) क्या उन्हें विदित है कि देश के प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने सरकार द्वारा परिचालित आंकड़ों को चुनौती दी है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन० एस० एस० ओ०), ने 1972-73 (27वां दौर), 1977-78 (32वां दौर) और 1983 (38वां दौर) में, पंचवर्षीय पारिवारिक उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण किया है। इन सर्वेक्षणों पर आधारित रिपोर्टों में, व्यय की श्रेणी के अनुसार, विभिन्न वस्तुओं की खपत और व्यय की श्रेणी के अनुसार, परिवारों की संख्या, उनकी संरचना सहित, दी होती है। रिपोर्टों में दिए गए परिणामों का योजना आयोग द्वारा गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों और उनके प्रतिशत का अनुमान लगाने में उपयोग किया जाता रहा है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 1977-78 के सर्वेक्षण (संशोधित) के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 1979-80 (छठी योजना का आधार वर्ष) में 347·8 मिलियन का अनुमान लगाया गया। वर्ष 1983 के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के सर्वेक्षण (नवीनतम उपलब्ध) के आधार पर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 1984-85 (अनंतिम) में 272·7 मिलियन का अनुमान लगाया गया। इसके अनुसार, छठी योजना के दौरान गरीबी की रेखा से ऊपर उठाए गए व्यक्तियों की संख्या लगभग 75 मिलियन थी।

(ग) वर्ष 1984-85 के लिए गरीबी के अनुमान 1983 के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के पारिवारिक उपभोक्ता व्यय, जो अभी हाल में जारी किए गए हैं, पर आधारित हैं। सरकार को ऐसे किसी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री की जानकारी नहीं है जिन्होंने इन अनुमानों को चुनौती दी है।

[हिन्दी]

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार को केन्द्रीय सहायता

521. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने बिहार के पहाड़ी क्षेत्रों में विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए शत प्रतिशत अनुदान के आधार पर केन्द्रीय सहायता देने के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना में प्रावधान किया है; और

(ख) क्या इन क्षेत्रों में संचार, परिवहन, बैंकिंग आदि जैसी सुविधाओं का विस्तार करने के लिए वर्तमान निर्धारित मानदंडों में छूट देने की उक्त योजना में कोई व्यवस्था है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं। कुछ राज्यों द्वारा स्कीम को अन्य क्षेत्रों में लागू करने से संबंधित अनुरोध निष्पादित किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

कृषि भूमि को सामाजिक वनों में बदलना

522. **श्री ई० अय्यप्पू रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह पता लगाने के लिए कोई अध्ययन आरम्भ किया गया है कि कितनी कृषि भूमि को उपयोगी रूप में सामाजिक वनों में बदला जा सकता है;

(ख) क्या अनुत्पादक बेकार पड़ी भूमि को सामाजिक वनों में बदलने को प्रोत्साहन देने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या कुबोबुल को औद्योगिक प्रयोग और चारे के लिए उपयोगी पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सामाजिक वनों में उक्त पेड़ लगाने को प्रोत्साहन देने की कोई योजना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) कितनी कृषि भूमि उपयोगी रूप से सामाजिक वानिकी में परिवर्तित की जा सकती है यह सुनिश्चित करने के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ख) पौधों के मुफ्त वितरण, तकनीकी मार्गदर्शन इत्यादि के रूप में प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं ताकि प्रत्येक किसान उपांतीय खेती योग्य भूमि/परती भूमि को पहचान कर उसमें वन रोपण कर सकें।

(ग) जी, हां।

(घ) अन्य पौधों के अतिरिक्त सुबोबल (कूबोबुल) एक ऐसा पौधा है जिसे उचित स्थानों में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

रेडियो धर्मिता के खतरे का सामना करने के लिये योजना

523. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना के अनुसार 2000 ई० तक 44 परमाणु विद्युत संयंत्रों की स्थापना की जानी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि रेडियो धर्मिता के खतरों का सामना करने और वर्तमान परमाणु विद्युत यूनिटों के बहुत खतरनाक परमाणु अपशेषों की निकासी की ओर कम ध्यान दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) परमाणु बिजली सम्बन्धी 15 वर्षीय वर्तमान कार्यक्रम के अनुसार यह आशा की जाती है कि सन् 2000 तक परमाणु विद्युत संयंत्रों की संख्या 32 हो जाएगी। सरकार ने अपने सभी न्यूक्लियर संस्थापनों में हमेशा ही पर्यावरण का बचाव करने और कार्मिकों तथा जनता को सुरक्षित रखने पर प्रमुख रूप से ध्यान दिया है। न्यूक्लियर ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रम के आरंभ के समय से ही परमाण्विक अपशिष्ट पदार्थों के नियंत्रण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। यह सुनिश्चित रखने के लिए कि सामान्य/पूर्वापेक्षित अपसामान्य परिस्थितियों में संयंत्र से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों, जिनमें उन्मुक्त होने वाले विकिरण सक्रिय गैसीय तथा तरल पदार्थ भी शामिल हैं, की मात्रा पूरी तरह से निर्धारित सीमा में ही रहे, परमाणु विद्युत संयंत्रों के डिजायनों में ऐसी बहुल सुरक्षा प्रणालियां शामिल की जाती हैं जो इस सिद्धांत पर काम करती हैं कि यदि कोई प्रणाली ठीक तरह से काम करना बंद कर दे तो सुरक्षा पर उसका प्रभाव न पड़े। अल्प तथा माध्यमिक स्तरों की विकिरणसक्रियता से युक्त पदार्थों का हस्तन सरलतापूर्वक किया जा सकता है तथा उनके निपटान के लिए विकसित प्रौद्योगिकी विश्व भर में तथा हमारी सभी न्यूक्लियर सुविधाओं में काम में लाई जा रही है। उच्च विकिरणसक्रियता वाले अपशिष्ट पदार्थों के काचन की टैक्नोलाजी हमारे देश में भी विकसित और प्रमाणित की जा चुकी है। काचित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान अंतिम रूप से करने की विधियों का अध्ययन किया जा रहा है।

यमुना में प्रदूषण

524. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली में तथा इसके निकट यमुना नदी में प्रदूषण के नियंत्रण के लिये एक दीर्घावधि योजना तैयार तथा प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं और योजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(ग) उसे कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री त्रियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा दिल्ली में तथा इसके आसपास यमुना नदी में प्रदूषण रोकने के लिए एक दीर्घकालीन योजना तैयार की गई है। योजना अभी केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ख) योजना लगभग 199 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय से निम्न अंशों को शामिल करती है :—

(1) बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई

(2) जल आपूर्ति एवं मलजल अपव्यय तथा

(3) औद्योगिक क्षेत्रों में उपचार संयंत्रों की स्थापना ।

(ग) अभी योजना का कार्यान्वयन आरम्भ नहीं हुआ है। बहरहाल, जमुना नदी में प्रदूषण रोकने के लिए अभी चालू कार्यक्रम के एक भाग के रूप में मलजल व्यवस्था तथा इसका उपचार एवं अपव्ययन से संबन्धित अनेक परियोजनायें आरम्भ की गई हैं ।

स्वतंत्रता सैनानियों को पेंशन मंजूर करने के लिये गिरफ्तारी से बचने की अवधि को हिसाब में लेने के लिए अभ्यावेदन

525. **श्री आनन्द सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उस अवधि को भी जिसमें स्वतंत्रता सेनानी विस्फोटक अधिनियम की अवज्ञा करने के कारण डी० आई० आर० के अन्तर्गत गिरफ्तारी वारंट जारी होने के पश्चात, वास्तविक गिरफ्तारी और नजरबंदी से पहले गिरफ्तारी से बचा रहा, स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन मंजूर करने के प्रयोजन के लिए नजरबंदी की अवधि मानने के लिए हिसाब में लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई ऐसे अनुरोध/अभ्यावेदन काफी समय से विचारार्थ या निर्णय के लिए लंबित पड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो कितने; और

(घ) दिल्ली के कितने ऐसे व्यक्तियों को स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन मंजूर करने के बारे में निर्णय लिया गया है ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) जैसे कि खण्ड (क) में उल्लेखित यातना को पहले ही सम्मान पेंशन के उद्देश्य के लिए ध्यान में रखा जाता है अतः इस संबंध में अभ्यावेदनों के सरकार के पास दर्ज होने और विचार के लिए लम्बित होने का प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) दिल्ली से संबंधित उन स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जिन्हें ऐसी यातना के कारण पेंशन मंजूर की गयी है, अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा गया है ।

रेडियो उपस्कर का आयात

526. **श्री श्रीहरि राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेन्द्रम और कोचीन के बीच दूरदर्शन चैनल के लिये अपेक्षित अतिरिक्त रेडियो उपस्कर के आयात का प्रस्ताव इलेक्ट्रानिकी विभाग के पास लंबित पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी स्वीकृति के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) इलेक्ट्रानिकी विभाग ने दूरसंचार विभाग से त्रिवेन्द्रम कोचिन मंगलूर मार्ग पर एक दूरदर्शन वाहक चैनल लगाते के लिए आवश्यक उपस्करों के ब्यौरे देने का अनुरोध किया था। ये ब्यौरे अभी तक नहीं प्राप्त हुए हैं, अतः प्रस्ताव इलेक्ट्रानिकी विभाग के पास विचाराधीन नहीं है।

दिल्ली में अपराध घटनायें

527. **श्री जगन्नाथ पटनायक**
श्री लक्ष्मण मलिक
श्री अनन्त प्रसाद सेठी
श्री आर०एम० भोये
श्री कमलनाथ
डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन महीनों के दौरान दिल्ली में अपराधों में अचानक वृद्धि हो गई है तथा अधिकांश मामले अभी तक हल नहीं हो पाये हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन महीनों में राजधानी में बैंकों में हुई डकैती, डाके, लूटपाट तथा छुरेबाजी और जंजीर खींचने के मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजधानी में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) मई से जुलाई 1985 तक की अवधि के दौरान अपराध की घटनाओं की तुलना में अगस्त से अक्तूबर, 1985 तक की अवधि में अपराध आंकड़ों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। बताए गए शीर्षों के अन्तर्गत सूचित किए गए और बगैर हल हुए मामलों के संबंध में एक विवरण संलग्न है।

(ग) कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :—

1. पैदल तथा चलती-फिरती गहन गश्त।
2. वाकी-टाकी सैटों और वायर लैस युक्त मोटर साइकिलों के साथ सशस्त्र गश्त।
3. होटलों, गैस्ट हाऊसों की गहन जांच-पड़ताल, सामरिक महत्व के स्थानों और अपराधियों के छिपने के स्थानों पर टुकड़ियां तैनात करना और निरन्तर निगरानी रखना।
4. जन समूह के स्थानों और सड़कों पर वाहनों तथा सामान आदि की जांच पड़ताल।
5. जिला तथा अपराध शाखा द्वारा चलाए गए डकैती विरोधी अभियान।
6. पुलिस सतर्कता में वृद्धि तथा अपराधियों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई।
7. निष्कासन कार्रवाईयों को तेज करना और अपराध रोकने के लिए अन्तर जिला/अन्तर्राजीय बैठकें।

8. अपराधियों का पता लगाने और पकड़ने में पुलिस की सहायता के लिए विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति।

9. बैंक लूटने की घटनाओं, डकैती को रोकने के लिए और अपराधियों का शीघ्रता से पीछा करने तथा उन्हें पकड़ने को सुनिश्चित करने के लिए 140 वाहनों अतिरिक्त व्यक्तियों और उपकरणों के साथ दिल्ली में क्षेत्र सुरक्षा योजनाएं लागू की गई हैं।

विवरण

अपराध शीर्ष	मई से जुलाई 1985 तक		अगस्त से अक्तूबर 85 तक	
	सूचित किए गए मामले	बगैर हल हुए मामले	सूचित किए गए मामले	बगैर हल हुए मामले
1. लूटपाट	64	33	56	28
2. लूटपाट/बैंक लूटना	2	1	2	2
3. छुरेबाजी	55	14	52	16
4. जंजीर खींचना	40	25	31	16

राजधानी में ध्वनि प्रदूषण

528. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में ध्वनि प्रदूषण का अध्ययन करने और इस खतरे पर नियंत्रण करने के उपायों के सुझाव देने के लिये पर्यावरण विदों तथा चिकित्सकों की एक समिति नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने मुख्य कार्यकारी पार्षद की अध्यक्षता में एक पर्यावरणीय परामर्शदात्री समिति का गठन किया है। समिति पर्यावरणीय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगी जिनमें ध्वनि प्रदूषण भी शामिल है।

जनसाधारण में से विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति

529. **श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में अपराधों में हो रही वृद्धि को रोकने के प्रयास में दिल्ली पुलिस ने जनसाधारण में से लोगों को विशेष पुलिस अधिकारियों जिन्हें सीमित अधिकार प्रदान किये जायेंगे, के रूप में नियुक्त करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की योजना का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

इस प्रकार से नियुक्त विशेष पुलिस अधिकारियों को सौंपा गया कार्य और शक्तियां नीचे दी गयी हैं :—

1. क्षेत्र के विशेष पुलिस अधिकारी, संबंधित पुलिस उपायुक्त के साथ सम्पर्क बनाए रखेंगे और उससे सावधिक रूप से मिलते रहेंगे ।

2. इस प्रकार से नियुक्त विशेष पुलिस अधिकारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अन्तर्गत आपराधिक गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्तियां दी गयी हैं । विशेष पुलिस अधिकारी द्वारा की गयी कार्रवाई के बारे में संबंधित पुलिस उपायुक्त को सूचित किया जाएगा ताकि आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा सके ।

3. विशेष पुलिस अधिकारी बस्ती के सम्मानीय व्यक्तियों के साथ जान पहचान रखेगा और उसको, क्षेत्र के अपराधियों के विषय में, उनके फोटो और उनके संक्षिप्त जीवन वृत के द्वारा उनके बारे में प्राथमिक ज्ञान होना चाहिए ताकि यदि वे बस्ती में किसी आपराधिक गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त होते हैं तो वह तत्काल कार्रवाई कर सकें ।

4. यदि विशेष पुलिस अधिकारी को असमाजिक तत्वों, बेबकतरों, अवैध रूप से शराब बनाने वालों, जुए के अड्डों और क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्तियों की असमय गतिविधियां ध्यान में आती है तो विशेष पुलिस अधिकारी संबंधित पुलिस उप आयुक्त को सूचित करने के लिए बाध्य हैं ।

5. विशेष पुलिस अधिकारियों को उस क्षेत्र में पिछले एक वर्ष के दौरान हुए लूटपाट, डकैती, जंजीर छीनना, साम्प्रदायिक दंगे आदि जैसे गम्भीर अपराधों के बारे में बताया जाता है ।

6. विशेष पुलिस अधिकारी को क्षेत्र का निवासी होने के कारण अवैध अग्नेयशस्त्र, देसी बम, विस्फोटक और अन्य घातक हथियार रखने वाले व्यक्तियों के बारे में पुलिस उपायुक्त को सूचित करना चाहिए ताकि तत्काल घर की तलाशी ली जा सके और वस्तुओं को जब्त किया जा सके ।

7. विशेष पुलिस अधिकारी असमाजिक तत्वों की गतिविधियों आतंकवादी गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए और यदि उसे यह जानकारी प्राप्त होती है कि इस प्रकार के व्यक्ति किसी विशेष स्थान पर एकत्रित हैं तो उसे तत्काल कार्रवाई के लिए तुरंत संबंधित पुलिस उपायुक्त को सूचित करना चाहिए ।

8. विशेष पुलिस अधिकारी को, गेस्ट हाऊसों, बोर्डिंग हाऊसों या अन्य मकानों/बंगलों, जिनका प्रयोग बिना वैध लाईसैंसों के इस प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो, पर भी निगरानी रखनी चाहिए और संदेह होने पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए संबंधित पुलिस उपायुक्त को सूचित करना चाहिए ।

रक्षा कर्मचारियों के उपयोग के लिए ऊनी कम्बलों की खरीद

530. **डा० गोरी शंकर राजहंस :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिनसे उनके मंत्रालय ने सेना और अन्य रक्षा कर्मियों के उपयोग के लिए गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न श्रेणी के ऊनी कम्बल खरीदे हैं;

(ख) क्या इनमें से किसी फर्म द्वारा सप्लाई किए गए कम्बल घटिया किस्म के और निम्न स्तर के पाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसी फर्मों का ब्यौरा क्या है और ऐसे कम्बलों की संख्या क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसी फर्मों से पुनः लेन-देन समाप्त करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) पिछले दो वर्षों के दौरान जिन फार्मों से कम्बलों की खरीद की गई है उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण

1. मैसर्स दि हरियाणा वूलन मिल्स प्रा० लि० पानीपत।
2. मैसर्स अम्बा बूलन मिल्स, पानीपत।
3. मैसर्स शिवा वूलन एण्ड टैक्सटाइल इन्डस्ट्रीज, पानीपत।
4. मैसर्स दि गोला इंजीनियरिंग एण्ड बूलन वर्क्स, पानीपत।
5. मैसर्स ई. सैफटन एण्ड कम्पनी, मिर्जापुर।
6. मैसर्स कैपीटल बूलन एण्ड जनरल मिल्स, पानीपत।
7. मैसर्स प्रकाश बूलन इन्डस्ट्रीज, पानीपत।
8. मैसर्स महाबीर बूलन मिल्स, पानीपत।
9. मैसर्स काहन उद्योग, पानीपत।
10. मैसर्स नेशनल टैक्सटाइल्स कारपोरेशन, नई दिल्ली।
11. मैसर्स आन्ध्र प्रदेश स्टेट वूल इंडस्ट्रीज कोपरेटिव सोसाइटी लि०, हैदराबाद।
12. मैसर्स जम्मू एण्ड कश्मीर स्माल स्केल इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कोरपोरेशन लि०, जम्मू।
13. मैसर्स के०वी०आई०सी०, बम्बई।
14. मैसर्स दि ब्रिटिश इंडिया कोरपोरेशन, कानपुर।
15. मैसर्स के० के० के० मिल्स, लुधियाना।
16. मैसर्स एवरेस्ट बूलन मिल्स, लुधियाना।
17. मैसर्स मित्तल बूलन मिल्स, पानीपत
18. मैसर्स स्वास्तिक बूलन मिल्स, पानीपत।
19. मैसर्स कुणाल बूलन मिल्स, पानीपत।
20. मैसर्स आर० के० बूलन मिल्स, पानीपत।
21. मैसर्स अग्रवाल बूल स्पंग एण्ड वंग मिल्स, पानीपत।
22. मैसर्स सहानी बूलन मिल्स, पानीपत।

23. मैसर्स अशोक हेण्डलूम डब्ल्यू/एस कोपरेटिव इन्डट्रीयल सोसाइटी लि० लुधियाना ।
24. मैसर्स जैनसन हौजरी (रजि०), लुधियाना ।
25. मैसर्स वूल इंडिया, लुधियाना ।
26. मैसर्स एपैक्स सेल्स एजेंसी, नई दिल्ली ।
27. मैसर्स श्री गिरनार बूलन मिल्स, पानीपत ।
28. मैसर्स नटराज बूलन मिल्स, प्रा० लि०, नई दिल्ली ।
29. मैसर्स राष्ट्रीय बूलन मिल्स, पानीपत ।
30. मैसर्स यूनीवर्सल बूलन मिल्स, पानीपत ।
31. मैसर्स सिद्धार्थ बूलन मिल्स, पानीपत ।
32. मैसर्स अम्बा फिशर्स, पानीपत ।
33. मैसर्स जे० एण्ड के० हैण्डलूम डेवलपमेंट कोरपोरेशन लि०, नई दिल्ली ।
34. मैसर्स पारामाउण्ट पायनियर, गोहाटी ।
35. मैसर्स एस० एस० दिवाड़ी एण्ड सन्य, कानपुर ।
36. मैसर्स कैम्ब्रेज बूलन मिल्स, लुधियाना ।
37. मैसर्स सूरज बूलन मिल्स, पानीपत ।
38. मैसर्स इंडियन बूलन मिल्स, पानीपत ।

चीन के साथ सीमा विवाद

531. **श्री प्रकाश वी० पाटिल**
श्री वृद्धि चन्द्र जैन
श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंह राज वाडियर } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और चीन सीमा विवाद के हल के लिये राजी हो गये हैं, जैसाकि, 24 अक्तूबर, 1985 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो लक्ष्य प्राप्ति के लिये दोनों ओर से किन मुद्दों पर सहमति हुई है; और

(ग) क्या दोनों देशों के बीच संबंध और उदार हुए हैं ?

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) और (ख) चीन की सरकार ने कहा है कि वे भारत के साथ मैत्री तथा सहयोग को बहुत महत्व देते हैं । भारत सरकार ने भी यह आशा व्यक्त की है कि भारत और चीन के बीच की सभी समस्याओं को शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के पांच सिद्धान्तों के अनुरूप हल किया जाना चाहिए । सन्, 1981 से चीन के साथ अधिकारी स्तर की बातचीत के छह दौर हो चुके हैं । इस बातचीत में द्विपक्षीय सम्बन्धों के सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया है तथा सीमा के महत्वपूर्ण प्रश्न पर विशेष ध्यान दिया गया । हाल ही में न्यूयार्क में हमारे प्रधानमंत्री की चीन के प्रधानमंत्री श्री जाओ जियांग के साथ मैत्रीपूर्ण मुलाकात भी हुई थी ।

(ग) संस्कृति, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सम्बन्ध हालांकि कुछ सुधरे हैं, फिर भी भारत सरकार की बराबर यही नीति रही है कि भारत-चीन के सम्बन्ध वस्तुतः तभी सामान्य हो सकते हैं जबकि सीमा का सवाल पूरी तरह हल हो जाए ।

[हिन्दी]

थिम्पू वार्ता में मतैक्य

532. **श्री प्रकाश बी० पाटिल**
श्री बी० आर० कुमार मंगलम्
श्री काली प्रसाद पांडे
श्री बाला साहेब विखे पाटिल
श्री चिन्तामणि जेना
श्री सनत कुमार मंडल : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका में तमिल निवासियों की समस्या के समाधान के लिए थिम्पू वार्ता में कोई मतैक्य हुआ है;

(ख) क्या श्रीलंका में तमिलों की जान और माल पर वेरोकटोक हमले हो रहे हैं;

(ग) क्या शरणार्थियों का आना भी जारी है और यदि हां, तो आज तक पहुंचे शरणार्थियों की संख्या कितनी है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री बी०आर० भगत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) युद्ध विराम प्रबन्ध का उल्लंघन होने की वजह से श्रीलंका में हिंसा जारी रही है और बहुत से तमिलों को जान और माल का नुकसान हुआ है ।

(ग) शरणार्थियों का आना अभी भी जारी है । तमिलनाडु के प्राधिकारियों से प्राप्त सूचनानुसार इन शरणार्थियों की वर्तमान संख्या 1,22,243, है ।

(घ) शरणार्थियों के भारत में निरन्तर आने की वजह से सरकार गम्भीर रूप से चिन्तित है जो श्रीलंका में हिंसा और प्रतिहिंसा की वजह से बराबर आते जा रहे हैं और खासतौर पर श्रीलंका की सुरक्षा सेना की विवेकहीन कार्रवाइयों की वजह से । सरकार हिंसा और प्रतिहिंसा के इस निरन्तर चलने वाले चक्र को निन्दनीय मानती है क्योंकि इससे अन्ततः कुछ प्राप्त नहीं होता । सरकार के प्रयत्न इस दिशा में जारी रहे हैं कि श्रीलंका में कारगर युद्धविराम का सुनिश्चय हो सके ताकि वहां ऐसा वातावरण बने जो इस संकट के राजनैतिक समाधान की दिशा में बातचीत के लिए अनुकूल हो ।

[अनुवाद]

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वनरोपण

533. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत 4 लाख एकड़ भूमि में और सामाजिक वानिकी के अन्तर्गत 45 लाख एकड़ भूमि में वनरोपण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या वन विभाग के अतिरिक्त कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भी वनरोपण के लिये कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो देश के किन क्षेत्रों के लिए; और

(घ) क्या इस योजना में बिहार के छोटा नागपुर, मुंगेर और डाल्टनगंज भी शामिल हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) वनरोपण के लिए प्रतिवर्ष 5 मिलियन हेक्टेयर का लक्ष्य है ।

(ख) कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा वनरोपण कार्य भी उपर्युक्त (क) के उत्तर में उल्लिखित लक्ष्य का एक भाग है । ग्रामीण विकास विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत आवंटित निधियों का कम से कम 20 प्रतिशत वनरोपण के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए ।

(ग) तथा (घ) यह कार्यक्रम सम्पूर्ण देश में लागू है ।

बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पलामऊ का नाम बदल कर इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान रखना

534. **श्री राम भगत पासवान** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बेतला राष्ट्रीय उद्यान, पलामऊ (बिहार) का नाम बदल कर स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम पर रखने के प्रश्न पर विचार करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा पलामऊ को अभी तक राष्ट्रीय उद्यान घोषित नहीं किया गया है ।

वन्यजीव (संरक्षरण) अधिनियम, 1972 में ऐसा प्रावधान है कि किसी ऐसे क्षेत्र का जिसका हस्तान्तरण भारत सरकार को नहीं हुआ है राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठन तथा नामकरण करना केवल राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है । यदि केन्द्र सरकार को ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ तो प्रतीक तथा नाम (अनपयुक्त प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 में उल्लिखित नियमों तथा प्रक्रिया के अनुसार तथा इंदिरा गांधी स्मारक समिति के परामर्श से इस पर विचार किया जायेगा ।

भ्रष्ट तथा अयोग्य कर्मचारियों की छंटनी करने के लिए आन्तरिक जांच समितियां

535. **श्री अमर सिंह राठवा**
श्री चिन्तामणि जेना
श्री यशवंत राव गडाख पाटिल } : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भ्रष्ट तथा अयोग्य कर्मचारियों की छंटनी करने के लिए केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों में आन्तरिक जांच समितियां गठित की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन समितियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (घ) सेवा नियमावली के अधीन, ऐसे सरकारी कर्मचारी, जो 50/55 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं या 30 वर्ष की सेवा पूरी कर चुके हैं, लोकहित में सेवानिवृत्त किए जा सकते हैं। ऐसे मामले, इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय/विभागों में गठित पुनरीक्षा समिति द्वारा समुचित प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जाते हैं। पुनरीक्षा समितियों की सहायता के लिए आन्तरिक व्यवस्था के रूप में मंत्रालयों/विभागों से आन्तरिक जाँच समितियां गठित की जा चुकी हैं। आन्तरिक जांच समितियों के लिए इस मंत्रालय को कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होता और ऐसी समितियों का ब्यौरा भी केन्द्रीयकृत रूप में उपलब्ध नहीं है।

राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात विभिन्न एजेंसियों को आधुनिक उपकरण देना

536. **श्री बी०वी० देसाई** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों मे घुसपैठ और तस्करी को रोकने के लिए सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय गुप्तचर एजेन्सियों और पुलिस को आधुनिक उपकरण दिये जायेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य राज्यों में सोमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय एजेन्सियों को भी ऐसे उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे;

(ग) नए आधुनिक उपकरण देने से सीमा पर घुसपैठ और तस्करी किस हद तक रुक जायेगी; और

(घ) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) रात-में दूरी से घुसपैठियों और तस्करों का पता लगाने के लिए परीक्षण के तौर पर राजस्थान सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल की यूनिटों को कुछ रात्रि अवलोकन यंत्र और हाथ में पकड़ी जाने वाली खोज लाईटें उपलब्ध करायी गयी हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान सीमा पर इस्तेमाल करने वालों के लिए परीक्षण के रूप में उच्च शक्ति दूरबीनें भी उपलब्ध करायी जाएंगी ; यदि परीक्षण सफल रहे तो पाकिस्तान सीमा सुरक्षा बल की सभी यूनिटों को चरण बद्ध रूप से उपर्युक्त उपकरण दिए जाएंगे।

(ग) अभी यह नहीं कहा जा सकता कि नए उपकरण किस हद तक सीमा पर घुसपैठ या तस्करी को रोकेंगे हालांकि आशा की जाती है वे लाभदायक होंगे।

(घ) सीमा सुरक्षा बल द्वारा सतत निगरानी रखी जाती है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा स्थानीय पुलिस और अन्य निवारक एजेन्सियों के साथ संयुक्त घात, छापे और गस्त का आयोजन किया जाता है। राजस्थान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा अतिरिक्त कम्पनियां तैनात की गयी हैं। घुसपैठियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए निगरानी बुर्जों का निर्माण किया गया है। सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की संख्या में बढ़ोत्तरी के उद्देश्य से सीमा बाह्य चौकियों पर सीमा विंग होम गार्ड तैनात की गयी है।

सीमावर्ती क्षेत्रों के सैनिक बलों को सशक्त बनाने को प्राथमिकता देना

537. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्तरिक सुरक्षा विभाग ने सीमावर्ती क्षेत्रों में अर्ध सैनिक बलों और पुलिस को सशक्त बनाने को उच्चतम प्राथमिकता दी है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इन उपायों से सीमापार से घुसपैठ रोकने में राज्यों को कहां तक सफलता मिली है?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) तथा (ख) सीमापार से घुसपैठ को रोकने के लिए सरकार समय-समय पर सीमा पर तैनात बलों को सशक्त करने के प्रश्न पर विचार करती है। इन विचारों के रूप में, सीमा बाह्य चौकियां स्थापित की गई हैं; प्रेक्षण बुर्जों का निर्माण किया गया है तथा सीमा सुरक्षा बल तथा अन्य सुरक्षा बलों को उन्नत उपकरणों जैसे रात्रि अवलोकन यंत्र तथा हाथ में पकड़ी जाने वाली सर्च लाइटों तथा उच्च शक्ति की दूरबीनों से सुसज्जित किया गया है।

(ग) किये गये उपायों की कारगरता का मूल्यांकन अभी नहीं किया जा सकता परन्तु यह आशा की जाती है कि किये गये उपाय घुसपैठ रोकने में सहायक होंगे।

राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष सम्मेलन

538. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1985 में हुए राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष सम्मेलन में लगभग सभी 40 देशों ने भाग लिया था;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में विचार किए गए विषयों का क्या निष्कर्ष निकला;

(ग) क्या भारत के प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनेक प्रस्ताव स्वीकार किये गए थे; और

(घ) क्या पर्यटन संबन्धी एक पैनल के गठन संबन्धी प्रस्ताव को भी स्वीकार किया गया था?

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) और (ख) जी, हां। नसाऊ शिखर सम्मेलन में 46 राष्ट्रमंडल देशों ने भाग लिया था। जिसमें से 41 देशों ने राष्ट्राध्यक्ष अथवा शासनाध्यक्ष के स्तर पर भाग लिया। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से इस बात पर विचार किया गया कि जातीय पृथग्वासन को समाप्त करने के लिए प्रेटोरिया शासन के विरुद्ध क्या कदम उठाये जायें और क्या उपाय किये जायें।

(ग) कार्यकारी सत्र में प्रधान मंत्री के हस्तक्षेप के बाद "विश्व व्यवस्था में नसाऊ घोषणा" एकत्र राष्ट्राध्यक्षों तथा शासनाध्यक्षों द्वारा स्वीकार की गई थी। जिसमें आर्थिक और राजनैतिक दोनों ही क्षेत्रों में बहुपक्षीय सहयोग को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। दक्षिण अफ्रीका पर राष्ट्रमंडल समझौते की स्वीकृति में भी प्रधान मंत्री की पहल कदमी और उनके

प्रस्तावों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसमें कार्रवाई की एक ऐसी ठोस योजना निहित है जिससे कि जाति प्रथम्वासन को और नामिबिया पर दक्षिण अफ्रीका के अनधिकृत कब्जे को खत्म करवाया जा सके और इस योजना में प्रतिबंधों से काम लेना भी शामिल है।

(घ) जी, नहीं। बैठक में पैनल बनाने के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रखा गया।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विरुद्ध प्रस्तावित दण्डात्मक कार्यवाही

540. **श्री एस० एम० भट्टम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अपने कर्मचारियों के विरुद्ध निलम्बन तथा नौकरी से मुक्त करने सहित कोई दाण्डिक कार्यवाही करने का सरकार की शक्ति के बारे में उच्चतम न्यायालय के हाल के निर्णय को ध्यान में रखते हुए ऐसे कर्मचारियों की कोई सूची तैयार की है जो अकुशल अथवा सरकारी सेवा के लिए अयोग्य हैं;

(ख) क्या कर्मचारियों के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही करने के लिए सरकार द्वारा बताये गए कारण लिखित में तैयार किए जाते हैं; और

(ग) क्या ऐसे कर्मचारियों को ऐसे आदेशों के विरुद्ध सुनवाई अथवा आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) माननीय सदस्य ने उच्चतम न्यायालय के जिस निर्णय का उल्लेख किया है वह शायद वह निर्णय है जो उस न्यायालय द्वारा तुलसी राम पटेल के मामले में 11.7.85 को दिया गया था। इस निर्णय का सरकार की उस शक्ति से कोई सम्बन्ध नही है जिसका प्रयोग सरकार अपने कर्मचारियों के निलम्बन तथा सेवा समाप्ति सहित, उनके खिलाफ दण्डात्मक कार्रवाई करने के लिए करती है। उच्चतम न्यायालय ने इस निर्णय में संविधान के अनुच्छेद 311 (2) के अधीन सरकारी कर्मचारियों को दिए गए संवैधानिक संरक्षण की सही सीमाओं तथा उक्त अनुच्छेद के दूसरे परन्तुक में परिकल्पित तीन आपवादिक परिस्थितियों को स्पष्ट किया है। इस निर्णय से उस सुस्थापित विधि की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता जिसके अधीन एक सामान्य नियम के तौर पर दोषी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध जांच की जाती है जिसमें उसके खिलाफ आरोप लगाए जाते है तथा उसे अपने बचाव के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान किया जाता है। अतः इस निर्णय के अनुसरण में सरकार द्वारा दण्डात्मक कार्रवाई करने के लिए कर्मचारियों की कोई सूची तैयार करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

राज्यों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस/सेना की टुकड़ियां तैनात करना

541. **श्री ई० अय्यपु रेड्डी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस तैनात करने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(ख) क्या राज्य सरकारों को कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए सेना की टुकड़ियां बुलाने के लिए प्रभार का भुगतान करना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान गुजरात राज्य में सैना तैनात करने के लिए कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल राज्यों से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा वर्ष 1983-84 के दौरान 12,42,26,883-18 रुपये तथा वर्ष 1984-85 के दौरान 17,82,88,710-98 रुपये के दावे किये गये थे। राज्यों से अब तक प्राप्त की गयी राशि 6,06, 52,965-92 रुपये है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा मामलों की जांच

542. **श्री ई० अय्यपु रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा कितने मामलों की जांच की गई;

(ख) वर्ष 1984-85 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कितने मामलों में आरोप पत्र दर्ज किए; और

(ग) वर्ष 1984-85 के दौरान केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के कितने मामलों में दोष सिद्ध हुए और कितने मामलों में आरोप सिद्ध नहीं हुए ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) केन्द्रीय अन्वेशण ब्यूरो द्वारा वर्ष 1984 तथा 1985 (30.9.1985 तक) के दौरान जांच/अन्वेषण के लिए जिन मामलों को हाथ में लिया गया उनकी संख्या क्रमश: 1196 तथा 798 थी।

(ख) जिन मामलों को विचारण के लिए न्यायालयों को भेजा गया था उनकी संख्या 1984 में 561 तथा 1985 (30.9.1985 तक) में 403 थी।

(ग) जिन मामलों में आरोप सिद्ध हुए तथा जिन मामलों में आरोप सिद्ध नहीं हुए/बरी हुए उनकी संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	उन मामलों की संख्या जिनमें आरोप सिद्ध हुए	उन मामलों की संख्या जिनमें आरोप सिद्ध नहीं हुए/बरी हुए
1984	215	71
1985 (30.9.1985 तक)	155	49

केन्द्रीय जांच ब्यूरो में कार्य कर रहे कर्मचारी

543. **श्री ई० अय्यपु रेड्डी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो में कितने कार्मिक कार्यरत थे; और

(ख) वर्ष 1984-85 में केन्द्रीय जांच ब्यूरो पर कुल कितना धन खर्च किया गया ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) 1 मार्च, 1984 की स्थिति के अनुसार 2,932 (दो हजार नौ सौ बत्तीस)।

(ख) रु० 7,34,29,045/- (केवल सात करोड़, चौंतीस लाख, उनत्तीस हजार पैंतालीस)।

नेपाल नरेश का दौरा

544. **श्री एम० रघुमा रेड्डी :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर 1985 में नेपाल नरेश द्वारा किये गये दौरे ने भारत-नेपाल सम्बन्ध मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है;

(ख) जिन मुख्य मुद्दों पर बातचीत हुई उनके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या नरेश द्वारा शान्ति क्षेत्र की स्थापना संबन्धी अपने पुराने प्रस्ताव का उल्लेख किया गया; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मन्त्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नेपाल नरेश और भारत के प्रधान मंत्री के बीच हुई बातचीत गोपनीय स्वरूप की है। इस बातचीत के दौरान दोनों देशों के आपसी और द्विपक्षीय विषयों पर चर्चा हुई। इस बातचीत के दौरान नेपाल नरेश के नेपाल को शान्ति का क्षेत्र घोषित करने से सम्बद्ध प्रस्ताव पर चर्चा हुई।

(घ) शांति और मैत्री के लिए 1950 की भारत-नेपाल संधि के अनुसार जो अभी भी वैध है, भारत पहले ही नेपाल के साथ शांति और भाई चारे के सम्बंध बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है। अन्य सब विषयों के साथ इस प्रस्ताव पर भी विचार हो रहा है।

बिरहोर ट्राइब के समाप्त होने की सम्भावना

545. **श्री एम० रघुमा रेड्डी**
श्री पी० मानिक रेड्डी } : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 अगस्त, 1985 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "बिरहोर ट्राइब नाउ नियरली एक्सटिंक्ट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां; तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस जनजाति को समाप्त होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग) समाचार में मुख्यत: लोहारडागा जिले में बिरहोर जनजातियों का उल्लेख किया गया है और उनके विकास के लिए बिहार सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को स्पष्ट किया गया है। बिहार में बिरहोर जनजाति की जनसंख्या 1961 में 2438 से बढ़कर 1971 में 3464 हो गई है। यह जनजातीय समुदाय उन नौ जनजातीय समूहों में से है जिनको नियोजित विकास में विशेष ध्यान देने के लिए "आदिकालीन" के रूप में माना गया है। भारत सरकार आदिम जनजातीय समूहों के विकास के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता देती है। राज्य सरकार ने उनके विकास के लिये एक अलग परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। छठी योजना के दौरान आदिम जनजातियों के विकास के लिए राज्य सरकार को कुल 207.08 लाख रुपए की विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई थी। सातवीं योजना के दौरान योजना को अधिक आवंटन करके चालू रखा जाएगा।

रंगभेद समाप्त करने के लिए किए गए उपाय

546. **श्री शरद दिघे** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1985 में राष्ट्रमण्डल शासनाध्यक्षों की बैठक के बाद सरकार द्वारा प्रीटोरिया शासन को रंगभेद समाप्त करने के लिए बाध्य करने हेतु कोई अग्रेतर उपाय किए गए हैं **अथवा** करने का विचार है; और

(ख) ऐसे तंत्र के विकास के लिए क्या कदम उठाये गए हैं, जिससे दक्षिण अफ्रीका के साथ राजनैतिक बातचीत आरम्भ की जा सके ?

विदेश मन्त्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) दक्षिण अफ्रीका पर राष्ट्रमण्डल अभिसंधि में विवेचित उपायों के अलावा भारत द्विपक्षीय वार्ताओं तथा बहुपक्षीय मंचों में गुट निरपेक्ष देशों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय-7 के अन्तर्गत दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के व्यापक अनिवार्य प्रतिबन्धों को लागू करने के लिए प्रयत्नशील रहेगा ?

(ख) दक्षिण अफ्रीका पर राष्ट्रमण्डल समझौते में राष्ट्रमण्डल के कुछ प्रमुख व्यक्तियों के एक दल की स्थापना का प्रस्ताव किया गया जिससे गैर-जातीय तथा प्रतिनिधि सरकार की स्थापना करने की दृष्टि से दक्षिण अफ्रीका की बहुसंख्यक अश्वेत जनता से राजनैतिक बातचीत की जा सके। इस प्रयास के तौर तरीके जाम्बिया के राष्ट्रपति तथा आस्ट्रेलिया, बहामास, कनाडा, भारत, यू-के और जिम्बाब्वे के प्रधानमंत्रियों द्वारा राष्ट्रमण्डल के महासचिव के साथ तय किए जायेंगे।

बिला फोन्ड और एस० आई० ए० मार्ग के निकट पाकिस्तान द्वारा आक्रमण

547. **श्री श्रीहरि राव** : क्या **रक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने बिला फोन्ड तथा एस० आई० एस० मार्गों के निकट अपने आक्रमण बढ़ा दिए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1985 के आक्रमण में तो पाकिस्तान की वायुसेना ने भाग लिया था जिसके फलस्परूप वायुसेना को हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया था; और

(ग) क्या भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी सैनिकों को गिरफ्तार किया था; यदि हां, तो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या क्या है और क्या बंदियों से पाकिस्तान के बुरे इरादों के बारे में कोई महत्त्वपूर्ण सूचना का पता चला है या कोई अभिशांसी कागजात प्राप्त हुए हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ग) जी, नहीं ।

प्रधानमन्त्री ने जिन देशों का दौरा किया है उनके साथ समझौते

548. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **विदेश** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनका प्रधान मन्त्री ने हाल ही में दौरा किया है; और

(ख) क्या दौरे के दौरान किन्हीं समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) यूनाईटेड किंगडम, बहामास, क्यूबा, संयुक्त राज्य अमरीका, नीदरलैंड और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ ।

(ख) यात्रा के दौरान किसी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए ।

देश में वनरोपण

549. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या **प्रधान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वनरोपण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य-वार कुल कितने क्षेत्र में वनरोषण किया जायेगा;

(ग) इस प्रयोजन के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(घ) विभिन्न राज्यों में विशेषतः आन्ध्र प्रदेश में वनरोपण को प्रोत्साहन देने के लिए वनों के काटे जाने को रोकने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सरकार वनरोपण के लिए विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित कर रही है और कई विचाराधीन हैं ।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रति वर्ष 5 मिलियन हैक्टेयर का वनरोपण के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रस्ताव है ।

(ग) सातवीं योजना के प्रावधानों को अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) सरकार ने देश में वनों के परिरक्षण के लिए अनेक कदम उठाए हैं :—

1. अनधिकृत रूप से वृक्षों की कटाई को रोकने के लिए वन अधिनियम का प्रवर्तन।
2. वन भूमि को अंधाधुंध रूप से गैर-वानिकी उपयोग में दिवकारिदर्ता को रोकने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का प्रवर्तन।
3. अधिकांश राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में वनों के कार्यकरण में ठेकेदारों की एजेंसी का बहिष्कार।
4. आमतौर पर 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर हरे वृक्षों को गिराने पर रोक लगाने के बारे में मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी करना तथा वनों के संरक्षण के लिए कार्यकरण योजना की विवेचनात्मक पुनरीक्षा करना।
5. वन सुरक्षा के बारे में दीर्घकालीन हल प्राप्त करने के उद्देश्य से "झूम कृषि" सहित वन भूमि की चराई तथा अतिक्रमण की समस्याओं का गहन अध्ययन आरम्भ करना।
6. लुगदी और लकड़ी की तीलियों को हाल ही में आयात शुल्क से छूट दे दी गई है। कुछेक विशिष्ट रूपों में लकड़ी पर निर्यात शुल्क को घटाकर 10 प्रतिशत यथामूल्य कर दिया गया है।
7. अन्य उत्पादों जो हमारे वनों के संरक्षण में मदद देंगे, द्वारा लकड़ी के प्रतिस्थापन अध्ययन के लिए एक अन्तर-मन्त्रालयीन दल का गठन किया गया है।
8. ईंधन की लकड़ी और चारे की पौधरोपण के अन्तर्गत प्रति वर्ष 5 मिलियन हेक्टेयर भूमि को लाने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड का गठन किया गया है। वनरोपण के लिए एक जन आन्दोलन तैयार किया जा रहा है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत संरक्षण उपायों को मजबूत बनाया जा रहा है।
9. ऊर्जा के वैकल्पिकस्रोत जैसे बायोगैस तथा ईंधन की बचत करने वाले उपाय जैसे सुधरे चूल्हे, सौर-कुकर और जल को गरम करने की पद्धति/जल तापक, सौर इमारती लकड़ी-मसाले भट्टे आदि को लोकप्रिय बनाया जा रहा है। 7.50 लाख सुधरे चूल्हे, 3.55 लाख बायो-गैस संयंत्र, 0.30 लाख सौर-कुकर, 573 सौर जल-हीटर्स भट्टे 19 सौर इमारती लकड़ी मसाले भट्टे और 500 जल-हीटर्स छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थापित किए गए थे।

ये उपाय सभी अन्य राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों के लिए आन्ध्र प्रदेश से सम्बन्धित हैं।

केन्द्रीय परियोजनाओं संबंधी विशेष प्रतिवेदन

550. **श्री बी० तुलसी राम** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली सभी केन्द्रीय परियोजनाओं के संबंध में प्रधान मन्त्री के पास प्रति माह एक विशेष प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की अवधि क्या है अर्थात मासिक, तिमाही आदि और ऐसा पहला प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है;

(ग) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और स्थान क्या हैं जिनके संबंध में प्रतिवेदन भेजे जायेंगे/भेजे जाने की संभावना है; और

(घ) योजना आयोग में परियोजनाओं पर समुचित निगरानी रखने और उन्हें तत्काल पूरा करने के बारे में क्या उपाय सुझाये हैं/अपनाये हैं ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) मासिक 1 सितम्बर, 85 के मास के लिए प्रथम 19-10-85 को प्रस्तुत किया गया ।

(ग) पहले प्रतिवेदन में सम्मिलित परियोजनाओं की सूची विवरण के रूप में संलग्न है परियोजना का स्थान उनके नाम के आगे दिया गया है ।

(घ) परियोजनाओं और स्कीमों पर समुचित कार्यान्वयन और निगरानी का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित मंत्रालयों का है जो काम और प्रगति की समीक्षा के बाद आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई शुरु करते हैं। योजना आयोग उत्तरोत्तर योजना दस्तावेजों में, बेहतर निगरानी प्रणालियों की स्थापना के लिए सुझाव देता रहा है ।

विवरण

मासिक फ्लैश रिपोर्ट प्रबोधन प्रणाली द्वारा शामिल किए 100 करोड़ रु० से ऊपर की लागत वाली केन्द्रीय परियोजनाओं की सूची

(जैसे कि 25.9.1985 को था)

परियोजनाए	स्थान जिला/राज्य
विद्युत :	
1. सिंगरौली एस० टी० पी० पी० चरण-II (एन० टी० पी० सी०)	मिर्जापुर
2. रामागुण्डम एस०टी०पी०पी०चरण-I (एन०टी०पी०सी०)	करीम नगर/आन्ध्र प्रदेश
3. रामागुण्डम एस०टी०पी०पी० चरण-II (एन०टी०पी०सी०)	करीम नगर/आन्ध्र प्रदेश
4. कोरबा एस०टी०पी०पी० चरण-I (एन०टी०पी०सी०)	बिलासपुर
5. कोरबा एस०टी०पी०पी० चरण-II (एन०टी०पी०सी०)	बिलासपुर
6. फरक्का एस०टी० पी०पी० चरण-I (एन० टी०पी०सी०)	फरक्का/पश्चिम बंगाल
7. फरक्का एस०टी०पी०पी० चरण-II (एन०टी०पी०सी०)	पश्चिम बंगाल
8. विन्ध्याचल एस०टी०पी०पी० चरण-I (एन०टी०पी०सो०)	मध्य प्रदेश
9. रिहंद एस०टी०पी०पी० चरण-II (एन०टी०पी०सी०)	उत्तर प्रदेश

परियोजनाएँ	स्थान जिला/राज्य
10. काहलगांव एस०टी०पी०पी० चरण-I (एन०टी०पी०सी०)	भागलपुर/बिहार
11. सिंगरौली एस०टी०पी०पी० टी० आर० लाईनें चरण-II (एन०टी०पी०सी०)	उत्तर प्रदेश
12. विंध्याचल टी०आर० लाईनें-I (एन०टी०पी०सी०)	मध्य प्रदेश
13. रामागुण्डम टी०आर० लाईनें, चरण-I (एन०टी०पी०सी०)	आन्ध्र प्रदेश
14. फरक्का टी०आर० लाईनें चरण-II (एन०टी०पी०सी०)	पश्चिम बंगाल
15. रिहंद ट्रांसमिशन लाईनें (एन०टी०पी०सी०)	उत्तर प्रदेश
16. काहलगांव टी०आर० लाईनें चरण-I (एन०टी०पी०सी०)	बिहार
17. कोरबा चरण-I (फेज-I + फेज-II) टी०आर० लाईनें (एन०टी०पी०सी०)	मध्य प्रदेश
18. केन्द्रीय ट्रांसमिशन परियोजना	
19. बोकारो बी I (डी०वी०सी०)	बिहार
20. बोकारो बी-2 (डी०वी०सी०)	बिहार
21. सलाल जल विद्युत परियोजना (एन०एच०पी०सी०)	जम्मू और कश्मीर
22. धुलहस्ती जल विद्युत परियोजना (एन०एच०पी०सी०)	जम्मू और कश्मीर
23. छमेरा जल विद्युत परियोजना (एन०एच०पी०सी०)	चम्बा/हिमाचल प्रदेश
24. तनकपुर जल विद्युत परियोजना (एन०एच०पी०सी०)	रांची/बिहार
25. चुक्खा ट्रांसमिशन लाईनें (एन०एच०पी०सी०)	पश्चिम बंगाल/बिहार/असम
पैट्रोलियम :	
26. एल०पी०जी० मार्केटिंग फेज-3 (आई०ओ०सी०)	अखिल भारत
27. एल०पी०जी० मार्केटिंग फेज-3 (एच०पी०सी०एल०)	अखिल भारत
28. एल०पी० जी० मार्केटिंग फेज-3 (बी०पी०सी०एल०)	अखिल भारत
29. हजीरा बरेली-जगदीशपुर गैस पाईप लाईन (गेल)	गुजरात/उत्तर प्रदेश
30. दक्षिण बेसीन विकास-पाईप लाईन तथा प्लेटफार्म केन्द्र(ओ०एन०जी०सी०)	अब तक
31. गैस स्वीटनिंग, कन्डेनसाटे टरीटमेंट सूलफुर	सूरत/गुजरात
32. प्राप्ति की सुविधा (ओ०एन०जी०सी०)	
33. बम्बई हाई का त्वरित उत्पादन कार्यक्रम	अब तक
34. एस०एच०सी० केन्द्र (ओ०एन०जी०सी०)	अब तक
35. हजीरा में एल०पी०जी० संयंत्र	सूरत/गुजरात
36. शहरी टर्मिनल केन्द्र का विस्तार (ओ०एन०जी०सी०)	महाराष्ट्र
37. अभी तक अन्वेषण ड्रीलिंग 1985-87 के लिए 22 रोगों का अधिग्रहण	अभी तक
38. पोलिस्टर स्टेपल फाइबर संयंत्र (बी०आर०पी०एल०)	बोगइगांव/असम
39. महाराष्ट्र गेस करेकर केन्द्र (बी०पी०सी०एल०)	महाराष्ट्र

परियोजनाएँ	राज्य जिला/राज्य
कोयला और लिग्नाइट :	
40. मुनिदिह (बी०सी०सी०एल०)	धनबाद/बिहार
41. ब्लाक 2 (बी०सी०सी०एल०)	-वही-
42. पुतकी बलिहारी (बी०सी०सी०एल०)	-वही-
43. अमलोहरी (सी०सी०एल०)	मध्य प्रदेश
44. जयंत (सी०सी०एल०)	मध्य प्रदेश
45. दुढीचुहा (सी०सी०एल०)	मध्य प्रदेश
46. बीना (सी०सी०एल०)	मध्य प्रदेश
47. झंझरा (बी०सी०एल०)	पश्चिम बंगाल
48. राजमहल (बी०सी०एल०)	संतल परगना
49. सोनपुर बजारी (ई०सी०एल०)	
50. नवेली द्वितीय खनन का विस्तार (एम०एल०सी०)	
51. नवेली द्वितीय तापीय विद्युत स्टेशन चरण-I (एन०एल०सी०)	दक्षिण अरकोट/तमिलनाडु
52. नवेली द्वितीय तापीय विद्युत स्टेशन का विस्तार (एन०एल०सी०)	-वही-
53. मनुगुरु ओ०सी० खाने	-वही-
इस्पात :	
54. विसाखापत्तनम इस्पात परियोजना आर०आई०एन०एल०	विशाखापत्तनम/आन्ध्र प्रदेश
55. बोकारो 4 एम०टी० का विस्तार (एस०ए०आई०एल०)	बिहार
56. भिलाई 4 एम०टी० का विस्तार (एस०ए०आई०एल०)	मध्य प्रदेश
57. बोकारो कैप्टिव विद्युत संयंत्र (एस०ए०आई०एल०)	बिहार
खनन :	
58. उड़ीसा एल्यूमीनियम केन्द्र (एन०ए०एल०सी०डी०)	उड़ीसा
59. कैप्टिव तापीय विद्युत संयंत्र (बी०ए०एल०सी०ओ०)	मध्य प्रदेश
उर्वरक :	
60. नामरूप 3 (एच०सी०एफ०)	असम
61. प्रदीप उर्वरक परियोजना (पी०पी०एल०)	उड़ीसा
62. विजयपुर उर्वरक (एन०एफ०एल०)	गुना/मध्य प्रदेश
63. कारोलैक्टम और अमोनियम सल्फेट (एफ०ए०सी०टी०)	कोचीन/केरल
कृषि तथा सहकारिता :	
64. हजीरा उर्वरक केन्द्र (के०आर०आई०बी०एच०सी०ओ०)	सूरत/गुजरात
65. ओशल उर्वरक परियोजना (आई०एम०एफ०सी०ओ०)	बरेली/उत्तर प्रदेश

परियोजनाएं	स्थान जिला/राज्य
सार्वजनिक उद्यम विभाग :	
66. नवगोंग पेपर परियोजना (एच०पी०सी०)	असम
67. कच्चर पेपर परियोजना (एच०पी०सी०)	असम
68. तंदूर सिमेंट परियोजना (सी०सी०एल०)	आन्ध्र प्रदेश
भारी उद्योग :	
69. यात्री कार तथा रोशनी उपयोगी वाहनों का निर्माण (एम०यू०एल०)	गुडगांव/हरियाणा
रेलवे :	
70. कलकत्ता भूमिगत (डमडम टोलीगंज)	कलकत्ता/पश्चिम बंगाल
71. नया कोरापुट-रायगढ़ बी०जी० लाईन	उड़ीसा
72. सूचना प्रणाली का प्रचालन	दिल्ली
तल परिवहन :	
73. नावा सेवा बन्दरगाह परियोजना	बम्बई/महाराष्ट्र
74. प्रत्येक 45000 डी०डब्लू०टी० के 12 भारी वाहनों का अधिग्रहण	बम्बई/महाराष्ट्र
नागर विमानन :	
75. बेज को बदलना, वृद्धि करना (एयर इण्डिया)	बम्बई/महाराष्ट्र
संचार :	
76. इलैक्ट्रानिक स्वीचिंग प्रणाली परियोजना मानकपुर (आई०टी०आई०)	उत्तर प्रदेश
परमाणु ऊर्जा :	
77. एन०ए०पी०पी० 3 और 1	नरोरा/उत्तर प्रदेश
78. के०ए०पी०पी० 1 और 2	ककरापुर/गुजरात
79. थाल भारी जल	महाराष्ट्र
80. मनुगुरु भारी जल	आन्ध्र प्रदेश
81. उड़ीसा रेत केन्द्र	उड़ीसा

[हिन्दी]

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देना

551. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ वर्ष पूर्व केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक विभाग में रोजगार के कुछ प्रतिशत अवसर विकलांग व्यक्तियों को देने का निर्णय किया था;

(ख) यदि हां, तो उस आधार पर अब तक कितने विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिया गया है तथा तत्संबंधी विभाग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है और यदि नहीं, तो प्रत्येक विभाग के संबंध में क्या स्थिति है और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या और कब तक कदम उठाने का विचार है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां। केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में समूह "ग" और "घ" के 3 प्रतिशत पद विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किये जाते हैं—आरक्षण उन्हीं पदों के लिए किया जाता है जो विकलांग व्यक्तियों के लिये उपयुक्त माने गये हों।

(ख) वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान केन्द्रीय सरकार में नियुक्त किये गए विकलांग व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) 1984 में पहली बार इस तरह के अभिज्ञान पदों के बारे में जानकारी एकत्र की गई थी। 1984 में, जिस वर्ष के लिए पर्याप्त जानकारी उपलब्ध है केन्द्रीय सरकार में, कुल मिलाकर 3 प्रतिशत चुने हुए पदों पर विकलांग व्यक्तियों को नियुक्त किया गया।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

वर्ष—1982

नाम	भरे गये पदों की कुल संख्या		वास्तव में विकलांग व्यक्तियों द्वारा भरे गये पद	
	ग	घ	ग	घ
1	2	3	4	5
1. कृषि मन्त्रालय तथा संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय	293	187	2	3
2. परमाणु उर्जा विभाग	1430	472	15	....
3. रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय	942	....	...	....
4. रक्षा मंत्रालय और उसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय	475	1582	18	33
5. इलैक्ट्रानिकी मंत्रालय और इसके संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालय	202	52	4	....
6. वित्तीय कार्य विभाग	72	143	1	2
7. भारतीय निर्वाचन आयोग	17	...	1	....
8. विदेश मंत्रालय	...	17	....	2

1	2	3	4	5
9. खाद्य विभाग और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय	123	43	5	1
10. गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय	321	276	...	1
11. निर्माण और आवास मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय	717	346	14	1
12. स्वास्थ्य मंत्रालय और इसके संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालय	159	342	2	2
13. औद्योगिक विकास मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय	14	40	2	4
14. श्रम मंत्रालय	....	27	...	....
15. प्रधान मंत्री कार्यालय	....	9	....	....
16. रेल मंत्रालय, पश्चिमी रेलवे	186	530	...	4
17. कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग और कर्मचारी चयन आयोग	....	1	...	1
18. राजस्व विभाग और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय	256	440	3	1
19. अन्तरिक्ष विभाग	76	46	3	1
20. समाज कल्याण मंत्रालय	2	8	1	....
21. पर्यटन और नागर विमानन	12	3	....	....
योग	5297	4564	71	56

वर्ष—1983

नाम	वर्ष के दौरान भरे गये पदों की कुल संख्या		वर्ष के दौरान रोजगार पर लगाये गये विकलांग व्यक्तियों की संख्या	
	ग	घ	ग	घ
1	2	3	4	5
1. कृषि और सहकारिता मंत्रालय	5	...	5	...
2. परमाणु ऊर्जा विभाग और इसके संबद्ध यूनिट	1653	628	27	...
3. इलैक्ट्रानिकी विभाग	65	23	...	5

1	2	3	4	5
(i) संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय	29	23	1	4
4. आर्थिक कार्य विभाग और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय	111	112	82	16
5. राजस्व विभाग और सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय	122	175	2	3
6. रक्षा मंत्रालय और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय	8487	13743	97	89
7. गृह मंत्रालय	14	9	1	....
(i) संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय	31	30	...	...
8. कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय	12	11	....	....
9. औद्योगिक विकास विभाग और संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालय	63	17	2	1
10. नागरिक पूर्ति विभाग	13	1	9	1
11. सूचना और प्रसारण मंत्रालय और संबद्ध/ अधीनस्थ कार्यालय	408	431	13	10
12. जहाजरानी और परिवहन मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय	197	96	3	2
13. अन्तरिक्ष विभाग	685	264	12	8
14. इस्पात विभाग	16	12	2	1
15. पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय	330	125	6	5
16. निर्माण और आवास मंत्रालय	1087	626	6	6
17. भारतीय निर्वाचन आयोग	8	6	1	2
18. संचार मंत्रालय	881	401	15	3
19. खाद्य विभाग और इसके संबद्ध/ अधीस्थ कार्यालय	64	4	1	...
20. ऊर्जा मंत्रालय	369	100	9	8
21. वाणिज्य विभाग और संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय	70	21	1	2
22. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	12	6	....	1
	14732	16871	287	167

वर्ष—1984

नाम	भरे गये पदों की कुल संख्या		अभिज्ञात पद		वास्तव में विकलांग व्यक्तियों द्वारा भरे गए पद	
	ग	घ	ग	घ	ग	घ
1	2	3	4	5	6	7
1. कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय						
(i) कृषि और सहकारिता विभाग	27	16	1	3	....	...
(ii) संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय	125	49	84	25	7	2
2. ग्रामीण विकास विभाग	27	4	उल्लेख नहीं किया		1	....
(i) संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय	3	5	3	2	3	2
3. वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय						
(i) वाणिज्य विभाग	39	1	उल्लेख नहीं किया		....	....
(ii) पूर्ति विभाग	29	29	18	10	1	1
4. रक्षा मन्त्रालय						
(i) रक्षा विभाग	1866	1174	900	619	27	23
(ii) संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय	1860	1416	1415	688	53	147
5. शिक्षा मंत्रालय						
(i) संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय	9	15	....	....	....	...
6. पर्यावरण और वन	...	16	...	2	....	2
(i) संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय	19	13	....	....	....	....
7. विदेश मंत्रालय	113	10	113	10	5	1
8. वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग (केन्द्रीय आबकारी और सीमा शुल्क बोर्ड)	954	376	248	55	6	....

1	2	3	4	5	6	7
9. *खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय						
(i) खाद्य विभाग	31	1	1	1	1	....
(ii) नागरिक पूर्ति विभाग	...	1	...	1	....	1
*आर्थिक कार्य विभाग और इसके संबद्ध अधीनस्थ कार्यालय	35	150	14	104	...	....
10. गृह मंत्रालय						
(i) गृह विभाग	....	14	...	....	...	....
(ii) संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय	165	19	11	...	11	....
11. सूचना और प्रसारण मंत्रालय संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय	11	उल्लेख नहीं किया ...	...	...	16 ...	....
12. विद्युत मंत्रालय						
(i) सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय	54	40	....	....	1	1
13. संसदीय कार्य मंत्रालय	4	....	...	....	....	...
14. विज्ञान और प्राद्योगिकी मन्त्रालय	19	13	19	13	....	...
(i) संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय	221	3	58	3	4	...
15. समाज और महिला कल्याण मंत्रालय	1	....	1	....	1	—
(i) संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय	22	7	...	....	....	...
16. इस्पात, खान और कोयला मंत्रालय	5	....	1	1	....	....
(i) सबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय	85	1	56	....	3	...
(ii) कोयला विभाग	3	...	....	....	....	....

1	2	3	4	5	6	7
17. पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय	2	1	...	...	....	...
(i) संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय	91	43	13	6	3	5
18. परमाणु ऊर्जा विभाग	534	76	269	48	2	2
19. इलेक्ट्रानिकी विभाग	26	5	23	....	2	....
(i) संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय	26	3	19	2	...	....
20. महासागर विकास विभाग	....	1	...	....	...	....
21. कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग		4	...	....	....	...
22. अन्तरिक्ष विभाग	239	135	89	44	4	4
23. भारतीय निर्वाचन आयोग	3	6	1	....	1	....
24. औद्योगिक विकास विभाग						
(i) संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय	61	44	18	7	1	3
25. विधि और न्याय मंत्रालय						
(i) विधि कार्य विभाग	29	12	4	...	1	....
26. श्रम मंत्रालय	63	26	11	5	....	1
27. उद्योग और कम्पनी कार्य विभाग	22	31	7	5	1	1
	6823	3360	3397	1654	154	196

[अनुवाद]

राजधानी में अपराध

552. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में हाल ही में सशस्त्र लूट, डकैतियों तथा हत्याओं की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में पिछले छः महीनों के दौरान (आज की तारीख तक) सशस्त्र लूट, डकैतियों तथा हत्याओं की कितनी घटनाएं हुईं और उससे पहले के छः महीनों के दौरान हुई घटनाओं की संख्या से इस संख्या की तुलना क्या है; और

(ग) राजधानी में अपराध की बढ़ती हुई घटनाओं को रोकने हेतु सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) और (ख) इन शीर्षों के अन्तर्गत संबंधित अवधि के लिये तुलनात्मक अपराध आंकड़े इस प्रकार हैं :—

अपराध शीर्ष	नवम्बर, 84 से अप्रैल, 85 तक	मई, 85 से अक्तूबर, 85 तक
सशस्त्र लूट	89	110
डकैती	15	7
हत्या	142	130

यद्यपि सशस्त्र लूट की संख्या में वृद्धि हुई है तथापि डकैतियों और हत्याओं की संख्या में कमी हुई है ।

(ग) राजधानी में अपराध की घटनाओं को रोकने के लिये सरकार द्वारा उठाए गए कदम निम्न प्रकार हैं :—

(i) बढ़ी हुई पुलिस सतर्कता ।

(ii) पैदल तथा चलती फिरती गहन गश्त ।

(iii) वाकी-टाकी सैटों और वायरलैस युक्त मोटर साइकिलों के साथ सशस्त्र गश्त ।

(iv) होटलों तथा गैस्ट हाऊसों की गहन जांच सामरिक महत्व के स्थानों और अपराधियों के छिपने के स्थानों पर टुकड़ियां तैनात करना और निरन्तर निगरानी रखना ।

(v) जन समूह के स्थानों और सड़कों पर वाहनों तथा सामान की जांच ।

(vi) दिल्ली पुलिस की जिला तथा अपराध शाखा द्वारा चलाए गए डकैती-विरोधी अभियान ।

(vii) पुलिस सतर्कता में वृद्धि तथा अपराधियों के विरुद्ध निवारक कार्रवाई ।

(viii) निष्कासन कार्यवाहियों को तेज करना और अपराध रोकने के लिये अन्तर जिला/अन्तर्राज्यीय बैठकें ।

(ix) अपराधियों का पता लगाने और पकड़ने में पुलिस की सहायता के लिये विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति ।

(x) दिल्ली में क्षेत्र सुरक्षा योजनाएं लागू कर दी गई हैं जिनके अन्तर्गत अपराधियों का शीघ्रता से पीछा करने और उनको पकड़ने को सुनिश्चित करने के लिये व्यक्तियों और उपकरणों सहित 140 वाहन तैनात किए गए हैं ।

आंध्र प्रदेश में यूरेनियम तथा खनिज पदार्थों की खोज

553. **श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में नलगोन्डा, महबूबनगर, नेल्लोर और प्रकाशम जिलों में यूरेनियम और अन्य भारी खनिज पदार्थ पाये गये हैं;

(ख) खानों की खुदाई और खोज के लिये क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) ऐसी खुदाई पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है; और

(घ) क्या सरकार इन भारी खनिज भण्डारों की खोज के लिए तैयार है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) जी, हां। तथापि, अब तक किए गए अन्वेषणों से ऐसे कोई परिणाम सामने नहीं आए हैं जिन्हें खनिजों का दोहन वाणिज्यिक स्तर पर करने के लिए तात्कालिक आर्थिक महत्व का समझा जाए।

निजी क्षेत्र में रक्षा उत्पादन की अनुमति का प्रस्ताव

554. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रक्षा सामग्रियों का उत्पादन निजी क्षेत्र में करने के अपने प्रस्ताव को लागू कर दिया है;

(ख) क्या इससे आज तक लागू रक्षा नीति से विचलन नहीं होगा; और

(ग) क्या सरकार का कम से कम रक्षा उत्पादों के विपणन को नियंत्रित करने का विचार है ?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जहां तक आवश्यक तथा संभव है सरकार रक्षा मदों के निर्माण में निजी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) रक्षा मंत्रालय उन मदों के उत्पादन पर नियंत्रण रखता है जो विशेषकर रक्षा सेनाओं के उपयोग के लिए होती हैं।

पश्चिम बंगाल में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग

555. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में भारी प्रदूषण फैलाने वाले ऐसे उद्योगों की कोई जानकारी है जो अपना अपशिष्ट गंगा नदी में छोड़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं/उठाये जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) गंगा नदी के किनारों पर 43 बड़े तथा मझौले उद्योग स्थित हैं जो अपने बहिस्रावों को उपयुक्त रूप से उपचारित किए बिना नदी में बहा रहे हैं।

(ग) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उद्योगों को आवश्यक उपचार सुविधाएं लगाने के लिए सम्मत कर रहा है। हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उद्योगों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा उनसे अपने बहिस्रावों के उपचार के लिए उठाए गए कदमों के बारे में न्यायालय के समक्ष बयान दायर करने को कहा गया है।

भारतीय वायु सेना के विमान चालकों को प्रशिक्षित करने हेतु उड़ान प्रशिक्षित अकादमी केन्द्र

556. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय वायु सेना के विमान चालकों को प्रशिक्षित करने हेतु इस देश में कितने उड़ान प्रशिक्षिण अकादमी केन्द्र हैं;

(ख) क्या बंगलौर में कोई उड़ान प्रशिक्षण अकादमी है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का बंगलौर में उड़ान प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने का विचार है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) देश में भारतीय वायु सेना के पायलटों को प्रशिक्षण देने के लिए चार उड़ान प्रशिक्षण स्थापनाएं हैं।

(ख) और (ग) बंगलौर में यलहंका स्थित वायु सेना स्टेशन में वायु सेना के लिए परिवहन पायलटों को प्रशिक्षण दिया जाता है। बंगलौर में अन्य उड़ान प्रशिक्षण स्थापना स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

कर्नाटक के कैगा परमाणु विद्युत परियोजना का पर्यावरण संबंधी प्रभाव

557. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के घने जंगलों में प्रस्तावित एक परमाणु विद्युत संयंत्र की स्थापना के विरुद्ध कुछ पर्यावरण वैज्ञानिकों के दलों ने परमाणु ऊर्जा विभाग से विरोध प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कैगा में परियोजना स्थापित करने के बारे में निर्णय लेने से पहले कर्नाटक के इस स्थान के पर्यावरण संबंधी प्रभाव के बारे में जांच की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) कैगा परमाणु बिजलीघर के निर्माण और प्रचालन से पर्यावरण पर, जिसमें वनस्पति और जीवधारी भी शामिल हैं, कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। निर्माण-कार्य के लिए कम से कम वृक्ष काटे जाएंगे और निर्माण-स्थल पर तथा उसके इर्द गिर्द के क्षेत्र में अपेक्षाकृत कहीं अधिक

संख्या में पेड़ लगाए जाएंगे। बिजलीघर से होने वाले सभी बहिस्राव, जिनमें बिजलीघर के सामान्य प्रचालन के दौरान अथवा असामान्य परिस्थितियों में उत्सर्जित विकिरणसक्रिय पदार्थ भी शामिल हैं, पूरी तरह से निर्धारित सीमाओं के भीतर ही रहेंगे और पर्यावरण पर उनका प्रभाव न के बराबर पड़ेगा।

रंगीन टी० वी० सेट्स के मूल्य में कमी करने का प्रस्ताव

558. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय टी० वी० निर्माता संघ द्वारा दिये गये आश्वासन के बावजूद कुछ लोकप्रिय कंपनियों के रंगीन टी० वी० सेट का बाजार में उपभोक्ता मूल्य एक वर्ष की गारन्टी के साथ 10,000 रु० से अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो रंगीन टेलीविजन का मूल्य कम करने के लिए, जो 7,000 रु० से अधिक न हो, क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) दूरदर्शन की कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि किसी विशिष्टि मॉडल की विशेषताएं क्या हैं। कुछ विनिर्माताओं ने रंगीन दूरदर्शन का किफायती मॉडल बाजार में प्रस्तुत किया है जिसका मूल्य लगभग 7000/- रु० है। इस दिशा में पहले ही किए गए उपायों के फलस्वरूप यह आशा की जाती है कि कुछ और विनिर्माता ऐसे ही किफायती मॉडल बाजार में प्रस्तुत करेंगे।

काकरापार में परमाणु विद्युत परियोजना

559. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में काकरापार में एक परमाणु विद्युत परियोजना स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) इसकी उत्पादन क्षमता क्या होगी;

(ग) प्रस्तावित परमाणु विद्युत परियोजना के कब तक चालू होने की संभावना है;

(घ) क्या राज्य सरकार को प्रस्तावित परमाणु विद्युत केन्द्र में उत्पादित विद्युत का शत-प्रतिशत उपयोग करने की अनुमति होगी; और

(ङ) क्या किसी अन्य राज्य की भी परियोजना में उत्पादित विद्युत में से हिस्सा मिलेगा और यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) इस बिजलीघर में 2 यूनिट हैं जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 235 मेगावाट है।

(घ) आशा है कि दोनों यूनिट क्रमशः 1990-91 और 1991-92 में चालू कर दिए जाएंगे ।

(घ) और (ङ) पश्चिमी विद्युत क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले राज्य, जिनमें गुजरात भी शामिल है, काकरापार परमाणु बिजलीघर में पैदा हुई बिजली में साझीदार होंगे ।

क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, गुजरात द्वारा पासपोर्ट जारी करने में विलम्ब

560. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद में गुजरात क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को भेजे गये आवेदनों पर अनावश्यक विलम्ब होता है और एक पासपोर्ट जारी करने में तीन महीने से अधिक समय लगता है।

(ख) 1 नवम्बर, 1985 को गुजरात क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के पास पासपोर्ट के लिये कितने आवेदन पत्र लंबित पड़े थे;

(ग) 1 नवम्बर, 1985 को लंबित पड़े कुल आवेदनों में से कितने एक महीने, दो महीने और तीन महीने पुराने हैं;

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) पासपोर्ट के आवेदनों के शीघ्र निपटान के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ।

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी, नहीं । पासपोर्ट जारी करने में सामान्यतया दो तीन महीने लग जाते हैं ।

(ख) 18,439 ।

(ग) तीन महीने से अधिक	1,732
दो महीने से अधिक	3,895
एक महीने से अधिक	5,156
एक महीने से कम	7,656

(घ) आरक्षण-विरोधी आन्दोलन से पुलिस-अधिकारियों के कामकाज पर असर पड़ा है वे इसकी वजह से पहचान सत्यापन रिपोर्टों से संबंधित कार्य ठीक तरह से नहीं कर पाये । पासपोर्ट कार्यालय, अहमदाबाद के कार्य पर भी इसका प्रभाव पड़ा जहां इस अवधि के दौरान बहुत से अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय नहीं आ सके । इससे कार्य पिछड़ गया ।

(ङ) राज्य सरकार से यह कह दिया गया है कि वह गुजरात के जिला पुलिस अधिकारियों को उचित हिदायतें दे ताकि वे अधिक से अधिक आठ सप्ताह के भीतर पासपोर्ट आवेदकों की पुलिस रिपोर्टें भेज दें । पासपोर्ट कार्यालय द्वारा ठोस तथा सक्रिय कार्यवाही किए जाने के परिणामस्वरूप पिछला कार्य निपटाया जा चुका है । केवल वही मामले लम्बित पड़े हुए हैं, जिनके संबंध में पुलिस रिपोर्टें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

राज्यों में पाँच दिन का कार्य-सप्ताह

561. श्री रणजीत सिंह गायकवाड़
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्य सरकारों ने पांच दिन का कार्य-सप्ताह प्रारम्भ किया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उन राज्य सरकारों को जिन्होंने अभी तक अपने-अपने राज्य में पांच दिन का कार्य-सप्ताह प्रारम्भ नहीं किया है, पांच दिन का कार्य-सप्ताह क्रियान्वित करने का सुझाव दिया है अथवा सुझाव देगी; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को इन राज्यों से कोई नकारात्मक उत्तर प्राप्त हुआ है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंसन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ग) 'राज्य लोक सेवाएं' भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-11 राज्य सूची की एक मद (मद 41) के रूप में दर्शायी गई है और इसलिए यह निर्णय लेना राज्य सरकारों का ही दायित्व है कि क्या राज्य सरकारों में पांच कार्य-दिवसों का सप्ताह लागू किया जाए। फिर भी, केन्द्रीय सरकार ने केन्द्र में पांच कार्य-दिवसों का सप्ताह प्रारम्भ किए जाने से संबंधित अनुदेशों की एक प्रति राज्य सरकारों की सूचना के लिए भेज दी है। जिन राज्य सरकारों ने पांच कार्य-दिवसों का सप्ताह लागू कर लिया होगा, उनके नामों से संबंधित सूचना केन्द्र के पास उपलब्ध नहीं है। केन्द्रीय सरकार को सूचना प्राप्त हुई है कि गुजरात त्रिपुरा और उड़ीसा ने पांच कार्य-दिवसों का सप्ताह लागू नहीं किया है।

आंध्र प्रदेश में परमाणु विद्युत

562. **श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश ने राज्य में एक परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने की मांग की है;

(ख) क्या किसी विशेषज्ञ दल ने इस संबंध में आन्ध्र प्रदेश में कुछ स्थानों का दौरा किया था; और

(ग) यदि हां, तो दल के क्या निष्कर्ष हैं और इस संबंध में सरकार ने क्या अंतिम निर्णय लिये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) स्थल चयन समिति ने दक्षिणी विद्युत क्षेत्र में, जिसमें शामिल राज्यों में से आंध्र प्रदेश भी एक है, स्थलों का अध्ययन किया है। समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

प्रत्येक परिवार के लिए कम लागत के टी०वी० सेट

563. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कम आय वाले परिवारों को कम लागत के टी०वी० सेट उपलब्ध कराने के लिए कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में प्रत्येक भारतीय परिवार को एक टी०वी० सेट उपलब्ध कराने के लिए तुरन्त उपाय करने का है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (ग) दूरदर्शन सेटों की कीमतें कम करने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(i) उत्पादन क्षमताओं पर ऊपरी सीमा लगाए बिना औद्योगिक अनुमोदन उदारता से जारी करना ताकि उत्पादन के लिए आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य स्तर के लक्ष्य को हासिल किया जा सके और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिले ।

(ii) आयातित कच्ची सामग्रियों/संयक-पुर्जों पर से सीमा-शुल्क, उत्पादन शुल्क में कमी आदि करके सरकारी कराधान में कटौती ।

(iii) दूरदर्शन सेटों के विनिर्माण की समीक्षा करने तथा प्रगति पर निगरानी रखने के लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गठित एक उच्च अधिकार प्राप्त दूरदर्शन समन्वय समिति कार्य कर रही है, जिसमें भारतीय दूरदर्शन विनिर्माता संघ के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं ।

(iv) इलेक्ट्रानिकी विभाग के अन्तर्गत इलेक्ट्रानिक्स ट्रेड एण्ड टेकनोलॉजी डेवलपमेंट कारपोरेशन (ई०टी० एण्ड० टी०) नामक सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम "सामग्री प्रौद्योगिकी तथा ब्रांड नाम (एम०टी०बी०) नामक अपने कार्यक्रम के अन्तर्गत उचित लागत पर बढ़िया क्वालिटी की वस्तुओं का उत्पादन करने के उद्देश्य से उद्योग को थोक मात्रा में आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति करके और साथ-साथ आवश्यक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराके सहायता प्रदान करेगा ।

सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों और अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण

564. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : **क्या रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न प्रकार के विद्रोह को, विशेषकर सीमा और पिछड़े क्षेत्रों में जहां विद्रोह का मूल कारण शिक्षित बेरोजगार और आर्थिक विकास की कमी है, रोकने के लिए सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों और अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो कब से और उसका क्या प्रभाव रहा ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सशस्त्र विद्रोह को रोकने के लिए प्रशिक्षण छटे दशक के आखिर में आरम्भ किया गया था और इसमें निरंतर संशोधन तथा सुधार किया जाता है। इस प्रशिक्षण से हमारी सुरक्षा सेनाओं को हमारे सीमावर्ती राज्यों में व्याप्त विद्रोह को प्रभावी रूप से दबाने में सहायता मिलती है।

उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट क्षेत्रीय पादप (प्लांट) संसाधन केन्द्र की स्थापना

565. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यावरण विभाग ने देश में कुछ क्षेत्रीय पादप संसाधन केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो पर्यावरण विभाग ने ऐसे कितने पादप संसाधन केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति दी है;

(ग) इस प्रकार के पादप संसाधन केन्द्रों को किन-किन स्थानों पर स्थापित किया जाएगा;

(घ) क्या उड़ीसा में भुवनेश्वर के निकट एक ऐसा पादप संसाधन केन्द्र स्वीकृत किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो क्षेत्रीय पादप संसाधन केन्द्र, भुवनेश्वर में किए गए कार्यों की प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) और (ङ) उड़ीसा सरकार द्वारा भुवनेश्वर के निकट हाल ही में एक क्षेत्रीय पादप संसाधन केन्द्र की स्थापना की गई है। पर्यावरण विभाग ने उस केन्द्र में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए वित्तीय सहायता देने का निर्णय किया है।

उड़ीसा में पूर्वी घाटों के आर्थिक विकास के लिए परियोजनाओं को मंजूरी

566. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य में पूर्वीघाटों के आर्थिक विकास की परियोजना के अन्तर्गत आठ परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो उन आठ परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितनी धनराशि आवंटित की है; और

(ग) पूर्वी घाटों के आर्थिक विकास के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र०सं०	कुल स्वीकृत राशि (रुपये)	पहली किश्त (रुपये)
1. परियोजना "बिहंग"—प्रधान अन्वेषक श्री यू०एन० देव, कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय वन्यजीव संरक्षण सोसायटी आफ उड़ीसा, भुवनेश्वर।	5,38,400	3,21,500 (परियोजना अनुसंधान कार्यक्रम सितम्बर 1985 से प्रारम्भ हुआ)
2. ईपिडोकेलीस डेलीवेसिया; ओलिवे रिडले के पारिस्थितिकी प्रजनन नमूनों, विकास तथा कार्मोटाईप पैटर्न का एक उप अध्ययन—प्रो० पी० मोहनती-हजमादी, प्राणी विज्ञान विभाग, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर।	7,93,600	6,12,100
3. पूर्वी घाटों में साइट्रस, आम, कटहल और इमली के सर्वेक्षण तथा प्रणालीबद्ध वर्णन। प्रधान अन्वेषक डा० जी०डी० दास, उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	4,36,400	2,21,600
4. "पूर्वीघाटों में पौधों के पारि-अनुवंशिक पर खनिज अपशिष्टों के अनुप्रभाव-प्रधान अन्वेषक, डा०पी० दास, मुख्य कार्यकारी, क्षेत्रीय पौध संसाधन केन्द्र, भुवनेश्वर-251012	8,46,400	4,00,000
5. चिलकस झील, प्रधान अन्वेषक, डा०पी०एम० मिश्रा, बहरामपुर विश्वविद्यालय, उड़ीसा	1,36,000	0,62,000
6. पूर्वी घाटों "जीवित संसाधनों (पौध तथा जीव), नम भूमि,, मृदा, जलवायु तथा भूमि संसाधन पर सुलभ आंकड़ों का एकत्रण एवं पुनः प्राप्ति"। प्रधान अन्वेषक प्रो० वी०एम० सिन्हा, प्रमुख, भूगोल विभाग, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर	6,34,000	3,70,600
7. भू-भाग मूल्यांकन, भूमि उपयोग, संसाधन उपयोग तथा पारि-विकास के लिए उड़ीसा के पूर्वी घाटों का एक संघटित अध्ययन एवं निर्धारण—प्रधान अन्वेषक प्रो० एस० आचार्य, भूगर्भ विभाग, उत्कल विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर।	6,10,000	4,14,800
8. उड़ीसा में पूर्वी घाटों के भूक्षरण निर्धारण सर्वेक्षण, प्रधान अन्वेषक श्री जी, महापात्र, मुख्य कार्यकारी, उड़ीसा रिमोट सैन्सिंग अप्लीकेशन सेन्टर, भुवनेश्वर।	4,40,000	2,60,000
	44,34,800	26,63,200

असम में जनगणना

567. **श्री नारायण चौबे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम में अन्तिम बार जनगणना कब कराई गई थी,

(ख) क्या यह सच है कि असम में वर्ष 1981 में जनगणना नहीं कराई गई थी,

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उपर्युक्त जनगणना कब कराई जाएगी ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) असम राज्य में पिछली जनगणना 1971 में की गयी थी।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) असम राज्य में उस समय व्याप्त विक्षुब्ध परिस्थितियों के कारण 1981 जनगणना नहीं की जा सकी थी।

(घ) असम में जनगणना करने का प्रश्न विचाराधीन है। इसके लिए अभी तक कोई तिथि निश्चित नहीं की गयी है।

निर्धनता निवारण परियोजनाएं

568. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान किन मुख्य निर्धनता निवारण परियोजनाओं के लिए धन दिया जा रहा है और प्रत्येक परियोजना का मुख्य आधार क्या है और परियोजनाओं की परस्पर प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए क्या मानदंड अपनाया गया है;

(ख) क्या इन परियोजनाओं को योजना में शामिल करने से पहले प्रत्येक योजना, के दावा की गई वैधता का स्वतंत्र रूप से वैज्ञानिक आधार पर समुचित मूल्यांकन किया था; और

(ग) यदि हां, तो इनमें से प्रत्येक का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) सातवीं योजना के दौरान जिन मुख्य निर्धनता निवारण परियोजनाओं का कार्यान्वयन हो रहा है, वे हैं : एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार कार्यक्रम। इनमें से प्रथम का उद्देश्य परिसंपत्तियां प्रदान करके स्वरोजगार उद्यमों का विकास करना है, और दूसरे और तीसरे का उद्देश्य पूरक मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। पहले कार्यक्रम और शेष (दूसरे और तीसरे) कार्यक्रम परस्पर एक-दूसरे से अलग नहीं हैं। ये सारे कार्यकलाप एक दूसरे के पूरक हैं और सब मिलकर गरीबों की आय में अधिक स्थिर पर प्रवाह संचित करते हैं।

(ख) और (ग) मूल्य आंकन एक सतत् प्रक्रिया है तथा छठी योजना अवधि में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर, इन कार्यक्रमों को सातवीं योजना में शामिल किया गया है।

दिल्ली में दहेज के कारण मौतें

569. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों के दौरान दिल्ली में संदेहास्पद परिस्थितियों में कितनी नव-विवाहित महिलाओं की मौतें हुई ;

(ख) दहेज की मांग के कारण कितनी मौतें हुई हैं; और

(ग) बहुओं को जलाने आदि के मामलों में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग) पिछले तीन महीनों अर्थात् 1.8.85 से 31.10.85 में दहेज के कारण हुई मौतें, दर्ज किए गए मामले तथा गिरफ्तार किये गये व्यक्ति इस प्रकार हैं :—

दहेज के कारण हुई मौतों की संख्या	दर्ज किये गये मुकदमें	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति
17	20	16

पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध सुधारने के बारे में बातचीत

570. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत**
प्रो० पी० जे० कुरियन } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र को 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधान मंत्री की हाल की न्यूयार्क यात्रा के दौरान अणुबम कार्यक्रम पर हुई बातों के अतिरिक्त भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सुधारने के मामले में भारत के प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या पाकिस्तान निकट भविष्य में भारत के साथ सामाजिक और व्यापारिक संबंध सुधारने का इच्छुक है ?

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है जैसे सीमाओं के आर-पार दोनों ओर व्यापारिक घुसपैठ, उग्रवादियों को पाकिस्तान की सहायता और पाकिस्तान का नाभिकीय कार्यक्रम ।

(ख) भारत और पाकिस्तान दोनों ने विभिन्न क्षेत्रों में, संबंध सुधारने की इच्छा व्यक्त की है, जिनमें सामाजिक और व्यापार विनिमय शामिल है ।

[हिन्दी]

कल्पक्कम में फास्टब्रीडर रिएक्टर के चालू हो जाने से बिजली उत्पादन की क्षमता

571. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कल्पक्कम में पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकी से बनाये गये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के चालू हो जाने से बिजली उत्पादन की क्षमता में मेगावाट में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) देश में ऐसे कितने परमाणु विद्युत संयंत्र स्वदेशी तकनीकी पर आधारित हैं जो 2000 ईसवी तक काम करना आरम्भ कर देंगे;

(ग) क्या सरकार का विचार राजस्थान में कोटा में राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत संयंत्र में दो अतिरिक्त एकक स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो उनके कब तक कार्य आरम्भ करने की संभावना है;

(ङ) क्या ये कल्पक्कम की तकनीक पर आधारित होंगे; और

(च) क्या बिजली की इस अतिरिक्त क्षमता का उपयोग राजस्थान की असिंचित और अविकसित भूमि के लिए किया जायेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, कलपाक्कम परीक्षणों के लिए काम में लाया जाने वाला रिएक्टर है तथा इसकी स्थापना बिजली का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से नहीं की गई है।

(ख) सन् 2000 तक 500 मेगावाट क्षमता का एक प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर चालू करने की योजना है।

(ग) जी, हां।

(घ) इन दोनों यूनिटों पर प्रारंभिक कार्य शुरु भी किया जा चुका है।

(ङ) ये दोनों यूनिट दाबित भारी पानी किस्म के वैसे ही रिएक्टर होंगे जैसे कि मद्रास में कलपाक्कम स्थित मद्रास परमाणु बिजलीघर में काम में लाए गए हैं।

(च) सरकार की नीति यह है कि पैदा हुई बिजली का वितरण क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले राज्यों को किया जाए।

[अनुवाद]

आक्रामक अन्तरिक्ष हथियारों और परमाणु अस्त्रों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की सोवियत पेशकश

572. **श्री आनन्द सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाशक्तियों के बीच हथियारों की होड़ को रोकने के प्रत्यक्ष उद्देश्य से आक्रामक अंतरिक्ष हथियारों के संबंध में दोनों पक्षों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और परमाणु अस्त्रों में 50 प्रतिशत की कमी करने की सोवियत पेशकश पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो अमरीका सरकार और अन्य परमाणु शक्तियों की उस पर प्रतिक्रिया के बारे में सरकार को क्या सूचना प्राप्त हुई है; और

(ग) हथियारों की होड़ को रोकने के प्रयासों की दिशा में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) बताया जाता है कि अमरीकी सरकार जेनेवा में दोनों देशों के बीच चल रही द्विपक्षीय वार्ता के संदर्भ में अभी हाल की सोवियत पेशकश पर विचार कर रही है।

(ग) नाभिकीय शस्त्रों की होड़ पर भारत सरकार अत्यन्त चिन्तित है । हाल के अपने विदेशों के दौरे में प्रधान मंत्री ने अमेरिका, सोवियत संघ सहित अनेक देशों के नेताओं और अन्य नाभिकीय शस्त्रों वाले देशों के नेताओं के साथ बातचीत की थी और अपनी चिन्ता से अवगत कराया था। इसके अतिरिक्त, उन्होंने इस वर्ष जनवरी में नई दिल्ली में हुए 6 राष्ट्रों के शिखर-सम्मेलन में भाग लेने वाले अन्य सहयोगियों के साथ अमरीका और रूस दोनों से यह अपील की थी कि 12 महीनों की अवधि के लिए वे सभी नाभिकीय परीक्षण रोक दें और इस प्रकार के विलम्ब काल के प्रभावी सत्यापन को सुविधाजनक बनाने में मदद देने की पेशकश की।

अमरीकी उप विदेश मन्त्री की यात्रा के परिणाम

573. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के उप विदेश मंत्री 7 अक्तूबर, 1985 को नई दिल्ली में प्रधान मंत्री और विदेश सचिव से मिले थे; और

(ख) यदि हां, तो उनसे हुई बातचीत के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी, हां। अमरीका के डिप्टी सेक्रेटरी ने उसी दिन विदेश मंत्री तथा विदेश राज्य मंत्री से भी मुलाकात की थी।

(ख) इस यात्रा से भारत और अमरीका के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर उच्च-स्तरीय विचार-विमर्श को जारी रखने का मौका मिला।

पोलिसारियों के सहरवी अरब गणराज्य को मान्यता

574. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पोलिसारियों के सहरवी अरब गणराज्य को मान्यता दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने किन विशिष्ट बातों को ध्यान में रखकर इस नये गणराज्य को मान्यता दी है।

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) सहारवी अरब लोक गणराज्य को भारत की मान्यता संयुक्त राष्ट्र महा-सभा के उन विभिन्न संकल्पों पर आधारित है जिनमें सहारवी लोगों की स्वतन्त्रता और उनके आत्म निर्णय के अधिकार को स्वीकार किया गया है; और वहां के क्षेत्रीय प्रतिनिधि संगठन अर्थात् अफ्रीकी एकता संगठन द्वारा अख्तियार की गई नीति के आधार पर भी है जिसमें सहारवी अरब लोक गणराज्य को न सिर्फ एक पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार किया है, बल्कि उसे अपना एक उपाध्यक्ष भी बनाया है।

दक्षिण अफ्रीका में हिंसा के प्रति विरोध प्रकट करना

575. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दक्षिण अफ्रीका में श्वेत लोगों के अल्प संख्यक शासन द्वारा बहुसंख्यक लोगों के विरुद्ध पुनः की गई हाल की हिंसा के बारे में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर कड़ा विरोध प्रकट किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) और (ख) भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भी प्रीटोरिया की अल्पसंख्यक श्वेत सरकार के आतंकवादी शासन की निरन्तर निन्दा की है। हाल ही में नसाऊ, बहामास में सम्पन्न राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षकों की बैठक में एक सामान्य कार्य-योजना का निर्णय लिया गया है जिसका उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका की सरकार पर इस बात के लिए दबाव डालना है कि वह पृथग्वासन प्रणाली को समाप्त कर दे और जातीय भेदभाव के बिना वयस्क मतदान के आधार पर गैर-जातीय तथा प्रतिनिधि सरकार की स्थापना करे। राष्ट्रमंडल के सदस्यों के अतिरिक्त हाल ही में कई अन्य देशों ने भी प्रीटोरिया शासन के विरुद्ध राजनीतिक तथा आर्थिक उपाय किए हैं।

विभागीय उपक्रमों के कर्मचारियों को प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के अन्तर्गत शामिल करने का प्रस्ताव

576. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास विभागीय उपक्रमों के कर्मचारियों को प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत लाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में सरकार ने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संगठनों और विभागीय उपक्रमों के कर्मचारियों की यूनियनों के साथ सलाह मशविरा किया है; और

(ग) यदि हां, तो उनका दृष्टिकोण क्या है और इस दृष्टिकोण के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) 1 नवम्बर, 1985 को स्थापित केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के क्षेत्राधिकार में विभागीय उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी आते हैं। तथापि प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 2(6) के कारण औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 द्वारा शासित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जिन मामलों में उक्त अधिनियम में शासित होते हैं, उनके सम्बन्ध में वे अधिकरण के क्षेत्राधिकार में नहीं आएंगे। जहां तक ऐसे कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों के बारे में उनके व्यक्तिगत विवादों का प्रश्न है, सरकार ऐसे कर्मचारियों को भी केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के क्षेत्राधिकार में लाने का विचार रखती है।

(ख) और (ग) सरकार ने उपर्युक्त प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के प्रतिनिधि संगठनों और केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों से परामर्श कर लिया है। आम तौर पर प्रतिनिधियों का यह विचार है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन उनके अधिकार न तो कम किए जाएं और न समाप्त किए जाएं। सरकार मामले की आगे जांच-पड़ताल कर रही है।

[हिन्दी]

सीमा पर विदेशी नागरिकों की घुसपैठ रोकने के लिए नागरिकों को परिचय-पत्र जारी करना

577. **श्री शान्ति धारीवाल**
श्री विजय कुमार यादव } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशी नागरिक सीमा पार करके देश में घुसपैठ कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विदेशी नागरिकों की घुसपैठ रोकने के लिए सीमान्त-वर्ती राज्यों में रह रहे नागरिकों को परिचय-पत्र जारी करने का निर्णय किया है;

(ग) यदि नहीं, तो यह प्रणाली कब तक शुरु की जाएगी और उन स्थानों/क्षेत्रों/राज्यों के नाम क्या हैं जहां यह प्रणाली शुरु की जायेगी ? और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (घ) अवैध प्रवासियों के प्रवेश से प्रभावशाली ढंग से निपटने हेतु सीमा सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर घुसपैठ विरोध उपायों, सीमा सुरक्षा बल बटालियनों को सुदृढ़ करने तथा अन्य सुरक्षा उपायों का पुनिरीक्षण किया जाता है। इन उपायों में जहां आवश्यक हों, सीमान्त राज्यों की पुलिस को सुदृढ़ करना, प्रेक्षण बुर्जों का निर्माण, सीमा विंग होम गार्डों द्वारा सीमा सुरक्षा बल को सुदृढ़ करना, सीमा सुरक्षा बलों तथा अन्य सुरक्षा बलों को उन्नत उपस्करों जैसे रात्रि दर्शन उपकरणों, उच्च शक्ति की दूरबीन इत्यादि से सुसज्जित करना शामिल है। इन उपायों के अतिरिक्त यदि यह आवश्यक समझा जाता है कि सीमान्त राज्यों में रहने वाले नागरिकों को पहचान-पत्र जारी किया जाय तो सरकार उचित समय पर मामले के इस पहलू पर भी विचार करेगी।

[अनुवाद]

दिल्ली अग्निशमन सेवा के आधुनिकीकरण के लिए पुनरीक्षण समिति

578. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली अग्नि शमन सेवा के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने और उसके आधुनिकी-करण के लिये विगत समय में कोई समिति गठित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और समिति की विभिन्न सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1976 से पूर्व दिल्ली अग्निशमन सेवा का तदर्थ रूप से विस्तार किया गया था। नये अग्निशमन केन्द्र खोले गये, जो भूमि और धनराशि की उपलब्धता के अनुसार थे। 1976 के दौरान पहली बार भारत सरकार गृह मंत्रालय ने दिल्ली अग्निशमन सेवा की अपेक्षाओं का विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा गहन अध्ययन करने का आदेश दिया ताकि उसकी कार्यदक्षता तथा समर्थता में सुधार किया जा सके। अग्निशमन सलाहकार, भारत सरकार इस समिति के अध्यक्ष थे और इसके सदस्यों में मुख्य अग्निशमन अधिकारी, उप-मुख्य अग्निशमन अधिकारी, दिल्ली और सचिव (एल एस जी) दिल्ली प्रशासन थे। सहायक महानिदेशक (डी जी सी डी) गृह मंत्रालय और वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी नागरिक रक्षा को भी सदस्यों के रूप में सहयोजित किया गया था। समिति ने यथोचित विचार करने के बाद सिफारिश की कि उस समय 12 अग्निशमन केन्द्रों की तुलना में सम्पूर्ण दिल्ली की पर्याप्त तथा प्रभावकारी अग्निशमन सेवा प्रदान करने के लिए कम से कम 63 अग्निशमन सेवा केन्द्रों की जरूरत है। समिति ने दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा बड़ी संख्या में नये उपकरण खरीदे जाने की भी सिफारिश की। विशेषज्ञों की उस समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में 10 वर्ष की अवधि में अनावर्ती खर्च की दृष्टि से लगभग 15.75 करोड़ रुपये की आर्थिक कठिनाइयां थीं, जबकि वार्षिक आवर्ती खर्च लगभग 4.76 करोड़ रुपये का था।

2. धन की कमी के कारण विशेषज्ञों की समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित करना संभव नहीं था। परन्तु जब धनराशि की स्थिति ठीक हुई तो नये अग्निशमन सेवा केन्द्र खोलते अथवा उपकरण खरीदते समय विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया। 1976 के बाद 3 नये अग्निशमन सेवा केन्द्र खोले गये हैं। जिन क्षेत्रों में कुछ वर्षों से आग लगने का खतरा बढ़ गया है, उनमें 5 नये अग्निशमन सेवा केन्द्र खोलने के प्रस्ताव विचाराधीन है। ये क्षेत्र हैं, कीर्ति नगर वेयर हाउसिंग स्कीम, भीखाजी कामा प्लेस, नेहरू प्लेस, राजेन्द्र प्लेस, शहरी क्षेत्र और नरेला जहां अग्निशमन सेवा की कार्यवाही बहुत देर से होती है। इसी प्रकार अतिरिक्त अग्निशमन इंजिन प्राप्त किये थे। ऊंचे-ऊंचे भवनों में आग बुझाने के लिए विशेष उपकरण जैसे हाइड्रालिक प्लेट फार्म तथा टर्न टेबल लैडर भी प्राप्त किये गये। अतः विशिष्ट किस्म के अग्निशमन इंजिनों तथा अन्य उपकरणों की संख्या 1983-84 में 144 से बढ़कर 167 हो गई। 1984-85 में यह और बढ़कर 172 हो गई।

दिल्ली में अग्निशमन केन्द्रों की पर्याप्तता

579. **श्रीमती एन० पी० झांसी लक्ष्मी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली अग्निशमन सेवा देश की सर्वाधिक घटिया उपकरणों से सज्जित अग्निशमन सेवा है;

(ख) क्या अग्निशमन केन्द्रों और अग्निशमन गाड़ियों की संख्या निर्धारित करने के लिये कोई दिशा निर्देश/प्रक्रिया निर्धारित किये जा रहे हैं जो किसी शहर के लिये अनिवार्य हैं;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली/नई दिल्ली में कितने अग्निशमन केन्द्र हैं;

(घ) क्या दिल्ली जैसे शहर के लिये इन्हें पर्याप्त समझा गया है; और

(ड़) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) इस समय 17 अग्निशमन केन्द्र, एक प्रशिक्षण केन्द्र तथा दिल्ली अग्निशमन सेवा का एक मुख्यालय है।

(घ) जी, नहीं श्रीमान्।

(ड़) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

सन् 1976 में दिल्ली अग्निशमन सेवा की आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिये गृह मंत्रालय द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था ताकि इसकी कार्य कुशलता तथा कारगरता को सुधारा जा सके। समिति ने सिफारिश की कि दिल्ली में अग्निशमन को पर्याप्त प्रभावशाली बनाने के लिए कम से कम 63 अग्निशमन केन्द्रों की आवश्यकता है जबकि उस समय 13 अग्निशमन केन्द्र विद्यमान थे। समिति द्वारा अनेक नये उपकरणों की सिफारिश की गई जो दिल्ली अग्निशमन सेवा द्वारा प्राप्त किए जाने चाहिए थे। विशेषज्ञों की उस समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन में 10 वर्ष की अवधि में अनावर्ती खर्च की दृष्टि से लगभग 15.75 करोड़ रुपये की आर्थिक कठिनाइयां थीं जबकि वार्षिक आवर्ती खर्चा लगभग 4.76 करोड़ रुपये का था।

2. धन की कमी के कारण विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को कार्यान्वित करना सम्भव नहीं था। फिर भी नये अग्निशमन केन्द्र खोलने अथवा उपकरणों का इन्तजाम करने, जब भी धन की स्थिति अनुकूल रही, उनकी सिफारिशों को ध्यान में रखा गया। 1976 से तीन नये अग्निशमन केन्द्र खोले गये हैं तथा ऐसे क्षेत्रों में जहां पिछले वर्षों में आग लगने का खतरा काफी बढ़ गया है, जैसे शहरी क्षेत्र कीर्ति नगर वेयर हाउसिंग स्कीम, भीखाजी कामाप्लेस, नेहरू प्लेस तथा राजेन्द्र प्लेस तथा नरेला जहां इस समय अग्निशमन की कार्रवाई बहुत देर से होती है, में पांच नये अग्निशमन केन्द्र खोलने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

3. इसी प्रकार अतिरिक्त अग्निशमन इंजन, विशेष उपकरणों जैसे हाईड्रालिक प्लेट फार्म तथा ऊंची इसारतों में अग्निशमन के लिए टर्न टेबल लैडर्स का इन्तजाम भी किया गया। अग्निशमन इंजनों तथा विशेष प्रकृति के अन्य उपकरणों की संख्या 1983-84 में 144 से बढ़ाकर 167 तथा 1984-85 में 172 कर दी गयी।

महाराष्ट्र में समुद्रीय उद्यान की स्थापना

580. **श्री हुसेन दलवाई**
प्रो० मधु दण्डवते } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय समुद्रीविज्ञान संस्थान ने सिफारिश की है कि महाराष्ट्र राज्य के सिंधदुर्ग जिले में मलवान में एक समुद्रीय उद्यान की स्थापना की जाये;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार उक्त उद्यान की स्थापना के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या वन्य जीवन पर आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ने प्रत्येक देश में समुद्रीय उद्योग स्थापित करने की सिफारिश की है और इसके तरह के संकल्प के बावजूद कि भारत में अभी तक इस तरह का कोई उद्यान नहीं है;

(घ) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में इस तरह का कोई उद्यान स्थापित करने का है यदि हां, तो इस परियोजना पर कुल कितनी लागत आयेगी और इस परियोजना को कब तक कार्यान्वित कर दिया जायेगा; और

(ङ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये पर्याप्त सावधानी बरती जायेगी कि इस परियोजना से मलवान तट पर मछली पकड़ने में लगे मछुआरों के हित को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचेगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) महाराष्ट्र राज्य सरकार के अनुरोध पर राष्ट्रीय महासागर विज्ञान संस्थान ने एक अध्ययन किया था तथा उनसे मलवान में एक समुद्रीय उद्यान की स्थापना करने की सिफारिश की थी।

(ख) वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत यदि क्षेत्र केन्द्रीय सरकार को हस्तान्तरित अथवा पट्टे पर नहीं दिया जाता है तो इसकी एक राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य के रूप में स्थापना के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जानी है।

(ग) इस समय, देश में दो समुद्रीय राष्ट्रीय उद्यान हैं एक कच्छ गुजरात की खाड़ी में तथा दूसरा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में। तमिलनाडु राज्य सरकार भी मनार की खाड़ी में एक समुद्रीय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना पर विचार कर रही है।

(घ) तथा (ङ) महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मलबान में एक समुद्रीय उद्यान की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव प्रारम्भिक अवस्था में है तथा राज्य सरकार द्वारा परियोजना को कार्यान्विद करने से पहले एक तकनीकी-आर्थिक रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

पंजाब में पाकिस्तान से घुसपैठ

581. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवाद के समाप्त करने तथा उसका निवारण करने के प्रयासों के संबंध में अभी तक की गई गिरफ्तारियों से यह सिद्ध हुआ है कि पंजाब तथा देश के अन्य भागों में आतंकवाद

फैलाने के उद्देश्य से पाकिस्तान से सीमा पार करके इस देश में सुप्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का क्या विशिष्ट प्रमाण मिला है ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) भारत में घुसपैठ करके आए और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों से पूछताछ करने पर उनके सम्पर्कों और विदेश में प्रशिक्षण और हथियारों की आपूर्ति और उन्हें देश में हिंसक गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त होने के लिए अन्य सहायता देने के बारे में सूचना मिली है।

तारापुर में 500 मेगावाट का परमाणु विद्युत संयंत्र

582. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 500 मेगावाट का पहला परमाणु विद्युत संयंत्र तारापुर में स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह परियोजना आपके विभाग द्वारा प्रस्तावित 10 वर्षीय रूप रेखा का एक भाग है; और

(घ) यदि हां, तो इस रूप रेखा का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) सरकार ने परमाणु बिजली के सम्बंध में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा तैयार की गई 15 वर्षीय कार्यक्रम की रूप रेखा सिद्धान्त रूप में अनुमोदित कर दी है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत यह परिकल्पना की गई है कि 1985-2000 की अवधि में देश के विभिन्न भागों में ऐसे 12 रिएक्टर लगाए जाएं जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 235 मेगावाट हो और दाबित भारी पानी किस्म के ऐसे 10 रिएक्टर लगाएं जाएं जिनमें से प्रत्येक की क्षमत्ता 500 मेगावाट हो। इस बारे में सरकार अभी विचार कर रही है कि भविष्य में लगाए जाने वाले ये परमाणु बिजलीघर कहां-कहां स्थापित किए जाएं।

[हिन्दी]

हिन्द महासागर में प्रदूषण

583. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बनाये गये महासागर विकास कार्यक्रमों की मुख्य बातें क्या हैं और उन्हें कार्यान्वित करने हेतु क्या उपाय किये गये हैं;

(ख) महासागर में प्रदूषण को कम करने में कितनी सफलता मिली है; और

(ग) हिन्द महासागर में प्रदूषण के कारण गत एक वर्ष के दौरान अनुमानत: कितनी मछलियां मरी हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) महासागर विकास कार्यक्रमों की मुख्य विशेषताएं अनन्य आर्थिक क्षेत्र के सर्जीव और निर्जीव संसाधनों का उनके अनुकूलतम उपयोग के लिए सर्वेक्षण करना, गहन समुद्र-तल खनन, अन्टार्कटिक अनुसंधान, समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा, लहर ऊर्जा और समुद्री तापीय ऊर्जा के उपयोग के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का विकास, अन्तर्जलीय प्रौद्योगिकी का विकास, विलवणीकरण तकनीक तथा समुद्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित जन-शक्ति का विकास हैं। कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए किए गए उपाय निम्नलिखित हैं : —

(i) अन्वेषण के लिए दो अनुसंधान जलयानों की प्राप्ति।

(ii) गहन समुद्र-तल खनन के लिए दो स्थलों का पता लगाना।

(iii) समुद्र से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का विकास।

(iv) जन-शक्ति का विकास।

(v) अन्टार्कटिका को अभियान।

(ख) बड़े पैमाने पर महासागर का प्रदूषण केवल तेल और व्युत्पन्नों द्वारा सम्भव है। कानूनों को सुदृढ़ बनाया गया है और प्रदूषण नियंत्रण के उल्लंघन के लिए हाल ही में दण्ड पर्याप्त रूप से बढ़ा दिया गया है। अभी तक हिन्द महासागर में किसी बड़े तेल प्रदूषण की सूचना नहीं मिली है। तट रक्षक संगठन ने टैंकरों अथवा दुर्घटनाओं द्वारा तेल के बिखरने से होने वाले तेल प्रदूषण का सामना करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। औद्योगिक अपशेष, मल-जल और तेल से होने वाले समुद्री प्रदूषण का मुकाबला करने में पर्याप्त सफलता मिली है और बहुत-सी संबंधित एजेंसियां समुद्री प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कार्य योजना तैयार करने और उसे आधुनिक बनाने के कार्य में संलग्न हैं।

(ग) गत एक वर्ष के दौरान हिन्द महासागर में प्रदूषण के कारण मछलियों के मरने की कोई सूचना नहीं मिली है।

[अनुवाद]

जल प्रदूषण को रोकने के लिए उपाय

584. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जल प्रदूषण को रोकने के लिए कोई योजना तैयार की है और क्या उन्होंने देश में ऐसी नदियों का पता लगाया है जिनमें प्रदूषण अधिकतम सीमा तक पहुंच गया है;

(ख) यदि हां, तो देश में उन नदियों के नाम क्या हैं जिनके बारे में सरकार ने पानी को साफ करने की योजना तैयार की है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जल (प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय तथा राज्य

जल प्रदूषण निवंत्रण बोर्डों द्वारा जल प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम किए जाते हैं। यद्यपि, जल प्रदूषण रोकने के लिए कोई अलग स्कीम नहीं है, देश की सभी प्रमुख नदियों के प्रबोधन तथा नदी बेसिन-वार अध्ययन से संबंधित चालू कार्यक्रम हैं। नदियों की लम्बाईयों को उनके निर्धारित प्रदूषण भार के आधार पर विभिन्न उपयोगों के लिए वर्गीकृत किया गया है।

(ख) गंगा नदी को साफ करने के लिए एक स्कीम तैयार की गई है तथा उस पर कार्य आरम्भ हो गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

गंगा-प्राधिकरण योजना

585. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करने की योजना उसी प्रकार रुकी पड़ी है, जिस प्रकार गंगा प्राधिकरण योजना जो अभी तक आरम्भ नहीं हुई है;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद को राशि अभी तक उसे न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) इलाहाबाद में "संगम" में अत्याधिक प्रदूषण को समाप्त न किए जाने के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं। गंगा परियोजना निदेशालय की स्थापना हो चुकी है। गंगा नदी के प्रदूषण को साफ करने का कार्य आरम्भ हो गया है।

(ख) तथा (ग) इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा तैयार की गई गौघाट पम्पिंग स्टेशन का नवीकरण और इसकी क्षमता में वृद्धि करने की एक योजना स्वीकृत की गई है जिस पर अनुमानतः 1.6 करोड़ रुपये की लागत आएगी। कार्य की प्रगति के अनुसार निधियां वंटित की जायेंगी।

लगभग दो वर्षों में पूरी की जाने वाली इस योजना से संगम के निकट प्रदूषण में काफी कमी होने की आशा है।

[अनुवाद]

इफ्कों उर्वरक संयंत्र, फूलपुर इलाहाबाद द्वारा गंगा को प्रदूषण

586. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद में फूलपुर स्थित इफ्कों उर्वरक संयंत्र, द्वारा बनाये जा रहे अवशिष्ट पदार्थों से गंगा और यमुना के जल में बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रबन्धकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

परमाणु शक्ति के विकास के लिए थोरियम अनुसंधान

587. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परमाणु शक्ति के विकास के लिए भारत के विशाल थोरियम भण्डारों का उपयोग करने की संभाव्यता का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं;

(ग) परमाणु शक्ति के विकास के कार्यान्वयन के लिए कौनसी स्कीमें तैयार की गई हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) केरल में मानवलाकुरुचि क्षेत्र की रेत से यूरेनियम के खनन और संसाधन का काम पिछले कई वर्षों से किया जाता रहा है ।

(ख) अनुसंधान रिएक्टरों में थोरियम के किरणन के स्वभाव के बारे में और थोरियम का पुनर्संसाधन प्रायोगिक संयंत्र स्तर पर करने के बारे में अनुसंधान और विकास-कार्य किए गए हैं । कलपाक्कम स्थित फास्ट ब्रीडर टैस्ट रिएक्टर में थोरियम को आवरण-सामग्री के रूप में काम में लाया जाएगा ।

(ग) और (घ) परमाणु बिजली सम्बंधी विकास-कार्यक्रम को निम्नलिखित तीन चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा :

पहला चरण : दाबित भारी पानी किस्म के ऐसे कई रिएक्टरों का निर्माण और प्रचालन करना जिसमें बिजली के उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम काम में आता हो ।

दूसरा चरण : ऐसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों का निर्माण और प्रचालन करना जिनमें ईंधन के रूप में प्लूटोनियम को और आवरण सामग्री के रूप में अवक्षेपित यूरेनियम को काम में लाया जाता हो ।

तीसरा चरण : ऐसे फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों का निर्माण और प्रचालन करना जिनमें यूरेनियम-233 को ईंधन के रूप में और थोरियम को आवरण सामग्री के रूप में काम में लाया जाता हो ।

देश की विशाल तटवर्ती सीमा पर गश्त की व्यवस्था

588. **श्री श्रीकान्त दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की विशाल तटवर्ती सीमा पर गश्त व्यवस्था को सशक्त बनाने की अत्यधिक आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो आधुनिक राडार और एन्टी शिप मिजाइल्ज लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) देश की विशाल तटवर्ती सीमा पर गश्त लगाने के लिए तैनात किए जाने वाले 24 डोरनीयर 228 विमानों के लिए ब्रिटेन, फ्रांस तथा पश्चिम जर्मन जैसे देशों ने एन्टी-शिप मिजाइल देने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) देश की विशाल तटवर्ती सीमा की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क), (ख) और (घ) नौसेना और तट रक्षक संगठन की योजनाएं बनाते समय देश की तटीय सीमा की पर्याप्त निगरानी की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है और उनके सैन्य स्तरों में समुचित बढ़ोत्तरी करने के लिए कदम उठाए जाते हैं, जिनके लिए अपने हितों की रक्षा के लिए उपर्युक्त जहाजों, विमानों, उपकरणों एव हथियारों को शामिल किया जाता है।

(ग) इस संबंध में ब्यौरे प्रकट करना राष्ट्रहित में नहीं होगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी का गाजियाबाद में स्थानान्तरण करने का निर्णय

589. **श्री हरीश रावत** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रशासन सेवा के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने वाली राष्ट्रीय अकादमी को मसूरी से गाजियाबाद में स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) जी, हां। मसूरी में उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं अपर्याप्त समझी गई हैं तथा मसूरी में इन सुविधाओं में और विस्तार के लिए अधिक गुंजाइश नहीं है। इसके अतिरिक्त, मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में समुचित संकाय (फैकल्टी) तथा उत्तम श्रेणी का अतिथि संकाय प्राप्त करने में कठिनाइयां महसूस की जा रही हैं। अतः सरकार ने अकादमी को गाजियाबाद स्थानान्तरित करने का निर्णय किया है।

• भारतीय वायु सेना के विमानों की दुर्घटनाएं

590. **श्री हरीश रावत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छः महीनों में भारतीय वायुसेना के कितने विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए;

(ख) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ग) यह वर्गीकृत किस्म की सूचना है और इसे जनहित में प्रकट नहीं किया जा सकता। फिर भी, एक नवम्बर, 1984 से इकत्तीस अक्तूबर, 1985 की अवधि में, पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में दुर्घटनाओं की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्यतः हवाई जहाजों से पक्षियों के टकराने की घटनाओं में हुई वृद्धि के कारण हुई है।

[अनुवाद]

आतंकवाद को रोकने के लिए वाशिंगटन में इन्टरपोल की बैठक

591. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "इन्टरपोल" द्वारा हाल ही में वाशिंगटन में हुई अपनी आम बैठक में आतंकवाद को रोकने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन देशों के क्या नाम हैं; जिन्होंने बैठक में भाग लिया और इस प्रकार का प्रयास प्रायोजित किया था;

(ग) क्या कुछ विकसित देशों ने इस प्रयास का विरोध किया था, यदि हां तो उन देशों के क्या नाम हैं तथा उनके द्वारा इस प्रयास का विरोध किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या भाग लेने वाले देशों में इस प्रयोजन हेतु पृथक कक्ष स्थापित किये जायेंगे अथवा विद्यमान कक्षों को यह कार्य सौंपा जायेगा; और

(ङ) भारत में आतंकवाद पर कब तक काबू पाये जाने की संभावना है ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) आई०सी०पी० ओ० इन्टरपोल से सम्बद्ध विभिन्न सदस्य देशों ने विचार विमर्श में भाग लिया। आई०सी०पी० ओ० इन्टरपोल, महासचिवालय, पैरिस के महासचिव ने अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद के संबंध में संकल्प प्रस्तुत किया।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

(घ) यह निर्णय सदस्य देशों को करना है। इन्टरपोल ने इस संबंध में कोई सिफारिश नहीं की है।

(ङ) कोई समय सीमा निश्चित करना संभव दिखाई नहीं देता।

महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद

592. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद के पिछले सत्र के दौरान महाराष्ट्र से संसद सदस्यों सहित सभी दलों का एक प्रतिनिधि मण्डल प्रधान मंत्री को मिला था और उन्होंने यह प्रस्ताव रखा था कि लम्बे समय से लम्बित कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद को भाषायी बहुमत तथा गांव को एक यूनिट मानते हुए भौगोलिक समीपता के मानदण्डों के आधार पर पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा विवाद के समझौते की तरह निपटाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) प्रधान मंत्री को इस विषय में तारीख 13 अगस्त, 1985 का एक पत्र मिला है, जिस पर कई संसद सदस्यों के हस्ताक्षर हैं।

(ख) इस मामले पर महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुख्य मंत्री विचार विमर्श कर रहे हैं। भारत सरकार ने इन द्विपक्षी प्रयासों के नतीजे की प्रतीक्षा करना बेहतर समझा है।

केरल में एग्जीमाला में नौसेना अकादमी की प्रगति

593. **श्री के० कुन्जम्बु**
प्रो० पी० जे० कुरियन } : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में एग्जीमाला में नौसेना अकादमी का कार्य किस अवस्था में है;

(ख) क्या इस परियोजना पर कार्य आरम्भ करने में कोई विलम्ब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (घ) केरल में एझीमाला स्थित नौसेना अकादमी के निर्माण-कार्य और सेवाओं की विस्तृत योजनाएं बनाई जा रही हैं। वास्तुशिल्पी कार्य और डिजाइनों के कार्य को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद सिविल निर्माण कार्य आरम्भ किए जाएंगे। वास्तुशिल्पी ड्राइंगों और भूमि की जांच के आधार पर व्यय का अनुमान लगाया जाना है। आशा है कि अकादमी लगभग 6 वर्षों में कार्य करना आरम्भ कर देगी।

अस्पृश्यता बरतना

594. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गत एक वर्ष के दौरान देश के किसी भाग में अस्पृश्यता बरतने के बारे में समाचार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार का जो अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं लोगों के लिए वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार रखने का विचार है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। अस्पृश्यता बरतने के बारे में व्यक्तियों से शिकायतें प्राप्त की जाती हैं जो सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार को भेजी जाती हैं। ऐसी शिकायतों का स्वरूप भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न होता है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान।

आर्थिक विकास के लिए हिन्द महासागर में संसाधन

595. **श्री के० कुजम्बु** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर में विभिन्न प्रकार के विपुल संसाधन हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आर्थिक विकास के लिए इन संसाधनों की खोज करने हेतु कोई विशेष उपाय किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान। हिन्द महासागर में सजीव तथा निर्जीव दोनों प्रकार के घटकों की विशाल सम्पदा है। सजीव संसाधनों में शेलफिश, फिनफिश, लॉब्स्टर, प्रॉन आदि हैं। हिन्द महासागर में निर्जीव संसाधनों में इल्मेनाइट, फास्फोराइट, रूटाइल, जिरकॉन, मोनाजाइट आदि के भंडार तथा पॉलिमेटालिक नाड्यूल्स के गहरे समुद्र में भंडार हैं। नाड्यूल्स तांबा, निकल, कोबाल्ट तथा मैंगनीज की कीमती धातुएं हैं।

(ख) तथा (ग) जहां तक सजीव संसाधनों का सम्बन्ध है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के विस्तृत तथा सर्वेक्षण का एक कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। इस प्रयोजन के लिए हाल में प्राप्त किए गए मत्स्य तथा समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान "सागर सम्पदा" का इस्तेमाल किया जा रहा है।

जहां तक निर्जीव संसाधनों का सम्बन्ध है, दो अनुसंधान जलयानों नाश: "गवेषणी" तथा "सागर कन्या" का उपयोग अन्वेषण एवं मानचित्रण के लिए किया जा रहा है।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में परिस्थितिकी प्रणाली को संरक्षण

596. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्डमान-निकोबार द्वीपसमूहों में बड़े पैमाने पर वनों की कटाई के कारण पारिस्थितिकी प्रणाली खराब होती जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उन द्वीप समूहों में वनों की कटाई रोकने और पारिस्थितिकी प्रणाली को संरक्षण देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं। (ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अमरीका को अन्तरिक्ष युद्ध सम्बन्धी प्रस्ताव त्याग देने के लिए सहमत कराने हेतु भारत का प्रयास

597. **प्रो० पी० जे० कुरियन**
श्री के० एस० राव } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुट निरपेक्ष देशों ने किसी अमरीका द्वारा सफलतापूर्वक प्रतिपादित किये जा रहे अन्तरिक्ष युद्ध के बारे में किसी मंच पर सामरिक सुरक्षा प्रयासों पर चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने अमरीका को अन्तरिक्ष युद्ध संबंधी प्रस्ताव त्याग देने के लिए सहमत कराने हेतु कोई विशिष्ट प्रयास किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) और (ख) गुट निरपेक्ष देश इस बात से चिंतित हैं कि बाहरी अंतरिक्ष हथियारों की होड़ का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने अपनी यह चिन्ता 1983 में नई दिल्ली में हुए सातवें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन तथा उसके बाद न्यूयार्क में गुट निरपेक्ष देशों के मंत्रियों की हर वर्ष हुई बैठकों में भी जाहिर की थी। इस वर्ष सितम्बर में लुआंडा में गुट निरपेक्ष विदेश मंत्रियों की हाल ही में संपन्न हुई बैठक में जो राजनैतिक घोषणा स्वीकार की गई थी उसमें भी यह कहा गया था कि सामाजिक सुरक्षा के जरिए सुरक्षा की स्थिति बनाए रखना उतना ही भ्रान्तिजनक है जितना कि नाभिकीय निवारण पर भरोसा करना। इसमें यह भी कहा गया था कि सामरिक सुरक्षा पर इस प्रकार भरोसा करने से विश्व में उत्पन्न मौजूदा अस्थिरता की स्थिति सुधरने की बजाय और भी बिगड़ जायेगी जो कि आपसी विनाश के खतरे पर आधारित है और जिससे कि नाभिकीय शस्त्रों की होड़ अप्रत्याशित रूप से बढ़ रही है।

(ग) और (घ) इस वर्ष जून में अमरीका की अपनी यात्रा के दौरान अमरीका के राष्ट्रपति के साथ अपनी बातचीत में प्रधान मंत्री ने उन्हें भारत सरकार की इन आशंकाओं से अवगत करा दिया था कि सामरिक सुरक्षा पहल के कारण हथियारों की होड़, जो पहले ही चरम सीमा पर है, बहुत अधिक बढ़ जाएगी। इसके अलावा इससे नाभिकीय युद्ध भड़कने का खतरा भी बढ़ रहा है। भारत सरकार बाहरी अन्तरिक्ष में हथियारों की होड़ बढ़ जाने के खतरे के बारे में बराबर चिन्तित है।

उद्योगों द्वारा गंगा का प्रदूषण

598. **श्री रेणुपद दास** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंगा नदी के प्रदूषण के लिये लगभग 132 उद्योग और 64 चमड़ा कारखाने जिम्मेदार हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन उद्योगों को केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण के अनुमोदन के अनुसार गंगा को साफ करने की 292 करोड़ रुपये की परियोजना के लिये धन देने हेतु बाध्य करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो देश के करदाता इन 132 उद्योगों और 64 चमड़ा कारखानों द्वारा की गई गलतियों के लिये उनका भुगतान क्यों करेंगे ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां, कुल प्रदूषण का कुछ अंश इनके कारण होता है। प्रदूषण मुख्यत: नदी के तट पर स्थित आबादियों के घरेलू कचरे के द्वारा होता है।

(ख) उद्योगों के लिए यह आवश्यक है कि अपने कचरे को नदी में गिराने से पहले उसे अपने खर्चे पर साफ करें। केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण द्वारा मंजूर की गई 292 करोड़ की राशि का उपयोग नदी तट पर स्थित श्रेणी-1 के शहरों द्वारा उत्पन्न किये गये नगरीय मलजल के नियन्त्रणार्थ योजनाओं पर होगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में इझीमाला में नवल अकादमी पर किया गया व्यय

599. **श्री आई० रामाराव** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में इझीमाला में नवल अकादमी के बुनियादी ढांचे के लिए 30 मार्च, 1985 तक केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सातवीं योजना अवधि में इसके लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है और अकादमी के कार्य पूरा होने की संभावित तिथि क्या है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) 79·05 लाख रु० की अनुमानित लागत पर नौसेना अकादमी के चारों ओर दीवार बनाने/तार-बाड़ लगाने के लिए मार्च, 1985 में सरकारी मजूरी दे दी गई थी। भूमि अधिग्रहण के लिए केरल सरकार को 20 करोड़ रुपये का एक विशेष मीडियम टर्म कर्जा भी दिया गया था।

(ख) 1985-90 की रक्षा योजना के मसौदे में नौसेना अकादमी के लिए 26 करोड़ रुपये के व्यय की व्यवस्था की गई है। इस कार्य के लगभग 6 वर्षों में पूरा हो जाने की संभावना है।

अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया

600. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अर्ध सैनिकों की भर्ती प्रक्रिया में सुधार करने का है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सैनिक बलों में केवल योग्य व्यक्तियों को ही भर्ती किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पोप पाल-II का दौरा

601. **श्री सी० जंगा रेड्डी**
डा० ए० के० पटेल } : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आदरणीय पोप पाल-II फरवरी, 1986 में सरकारी दौरे पर भारत आ रहे और यदि हां, तो उनके कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या प्रबन्ध किए हैं और उन पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है;

(ख) क्या आदरणीय पोप पाल को सम्मानपूर्ण ढंग से भारत की विरासत से सुपरिचित कराने का विचार है;

(ग) क्या उन्हें भारत के प्रसिद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक स्थानों पर ले जाने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी, हां । आदरणीय पोप पाल-II फरवरी, 1986 के आरम्भ में भारत के राजकीय दौरे पर आने वाले हैं । इस यात्रा के कार्यक्रम का ब्यौरा विचार-विमर्श करके तैयार किया जा रहा है ।

(ख) से (घ) विभिन्न सुसंगत तत्वों को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम को यथासंभव व्यापक बनाने का प्रयास किया जाएगा ।

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय

602. **श्री मदन पांडे** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के कितने लोग हैं;

(ख) क्या सरकार ने उस देश में भारतीय मूल के लोगों के बारे में किसी एजेंसी के माध्यम से सूचना प्राप्त करने हेतु कोई प्रबंध किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के लोगों की दशा के संबंध में प्राप्त हुई सूचना सदन को देगी ?

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) दक्षिण अफ्रीका में भारत मूल के लगभग 8,50,000 लोग हैं ।

(ख) और (ग) चूंकि दक्षिण-अफ्रीका के साथ हम पूर्ण बहिष्कार की नीति पर चल रहे हैं इसलिए वहां हमारी ऐसी कोई सरकारी एजेन्सी नहीं है जो वहां की घटनाओं के बारे में सूचना दे सके।

(घ) दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारत-मूल के लोगों के बारे में कोई विशिष्ट सूचना यदि किसी भी सूत्र से मिली, तो सरकार उसके विषय में सदन के माननीय सदस्यों को भी अवश्य अवगत कराएगी।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में होने वाले अपराधों की जांच

603. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को पाकिस्तान के साथ लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर होने वाले अपराधों की जांच करने के अधिकार दिये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों से संबंधित कितने मामले इस समय केन्द्रीय जांच ब्यूरो के पास हैं और तत्संबंधी पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय जांच ब्यूरो को उक्त मामले सौंपे जाने का प्रयोजन क्या है ?

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०चिदम्बरम्) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को राजस्थान, पंजाब और गुजरात राज्यों में पाकिस्तान के साथ लगने वाली अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर होने वाले अपराधों की जांच करने के अधिकार दिये गए हैं। सरकार द्वारा इस आशय की अधिसूचनाएं क्रमशः 10-9-85, 12-9-85 तथा 5-11-85 को जारी की गई थीं। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरों द्वारा जिन अपराधों की जांच की जा सकती है वे अधिसूचनाओं में विनिर्दिष्ट कर दिए गए हैं। तथापि, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अभी तक कोई भी मामला हाथ में नहीं लिया है।

(ग) तस्करों, अपराधियों/आतकवादियों की बढ़ती हुई गतिविधियों और सीमा के सभी ओर गैर-कानूनी आप्रवासियों का प्रभावशाली ढंग से सामना करने की वस्तुतः आवश्यकता है, क्योंकि ये देश की आन्तरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। ऐसे अपराधियों की गतिविधियों के अन्तर्राज्यीय स्वरूप को ध्यान में रखते हुए और साथ ही ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज मामलों की जांच में और अधिक पूर्णता लाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया गया कि ऐसे मामलों की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की जानी चाहिए।

ब्रिटेन, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ प्रत्यर्पण संधि

604. **श्री अख्तर हसन**
श्री आर०एम० भोये
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत
श्री कमल नाथ } : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन, कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ प्रत्यर्पण संधियां की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इन संधियों का स्वरूप क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या प्रगति हुई है ?

विदेश मंत्री (श्री बी०आर० भगत) : (क) से (ग) यू०के० और कनाडा के साथ कोई प्रत्यर्पण संधियां संपन्न नहीं हुई हैं।

अमरीका और यू०के० के बीच जो प्रत्यर्पण संधि-2 दिसम्बर, 1931 को संपन्न हुई थी उसमें भारत भी 9 मार्च, 1942 से शामिल हो गया था और उसी दिन से यह संधि भारत में लागू हो गई थी। प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार ने निदेश दिया था कि अध्याय-3 को छोड़कर इस अधिनियम के सभी उपबंध 1 अप्रैल, 1966 से संयुक्त राज्य अमरीका पर भी लागू होंगे। इन प्रबन्धों की शर्तों के अनुरूप समय-समय पर विभिन्न मसलों पर विचार किया जाता रहा है।

कनाडा सरकार ने एक "आर्डर-इन-कोंसल" द्वारा अपने प्रत्यर्पण अधिनियम के भाग-2 के क्षेत्र को व्यापक बताया है जो 31 अक्तूबर, 1985 से भारत के सम्बन्ध में लागू हो गया। अब उन व्यक्तियों के मामले में प्रत्यर्पण लिया जा सकता है जिन्हें 31 अक्तूबर, 1985 के बाद भारत में अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है या उन पर इस प्रकार के आरोप लगाए गए हैं।

कनाडा और यू०के० के सम्बन्ध में इस दिशा में आगे उठाए जाने वाले कदमों के बारे में इस समय विचार किया जा रहा है।

दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा कवि को फांसी देना

605. **श्री राम सिंह यादव** : **क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा कवि बैंजामिन मोलोइस को फांसी दिए जाने पर भारत ने अक्तूबर, 1985 में संयुक्त राष्ट्र की महा सभा के 40वें अधिवेशन में गहरी चिंता व्यक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो विकसित राष्ट्रों की इस पर क्या प्रतिक्रिया और रवैया रहा; और

(ग) क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस बात की पुष्टि की है और संकल्प किया है कि सदस्य राष्ट्रों द्वारा मानव अधिकारों के संयुक्त राष्ट्र चार्टर को महत्व दिया जाए, उसका आदर किया जाए और उसे कार्यान्वित किया जाए ?

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) और (ख) जी हां, भारत ने साहसी स्वतंत्रता सेनानी बेंजामिन मोलोइस को फांसी दिए जाने के पृथगवासनवादी शासन के फैसले के विरुद्ध अपनी गहरी चिन्ता और विक्षोभ जाहिर किया था।

गुट निरपेक्ष देशों के समन्वय ब्यूरो के अध्यक्ष की हैसियत से भारत ने प्रीटोरिया शासन के इस फैसले की निन्दा की थी।

सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष ने भी फांसी के दिन की पूर्व संध्या पर एक वक्तव्य दिया था जिसमें परिषद का रोष और चिन्ता जाहिर की गई थी तथा दक्षिण अफ्रीका की सरकार से यह अपील की गई थी कि वह फांसी की सजा को रद्द करे। नसाऊ में राष्ट्रमण्डलीय राज्याध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की बैठक में भी इसी प्रकार की अपील की गई थी।

(ग) जी, हां। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार संबंधी सार्वभौम घोषणा 1948 में ही स्वीकार तथा घोषित की थी और इसने तभी से मानवधिकार संवर्धन और विस्तृण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के विकास और विस्तार का आधार प्रदान किया है।

सेना के निर्माणाधीन भवन के गिरने से अखनूर में मजदूरों की मृत्यु

606. **श्री गदाधर साहा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना के एक निर्माणाधीन भवन के मजदूरों पर गिर जाने से अखनूर में लगभग 100 मजदूर हताहत हुए जो अधिकांशत: मध्य प्रदेश के थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त दुर्घटना का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त दुर्घटना में मरने वालों और घायल होने वालों को कितनी क्षतिपूर्ति दी गई;

(घ) भवन के गिरने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त दुर्घटना पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ङ) 17 जुलाई, 1985 को अखनूर में सेना का एक निर्माणाधीन द्विमंजिला भवन गिर गया था। बचाव कार्य के दौरान 47 व्यक्तियों को वहां से निकाला गया और उपचार के लिए स्थानीय मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अतिरिक्त 22 मृत शव पाए गए। 20 जुलाई, 1985 को एक जांच अदालत के गठन के आदेश दे दिए गए हैं और इसके निर्णयों की प्रतीक्षा की जा रही है। यह सूचना मिली है कि भारतीय बिल्डर्स एसोसिएशन और मिलिट्री इंजीनियर सेवा के स्थानीय स्टाफ ने मिलकर मृतकों और घायल मजदूरों को अंतरिम मुआवजे के रूप में 24,000 रु० की एक राशि दी है। मुआवजे के बारे में 'श्रम आयुक्त' द्वारा विचार किया जा रहा है। जांच अदालत की रिपोर्ट प्राप्त होने पर रिपोर्ट में वर्णित निर्णयों के आधार पर इस मामले में आगे कार्यवाही की जाएगी।

इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन के टी०वी० सैटों के लिये पंजीकृत किये गये उपभोक्ता

607. **श्री सी०अंगा रेड्डी**
डा० ए०के०पटेल } : क्या प्रधान मंत्री इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन के टी०वी० के लिये वारंटी शुल्कों के बारे में 8 मई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5593 और इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया से रंगीन और श्वेत और श्याम टी०वी० सैटों की खरीद के बारे में प्रश्न संख्या 5667 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन के टी०वी० सैटों की खरीद पर वारंटी/सेवा शुल्कों के अनिवार्य भुगतान के संबंध में उपभोक्ता संघ (वाइस) द्वारा भेजी गई प्रत्येक उपभोक्तों की शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई है। शिकायत करने वाले उपभोक्ता का नाम, शिकायतों का स्वरूप और प्रत्येक मामले में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक वितरण केन्द्र में अब तक श्वेत और श्याम तथा रंगीन टी०वी० सैटों के लिए इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया के पास पंजीकृत किये गये उपभोक्ताओं की संख्या क्या है और प्रत्येक वितरण केन्द्र पर टी०वी० के प्रत्येक माडल का उपभोक्ता मूल्य क्या है;

(ग) इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन के टी०वी० के प्रत्येक माडल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और आगामी 12 महीनों में प्रत्येक माडल कितने सैट निर्मित किये जायेंगे और उस अवधि के दौरान प्रत्येक वितरण केन्द्र पर प्रत्येक माडल के कितने सैटों की बिक्री होगी; और

(घ) इस संबंध में क्या दिशानिर्देश जारी किये गये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के मुख्यालय में वारंटी शुल्क से सम्बन्धित निम्नलिखित अभिवेदन 'वाइस' के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। ग्राहकों के नाम नीचे दिए जा रहे हैं :—

1. श्री सुमेर चन्द्र चौराडिया, मद्रास
2. श्री पी० आर० कामथ, मंगलौर
3. डा० आर०बी०एल० अग्रवाल, उदयपुर

इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड ने ग्राहकों को स्थिति स्पष्ट करते हुए उत्तर भेज दिए हैं।

(ख) कम्पनी के अधिकांश वितरण केन्द्रों में ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन सैट खरीददारों को आमतौर पर या तो तत्काल या थोड़ी ही अवधि में उपलब्ध करा दिए जाते हैं अतः उनकी बुकिंग के लिए अलग से कोई सूची नहीं रखी जाती है। प्रत्येक वितरण केन्द्र पर रंगीन टेलीविजन सैटों के लिए पंजीकृत ग्राहकों की संख्या निम्नलिखित है :—

केन्द्र	पंजीकृत उपभोक्ताओं की संख्या
हैदराबाद	2383
काकीनाडा	64
विजयवाड़ा	403
तिरुपति	40
कलकत्ता	1669
बम्बई	5348
पुणे	453
अहमदाबाद	1543

केन्द्र	पंजीकृत उपभोक्ताओं की संख्या
रायपुर	599
नागपुर	98
दिल्ली	4136
लखनऊ	1256
जयपुर	1196
चंडीगढ़	227
पानीपत	111
मद्रास	1228
महाराष्ट्र सरकार और अन्य	2116
योग	22870

कम्पनी की विभिन्न शाखाओं में विभिन्न माडलों के लिए 1 अक्टूबर, 1985 से लागू उपभोक्ता मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) ई०सी० टेलीविजन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

(i) रंगीन टेलीविजन के मामले में मल्टी चैनल इलैक्ट्रानिक ट्यूनर, 51 सेंटीमीटर साइज का स्क्रीन, तेजी से चालू होने वाली पिक्चर ट्यूब, दो कोन वाला लाउड स्पीकर। यदि ग्राहक चाहे तो रिमोट कन्ट्रोल और शटर भी दिए जाते हैं।

(ii) ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन के मामले में अजंता और प्रीमियर माडलों के लिए 51 सेंटीमीटर साइज का स्क्रीन/मिनी सुपर और मिनी मारबल माडलों के लिए क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के स्क्रीन।

आशा है कि अगले 12 महीनों में रंगीन और ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन सैटों में से प्रत्येक का उत्पादन 55,000 सैट रहने की संभावना है। विभिन्न केन्द्रों में विभिन्न माडलों का वितरण और उनका ग्राहकों को दिया जाना उनकी मांग पर निर्भर करेगा।

(घ) कम्पनी की नीति यह है कि जो पहले बुकिंग कराए उसे सैट पहले दिया जाए।

विवरण

कम्पनी की विभिन्न शाखाओं में 1-10-85 से प्रभावी ई० सी० टेलीविजन सैटों के उपभोक्ता मूल्य :

क्र०सं०	शाखा	टी-1013 प्रीमियर रु. 2100+400+40+200=2740	टी-1040 अजन्ता 2465+400+40+255=3130	टी-1050 मिनी सुपर 1665+30+150=1845	टी-1060 मिनी मारवल 1520+25+135=1680	टी-2040 स्पैक्ट्रा सुपर 5490+1000+40+350=6880	टी-2043 एस.पी. (शटर वाला) 5800+1000+50+350=7200	टी-2041 (आर.सी.) स्पैक्ट्रा सुपर 6670+1000+40+380=8090
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कलकत्ता	3267-85	3733-15	2199-70	2003-10	8212-40	8542-60	9658-15
2.	बम्बई	3278-00	3744-00	2207-00	2010-00	8229-00	8611-20	9676-00
3.	पुणे	3278-00	3744-00	2207-00	2010-00	8229-00	8611-20	9676-00
4.	नागपुर	3245-55	3707-50	2185-40	1990-00	8149-40	8528-40	9582-65
5.	अहमदाबाद	3307-00	3780-00	2224-00	2025-00	8339-00	8787-05	9874-00
6.	रायपुर	3153-83	3598-23	2134-75	1947-90	7879-65	8246-00	9262-30
7.	इंदौर	3113-83	3558-23	2094-75	1907-90	7839-65	8206-00	9222-30
8.	भोपाल/ग्वालियर	3143-83	3588-23	2124-75	1937-90	7869-65	8236-00	9252-30
9.	हैदराबाद/विजयवाड़ा/ काकीनाडा	2882-75	3293-10	2166-80	1973-00	7238-45	7575-15	8511-50
10.	दिल्ली	3017-00	3446-00	2032-00	1850-00	7571-00	7923-00	8902-00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	लखनऊ	3090-90	3530-00	2082-00	1896-20	7752-55	8112-85	9115-00
12.	जयपुर	2991-00	3413-00	2021-40	1843-20	7482-00	7830-00	8795-70
13.	चंडीगढ़	3019-50	3449-25	2033-20	1851-35	7581-80	7934-40	8915-20
14.	पानीपत	3174-65	3621-60	2148-90	1959-80	7919-40	8286-20	9306-20
15.	पंजाब	3180-55	3626-00	2132-15	1944-05	7903-05	8268-05	9282-15
16.	मद्रास	3041-40	3474-30	2047-95	1864-80	7636-80	7992-00	8979-90
17.	बंगलौर	3096-20	3536-90	2084-85	1898-40	7774-40	8136-00	9141-70

अमरीकी सरकार द्वारा उन्नत कम्प्यूटरों की बिक्री

608. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी सरकार ने भारत को उन्नत कम्प्यूटर बेचने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्री (श्री बी० आर० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) अगस्त, 1985 के बाद से अमरीका की सरकार ने भारत को बेचने के लिए 50 से ऊपर उन्नत कम्प्यूटर सिस्टम के निर्यात के लिए लाइसेंस जारी किए हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जम्मू और कश्मीर में राष्ट्र विरोधी तथा पाकिस्तान समर्थक तत्वों की गतिविधियां

609. **प्रो० रामकृष्ण मोरे**
श्री मोहम्मद महफूज अली खां } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्र विरोधी तथा पाकिस्तान समर्थक तत्वों की गतिविधियों में वृद्धि के अतिरिक्त वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी सेनाओं के असामान्य जमाव तथा अत्याधुनिक हथियारों को एकत्रित किए जाने के बारे में हाल ही में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) तथा (ख) सरकार को जम्मू और कश्मीर से वास्तविक नियंत्रक रेखा के पार टुकड़ियों/उपकरणों की किसी असामान्य गतिविधियों के बारे में कोई सूचना नहीं है । सरकार को जम्मू और कश्मीर राज्य में राष्ट्रविरोधी तथा पाकिस्तान समर्थक तत्वों की गतिविधियों की जानकारी है, जहां आवश्यक होता है । उन्हें उचित कार्रवाई के लिए राज्य सरकार के ध्यान में लाया जाता है ।

अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए 15-सूत्री निर्देशों को लागू करना

610. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वर्गीय प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा जारी किये गये 15-सूत्री निर्देशों को लागू करने हेतु कारगर कदम उठाने के लिये 11 मई, 1985 को राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अल्पसंख्यक समुदायों में से भर्ती करने के लिए विशेष ध्यान देने संबंधी निर्देशों को लागू करने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/ उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इस मामले में क्या प्रगति हुई है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रीय जीवन के सभी पहलुओं में अल्पसंख्यकों के पूर्णतः संगठन के बारे मे 11 मई, 1983 को 15-सूत्री निर्देश जारी किये थे जो विवरण के रूप में संलग्न हैं। निर्देश, गृह मंत्री के अर्ध-शासकीय पत्र, तारीख 23 मई, 1983 के तहत सभी मुख्य-मंत्रियों को भेजे गए थे और सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से, इन निर्देशों के कार्यान्वयन की प्रगति दर्शाने वाली तिमाही रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया था। उपर्युक्त के अनुसरण में कुछ उत्तर-पूर्वी राज्यों के अलावा, जिन्होंने सूचित किया कि उनकी आबादी मुख्यतः जनजाति की है और वहां अल्प-संख्यकों जैसी कोई समस्या नही है जैसा कि देश में अन्य भागों में विद्यमान है और पश्चिम बंगाल राज्य जिसने इन निर्देशों के कार्यान्वयन में अभी तक कोई तिमाही रिपोर्ट नहीं भेजी है, सभी राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन नियमित रूप से तिमाही रिपोर्ट भेज रहे हैं । इन निर्देशों को राज्यों के मुख्य मंत्रियों को भेजे गए, प्रधान मंत्री ने तारीख 28 अगस्त, 1985 के अपने पत्र में दोहराया है, जिसमें उनसे कार्यक्रम का उनके स्तर पर प्रबोधन करने का अनुरोध किया गया है।

इन निर्देशों में अन्य उपायों के साथ, पुलिस कार्मिकों की भर्ती में अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान देने और इस उद्देश्य के लिए प्रतिनिधि चयन समिति बनाने के निर्देश भी सम्मिलित हैं। निर्देशों में केन्द्रीय पुलिस बल में कार्मिकों की भर्ती के लिए केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय विभागों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र इत्यादि के लिए भी इसी प्रकार की कार्रवाई करना सम्मिलित है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय विभागों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में, सभी केन्द्रीय विभागों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को विस्तृत निर्देश जारी किये गये थे। राष्ट्रीयकृत बैंकों, केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बड़े पैमाने पर रोजगार अवसरों वाले कुछ केन्द्रीय विभागों जैसे रेलवे और डाकतार विभाग, द्वारा की गई कार्रवाई की अल्पसंख्यक एकक द्वारा समय-समय पर विभिन्न बैठकों में पुनरीक्षा की गई है। इन बैठकों के दौरान व्यक्त किया गया आम मत यह था कि रोजगार कार्यालय द्वारा भेजी गई अधिकांश सूचियों में कुछ अल्पसंख्यकों के पर्याप्त नाम नहीं होते हैं। इस मामले पर महानिदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली के साथ विचार विमर्श किया गया और रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशक द्वारा राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि नामों के पंजीकरण और रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे जाने वाले पैनल के बनाने में अल्पसंख्यकों के प्रति कोई भेदभाव न हो, विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। केन्द्रीय पुलिस संगठनों के संबंध में भी इसी प्रकार के निर्देश जारी किये गये हैं और मामले में प्रगति की पुनरीक्षा करने के लिए प्रमुख केन्द्रीय पुलिस संगठनों के प्रमुखों के साथ विस्तृत पुनरीक्षण किया गया है।

राज्य पुलिस भर्ती के संबंध में राज्य पुलिस बलों के लिए भर्ती करने के लिए प्रतिनिधि चयन समितियां बनाने के लिए केवल कुछ एक राज्य सरकारों ने निर्देश जारी किये हैं और अनुसूचित समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार उपर्युक्त कार्रवाई पूरी करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देने का कार्य हाथ में है।

विवरण

अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री का 15-सूत्रीय निर्देश

I. साम्प्रदायिक दंगे :

1. राज्य सरकारों को सलाह दी जा रही है कि जिन क्षेत्रों की साम्प्रदायिक दृष्टि से नाजुक और उपद्रव वाले क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है, वहां ऐसे जिला तथा पुलिस अधिकारियों को तैनात किया जाए, जिनका रिकार्ड यह बतलाये कि वे अत्यधिक कार्यकुशल, निष्पक्ष तथा धर्म निरपेक्ष हैं। ऐसे क्षेत्रों में तथा अन्य कहीं भी साम्प्रदायिक तनाव को रोकना डी० एम० तथा एस० पी० के प्रमुख कर्तव्य होने चाहिये। उनकी पदोन्नति की संभावनाओं का निर्धारण करने में इस संबंध में उनका कार्य-निष्पादन एक महत्वपूर्ण बात होनी चाहिये।

2. इस संबंध में जिला तथा पुलिस अधिकारियों द्वारा किये गये अच्छे कार्य के लिये उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए।

3. उन सभी के खिलाफ, कठोर कार्रवाई की जाए जो साम्प्रदायिक हिंसा को भड़काएं अथवा हिंसा करने में शामिल हों।

4. साम्प्रदायिक अपराधों के विचारण के लिये विशेष न्यायालयों अथवा विशेष रूप से निर्धारित न्यायालयों की स्थापना की जाए ताकि अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाई जा सके।

5. साम्प्रदायिक दंगों के शिकार व्यक्तियों को तत्काल राहत दी जाए और उनके पुनर्वास के लिये फौरन तथा पर्याप्त वित्त सहायता उपलब्ध कराई जाये।

6. ऐसे प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास कायम करने, साम्प्रदायिक सद्भाव और शांति बनाये रखने में रेडियो और टेलिवीजन द्वारा भी सहायता दी जानी चाहिए।

7. यह दुर्भाग्य की बात है कि कभी-कभी प्रेस के कुछ लोग भी जानबूझकर ऐसी रिपोर्ट तथा सामग्री का प्रकाशन करते हैं जो झूठी आपत्तिजनक और उत्तेजनापूर्ण होती हैं, जिससे साम्प्रदायिक तनाव भड़क सकता है। मुझे उम्मीद है कि ऐसी सामग्री के प्रकाशन से बचने का तरीका ढूंढने में सम्पादक, मुद्रक, प्रकाशक तथा संबंधित अन्य अपना सहयोग देंगे।

II. राज्य और केन्द्रीय सेवाओं में भर्ती :

8. राज्य सरकारों को सलाह दी जाये कि पुलिस कर्मचारियों की भर्ती में अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान दिया जाए। इस उद्देश्य के लिए चयन समिति का गठन प्रतिनिधित्वपूर्ण होना चाहिए।

9. केन्द्रीय पुलिस बलों में कार्मिकों की भर्ती में ऐसी ही कार्रवाई केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाए।

10. रेलवे, राष्ट्रीयकृत बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम बड़ी मात्रा में रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। इन मामलों में भी संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक समुदायों से भर्ती करने पर विशेष ध्यान दिया जाना है।

11. अनेक क्षेत्रों में प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भर्ती की जाती है। प्रायः अल्पसंख्यक समूह ऐसी परीक्षाओं में बराबरी के आधार पर शिक्षा प्रणाली का लाभ उठाने में असमर्थ रहे हैं। इन कठिनाइयों को पार करने में, उनकी सहायता करने के लिए इन परीक्षाओं में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के लिए इन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के वास्ते अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं में कोचिंग कक्षाएं शुरु करने को प्रोत्साहित करने के उपाय किये जाएं।

12. इन अल्पसंख्यकों द्वारा जो आज पिछड़े हुए हैं, तकनीकी कौशल प्राप्त कर लेने से देश के विकास में भी सहायता मिलेगी। इन समुदायों के व्यक्तियों को पर्याप्त संख्या से ऐसी संस्थाओं में दाखला लेने में प्रोत्साहन देने के लिए सरकार और निजी एजेंसियों द्वारा अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई० टी० आई०) और पोलिटेक्निक खोलने के प्रबंध करने चाहिए।

III. **अन्य उपाय** :

13. यह सुनिश्चित करने के लिए ध्यान दिया जाना चाहिए कि अल्पसंख्यकों को, 20 सूत्री कार्यक्रम को शामिल करते हुये विभिन्न विकास कार्यक्रमों से होने वाले लाभों में से पर्याप्त लाभ मिले। ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी रखने के लिये गठित की गई विभिन्न समितियों में उन समुदायों के सदस्यों को सक्रिय रूप से सम्मिलित करना चाहिये।

14. मेरे द्वारा बताये गये सामान्य मुद्दों के अलावा ऐसी विभिन्न स्थानीय समस्याएं हैं जो अल्पसंख्यकों के लिये अनावश्यक रूप में क्षोभकारी बन जाती हैं। उदाहरण के लिये वक्फ सम्पत्तियां और शमशानों के अतिक्रमण से कुछ स्थानों पर विरोध और शिकायतें पैदा हुई हैं। ऐसी समस्याओं से निपटने के लिये शीघ्रतापूर्वक और संतोषजनक ढंग से समुचित उपाय किये जाने चाहिये।

15. अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर लगातार ध्यान दिया जाना चाहिये। ताकि आशंकाओं को दूर किया जा सके और वास्तविक शिकायतों का निवारण किया जा सके। इसके लिये गृह मंत्रालय में एक विशेष एकक खोला जा रहा है जिससे अल्पसंख्यकों से संबंधित मामलों को निपटाया जा सकेगा।

महरौली फार्म में जन्मदिन की पार्टी में अति विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा भाग लेना

611. **श्री चित्त महाता**
श्री बी० वी० देसाई
श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल
श्री अख्तर हुसन
श्री पूर्णचन्द्र मलिक : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में राजधानी के एक कथित दुश्चरित्र व्यक्ति द्वारा महरौली फार्म पर जन्म दिन की पार्टी का आयोजन किया गया था जिसमें केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों सहित कुछ अति विशिष्ट व्यक्तियों ने भाग लिया था; और

(ख) यदि हां, तो जन्म दिन की पार्टी में भाग लेने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) महरौली में श्री बी० आर० चोपड़ा के फार्म हाउस में 6 सितम्बर, 1985 को एक जन्म दिन पार्टी की गई थी । जन्म दिन पार्टी के मेहमानों में केन्द्रीय सरकार और दिल्ली प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों सहित कुछ विशिष्ट व्यक्ति सम्मिलित थे ।

(ख) प्रारम्भिक जांच की गई है और मामला विचाराधीन है ।

नये मालवाहक विमान की प्राप्ति

612. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्यू श्रेणी के लिए मालवाहक विमान प्राप्त करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी उपयोगिता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) आई० एन० एस० विक्रांत की कार्यावधि 1990 में समाप्त होनी है, इसलिए उसका विकल्प ढूढ़ने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है और इसके लिए कई विकल्पों का पता लगाया जा रहा है/ मूल्यांकन किया जा रहा है । क्यू श्रेणी के जहाज को प्राप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

"रक्षा यूनिट रक्षा रहित" शीर्षक से समाचार

613. **श्री बाजू बन रियान**
प्रो० राम कृष्ण मोरे
श्री रेणुपद दास
डा० सुधीर राय
श्री सी० अंगा रेड्डी
डा० ए० के० पटेल } : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 सितम्बर, 1985 के स्टेट्समैन में "डिफेंस यूनिट डिफैंसलैस" शीर्ष के अन्तर्गत हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड के लखनऊ डिवीजन में हुई कतिपय चोरियों के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इन चोरियों की जांच कराने का कोई आदेश दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उस जांच का क्या परिणाम निकला ?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

जांच द्वारा पता चला है कि समाचारों में दिए गए अधिकतर विवरण या तो गलत हैं या उन्हें बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया है। जगुवार विमान के डी० सी० जनरेटर सहित अत्याधुनिक मदों की चोरी का समाचार आधारहीन पाया गया। इसी प्रकार युद्धक विमान के संघटकों की ड्राइंगों, डायग्रामों एवं डिजाइनों से संबंधित दस्तावेजों की चोरी का समाचार भी गलत पाया गया।

2. यह ठीक है कि 11 जुलाई, 1985 को प्लेटिंग शाप में पड़े हुए सोने और चांदी के छोटे से स्टाक में कुछ कमी पायी गयी थी। इसमें लगभग 62,000 रु० की हानि का अनुमान लगाया गया। मामले की रिपोर्ट पुलिस में कर दी गयी है और इस समय इसकी जाँच की जा रही है। प्रोसेस शाप के प्रबंधक को निलम्बित कर दिया गया है, उसके और मुख्य प्रबंधक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई आरम्भ कर दी गयी है क्योंकि इन कीमती धातुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर थी। उनके विरुद्ध आरोप तैयार कर लिए गए हैं तथा इनकी उन्हें सूचना दे दी गयी है। चूंकि उन्होंने जो स्पष्टीकण दिए हैं उन्हें संतोषजनक नहीं पाया गया इसीलिए इसके लिए एक जांच अधिकारी की नियुक्ति कर दी गयी है।

3. सोने और चांदी के स्टाक में हाल ही में पायी गयी कमी के अलावा, जिसकी, जैसा ऊपर बताया गया है, जांच की जा रही है। पिछले पांच वर्षों में हिन्दुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड लखनऊ से किसी बड़ी चोरी की सूचना नहीं मिली है। वहां कभी-कभार छोटी-मोटी चोरियों के इक्के-दुक्के मामले होते रहे हैं जिन पर उपयुक्त कार्रवाई की गयी। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुरक्षा और चौकसी प्रबंधों को और कठोर बनाने के बारे में उचित सुधारात्मक उपाय कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

गृह मत्रालय के सतर्कता कक्ष में लम्बित मामले

614. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सतर्कता कक्ष के पास 1 नवम्बर, 1985 को कितने मामले लंबित थे;

(ख) क्या सरकार ने इन मामलों को तेजी से निपटाने के लिए कोई ठोस कार्यवाही की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इतनी बड़ी संख्या में मामलों के लंबित होने के क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) 17।

(ख) जी हां, श्रीमान्। इन मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिये समय-समय पर निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(i) जांच अधिकारियों को उनसे संबंधित मामलों के बारे में जांच पूरी करने के लिये अनुस्मारक भेजे गये हैं।

(ii) संबंधित विभागों से उनको भेजे गए मामलों में कार्यवाही पूरी करने का अनुरोध किया गया है।

(iii) संगठन एवं पद्धति की बैठकों में इन मामलों की प्रगति पर विचार किया जाता है।

(iv) इन मामलों की उच्च स्तर पर मासिक और तिमाही समीक्षा भी की जाती है।

(ग) गृह मंत्रालय (मुख्य) के 17 लम्बित मामलों को अधिक नहीं समझा जा सकता। फिर भी, इन मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने के लिये सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

छठी योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए परिव्यय

615. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना में शामिल न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न राज्यों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो छठी योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लक्ष्यों और वास्तविक उपलब्धियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) योजना आयोग द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के लिए अनुमोदित छठी योजना परिव्यय का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 1980-85 के दौरान इस प्रकार के परिव्यय का वास्तव में कितना उपयोग किया गया; और

(घ) योजना आयोग द्वारा सातवीं योजना के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के लिए निर्धारित राज्यों और अनुमोदित परिव्ययों का लक्ष्य-वार ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पंजा) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) छठी योजना (1980-85) के दौरान प्रत्येक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के संबंध में परिव्ययों तथा प्रत्याशित व्यय सहित लक्ष्यों तथा प्रत्याशित उपलब्धियों का राज्यवार विवरण, विवरण-I में दिया गया है जो सभा-पटल पर रखा गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1513/85]

(घ) सातवीं योजना के (1985-90) के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के लिए परिव्ययों का वितरण विवरण-II में दिया गया है जो सभा-पटल पर रखा गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 1513/85] लक्ष्यों के राज्यवार वितरण को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

12.00 **मध्याह्न**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदय, क्या दिक्कत है ? क्या कोई व्यवस्था का प्रश्न है ?.... ..

(व्यवधान)

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : महोदय, कल दूरदर्शन कार्यक्रम में संसदीय कार्यवाही सम्मिलित नहीं की गयी। सिर्फ श्रीमती इन्दिरा गांधी पर कार्यक्रम प्रसारित किया गया।

श्री एस० रघुमा रेड्डी (नलगोंडा) : उन्होंने संसदीय कार्यवाही का पूरी तरह बहिष्कार किया। यह बहुत ही दुःख की बात है महोदय ····(**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय हम·····पर चर्चा की मांग कर रहे हैं·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी पहले ही अनुमति दे दी है। अब क्या समस्या है ?

श्री बसुदेव आचार्य : आपने अनुमति नहीं दी है। आपने आश्वासन नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही अनुमति दे दी है·····

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अनुमति नहीं है। यह असंगत है। मैं इसे पहले ही कर चुका हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय सूचनाएं आपके पास लम्बित पड़ी हैं।(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : किस बारे में, महोदय ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अनुच्छेद 311 (2) (क) और (ख) के विरुद्ध जिससे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी प्रभावित हैं·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : महोदय, यह पहले ही आ चुका है·····

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, एक विधेयक पुरःस्थापित किया जा चुका है·····

(**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम यह जानना चाहते हैं कि इस अधिकार का दुरुपयोग न हो, इसके लिये क्या सरकार कोई संरक्षणात्मक उपाय करना चाहती है।·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है·····

(**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आज हजारों सरकारी कर्मचारी धरना दिये बैठे हैं·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखित में दीजिये, मैं उसकी जांच करूंगा·····

(**व्यवधान**)

श्री बसुदेव आचार्य : हम निश्चित आश्वासन चाहते हैं·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य जी, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं ? हम इस पर विचार कर चुके हैं ।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, आपने अनुमति नहीं दी है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने किस बात की अनुमति नहीं दी है ?

श्री बसुदेव आचार्य : उच्चतम न्यायालय के फैसले पर चर्चा की ।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा आपसे किसने कहा ?.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, उन्हें बताईये हमने क्या निश्चय किया है । कम से कम उन्हें इस बात का तो पता होना चाहिये कि हमने क्या निर्णय लिया है.....

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : कार्य मंत्रणा समिति इस बात पर सहमत हो गई है कि इस पर चर्चा होगी.....**(व्यवधान)** कृपया सदन को बताइये यह चर्चा कब होगी ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको उस दिन ही कहा था कि अगर उच्चतम न्यायालय दो वर्ष का समय ले सकता है तो मैं कम से कम दो हफ्ते का समय तो ले ही सकता हूँ । क्या मैंने आपको यह नहीं कहा ? दो वर्ष तक न्याय न मिलने पर आप कभी भी क्षुब्ध नहीं हुये.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यही मैंने आपसे कहा । मैं आपकी सेवा के लिये हाजिर हूँ । मैंने आपसे कहा था कि मैं इसे करूंगा । आप अपना समय क्यों खराब कर रहे हैं जबकि मैं आपसे वायदा कर चुका हूँ कि इस पर चर्चा की जायेगी ?

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, इसी अधिवेशन में चर्चा होगी ?

अध्यक्ष महोदय : हे भगवान, हाँ इसी सत्र में ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैंने अध्यक्ष की प्रतिष्ठा से संबंधित प्रश्न उठाया है । मैंने एक सूचना दी है । उसमें मैंने कहा है कि एक भूतपूर्व वित्त मंत्री ने यह कहा कि आपने, लोक सभा के अध्यक्ष ने, सुझाव दिया था कि श्री राजीव गांधी को प्रधान मंत्री बनाया जाना चाहिये । आपको इस तरह के अनुचित विवादों में नहीं घसीटा जाना चाहिये । .....** उन्होंने आपके लिये यह भी कहा कि जहाँ तक श्री राजीव गाँधी को प्रधान मंत्री बनाने का सम्बन्ध है.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वह राज्य सभा के सदस्य हैं । उनका नाम कार्यबाही में नहीं जायेगा...

(व्यवधान)

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ ? यह आपका काम है ।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरी चिन्ता यह है कि आपका नाम इसके साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिये.....(**व्यवधान**) आपको स्पष्ट करना चाहिये.....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : स्पष्टीकरण देने का कोई प्रश्न नहीं है । कृपया बैठ जाइये । मुझे सदन को चलाने से मतलब है यही मेरा कर्त्तव्य है । प्रधान मंत्री चुनना या उसकी नियुक्ति करना उस दल के हाथ में है जो बहुमत में है । मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, आपने उनके कथन को नहीं पढ़ा है । आपका नाम उसमें लिया गया है । सदन की मर्यादा का तकाजा है कि आपको अन्तर-दलीय विवादों से अलग रहना चाहिए .....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं सब कुछ नहीं पढ़ता ।

प्रो० मधु दण्डवते : आपका नाम जोड़ने का उनको कोई अधिकार नहीं है और वह भी श्रीमती इन्दिरा गांधी की पहली वर्षी पर ।

अध्यक्ष महोदय : कई बार अखबारें भी ऐसी चीजें छाप देती हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने स्वयं नहीं छापा है । बल्कि मंत्री जी ने बाकायदा उन्हें साक्षात्कार दिया है प्रेस पर आरोप मत लगाइये ।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा काम नहीं है और न ही यह कार्य मैंने अपने ऊपर लिया है.....

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिये । आप मुझे बोलने क्यों नहीं देते ? पहली बात तो यह है कि वह राज्य सभा के सदस्य हैं । दूसरे, प्रधान मंत्री के चुनाव से या किसे प्रधान मंत्री बनाया जाए, इस बात से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है । यह बहुमत वाले दल का काम है । मेरा इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

प्रो० मधु दण्डवते : हमारा भी यही मतव्य है । आपका नाम इसमें नहीं घसीटा जाना चाहिये था ।

अध्यक्ष महोदय : मेरा इससे कोई सरोकार नहीं है ।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप समाचार-पत्रों में छपी खबर से परेशान नहीं हुये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : चूंकि अब आपने मुझे बता दिया है, मेरे ख्याल से उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये था ।

प्रो० मधु दण्डवते : आप इस मामले को राज्य सभा को भेज सकते हैं । यह अनुचित व्यवहार का मामला है.....(**व्यवधान**)

श्री एन० वी० एन० सोमू (मद्रास उत्तर) : महोदय तमिलनाडु में 30,000 अध्यापक .....(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है । मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता ।

श्री एन० वी० एन० सोमू : महोदय, शिक्षा मंत्री जी यहां उपस्थित हैं। वहां आन्दोलन हो रहा है·····(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता·····

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूब नगर) : महोदय, आपको यह मामला राज्य सभा के सभापति को भेजना चाहिये। लोक सभा के अध्यक्ष की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है।

अध्यक्ष महोदय : उनका नाम कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं जाना चाहिये।

श्री एन० वी० एन० सोमू : महोदय·····

अध्यक्ष महोदय : आप बार-बार खड़े क्यों हो रहे हैं? यह राज्य का विषय है हम इसमें कुछ नहीं कर सकते।

श्री एन० वी० एन० सोमू : महोदय सरकार को अपने प्रभाव का उपयोग करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : नहीं।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं जानना चाहता हूँ क्या वे इस सदन के सदस्य हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी, नहीं।

श्री ए० चार्ल्स : तो उनके द्वारा कही गयी बात को यहाँ कैसे उठाया जा सकता है?

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाईये। मैं इस बात पर पहले ही गौर कर चुका हूँ।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, इस मामले को राज्य सभा के सभापति को भेजना चाहिये। इस बात से अध्यक्ष पद के सम्मान में कमी आई है।

अध्यक्ष महोदय : राई का पहाड़ मत बनाईये। सम्मान में कमी नहीं आयेगी। आप घबराईये मत, हम पद की मर्यादा को बनाये रखेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं यह बात अवश्य ही कहूँगा कि आपने इसे बहुत ही हल्के-फुल्के ढंग से लिया है। अध्यक्ष आते रहेंगे, अध्यक्ष जाते रहेंगे, परन्तु अध्यक्ष पद की गरिमा बनी रहनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : ठीक बात है। हम ऐसा ही करेंगे।

12.06 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : मैं केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 18 के अन्तर्गत, केन्द्रीय रिजर्व बल (तीसरा संशोधन) नियम, 1985,

जी 12 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 943 में प्रकाशित हुये थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 1456/85]

दिल्ली पुलिस अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी०ए० संगमा) : मैं दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 148 की उपधारा (2) के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) दिल्ली पुलिस (नियुक्ति/भर्ती) (दूसरा संशोधन) नियम, 1985, जो 5 सितम्बर, 1985 को दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 10/45/83-होम (पी) में प्रकाशित हुए थे।

(2) अधिसूचना संख्या एफ० 10/60/80-होम (पी), जो 15 अगस्त, 1985 को दिल्ली राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो गैर-सरकारी व्यक्तियों आदि के लिये भुगतान पर अतिरिक्त पुलिस तैनात करने के सम्बन्ध में प्रभार-मान के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल०टी० 1457/85]

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम एवं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनाएं

कार्मिक और प्रशिक्षण, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री पी०चिदम्बरम्) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कर्मचारी) (सेवा-शर्तें) नियम, 1985, जो 31 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 825 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा 14 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि०843 (अ) में प्रकाशित हुए अंग्रेजी संस्करण का एक शुद्धि-पत्र।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1458/85]

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) सातवां संशोधन विनियम, 1985, जो 24 अगस्त, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 791 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) आठवां संशोधन नियम, 1985, जो 24 अगस्त, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 792 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-एवं-सेवानिवृत्ति लाभ) दूसरा संशोधन नियम, 1985, जो 31 अगस्त, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 813 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1985, जो 7 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 832 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) आठवां संशोधन विनियम, 1985, जो 7 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 834 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) नवां संशोधन विनियम, 1985, जो 7 सितम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 835 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नवां संशोधन नियम, 1985, जो 5 अक्तूबर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 919 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) अखिल भारतीय सेवा (आचरण) संशोधन नियम, 1985, जो 2 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1009 में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) अखिल भारतीय सेवा (अध्ययन अवकाश) संशोधन विनियम, 1985, जो 9 नवम्बर, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1040 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल०टी० 1459/85]

12.07 म०प०

राज्य सभा से सन्देश

[अनुवाद]

महा-सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) संशोधन विधेयक, 1985 को, जिसे राज्य सभा द्वारा अपनी 19 नवंबर, 1985, की बैठक में पारित किया गया, इसके साथ भेजने का निदेश हुआ है।"

बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) संशोधन विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथा पारित

[अनुवाद]

महा सचिव : मैं, राज्य सभा द्वारा यथा पारित बंधित श्रम पद्धति (उत्पादन) संशोधन विधेयक सभा-पटल पर रखता हूं।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

छठा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम० तम्बि दुराई (धर्मपुरी) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

प्राक्कलन समिति

17वां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग-रक्षा पेंशनों से संबंधित कार्यों के पुनर्वर्गीकरण के संबंध में प्राक्कलन समिति का 17वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

12.08 म०प०

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मेरा एक सुझाव है। वस्त्र नीति एक महत्त्वपूर्ण विषय है और आप देखेंगे कि इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में केवल तीन दलों का उल्लेख है। मैं आपसे निवेदन

करूंगा कि आप इसे नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा में बदल दें। यह एक ऐसी समस्या है जिसका प्रभाव महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार पर पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, हमने बैठक में इस पहलू पर भी चर्चा की थी। मैं उन सब बातों के विरुद्ध नहीं हूं, किंतु प्रश्न समय मिलने का है। आपको समय निकालना होगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : यह लाखों हथकरघा बुनकरों से संबन्धित है।

अध्यक्ष महोदय : रेड्डी जी, आप क्यों नहीं समझते ? आप क्यों उत्तेजित होते हैं ? हमने इस समस्या पर पूरी तरह चर्चा की है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमने यह सूचना नियम 193 के अन्तर्गत दी है। महोदय, हमें क्या हो गया है ?

अध्यक्ष महोदय : आप इस बात को समझते क्यों नहीं ? हमने इस पर चर्चा की। आपका प्रतिनिधि वहां था। प्रोफेसर साहब भी वहां थे।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : हमारे नेता ने यह सुझाव दिया है कि इसे नियम 193 के अन्तर्गत लिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अकारण ही सदन का समय मत लीजिए। यह केवल कार्य करवाये जाने का प्रश्न है। बस। और यदि आप दोनों सहमत हैं तो मुझे इस समय भी कोई आपत्ति नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : आप देखेंगे कि लिखित रूप में केवल चार नाम आए हैं। जिसका अर्थ यह है कि उस समय आपके साथ केवल चार नाम थे।

अध्यक्ष महोदय : हमें इस पर चर्चा करनी है। यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इसीलिए हमने इसे रखा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यहां लड़ना नहीं चाहता हूँ, किन्तु मैंने भी सूचना दी थी। मुझे नहीं मालूम कि उसका क्या हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता, वह भी होनी चाहिए थी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लेकिन आपको केवल चार व्यक्तियों के नाम प्राप्त हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी, हाँ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इस महत्त्वपूर्ण विषय पर हमें नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : कुछ लोगों ने यह महसूस नहीं किया होगा कि यह अत्यन्त आवश्यक है। मैं क्या कर सकता हूँ ?

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : अध्यक्ष महोदय, आपको यह मानना चाहिए कि इस पर पूर्ण चर्चा हो।

अध्यक्ष महोदय : श्री दत्त, जो कुछ मैंने आपको कहा है आप उसे अब भूलिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : मुझे विश्वास है कि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों को भी इसमें उतनी ही रुचि है और वे इस पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करना चाहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभी सदस्य सहमत हैं तो मैं तैयार हूं।

श्री अमल दत्त : दूसरे प्रश्न पर आपने परिवर्तन स्वीकार किया।

अध्यक्ष महोदय : मैं अभी भी तैयार हूं। यह सारे सदन के साथ सहमत होने का प्रश्न है।

श्री अमल दत्त : मेरे विचार में सत्तारूढ़ दल इसका विरोध नहीं करेगा। पूरा सदन इस बात से सहमत है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूँ। यदि वह सहमत हैं तो उन्हें कहने दीजिए।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : आप सत्तारूढ़ दल के सदस्यों से पूछ लीजिए। संसदीय मामलों के मंत्री तथा अन्य लोग नहीं सुन रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसका अर्थ यह है कि इन्हें दिलचस्पी नहीं है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वह तो आपस में ही बातचीत कर रहे हैं। आप उन्हें व्यवस्था बनाए रखने को कहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, डा० ए० के० पटेल।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, कृपया सदन को शान्त रहने को कहिए। महोदय, आप उनसे पूछें ? उन्हें "ना" कहने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : वह "नहीं" कहते हैं। आप आज आए हैं और आप क्षतिपूर्ति करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री एस० जयपाल रेड्डी : चर्चा होने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, सहमत नहीं हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप सब अपने स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री अमल दत्त : महोदय, पहले आप सहमत थे।

अध्यक्ष महोदय : अब, डा० ए० के० पटेल।

डा० बत्ता सामंत : महोदय, यह एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें अनेक श्रमिक अन्तर्ग्रस्त हैं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं किया जा सकता है आपको सूचना देनी थी। यदि आपको दिलचस्पी थी तो आपको सूचना देनी चाहिए थी।

अब, डा० ए० के० पटेल।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का स्टेटमेंट साढ़े दस तक, ग्यारह बजे तक हाथ में नहीं आया।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं। आप पढ़िए न। आप काम करिए।

श्री सी० जंगा रेड्डी : काम करने के लिए आए हैं।...(**व्यवधान**)...

हम चाहते हैं कि लोकसभा के लोग भी काम करें और मंत्रालय भी काम करे। हम चाहते हैं कि जो स्टेटमेंट साढ़े दस बजे तक वहां पर होना चाहिए था, नोटिस आफिस या लॉबी में, वह साढ़े ग्यारह बजे तक भी नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : आप पढ़ लीजिए।

श्री सी० जंगा रेड्डी : अब कैसे पढ़ लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आपको सारी तैयारी घर से करके आनी चाहिए थी। अब आप अपने प्वाइंट्स बनाइए। आप सुन लीजिए, वे आपके सामने पढ़ रहे हैं।

श्री सी० जंगा रेड्डी : सुनकर हम कैसे प्वाइंट्स तैयार कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब बोल रहे हैं। देरी मत करवाइए, ध्यान दीजिए।

श्री सी० जंगा रेड्डी : आप कहिए, आइंदा देरी नहीं होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया है कि आइन्दा देरी नहीं होनी चाहिए।

12.15 म०प०

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

हथकरघा, विद्युतकरघा, कपड़ा मजदूरों और कपास उत्पादकों पर नई कपड़ा नीति के घातक प्रभाव के समाचार

[अनुवाद]

डा० ए० के० पटेल (मेहसाना) : महोदय, मैं कपड़ा मंत्री महोदय का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्त्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :

"हथकरघा, विद्युतकरघा, कपड़ा मजदूरों और कपास उत्पादकों पर नई कपड़ा नीति के घातक प्रभाव के समाचार और इसके संबंध में सरकार द्वारा उठाये गये कदम।"

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : जिस वस्त्र नीति की घोषणा सरकार द्वारा 6 जून, 1985 को की गई थी, उसमें वस्त्र उद्योग के सम्बन्ध में एकीकृत दृष्टिकोण लिया गया है। अतः इसके प्रभाव के बारे में कोई भी चर्चा करते समय एक पक्षीय दृष्टिकोण लेने की अपेक्षा समग्र दृष्टिकोण से इस पर विचार किया जाना चाहिए। अभी से इस वस्त्र नीति के प्रभाव का अनुमान लगाना कठिन है जिसे प्रगामी रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। तथापि, मैं वस्त्र उद्योग के उन खण्डों के बारे में, जिनके सम्बन्ध में वर्तमान प्रस्ताव में ध्यान आकर्षित किया गया है, वर्तमान स्थिति सदन के सामने रखूंगा।

पिछले नौ महीनों के दौरान यार्न का औसत मासिक उत्पादन 119 मिलियन किग्रा० रहा है, जबकि पिछले वर्ष उसका उत्पादन 111 मिलियन किग्रा० हुआ था। अतः सभी किस्मों के यार्न की उपलब्धि सुलभ रही है। कताई उपयोग में भी पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष वृद्धि हुई है। यार्न की कीमतें घटी हैं और हैंक यार्न के मामले में अक्तूबर 1985 के अन्त में भारित औसत कीमत गत वर्ष की उसी अवधि की तुलना में लगभग 11 प्रतिशत कम थी। यार्न की बेहतर उपलब्धि और अधिक सस्ती कीमत के फलस्वरूप हथकरघों के सामने अन्तर्निविष्ट साधनों के संबंध में कोई समस्या नहीं है। अप्रैल और सितम्बर, 1986 के बीच की 6 महीनों की अवधि के दौरान हथकरघा वस्त्रों का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में लगभग 40 प्रतिशत अधिक रहा है। अधिक उत्पादन के साथ-साथ अधिक बिक्री भी हुई है। जनता कपड़े के उत्पादन का आवंटन, जो कुल हथकरघा उत्पादन का छोटा सा अंश है, 360 मिलियन मीटर से बढ़कर 420 मिलियन मीटर हो गया है। जनता कपड़े का उत्पादन उन राज्यों का सौंपा गया है जो बेरोजगार अर्ध-कुशल बुनकरों के लिये रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उत्सुक हैं। जनता कपड़े के उत्पादन में कोई मजबूरी नहीं डाली जाती या जबरदस्ती नहीं की जाती।

इस वर्ष अप्रैल-सितम्बर तक छह महीने की अवधि के दौरान विधुत करघा वस्त्रों का उत्पादन 2846 मिलियन मीटर हुआ है जो गत वर्ष की उसी अवधि के उत्पादन की तुलना में, जो कि 2663 मिलियन मीटर था, पर्याप्त वृद्धि दर्शाता है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष मिल क्षेत्र में संश्लिष्ट एवं ब्लैंडेड कपड़े के उत्पादन में गिरावट आई, जिसका कारण सम्भवतः यह था कि कीमत में कमी की जो व्यवस्था की गई थी उसका पूर्वानुमान लगा लिया गया था। पोलिएस्टर कपड़े पर शुल्क कम करने से, उत्पादन स्तरों को फिर से स्थापित किया गया है। फिलामेंट निर्माताओं द्वारा काफी मात्रा में लाभांश को अपने पास रखे जाने की वजह से पोलिएस्टर फिलामेंट एककों के सामने कीमत संबंधी रुकावट उत्पन्न हुई। फिलामेंट निर्माताओं द्वारा 1 नवम्बर से फिलामेंट की कीमतों में पर्याप्त कमी किए जाने के फलस्वरूप, पोलिएस्टर फिलामेंट बुनाई एककों की स्थिति में भी सुधार आ जाएगा।

संगठित उद्योग ने वस्त्र नीति का स्वागत किया था। तथापि, उन्हें और अधिक कार्यकुशल बनना होगा, लागतों में कमी करनी होगी और कपड़े की क्वालिटी में सुधारक रना होगा। हम ऐसी आशा नहीं कर सकते कि यह सब एक ही रात में हो जाएगा। किन्तु आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। इस प्रक्रिया में ओटाई, कताई, बुनाई, प्रोसेसिंग तथा विपणन अवस्थाओं सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यों का ध्यान रखा जाएगा। इससे वस्त्र उद्योग को स्वस्थ बनाने में सहायता मिलेगी और उद्योग अपनी उत्पादकता बढ़ा सकेगा जो आगे चल कर कामगारों के हितों की रक्षा करने तथा उन्हें रोजगार प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है।

विगत रुई वर्ष में लगभग 101 लाख गांठों की अभूतपूर्व मात्रा में रुई की फसल हुई। किन्तु फसल की इस मात्रा के अनुसार ही उद्योग में अधिक उपयोग हुआ तथा वैशी किस्मों का निर्यात किया जा सका। रुई के किसानों के लिए समर्थन कीमतें कारगर ढंग से बनाए रखी गई। वस्त्र नीति के समग्र प्रभाव के रूप में ऐसी आशा है कि कुल कपड़ा उत्पादन में वृद्धि होगी और सिन्थेटिकों के अंश के बढ़ने के बावजूद रुई की खपत में भी वृद्धि होगी। कुछ भी सही किसान इस संबंध में आश्वस्त हैं कि उसे अपनी रुई के लिए बाजार मिलेगा। चालू रुई मौसम के लिए घोषित समर्थन कीमतों में वृद्धि में देश में मध्यम स्टेपल रुई में कमी का ध्यान रखा गया है।

वस्त्र नीति में नागरिक की आवश्यकताओं तथा देश के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। अब तक के परिणामों से यह संकेत मिलता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

डा० ए० के० पटेल : महोदय, कपड़ा नीति की घोषणा इस वर्ष के मध्य में हुई थी। कपड़े से संबन्धित विभिन्न क्षेत्रों को इस नीति के परिणाम से बड़ी आशाएं थीं। किंतु इसके पिछले कुछ महीनों से अच्छे परिणाम नहीं रहे हैं। लोगों का विचार है कि उन्हें उस प्रकार लाभ नहीं हुआ है जैसे उन्हें होना चाहिए था। संक्षिप्त रूप से मैं यह कहता हूं कि यह कपड़ा नीति निष्फल-सिद्ध हुई।

नई कपड़ा नीति को लाते समय, सरकार ने यह घोषणा की कि कपास उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिये जाएंगे और उनके हितों की ओर ध्यान दिया जाएगा।

12.19 **म०प०**

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसमें इस बात का भी उल्लेख था कि मानव-निर्मित संघलेशित रेशे भी उत्तरोत्तर सस्ते कर दिए जाएंगे ताकि वह गरीब तथा मध्यमवर्गीय लोगों को उपलब्ध हो सकें। इसमें यह घोषणा भी की गई थी कि हथकरघों को अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा और एक ऐसी नीति अपनायी जाएगी जिससे अधिक रोजगार उपलब्ध होगा। इस बात का भी सुझाव दिया गया कि धीरे-धीरे अधिक आधुनिकीकरण किया जाएगा ताकि देश की कपड़े की आवश्यकताओं को अधिक उत्पादन से पूरा किया जा सके। प्रधान मंत्री ने भी कहा था कि आयात प्रतिस्थापन समाप्त कर दिया जाएगा और अर्थ व्यवस्था में प्रतियोगित तत्व को प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि हम विदेशी माल के विरुद्ध खड़े हो सकें। अधिक रोजगार को प्रोत्साहन देने के लिए, कच्चे माल पर अन्तर्वर्ती तथा अन्तिम उत्पाद से कम शुल्क लगाया जाएगा।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उसने इन नियमों का अनुसरण किया है अथवा इसके विपरीत काम किया है। उदाहरण के लिए, कपास उत्पादकों की हालत को लीजिए। क्या सरकार ने नई कपड़ा नीति के संबंध में कोई कदम उठाने से पूर्व उन्हें लाभकारी मूल्य दिए हैं? निश्चय ही नहीं दिए। सरकार ने संश्लिष्ट फाइबर पर कर में कमी की घोषणा करते हुए सिंथैटिक फाइबर का अधिक से अधिक उत्पादन करने के लिए उदारतापूर्ण लाइसेंस जारी किए, ओपन जनरल लाइसेंस के अन्तर्गत पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न और पालिएस्टर स्टेपल फाइबर के आयात की अनुमति दी गई, सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों द्वारा सिंथैटिक फाइबर का सस्ता कपड़ा बेचे जाने की योजना की घोषणा की किंतु समर्थन मूल्यों, कपास का मुक्त निर्यात करने की अनुमति देने के संबंध में कदम

[डा० ए० के० पटेल]

उठाने की कोई घोषणा नहीं की गई। प्रभावी समर्थन मूल्यों के लिए तंत्र बनाने का कोई आश्वासन नहीं दिया गया। और जब कुछ हिचकिचाहट के साथ सरकार ने समर्थन मूल्य की घोषणा की, बहुत देर हो चुकी थी। हाल ही में गुजरात में कई किसानों ने मिलकर कपास के उचित मूल्य दिए जाने की मांग की है। सरकार को उस ओर ध्यान देना चाहिए था। महोदय इसीलिए मैंने आपके माध्यम से मंत्री महोदय के समक्ष ये प्रश्न रखे हैं। हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार कपास के मुक्त निर्यात की अनुमति देगी, क्या कपास के समर्थन मूल्यों में पिछले वर्ष की अपेक्षा कम से कम 20-25% वृद्धि की जाएगी, क्या सरकार किसानों का प्रतिनिधित्व करते हुए कपास उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्यों के प्रभावी क्रियान्वयन किए जाने के प्रबंध करेगी और क्या सिंथैटिक के आयात पर नियंत्रण करेगी ताकि कपास उत्पादकों के हितों की रक्षा की जा सके ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जंगा रेड्डी। कार्य सूची में शामिल सभी माननीय सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछे जाने के बाद मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : वह प्रश्न भूल जाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें प्रश्न याद रहेंगे; आप अपने प्रश्न पूछिए।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं अभी उत्तर दे सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, कार्य प्रक्रिया बदल गई है। हमने निर्णय लिया है कि पहले सभी प्रश्न पूछे जाएंगे और अंततः मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : सभी प्रश्न आज ही पूछे जाने चाहिए न कि एक सप्ताह के पश्चात्।

उपाध्यक्ष महोदय : आज ही पूछे जाएंगे। यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है।

प्रो० एन०जी० रंगा (गुंटूर) : नई कार्य प्रक्रिया बहुत अच्छी है।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : माननीय सभापति जी, मंत्री महोदय ने टेक्सटाईल पालिसी के बारे में जो स्टेटमेंट दिया है उसमें दी हुई बातें सच्चाई से बहुत दूर हैं। ये तो उद्योग मंत्री, हेण्डलूम मिनिस्टर हैं, अगर हमारे कृषि मंत्री जी आते तो पता चलता कि क्या होता है।

मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके काटन कारपोरेशन ने सपोर्ट प्राइस पर कितना काटन आजतक खरीदा है ? आपने जो सपोर्ट प्राइस डिक्लेअर की हैं उन पर गुजरात में, आंध्र में, महाराष्ट्र में आपकी काटन कारपोरेशन ने कितना-कितना काटन खरीदा है, इसके आप आंकड़े तो बताइये।

आन्ध्र प्रदेश में वारंगल और हैदराबाद की जो काटन मार्किट है वहां पर 450 रुपये पर भी कोई काटन लेने के लिए तैयार नहीं है। आपके काटन कारपोरेशन वाले सो रहे हैं। उनको 550 रुपए पर मार्किट में काटन लेना चाहिए जब वहां व्यापारी मिनिमम प्राइस पर भी काटन लेने को तैयार नहीं हैं तो वहां 420 रुपये प्राइस है। हमने इसके लिए वारंगल में ऐजीटेशन किया और काटन मार्किट में सर्वे भी किया। आपके काटन कारपोरेशन के लोग वहां आते हैं मगर

हमसे या किसानों से मिलते नहीं। वे मार्किट में काटन भी नहीं खरीदते। वे कहते हैं कि हमारे पास जीनिंग की व्यवस्था नहीं है, वेईंग की व्यवस्था नहीं है। इसीलिए काटन कारपोरेशन वाले मार्किट में काटन नहीं खरीदते हैं।

मैंने अगस्त में इसी लोक सभा में कहा था कि इस बार वारंगल में, हैदराबाद में काटन का उत्पादन ज्यादा होने वाला है इसलिए वहां के ग्रोअर्स को सपोर्ट प्राइस देने की पहले से ही व्यवस्था की जानी चाहिए। फिर भी, केन्द्र सरकार की ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप लोगों ने सिर्फ वारंगल में एक सेंटर खोला, लेकिन वहां पर वीविंग मशीन नहीं है। बम्बई से चेयरमैन फ्लाइट से या रेल से आते हैं, लेकिन किसी से मिलते नहीं हैं। वहां पर प्रतिदिन 40 हजार थैले कपास आ रही है, लेकिन उसको खरीदने वाला कोई नहीं है। व्यापारी किसानों का शोषण कर रहे हैं, किसान कपास वापस नहीं ले जा सकता। आपकी तरफ से बेयर-हाउसिंग की कोई व्यवस्था नहीं है और व्यापारी 420, 430, 450, जो भी बोली लगाता है, उसको देनी पड़ती है। काटन कारपोरेशन के एजेंट दर्शक की तरह रहते हैं। हमने मार्केटिंग कमेटी में उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, हम खरीद नहीं सकते हैं। इस तरह से कैसे आपकी पालिसी काटन ग्रोअर्स के लिए ठीक हो सकती है। अगर काटन एक्सपोर्ट होती है तो उस पर आप टैक्स लगाते हैं। मैन फैब्रिक्स के ऊपर से एक्साइज ड्यूटी हटाई जानी चाहिये। इसके लिए क्या हम ओ० जी० एल० में रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर काटन एक्सपोर्ट पर टैक्स होगा तो वह किसान को या व्यापारी को ही भरना पड़ेगा। इंटरनेशनल मार्केट में····

हमको 15 मिनट का समय तो दीजिए। समय कम रखेंगे तो कैसे काम चलेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया प्रश्न पूछिये। नियमानुसार केवल 5 मिनट दिए जाते हैं। आपको अपनी बात संक्षेप में कहनी होगी।

[हिन्दी]

श्री सी० अंगा रेड्डी : देखिये, पहले मेंबर के लिए जो समय दिया गया, वही हमको भी दीजिये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : पहले सदस्य को 10 मिनट दिये गए। आपको केवल 5 मिनट दिये जाते हैं। मैं अधिक समय नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

श्री सी० अंगा रेड्डी : 5 मिनट में क्या बोलें, तीन विषय हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मैं क्या कर सकता हूं। आपको प्रश्न पूछने हैं। नियम सबके लिये समान है।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : क्या सिर्फ काटन के लिए रूल्स बदल दिये हैं ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है, मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। नियम सबके लिए हैं।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : किसान का दर्द है, किसान भूखा है, किसान रोता है, अगर यही हाल रहा तो देश का विकाश हो जाएगा। किसान के बारे में जरा सोचिए। काटन का किसान, गन्ने का किसान, सारे किसान लोक सभा में रो रहे हैं, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इसलिए आज यह परिस्थिति देश की है। मुझे थोड़ा समय दीजिए :

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया प्रश्न पूछिये। मुझे नियमों-विनियमों के अनुसार ही चलना है।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : विदेशों में हमारी कपास की डिमांड है, इसलिए जो एक्सपोर्ट की पालिसी है, उसको बदलने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकार तैयार है या नहीं, अगर नहीं तो इसका क्या कारण है। दूसरी बात मैं यह पूछना चाहता हूँ कि—

[अनुवाद]

प्रतिदिन, प्रतिवर्ष हम निर्यात बढ़ा रहे हैं।

[हिन्दी]

एक्सपोर्ट की व्यवस्था के लिए आप क्या करने जा रहे हैं और वेयर-हाउसिंग के लिए क्या कर रहे हैं। क्रेडिट के बारे में जो बात कही गई है, उसको बन्द किया है, उसको फिर से क्रेडिट देने के लिए आप क्या इन्तजाम कर रहे हैं। काटन एक्सपोर्ट करने के लिए जो मेन मैक्सिम है, पालिए-स्टर हो, नायलान हो, जो हम इंपोर्ट करते हैं, इसको बेन करना चाहिए, इसको एक्सपोर्ट करने के लिए पालिसी चेंज करनी चाहिए और सपोर्ट प्राइस देने के लिए जो मार्केट में व्यवस्था हो रही है, उसको ठीक बनाने और कपास खरीदने के लिए काटन कारपोरेशन को किस प्रकार के निर्देश देकर किसान को बचाएंगे, इसका हमको समाधान चाहिए।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, इससे पहले कि मैं मंत्री महोदय से प्रश्न पूछूं, मैं उन्हें यह स्मरण कराना चाहता हूँ कि संसद के पिछले सत्र के दौरान, जब मैंने नई वस्त्र नीति पर चर्चा करने की पहल की थी, मैंने कुछ आशंकाएं व्यक्त की थीं और अब मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि क्या मेरी बात सही साबित हुई है ? मैं ये प्रश्न पूछूंगा।

जहां तक नई कपड़ा नीति का सम्बन्ध है, क्या यह सच है कि कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि गैर-बराबरी प्रतियोगिता में हथकरघे समाप्त हो रहे हैं। दूसरी बात, पोलिएस्टर-फिलामेंट सूत नीति के कारण, विद्युतकरघे को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तीसरे, हम कपड़ा उद्योग में जो आधुनिक तकनीक अपना रहे हैं, उसके कारण संगठित मिलों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी हो रही है।

अंततः चूंकि आपने तुलनात्मक रूप से मानव निर्मित सूत और सिंथैटिक फाइबर पर उत्पाद-शुल्क में कमी के रूप में जो प्रोत्साहन दिया था, क्या यह सच नहीं है कि इससे कपास के उत्पादन में कमी आई है और उसके परिणामस्वरूप कपास उत्पादकों को बहुत कठिनाईयां हुई हैं ?

मैं इन चारों प्रश्नों को संक्षेप में बताऊंगा। आपने जो समय निर्धारित किया है मैं उसी समय में संक्षेप में इन्हें बताऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। आपने समय का भी ध्यान रखा है।

प्रो० मधु दण्डवते : हथकरघों के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि चूंकि आपने संगठित मिलों और विद्युतकरघों से सभी तरह की पाबंदी हटा ली है, क्या यह सच नहीं है, जैसी कि आशंका थी संगठित मिलों और विद्युतकरघों से प्रतियोगिता में हथकरघे समाप्त होते जा रहे हैं ?

अब मैं विद्युतकरघों पर आता हूं, इस सदन में तंतु नीति की घोषणा करने के बाद, आपने एक और कदम उठाया है, जहां तक पोलिएस्टर फाइबर और फिलामेंट तागे पर शुल्क का सम्बन्ध है ? आपने पुनः भेदभाव किया है और उसके परिणामस्वरूप, क्या यह सच नहीं है कि, विद्युतकरघे, जो फिलामेंट तागे के प्रयोग के लिए आवश्यक हैं, और चूंकि फिलामेंट सूत पर शुल्क में कुछ खास कमी नहीं की गई है, विभिन्न क्षेत्रों में विद्युतकरघों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है ? केवल इतना ही नहीं, मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह पूरे सदन को विश्वास में लेकर हमें तथ्यों से अवगत कराएं, अन्यथा, मैं उन तथ्यों के बारे में बताऊंगा। क्या यह सच नहीं है कि चूंकि उन्होंने पोलिएस्टर फाइबर पर उत्पाद-शुल्क में कमी की है और फिलामेंट सूत पर नहीं, इसलिए जहां तक फिलामेंट सूत का सम्बन्ध है, विदेशों से इसकी बड़ी मात्रामें तस्करी की जा रही है और चूंकि विद्युतकरघे के मालिक तस्करी किया गया सूत खरीद नहीं सकते, कई विद्युतकरघे नष्ट हो रहे हैं ? मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच है या नहीं। और मैं जानना चाहता हूं कि बड़े पैमाने पर हो रही इस तस्करी को रोकने के लिए क्या आप इस भ्रष्टता को रोकने का प्रयत्न करेंगे ?

कपास-उत्पादकों के सम्बन्ध में मैं कहूंगा कि आप देश के किसी भी हिस्से में चले जाएं कर्नाटक, आंध्र-प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, जहां भी कपास का उत्पादन होता है, वहां अत्याधिक असंतोष व्याप्त है। इस असंतोष से राजनैतिक दलों में कोई मतभेद नहीं है। मैं मंत्री महोदय को यह स्मरण कराना चाहता हूं कि पिछली बार जब मैंने नई कपड़ा नीति पर 10 घण्टे तक वाद-विवाद कराने की पहल की, कांग्रेस दल के 70% वक्ताओं ने नई कपड़ा नीति का विरोध किया और विशेषकर देश के कपास उत्पादकों के साथ किए गए सौतेले व्यवहार का विरोध किया। क्या हुआ है ? उन्होंने मानव निर्मित सूत्त और सिंथैटिक सूत को प्रोत्साहन दिया है जिसके परिणामस्वरूप सूती धागे का महत्त्व कम हो गया है। आपको यह जानकर आश्चर्य और दुःख होगा कि इस वर्ष वहां कपास की 103 लाख गांठें ऐसे ही पड़ी हैं।

[प्रो० मधु दण्डवते]

इसकी बिलकुल मांग नहीं है। उसके परिणामस्वरूप वह क्षेत्र जिसमें कपास की खेती की जाती है, कम हो जाएगा। कपास का उत्पादन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में होता है। क्या यह सच नहीं है कि जहां कपास की खेती की जाती है वह क्षेत्र ऐसा है कि यद्यपि वहां कपास उत्पादकों को कठिनाइयां होती हैं, वे इस भूमि में कोई और खेती नहीं कर सकते ? यह काली मिट्टी वाली भूमि है। अतः अन्ततः उन्हें कठिनाई होगी। इसलिए वहां दो तरह की संभावनाएं हैं। पहला यह कि क्या आप वहां पर्याप्त बफर स्टॉक बनाएंगे ताकि कपास उत्पादकों को मंडी मिल सके ? इसके अलावा क्या आप सभी कपास उत्पादकों की यह मांग स्वीकार करेंगे कि अधिक निर्यात की अनुमति दी जानी चाहिए ?.....

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

प्रो० मधु दण्डवते : केवल थोड़ा समय और।

संगठित कपड़ा मिलों के बारे में मैं आपकी ही रिपोर्ट से कुछ उद्धृत करूंगा। संगठित कपड़ा मिलों में 13 लाख कर्मचारी काम करते हैं। 32 लाख कर्मचारी विद्युतकरघों में काम करते हैं और 75 लाख कर्मचारी हथकरघों में काम करते हैं। अतः 120 लाख श्रमिकों में से 107 लाख कर्मचारी विद्युतकरघे और हथकरघे जैसे विकेन्द्रित क्षेत्रों में काम करते हैं। यदि उनके हितों की रक्षा न की गई तो परेशानी होगी और असंतोष फैलेगा। कपड़ा मिलों की संख्या 13 लाख से घट कर 11 लाख और 11 लाख से घटकर 8 लाख रह गई है और यदि और अधिक आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का आयात किया गया तो आगामी वर्षों में उनकी संख्या घटकर 5 लाख हो जाने की संभावना है। यदि ऐसा हुआ तो लोग बहुत अधिक संख्या में बेरोजगार हो जायेंगे।

महोदय, यदि कताई अनुभाग में जहां लगभग 500 श्रमिक कार्य करते हैं यदि सुलजर करघों का इस्तेमाल किया गया तो उस कार्य को केवल 15 या 20 श्रमिक ही निबटा लेंगे और बहुत सारे श्रमिकों को इधर-उधर लगाना पड़ेगा। यहां मैं यह भी कहना चाहूंगा कि प्रोसेसिंग अनुभाग में एक नयी समस्या उत्पन्न हो गई है। प्रत्येक कपड़ा मिल में एक प्रोसेसिंग विभाग होता है और पहले यह प्रतिबंध था कि विशेष प्रकार का कपड़ा निर्माण करने वाले मिल को उस मिल के प्रोसेसिंग विभाग द्वारा प्रोसेसिंग कराने की अनुमति थी। अब यह प्रतिबंध हटा दिया गया है और नये नियमों के अनुसार अब विद्युतकरघों और हथकरघों और मिलों द्वारा उत्पादित कपड़ों की प्रोसेसिंग सूती कपड़ा मिलों में ही करने की अनुमति दी गई है और जिसके परिणामस्वरूप प्रोसेसिंग मिल बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वह क्या ठोस कदम उठाने जा रहे हैं।

महोदय, हाल ही में मैंने ईचा करांजी के कुछ प्रोसेसिंग यूनिटों का दौरा किया है। मैं आपके पूर्ववर्ती मंत्री को एक पत्र लिख चुका हूं। दुर्भाग्यवश मंत्रियों के विभागों में फेर बदल इतनी जल्दी होते हैं कि जब तक हमारे पत्र पहुंच पाते हैं, तब तक उनके विभागों में परिवर्तन हो जाता है और आपको नये सिरे से विचार करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस बात पर विचार करें कि महाराष्ट्र के ईचा करांजी तथा अन्य स्थानों जैसे कुछ केन्द्रों के बारे में क्या किया जा रहा है। अफसरशाही ने अपने अधिकारों और शक्तियों के अनुरूप कुछ निदेश जारी कर दिये हैं। मैं एक रुचिकर निदेश का उदाहरण देना चाहूंगा और जिसके परिणाम

स्वरूप महाराष्ट्र के ईचा करांजी तथा अन्य केन्द्रों पर क्या प्रभाव पड़ा है। समाहर्ता ने एक परिपत्र भेजा है कि जहां तक हथकरघा पर उत्पाद शुल्क रियायत देने का सम्बन्ध है, हथकरघा पर कोई उत्पाद शुल्क नहीं है और विद्युत प्रोसेसिंग पर उत्पाद शुल्क लगता है। अब, हुआ यह कि समाहर्ता ने उन अनेक सहकारी समितियों को, जिनके पास हथकरघा प्रोसेसिंग और विद्युतकरघा प्रोसेसिंग के लिये पृथक पंजीकरण हैं, एक परिपत्र भेजा है कि इन समितियों को भूतलक्षी प्रभाव संयुक्त एकक समझा जायेगा। इसलिये उन्हें छः वर्ष की बकाया राशि अदा करनी होगी। यह बकाया राशि 70 करोड़ रुपये है। सभी चिल्ला रहे हैं। मैंने प्रधान मंत्री तथा आपके पूर्ववर्ती मंत्री महोदय को लिखा है और मैं आपको भी उस पत्र की प्रति भिजवा रहा हूं। इसलिये, कृपया ध्यान दें कि इस त्रुटि को सर्वथा दूर किया जाय अन्यथा लोगों को नुकसान होगा।

महोदय, मैंने ये विशिष्ठ प्रश्न पूछे हैं। दुर्भाग्यवश उन सबको एक साथ मिला दिया गया है। इसलिये, अन्त में, जब चौथा सदस्य अपने प्रश्न पूछेगा मैं नहीं कह सकता कि आप कितने प्रश्नों को याद रख सकेंगे। किन्तु मुझे आशा है कि सशक्त प्रश्न ही ध्यान में रहेंगे और मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया जायगा।

श्रीमती जयंती पटनायक (कटक) : उपाध्यक्ष महोदय, वस्त्र नीति में यह कहा गया है कि जो मिल लाभप्रद नहीं हैं, उन्हें बन्द कर दिया जायगा। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या श्रमिकों के हितों की रक्षा की जायेगी ? यह कहने के विरुद्ध क्या गारंटी है कि अमुक मिल लाभ में चलने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, महोदय, मान लीजिये मिलों को निजी मिल मालिकों से अधिगृहीत कर सरकारी उपक्रम को दे दिया जाता है और यदि वस्तुतः अधिगृहण करने से पूर्व की देयतायें बहुत अधिक हैं तो अधिगृहण करने से पूर्व की देयताओं का ध्यान रखना होगा, और ऐसी स्थिति में मिल के कार्य-निष्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्या माननीय मंत्री महोदय इस पहलू पर ध्यान देने की कृपा करेंगे अन्यथा मिले पुनः रुग्ण हो जायेंगी। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की एक मिल, उड़ीसा टैक्सटाइल मिल, जिसे सरकारी उपक्रम द्वारा 1981 में अधिगृहीत किया गया था, के अनुभव के आधार पर कह रही हूं। यह एक बहुत ही अच्छी मिल है किन्तु अधिगृहण किये जाने से पूर्व की इसकी देयतायें बहुत अधिक हैं और माननीय मंत्री महोदय को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या वस्त्र उद्योग का आधुनिकिकरण करने से पैदा होने वाली समस्याओं और इसके लिये कितने धन की आवश्यकता पड़ेगी इसका पता लगाने के लिये सरकार ने एक उच्च शक्ति सम्पन्न समिति नियुक्त कर दी है ? यदि हां, तो कृपया बतायें कि क्या उस समिति की कभी बैठक हुई है और उसका निष्कर्ष क्या है ? यदि इसकी बैठक अभी तक नहीं हुई है, तो उससे पूछें कि उसकी बैठक अभी तक क्यों नहीं हुई है। उनकी बैठक कब होगी और वे लोग किन-किन मुद्दों पर चर्चा करेंगे ? जहां तक पोलियस्टर धागा नीति का संबंध है सरकार इसकी प्रणाली के बारे में निर्णय ले चुकी है पोलियस्टर एककों के लिये टी०पी०ए० और डी०एम०टी० पर आधारित कच्चे माल की कटौती से तथा आयात शुल्क के बढ़ने से उत्पादन पर कितना प्रभाव पड़ा है ? माननीय मंत्री महोदय से मैं यह भी जानना चाहती हूं कि कर ढांचे के बढ़ने की आशंका में क्या सिन्थैटिक रेशा उद्योग को 'ब्रोडबैंडिंग' और सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य सुविधाओं का उपयोग करने के लिये उत्साहित किया जायगा ? माननीय मंत्री महोदय यह भी स्पष्ट करें कि क्या शुल्क रहित पोलियस्टर रेशे देकर राष्ट्रीय कपड़ा निगम मिलों को सस्ते मूल्य के कपड़े

[श्रीमती जयंती पटनायक]

(कमीज और पाजामे के वस्त्र) का उत्पादन करने के लिये प्रेरित किया गया है। सस्ते मूल्य की साड़ियों के उत्पादन के मामले में सरकार ने देश की महिलाओं की उपेक्षा क्यों की है ?

अब मैं, कपास उत्पादकों से संबंधित कुछ मुद्दों के बारे में माननीय मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहती हूं। इस मुद्दे पर अनेक सदस्य पहले ही बोल चुके हैं। कपास उत्पादकों को कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है।

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय मंत्री महोदय से पूछिये कि वह मिल हितैषी क्यों हैं ?

श्रीमती जयंती पटनायक : अब, मैं मंत्री महोदय से यह बताने का अनुरोध करती हूं कि क्या सरकार का विचार कपास उत्पादकों, व्यापार और मिलों के हितों का संतुलन बनाये रखने के लिये एक वृहदाकार कपास बोर्ड गठित करने का है ? हमें, यह भी बताने की कृपा करें कि क्या कुछ राज्य सरकारों ने हथकरघा बुनाई शेडों का विद्युतिकरण करने की मांग की है जिससे के आधुनिकीकरण की इस विचारधारा से बुनकरों के घर के सदस्यों को अपने अतिरिक्त समय से कुछ सहायता मिल सके। मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या राज्य हथकरघा निगमों को जनता कपड़े पर भारी नुकसान उठाना पड़ा है और उसका कारण यह है कि शेयर पूंजी में वृद्धि करने के लिये लागत फार्मूले में कोई मूल्य वृद्धि नहीं की गई है और क्या इस कारण सहकारी समिति को भारी घाटा उठाना पड़ा है ?

मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या हथकरघा बुनकरों को कपास की तंगी उठानी पड़ती है और इसलिये करघों के बंद होने से कताई मिलों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इसका भण्डार बहुत अधिक हो गया है और सरकार द्वारा राष्ट्रीय कपड़ा निगम के माध्यम से शुल्क रहित पोलियस्टर मिलों को सप्लाई किये जाने का निर्णय लिये जाने से कपास के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। महोदय, अब सरकार सहकारी क्षेत्र के कताई मिलों को भी लायसेंस दे रही है किन्तु भारतीय औद्योगिक विकास बैंक जैसे वित्तीय निगम इस प्रयोजन के लिये धन स्वीकृति करने के लिये आगे नहीं आते हैं। उनका कहना है कि देश में कताई मिल पहले से ही बहुत अधिक हैं और उनकी और अधिक आवश्यकता नहीं है। मुझे नहीं पता कि सरकार की नीति क्या है। सरकार वित्तीय सहायता दिये बिना हथकरघा क्षेत्र में सहकारी समितियां के कार्य करने की आशा कैसे करती है ? यही कारण है कि कुछ मिलें अभी तक चालू नहीं हो पायी हैं। समुचित मूल्यांकन करने के बाद ही सरकार लायसेंस देती है।

महोदय, मैं सरकार से यह भी जानना चाहती हूं कि जैसा कि राज्यों ने सुझाव दिया है। क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है कि आधुनिकीकरण पर आने वाली लागत का आधा-आधा भार केन्द्र और राज्य वहन करेंगे ? अन्त में, मैं सरकार को यह बताना चाहती हूं कि जहां राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कुछ मिलों को भारी घाटा हो रहा है वहीं कुछ मिलों में भारी लाभ भी हो रहा है। उड़ीसा में भगतपुर कपड़ा मिल का आधुनिकीकरण किया जा चुका है और वहां तकले लगाये जा चुके हैं। मिल चलाने के लिये उन्हें श्रमिक भर्ती करने को कहा गया है। किन्तु अब भर्ती पर प्रतिबंध लगा हुआ है। आधुनिकीकरण करने तथा अन्य प्रतिष्ठानों के स्थापित करने का क्या लाभ है ? माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में कुछ न कुछ कार्यवाही तत्काल करें।

श्री खुर्शीद आलम खां : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि वस्त्र नीति की घोषणा जून, 1985 में की गई है और इस नीति का भली भांति परीक्षण करने की आवश्यकता है; तभी इसके बारे में कोई निष्कर्ष लिया जा सकता है। मेरे विचार से, इस स्थिति में इस बारे में कोई निष्कर्ष निकालना बहुत ही जल्दबाजी होगी और इसलिये माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर और अधिक गंभीरतापूर्वक विचार करें और इसके बारे में यदि कोई सुझाव देना हो तो दें।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि कैंसर का पता पहले से ही चल जाये, तभी उससे बचा जा सकता है।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह कैंसर नहीं है, अपितु यह अमृत है.....(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवधान न डालें, मंत्री महोदय विचलित होने वाले नहीं हैं।

श्री खुर्शीद आलम खां : जनता कपड़े के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि 1985-86 में भी हमने जनता कपड़े की मात्रा 6 करोड़ मीटर बढ़ाई थी और उसे उन राज्यों को दिया था जो और अधिक जनता कपड़े के उत्पादन की मांग कर रहे थे। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो हथकरघा बुनकर महंगे कपड़े का उत्पादन कर रहे हैं उनसे जनता कपड़े का उत्पादन करने को न कहा जाये। वस्तुतः अभी भी लगभग 20 प्रतिशत ऐसे हथकरघा हैं जो बेकार पड़े हैं। यह अच्छा होगा कि उन्हें अतिरिक्त बुनकर सुविधायें प्राप्त हों। नीति में, इस बात का उल्लेख किया गया है कि सातवीं योजना अवधि के दौरान जनता कपड़े का कुल उत्पादन हथकरघों को दे दिया जायगा और यह काम इस 6 करोड़ मीटर कपड़े से आरम्भ किया जाए।

जहां तक कपास का संबंध है? माननीय सदस्यों द्वारा अभिव्यक्त की गई चिंता से मैं सहमत हूं। इस वर्ष कपास का कुल उत्पादन....

प्रो० मधु दण्डवते : 103 लाख गांठ है।

श्री खुर्शीद आलम खां : इससे अधिक है। स्थिति इस प्रकार है। । सितम्बर, 1985 को आरम्भ में भण्डार में हमारे पास 24 लाख गांठें थीं। 1985-86 में फसल से 95 लाख गांठें प्राप्त होने की संभावना है और गत वर्ष 75000 गांठें पाकिस्तान से आयात की गई थीं - ये मध्यम पोनी वाली रुई थी। इन सबको मिलाकर 120 लाख गांठें हो जाती हैं। मिलों में 86·5 लाख गांठों की खपत होगी, कारखानों में 4·65 लाख गांठों की खपत होगी। निर्यात के संबंध में हमें आशा है कि 3·5 लाख गांठों के बीच निर्यात होगा।

जहां तक कपास का मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न है, यह कार्य ए०पी०सी० द्वारा किया जाता है।

प्रो० मधु दण्डवते : किन्तु यह वही सरकार है।

श्री खुर्शीद आलम खां : यह सच है (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें पहले अपनी बात पूरी करने दीजिये।

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आज के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की तुलना में हमारी कपास का मूल्य अभी अधिक है। मूल्य निर्धारण संबंधी स्थिति यह है।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : इंटरनेशनल प्राइस के साथ कम्पेयर करके कैसे बोलें ? आप हमें बताइए तो वहां क्या रेट है और वहां का कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : या तो आप मुझे बोल लेने दीजिए या आप ही बोल लीजिए ।

श्री सी० जंगा रेड्डी : आप बताइए कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या रेट है और हमारे यहां क्या रेट है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : 25 परसेंट ज्यादा है ।

[अनुवाद]

कपास निगम ने चालू मौसम में अबतक लगभग 72,000 गाँठें खरीदी हैं जब कि कपास निगम का कार्यक्रम 15 लाख गाँठें खरीदने का है । खरीद कार्यक्रम में देरी होने का कारण यह है कि निगम अब तक कपास के नये मूल्य की प्रतीक्षा में था जिसकी घोषणा अब की गई है । अब खरीद की घोषणा की गई है । माननीय सदस्यों के सूचनार्थ मैं बता देना चाहता हूं कि एक विशेष दल कल आंध्र प्रदेश जा रहा है और वह दल कल वारंगल पहुंचेगा और वह आंध्र प्रदेश में कपास क्रेताओं की समस्याओं का पता लगायेगा ।

श्री सी० जंगा रेड्डी : वारंगल के बाजार से वह कितनी गांठें और किस दर पर खरीदेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि वह मुझे सम्बोधित करें । इसका कोई अंत नहीं है । चर्चा इस प्रकार नहीं चल सकती है ।

श्री खुर्शीद आलम खां : कपास की गांठों की उपलब्धता का अनुमान लगाने तथा खरीद कार्यक्रम निर्धारित करने के लिये विशेष दल कल वारंगल जा रहा है । इस दल में कपास निगम के अध्यक्ष, वस्त्र मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, कृषि मंत्रालय का एक प्रतिनिधि और राज्य सरकार के अधिकारी होंगे ।

श्रीमती बसव राजेश्वरी (बेल्लारी) : क्या वे लोग कर्नाटक भी जायेंगे ?

श्री खुर्शीद आलम खां : यदि आवश्यक हुआ तो वे लोग कर्नाटक भी जायेंगे । बड़े पैमाने पर अपनी खरीद आरम्भ करने के विशेष निदेश कपास निगम को जारी कर दिये गये हैं ।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : उनका कर्नाटक जाना बहुत ही आवश्यक है । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री जंगा रेड्डी को इस तरह बोलने की अनुमति नहीं दूंगा । पहले मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिये । आप स्पष्टीकरण बाद में मांग सकते हैं ।

श्री खुर्शीद आलम खां : प्रो० मधु दंडवते ने विशेष रूप से फिलामेंट के मूल्य के बारे में पूछा था । मैं यहां यह बताना चाहूंगा कि पोलियस्टर स्टेपल फाइबर पर शुल्क घटा दिया गया है और मूल्य में लगभग 20 रुपये घटाये गये हैं । किन्तु इसके साथ ही फिलामेंट निर्माताओं ने अपने मूल्य कम नहीं किये हैं और हमने उस पर शुल्क भी नहीं घटाया है क्योंकि हमने यह महसूस किया

कि उनका लाभांश कहीं अधिक है। इसलिये उन्होंने 1 नवम्बर से स्वयं ही 15 से 20 रुपये तक मूल्य घटा दिये हैं। इस प्रकार उसके मूल्य भी कम हो गये हैं। इसमें संदेह नहीं है कि स्टेपल फाइबर और फिलामेंट के मूल्यों में हमेशा ही काफी अन्तर रहता है। ऐसा हमारे देश में ही नहीं अपितु सभी देशों में है।

डा० वत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : यह अन्तर दुगना है।

श्री खुर्शीद आलम खां : यदि आप मुझे कुछ और समय दें तो मैं स्वयं ही आपको बता दूंगा। स्टेपल फाइबर का मूल्य लगभग 75 रुपये प्रति किलो है और फिलामेंट धागे का मूल्य लगभग 163·50 प्रति किलो है।

प्रो० मधु दण्डवते : तस्करी के बारे में आपका क्या ख्याल है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : मुझे आशा है कि विद्वान प्रोफेसर को पता होगा कि इस प्रकार के व्यापार से मेरा कभी कोई संबंध नहीं रहा है।

प्रो० मधु दण्डवते : यदि मैं उसके बारे में आपसे कोई प्रश्न पूछता हूं, तो क्या आप यह समझते हैं कि मैं तस्करी से संबद्ध हूं। यह बहुत ही स्पष्ट है। अर्थ संबंधी सभी पत्रिकाओं में कहा गया है कि तस्करी बहुत हद तक बढ़ गई है।

श्री खुर्शीद आलम खां : मुझे विश्वास है कि हमारे माननीय प्रोफेसर इस बात को महसूस करेंगे कि जो तस्करी रोकने के लिये उत्तरदायी हैं वे कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। और मैं इस मामले को उनके सुपुर्द करूंगा। वे कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। मैं प्रोफेसर महोदय की इस बात से पूर्णतः सहमत हूं कि यह बंद होना ही चाहिये।

कपास औटने की एक और अच्छी योजना चालू की गई है। यह योजना कपास की किस्म सुधारने के लिये चालू की गई थी और इसके संबंध में मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इस योजना में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के सभी मिल, सभी प्रमुख मिलों और ईस्ट इण्डिया काटन फेडरेशन और महाराष्ट्र काटन फेडरेशन शामिल हो गये हैं। इससे हमें मिलों के लिये अच्छे किस्म की कपास मिल सकेगी और इसके साथ ही औटन मिलों की आमदनी में भी थोड़ी सी वृद्धि हो जायेगी। मैं सूती कपड़ों के उत्पादन के आंकड़े दे रहा हूं—

वर्ष	मिल	विद्युतकरघा	हथकरघा (दस लाख मीटर में)
1985	1307	1700	1560
1984	1306	1599	1496

इस प्रकार इन आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस वर्ष अप्रैल-सितम्बर से विद्युतकरघों और हथकरघों द्वारा अधिक कपड़ों का उत्पादन किया है।

प्रो० मधु दण्डवते : इसमें एक खामी है। उनकी जो क्षमता है उसकी तुलना में आप देखेंगे कि संगठित मिलों के साथ कम प्रतिस्पर्धा तथा अधिक सुविधाएं दिये जाने एवं उत्पादन शुल्क संबंधी बेहतर नीति के फलस्वरूप, वे कहीं अधिक उत्पादन कर सकते थे।

श्री खुर्शीद आलम खां : मुझे विश्वास है कि यह आरम्भिक स्थिति है और मेरा विचार है कि परिणाम और भी अच्छे निकलेंगे। माननीय प्रोफेसर ने कपास के वफर स्टाक के बारे में एक सुझाव दिया है। मेरे विचार से यह एक अच्छा सुझाव है और हम लोग इस पर अवश्य विचार करेंगे।

जहां तक श्रमिकों के हितों का संबंध है, मैं इस सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हर प्रकार से उनके हितों का ध्यान रखा जायगा। इस संबंध में एक विशेष योजना विचाराधीन है जिसके अन्तर्गत श्रमिकों को उस दशा में पुनर्वास अनुदान देना संभव हो सकेगा जब उनकी छंटनी होगी हमारी चेष्टा यही होगी कि उनकी छंटनी दुःखों के बादलों से आच्छादित न हो। हाल में ही गुजरात में ऐसा किया गया है।

डा० दत्ता सामंत : महोदय, गत 6-7 महीनों के दौरान 1·5 लाख श्रमिक निकाले जा चुके हैं। वे लोग भीख मांग रहे हैं। उन्हें कोई उपदान नहीं दिया गया है। अब, आप क्षतिपूर्ति तथा हर प्रकार की बात कर रहे हैं। वह कब दी जायेगी ? क्या यह मरने के बाद दिया जाना है ? संगठित क्षेत्र को लाभ मिलता है। श्रमिकों की छंटनी कर दी जाती है और उन्हें संगठन से निकाल दिया जाता है .....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सामंत जी, कृपया बैठ जाइये।

श्री खुर्शीद आलम खां : जहां तक रुग्ण मिलों का संबंध है, उसके लिये एक विशेष दल के गठन करने का कार्य आरम्भ किया जा चुका है। एक गुप्त एजेन्सी प्रत्येक मामले की छान-बीन करेगी और इसके बाद ही वह इस बात का निर्णय करेगी कि किस मिल को शामिल किया जायगा। इसके साथ ही, औद्योगिक कठिनाइयों के कारण यदि कोई मिल बंद किया जाता है तो जैसा कि आपको पता है उस मामले को औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार को भेजा जाता है और इसके बाद सारी परिस्थिति की जांच पड़ताल करने के बाद राज्य सरकार इस बात का निर्णय लेती है कि उस मिल के बंद करने का औचित्य है, अथवा नहीं।

माननीया महिला सदस्य ने पी०टी०ए० और डी०एम०टी० के बारे में कुछ कहा है। यह एक ऐसी बात है जिसका संबंध न मेरे मंत्रालय से है और न ही मुझे इसमें कुछ करना है क्योंकि इसके बारे में यदि कोई निर्णय लेना ही पड़े तो उसका निर्णय या तो पेट्रोलियम मंत्रालय लेगा या उद्योग मंत्रालय।

माननीया महिला सदस्य ने यह भी कहा है कि नये कताई मिल स्थापित करने की अनुमति नहीं दी जाती है। इसके संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि योजना आयोग का यह विचार है कि देश में कताई मिलों की क्षमता पर्याप्त है और इसलिये योजना आयोग इसके पक्ष में नहीं है...

(व्यवधान)

श्रीमती जयंती पटनायक : किन्तु मामला तो यह है कि लायसेंस दिया जा चुका है। यदि आपने मूल्यांकन नहीं किया है तो आपने लायसेंस क्यों दिया ? बात यह है।

श्री खुर्शीद आलम खां : लायसेंस दिया जा चुका है। वित्तीय संस्थानों से सम्पर्क करना और धन प्राप्त करना तथा मिल स्थापित करना आपका काम है।

श्रीमती जयंती पटनायक : भारतीय औद्योगिक विकास बैंक रुपया नहीं दे रहा है।

प्रो० मधु दण्डवते : उड़ीसा के मुख्य मंत्री स्थितिका जायजा ले चुके हैं और सिफारिश कर चुके हैं। यह बात कहते हुए वह हिचक रहीं हैं।

श्रीमती जयंती पटनायक : मैं यहां सदस्य की हैसियत से हूँ न कि एक मुख्य मंत्री की पत्नी की हैसियत से.....

(व्यवधान)

श्री खुर्शीद आलम खाँ : मैं समझता हूँ, कि माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये सभी मुद्दों का मैं उत्तर दे चुका हूं।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

2.04 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बज कर 4 मिनट म०प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब नियम 377 के अधीन के मामले। श्री राम प्यारे पनिका।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : स्पीकर साहब हम क्लेरिफिकेशन लेना चाहते थे क्योंकि हमारी बातों का पूरा जवाब नहीं हुआ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : वह समाप्त हो गया है। उस समय, मंत्री महोदय से पूछा गया था कि क्या उन्होंने अपना उत्तर पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा था, जी हां। केवल आधे घंटे को चर्चा थी किन्तु इसमें 45 मिनट लग गये थे। (**व्यवधान**) आपने बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। इसके अलावा आपने बहुत सारे अनुपूरक प्रश्न पूछे थे। इसके बावजूद अब आप यह कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : आप जरा हमारी बात सुनिये। हमने जितने भी सप्लीमेंटरी किये, उनमें से एक का भी जवाब नहीं आया। हम तो किसानों के लिए पूछना चाहते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : नियम के अधीन हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं। इस पर केवल आधे घण्टे की चर्चा होनी थी।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैंने किसानों के बारे में दो-तीन प्रश्न किये मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। किसानों के बारे में तो आपको कुछ सोचना है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिये मैंने मंत्री महोदय से पूछा था कि वह अपना उत्तर समाप्त कर चुके हैं। बस इतना ही बहुत है।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : हम किसान की बात यहां पर कर रहे हैं, किसान के आंसुओं को बता रहे हैं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम क्या करें। आप पहले ही इस पर बोल चुके हैं।

श्री सी० जंगा रेड्डी : हम मन्त्री महोदय के विरुद्ध विरोध प्रकट कर रहे हैं और..... के विरुद्ध भी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी : उपाध्यक्ष महोदय, पूरा आन्सवर नहीं हुआ था, हमको पूरा समाधान नहीं मिला। आपने हमको क्लेरीफिकेशन का समय नहीं दिया, आपने समय देने का वादा किया था, इसके लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसान विरोधी नीतियों के कारण किसान आज दुखी है। किसान की सहानुभूति में हम प्रोटेस्ट करते हुए सदन से वाक-आउट करते हैं।

इस समय श्री सी० जंगा रेड्डी और डा० ए० के० पटेल सभा-भवन से बाहर चले गये।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा में नियम 377 के अधीन मामले लिए जायेंगे ।

(एक) रेणुकूट और आस-पास के अन्य स्थानों के लोगों के लाभार्थ दूर-दर्शन केन्द्र, वाराणसी, में वर्तमान 7 किलोवाट की क्षमता वाले ट्रान्समीटर के स्थान पर पूर्वघोषित 10 किलोवाट की क्षमता का ट्रान्समीटर लगाने की आवश्यकता ।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, राबर्ट्सगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्र रेनूकुट तथा उसके आस-पास की जनता में वाराणसी टी० वी० सेन्टर में पूर्व घोषित क्षमता का केन्द्र न बनाने के कारण घोर असंतोष एवं चिन्ता व्याप्त है । दरअलसल वाराणसी टी० वी० केन्द्र में 10 कि० वाट पावर की क्षमता की मशीनें लगाने की योजना थी, फलस्वरूप मिर्जापुर का औद्योगिक क्षेत्र रेनूकुट उसमें अच्छी प्रकार से आ जाना था, परन्तु अभी तक केवल मात्र 7 कि० वाट क्षमता की मशीन लगाने के कारण रेनूकुट की औद्योगिक एवं आदिवासी क्षेत्र की जनता पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा रही है । शासन से कई बार दस कि० वाट क्षमता की मशीन लगाने का आश्वासन भी मिलता रहा है । उक्त क्षमता की मशीन न लगने से असंतोष और अविश्वास का वातावरण उत्पन्न होना स्वाभाविक है । अतः मैं माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री का ध्यान शीघ्र घोषित क्षमता की मशीन वाराणासी टी० वी० सेन्टर में लगाने की मांग करता हूं, जिससे वहां की जनता का असंतोष दूर हो सके ।

[अनुवाद]

(दो) सरकारी विभागों में, विशेषकर सर्वाधिक प्रभावित डाक और तार विभाग में, नए पदों के सृजन पर लगे प्रतिबन्ध को हटाने अथवा वर्तमान रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता ।

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : नये पदों के सृजन और विभिन्न सरकारी विभागों में विद्यमान रिक्तियों को भरने पर लगी निरन्तर पाबन्दी ने आमतौर से जनता के लिए और विशेष-रूप से अनेक सरकारी कार्यालयों के लिये भारी कठिनाई पैदा कर दी है । इस सम्बन्ध में सबसे अधिक कुप्रभाव डाक और दूरसंचार विभागों पर पड़ा है जहां पर सेवा विस्तार के कारण सेवा की गुणवत्ता का ह्रास हुआ है, क्योंकि इन विभागों के कार्य में कई गुणा वृद्धि हो जाने के बावजूद वर्तमान कार्मिकों से काम लेना पड़ता है । अतः, मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि या तो पाबन्दी हटा ली जाए अथवा पाबन्दी के कार्य क्षेत्र से इन विभागों में परिचालन पदों पर भर्ती की छूट दी जाये जैसा कि 1974-75 से लगायी गयी पाबन्दी के समय किया गया था ।

(तीन) स्थगित की गई दरभंगा-समस्तीपुर बड़ी लाइन परियोजना का काम पुनः आरम्भ करने और सकरी-हसनपुर लाइन का निर्माण आरम्भ करने की आवश्यकता ।

डा० गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : उत्तरी बिहार में रेलवे पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि वह देश का सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र है । दस वर्ष पूर्व भूतपूर्व रेल मन्त्री स्व० श्री एल० एन० मिश्र ने घोषणा की थी कि दरभंगा-समस्तीपुर छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदला

[डा० गौरीशंकर राजहंस]

जायेगा । यही बात एक अन्य रेल मन्त्री स्व० श्री केदार पाण्डेय ने भी दोहराई थी । वास्तव में उन्होंने आधार शिला भी रखी थी । उत्तरी बिहार की जनता, विशेषकर मिथिला की जनता ने, जब इस परियोजना पर कार्य प्रारम्भ किया गया था तो राहत की सांस ली थी । परन्तु, हमारे लिए यह बड़ी निराशा की बात है कि कार्य रोक दिया गया है और इस सम्बन्ध में कोई प्रगति नहीं हुई है । इसने तो मिथिला के लोगों की दुर्दशा में ही वृद्धि की है क्योंकि वहाँ पर सड़क परिवहन भी न के बराबर है और सड़कें खतरनाक स्थिति में हैं ।

इसके अतिरिक्त दरभंगा नेपाल के बहुत निकट है और नेपाल जाने वाले यात्री यहां पर उतरते हैं ।

उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए, निवेदन किया जाता है कि दरभंगा-समस्तीपुर बड़ी लाइन का विलम्बित कार्य तुरन्त आरम्भ किया जाए । इसके साथ-साथ, सकरी-हसनपुर लाइन पर भी कार्य आरम्भ किया जाए, जिससे कि मिथिला की जनता राहत अनुभव करे ।

(चार) इलायची का उचित मूल्य सुनिश्चित करने और इसके निर्यात में वृद्धि करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता

प्रो० पी० जे० कुरियन (इडुक्की) : कीमतों में भारी गिरावट के कारण, इलायची उद्योग **वास्तविक** और गम्भीर संकट में है । इलायची गर्म मसालों की रानी है, जो हमारे लिये उल्लेखनीय विदेशी मुद्रा कमाती है । गतवर्ष हमने 70 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा के बराबर इलायची निर्यात की । इस वर्ष देश में लगभग 5000 टन कुल उत्पादन होगा और दुर्भाग्य से देश में इलायची के **खरीददार** नहीं हैं ।

एक किलोग्राम इलायची की उत्पादन लागत लगभग 200 रुपये बैठती है, परन्तु घरेलू कीमत 150 रु० प्रति किलोग्राम है; अत: उत्पादकों को अपनी इलायची को बहुत कम दामों पर बेचना पड़ रहा है । इसका बुरा प्रभाव उद्योग पर पड़ेगा और उत्पादक इलायची को छोड़कर किसी अन्यफसल को उगाने लगेंगे जो कि देश के हित में अन्तत: घातक होगा क्योंकि हमें विदेशी मुद्रा कमाने वाली मद से हाथ धोना पड़ेगा ।

अत:, मैं वाणिज्य मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप करें और राज्य व्यापार निगम तथा इलायची व्यापार निगम को बाजार में जाने और उचित मूल्य पर इलायची खरीदने के निदेश दें जिससे कि इस उद्योग को कठिन समय में जीवित रखा जा सके । मैं यह भी निवेदन करता हूं कि 300/- रुपये प्रति किलोग्राम न्यूनतम कीमत भी घोषित की जाए जिसके आधार पर राज्य व्यापार निगम और इलायची व्यापार निगम बाजार में प्रवेश कर सके । हमारे पारम्परिक खरीददार यथा खाड़ी के देशों को इलायची के अधिकाधिक मात्रा में निर्यात हेतु सरकार को आवश्यक सभी कदम उठाने चाहिये और नये-नये बाजार की सम्भावनाओं का भी पता लगाना चाहिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० सैफुदद्दीन सोज । केवल स्वीकृत विषय ही जायेगा । आप कृपया स्वीकृत विषय ही पढ़ें ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मैं आपसे सहमत हूं, परन्तु मुझे आपसे बातचीत करने की छूट होनी चाहिये। मैं इसे कल शून्य काल में उठा सकता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (वसीरहाट) : आप उन्हें यह क्यों बता रहे हैं आप कल क्या करने जा रहे हैं ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उन्होंने मुझे चेतावनी दी है, इसीलिए तो मैं उन्हें बता रहा हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अपनी नीति मत बताइये।

(पांच) जम्मू और कश्मीर के अधिक पिछड़े क्षेत्रों में इलैक्ट्रानिक्स उद्योगों का विकास करने की आवश्यकता।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : यह एक ज्ञात तथ्य है कि जहां तक औद्योगिक विकास का सम्बन्ध है जम्मू और कश्मीर राज्य एक पिछड़ा हुआ राज्य है। वहां पर कोई सरकारी क्षेत्र का उद्योग नहीं है। यहां तक कि कुटीर और लघु-उद्योग क्षेत्र को भी उस भयंकर मन्दी के कारण एक धक्का पहुंचा है जो कि गत तीन वर्ष से पर्यटन उद्योग झेल रहा है। जम्मू और कश्मीर राज्य में जल-विद्युत क्षमता के उपयोग हेतु पर्याप्त आवंटन करने के साथ-साथ, वहां पर इलैक्ट्रानिक उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता है। इलैक्ट्रानिक्स उद्योग कम पूंजी वाला उद्योग है और पर्यावरण को बिना कोई हानि पहुंचाए इसे व्यापक रूप से फैलाया जा सकता है, क्योंकि ये उद्योग कोई प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। प्रधान मन्त्री महोदय श्री राजीव गांधी जी ने कुछ समय पहले इलैक्ट्रानिक्स उद्योगों को पहाड़ी राज्यों में स्थापित करने की आवश्यकता पर बल दिया था।

मैं यह दृढ़ शब्दों में कहना चाहूंगा कि इलैक्ट्रानिक्स उद्योगों को तुलनात्मक रूप में राज्य के अधिक पिछड़े क्षेत्रों में जैसे बारामूला, कूपवारा, लेह, कारगिल, डोडा, राजौरी, पुन्छ और रिवासी में स्थापित किया जाए।

इस कदम से राज्य के लोगों की दशा सुधारने में काफी मदद मिलेगी।

(छः) शहरी सम्पत्ति पर अधिकतम सीमा लागू करने और शहरी तथा ग्रामीण निवासियों की सम्पत्तियों के मूल्य में समानता बनाए रखने की आवश्यकता

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी (हिन्दूपुर) : ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि हदबन्दी 1971 में लागू की गई और भूमि की किस्म को देखते हुए यह 10 से 54 एकड़ के बीच जमींदारों के पास रहने दी गई। इस प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में हदबन्दी कानून लागू करके जमीदारों की कई लाख की भूमि अधिग्रहण की गई है।

दुर्भाग्य से शहरी सम्पत्ति पर किसी प्रकार की हदबन्दी नहीं लागू की गई है। शहर के निवासियों के पास करोड़ों रुपये की सम्पत्ति होती है जिससे भारी आय होती है। यही उचित समय है जब सरकार को समाज की समाजवादी पद्धति की प्राप्ति हेतु हदबन्दी लागू करनी चाहिये। ग्रामीण सम्पत्ति पर पाबन्दी लगाना और शहरी सम्पत्ति को न छूने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच भेदभाव प्रदर्शित होता है। गाँवों की आर्थिक शक्ति को कम करना और शहरियों को अपनी शक्ति या बटुए की डोरियां बनाये रखने की अनुमति देना बहुत ही अन्यायपूर्ण है।

अतः केन्द्रीय सरकार शहरी सम्पत्ति पर हदबन्दी लगाने और ग्रामीण और शहर के निवासियों की सम्पत्तियों के मूल्य में समानता बनाए रखने के लिए एक उपयुक्त विधान लाए।

[हिन्दी]

(सात) उत्तर प्रदेश के अविकसित पर्वतीय क्षेत्रों, विशेषकर अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जिलों आदि में उद्योग स्थापित करने के लिए राज सहायता देने की आवश्यकता

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, पर्वतीय क्षेत्र के औद्योगिक विकास हेतु सरकार द्वारा कई प्रकार की सबसीडीज उद्यमियों को प्रदान की जा रही है। इसके बाजूवद भी इन क्षेत्रों का औद्योगिक विकास नाम मात्र को भी नहीं हो पाया है। इस तथ्य का ज्वलन्त उदाहरण उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, टेहरी व पौड़ी जनपद हैं। इन छह जनपदों में भी लगे हुए नैनीताल व देहरादून जनपदों सहित उद्यमियों को 75 प्रतिशत ट्रान्सपोर्ट सबसीडी, 25 प्रतिशत इनवेस्टमेन्ट सबसीडी, विद्युत कटौती से छूट आदि सुविधाएं प्राप्त हैं। छह जनपद जो वास्तविक रूप में पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां 1982 से अभी तक एक भी बड़ा या मध्मय दर्जे का उद्योग स्थापित नहीं हुआ है। अपितु कुछ पूर्व स्थापित उद्योग बन्द हो गए हैं। अतः मेरा सुझाव है कि दो हजार से ज्यादा ऊंचाई वाले स्थानों में स्थापित किए जाने वाले उद्योगों के लिए इन्वेस्टमेन्ट सबसीडी की वर्तमान प्रतिशत को बढ़ा कर 40 प्रतिशत किया जाए।

2. इस ऊँचाई के अन्तर्गत आने वाले प्रत्येक जनपद में एक-एक ग्रोथ सेन्टर आइडेन्टीफाई कर उसमें उद्योग की स्थापना हेतु पूर्ण संरचना सुविधाओं को विकसित किया जाए।

3. आइडेन्टीफाइड रेल हैड से फैक्टरी तक कच्चे माल की ढुलाई पर 90 प्रतिशत तथा कच्चा माल उपलब्ध कराने वाले केन्द्रों से आइडेन्टीफाइड रेल हैड तक माल भाड़े पर 50 प्रतिशत की ट्रान्सपोर्ट सबसीडी प्रदान की जाए।

4. उद्योग स्थापना से दस वर्ष तक सस्तीदर पर विद्युत व स्थानीय करो से इस क्षेत्र के औद्योगिक उत्पादनों को छूट प्रदान की जाए।

5. इन क्षेत्रों में औद्योगिकरण का वातावरण निर्मित करने हेतु प्रत्येक जनपद में एक-एक बड़ा उद्योग स्थापित किया जाए।

6. इलैक्ट्रानिक्स पर आधारित उद्योगों के लिए इस क्षेत्र को इलैक्ट्रानिक जोन घोषित किया जाए।

2.15 म०प०

नागरिकता (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं प्रस्ताव* करता हूँ :-

"कि नागरिकता अधिनियम 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

जैसा कि सभा को पता है, 15 अगस्त, 1985 को सरकार के प्रतिनिधियों और अखिल असम छात्र संघ तथा अखिल असम संग्राम परिषद के मध्य एक समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

हुए थे, जिसको मुझे 16.8.1985 को सभा पटल पर रखने का अवसर प्राप्त हुआ था। समझौते के इस ज्ञापन की मुख्य बात विदेशियों के मामले से सम्बद्ध खण्ड हैं। असम समझौता एक समझौता होने के नाते, विधान के खण्डों में निम्नांकित को भी लागू करने की आवश्यकता है :-

"5.1 विदेशियों का पता लगाने और उन्हें सूची से निकालने के लिए 1.1.1966 आधार दिनांक और वर्ष होगा।

5.2 1.1.1966 से पहले असम में आने वाले सभी व्यक्तियों को, उनमें उन लोगों सहित जिनका नाम 1967 के चुनावों में प्रयोग में लाई गई मतदाता सूची में सम्मिलित है,नियमित कर दिया जायेगा।

5.3 1.1.1966 के बाद असम में आने वाले विदेशियों (सहित) और 24 मार्च, 1971 तक आने वालों का विदेशी व्यक्ति अधिनियम 1946 और विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964।

5.4 इस तरह पता लगाए गए विदेशियों के नामों को प्रचलित मतदाता सूचियों से हटाया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1939 और विदेशी पंजीकरण नियम 1939 के उपबंधों के अनुसार सम्बद्ध पंजीकरण अधिकारियों के पास स्वयं को पंजीकृत कराना होगा।

5.6 पता लगाए जाने की तारीख के बाद दस वर्षों की अवधि समाप्त होने पर सभी ऐसे व्यक्तियों के नाम, जिन्हें मतदाता सूचियों से हटा दिया गया है, पुनः सूचियों में लिख दिए जाएंगे।

5.7 उन सभी व्यक्तियों को, जिन्हें पहले निष्कासित कर दिया गया था, किंतु जो असम में गैर कानूनी रूप से पुनः प्रवेश कर चुके हैं, निष्कासित किया जाएगा।

तदनुसार, नागरिकता (संशोधन) विधेयक 1985 का प्रस्ताव रखा जाता है। प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करना है और मूल अधिनियम में एक नई धारा 6ए अन्तःस्थापित करना है। इस विधेयक का संबंध भारतीय मूल के निम्नलिखित दो श्रेणियों के व्यक्तियों से है जो पूर्वी पाकिस्तान, अब बंगलादेश, से असम आए हैं :—

(i) जो 1.1.1966 से पूर्व आए; और

(ii) जो 1.1.1966 से 24.3.1971 (दो दिन सम्मलित) के बीच आए हैं।

प्रस्तावित विधेयक की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :—

3.1 यह अधिनियम उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचित करे।

3.2 जो व्यक्ति बंगला देश से असम में 1.1.1966 से पूर्व आए हैं, उनके लिए व्यवस्था की गई है कि भारतीय मूल के ऐसे सभी व्यक्तियों (इसके अन्तर्गत वे व्यक्ति भी शामिल हैं जिनके नाम 1967 की मतदाता सूची में हैं) और जो असम में प्रवेश की तारीख से आमतौर पर वहां निवासी रहे हैं, को एक जनवरी 1966 से भारत का नागरिक समझा जाएगा।

[श्री एस० वी० चव्हाण]

3.3. भारतीय मूल के प्रत्येक व्यक्ति, जो बंगला देश से असम में 1.1.1966 और 24.3.1971 के बीच आया है और तब से आमतौर पर असम का निवासी रहा है तथा जिसके विदेशी होने का पता चला है, के लिए निम्नलिखित प्रावधान बनाए गए हैं :—

(एक) इस उद्देश्य से बनाए गए नियमों के अनुसार वह अपना पंजीकरण कराएगा;

(दो) विदेशी होने का पता लगने की तारीख को अगर उसका नाम किसी मतदाता सूची में है तो उसका नाम उसमें से काट दिया जाएगा।

(तीन) पंजीकृत होने वाले ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के भारत के नागरिक के रूप में हर अधिकार तथा कर्त्तव्य होंगे (पासपोर्ट प्राप्त करने के अधिकार सहित) लेकिन विदेशी होने का पता लगने के बाद के दस वर्ष की अवधि के समाप्त होने से पूर्व वह अपना नाम मतदाता सूची में सम्मलित किए जाने का हकदार नहीं होगा।

(चार) विदेशी होने का पता चलने के दस वर्ष की अवधि समाप्त होने की तारीख से, पंजीकृत प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रयोजनों के लिए भारत का नागरिक समझा जाएगा।

(पांच) स्पष्ट रूप से व्यवस्था की गई है कि पंजीकरण कराने वाला व्यक्ति उपर्युक्त पंजीकरण की शर्तों को पूरा करता है या नहीं के निर्धारण के लिए पंजीकरण अधिकारी न्यायाधिकरण की राय के अनुसार कार्यवाही करेगा।

संभव है कि विदेशियों विषयक न्यायधिकरणों ने विगत में कुछ व्यक्तियों के संबंध में अपनी राय उनके असम के प्रवेश की तारीख तथा उनके असम में सामान्यतः निवास का विशेषतौर पर उल्लेख किए बिना दी हो। ऐसे मामलों में पंजीकरण अधिकारी केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार इन मुद्दों का उल्लेख करते हुए न्यायाधिकरण को लिखेगा और न्यायाधिकरण की राय के अनुसार कार्यवाही करेगा।

3.4. प्रस्तावित सशोधन का उस व्यक्ति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा जो इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व भारत का नागरिक हो।

3.5. प्रस्तावित संशोधन का लाभ उस व्यक्ति को नहीं मिलेगा जिसे इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व विदेशी अधिनियम के अन्तर्गत भारत से निष्कासित किया गया हो।

यह उल्लेख किया जाता है कि भारतीय मूल के केवल उन्हीं व्यक्तियों पर प्रस्तावित विधेयक लागू होगा जो असम में निर्दिष्ट अवधि के दौरान आए हैं और जो तब से आम तौर पर असम के निवासी रहे हों। जो लाग 1.1.1966 से 24.3.71 के बीच भारत आए हैं उनका

उपयुक्त रिकार्ड रखा जाएगा। इस श्रेणी के अन्तर्गत प्रत्येक मामले में पात्रता का निश्चय करने के लिए न्याय व्यवस्था से भी सहयोग लिया जाएगा।

विधेयक में, साथ ही साथ यह भी व्यवस्था है कि पूर्वी पाकिस्तान, अब बंगला देश, से 1.1.1966 से 24.3.71 (दोनों दिन सम्मलित) के बीच आए भारतीय मूल के व्यक्तियों का पता विदेशी विषयक अधिनियम तथा विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश, 1964 के अनुसार लगाया जाएगा। पता लगने के बाद इन लोगों का पंजीकरण इस आशय से सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा। इसके लिए सरकारी संयंत्र को मजबूत करने की जरूरत पड़ेगी और भारत की संचित निधि से कुछ धनराशि की जरूरत पड़ेगी। विभिन्न कारणों से इस स्तर पर यह बताना संभव नहीं है कि इस पर कितना व्यय आने की संभावना है।

इन शब्दों के साथ मैं नागरिकता (संशोधन) विधेयक, 1985 को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि नागरिकता अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री एच० ए० डोरा (श्री काकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि मेरे दल ने भारत सरकार और असम के आन्दोलनकारी समूह के बीच हुए इस समझौते का समर्थन करने का निर्णय लिया है। 2 फरवरी, 1980 से पूर्व असम की जनता ने जनसंख्या में संतुलन तथा सांस्कृति, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के बारे में भय व्यक्त किया था। 2 फरवरी, 1980 को उन्होंने तत्कालीन प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन पेश किया जिसमें उन्होंने अनिश्चित शर्तों के बारे में भय व्यक्त किया था। इस पर उन्होंने इन आन्दोलनकारी दलों के साथ बातचीत की जिसके परिणामस्वरूप यह समझौता या जो कुछ इसे कहिए, सामने आया। जैसा कि माननीय मंत्री ने अपने भाषण में कहा, समझौते में असम में आने वाले विदेशियों की केवल दो श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी में वे लोग आते हैं जो असम में पहली जनवरी, 1966 से पहले आ गए थे। इन लोगों ने अपने नाम 1967 की मतदाता सूची में दर्ज करवा लिए थे। जहां तक इस श्रेणी के लोगों का सम्बन्ध है, इन्हें नियमित किया जाना है। विवाद तो केवल दूसरी श्रेणी के लोगों को लेकर है। इसमें वे लोग आते हैं जो 1 जनवरी, 1966 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले आए। तीसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जो इस राज्य—असम—में 25 मार्च, 1971 को या उसके बाद आये हैं। अतः इसका संबंध तीन श्रेणी के लोगों से है।

शुरु में ही मुझे भारतीय मंत्री से यह पूछने की अनुमति दी जाए कि इस विधेयक को इस समय इस सम्माननीय सदन में क्यों पुरःस्थापित किया गया है तथा इसका उद्देश्य अगले महीने होने वाले चुनावों में अनुचित महत्व प्राप्त करना नहीं है। इस विधेयक को पिछले सत्र में पुरः-स्थापित क्यों नहीं किया गया। इसलिए मैं तो कहूंगा कि इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का उद्देश्य राजनैतिक लाभ उठाना है।

[श्री एच० ए० डोरा]

इसके अलावा, समझौते में एक और पहलू की व्यवस्था है। इसमें असम के लोगों के लिए कुछ सुरक्षा-उपायों की व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार असमी लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा भाषाई पहचान तथा विरासत की रक्षा के लिए संवैधानिक, विधायी, प्रशासनिक उचित सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। विधेयक में इस पर विचार नहीं किया गया है। केवल उसी अंश पर विचार करके विधेयक को पुरःस्थापित कर दिया गया है जो असम की जनता के लिये ज्यादा महत्व नहीं रखता।

इसके अलावा, समझौते में असम की जनता के जीवन-स्तर में सुधार के लिए तीव्र और चहुःमुखी आर्थिक विकास की बात की गई है। इसमें कहा गया है, "असम में राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना तथा शिक्षा-विज्ञान, प्रौद्योगिकी पर विशेष जोर दिया जाएगा"। जब समझौते में ही इतने महत्त्वपूर्ण सुरक्षा उपायों तथा महत्त्वपूर्ण मसलों की व्यवस्था है तो भारत सरकार ने इनका उल्लेख क्यों नहीं किया ? इस समझौते विशेष के केवल एक भाग का इसमें उल्लेख किया गया है। इसी से पता चलता है कि इसका उद्देश्य केवल अगामी चुनावों में कुछ महत्व प्राप्त करना है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।

अब मैं इस विधेयक के उपबधों का विश्लेषण करूंगा। जैसा कि मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं विधेयक में असम में तीन श्रेणी के लोगों का उल्लेख है। जो लोग 1 जनवरी, 1966 से पहले आये हैं उनको लेकर कोई मुश्किल नहीं है और वे लोग नियमित कर दिए जाएंगे। जहां तक दूसरी श्रेणी के लोगों का सम्बंध है, मेरा निवेदन है कि निम्नलिखित कानूनी परिणामों का ध्यान रखा जाना चाहिए था। नियमों में उल्लखित प्रक्रिया के अनुसार विदेशियों का पता लगाया जाना चाहिए। पता लगने के बाद उनका नाम मतदाता सूची में से काट दिया जाना चाहिए। इसके बाद वे स्वयं को पंजीकृत कराने के हकदार हो जाते हैं। पंजीकरण के बाद, वे भारत के नागरिक के तौर पर समान अधिकारों तथा कर्तव्यों के हकदार हो जाते हैं पर वे किसी विधानांग या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदाता सूची में शामिल होने के हकदार नहीं होते। पांचवी बात यह है कि विदेशी होने का पता लगने की तारीख से 10 साल पूरे होने पर अनहर्ता समाप्त हो जायेगी न कि इस विधेयक के लागू होने की तारीख से, जो बाद में अधिनियम बन जायेगा। उपर्युक्त घोषणा से एक विचित्र तथा असंगत परिणाम निकलेंगे। क्या यह संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार है ? प्रश्न अब यह है। मैं संविधान के अनुच्छेद 326 को उद्धत करना चाहूंगा। इसमें कहा गया है :

> "लोक सभा तथा प्रत्येक राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन व्यस्क मताधिकार के आधार पर होंगे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है तथा जो ऐसी तारीख पर, जैसी कि समुचित विधानमण्डल द्वारा निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन इसलिए नियत की गई हो, इक्कीस वर्ष की अवस्था से कम नहीं है, तथा इस संविधान अथवा समुचित विधानमण्डल द्वारा निर्मित किसी विधि के अधीन अनिवास, चित्त विकृति, अपराध अथवा भ्रष्ट या अवैध आचार पर अनर्ह नहीं कर दिया गया है, ऐसे किसी निर्वाचन में मतदाता के रूप में पंजीबद्ध होने का हकदार होगा"

यह संविधान का अनुच्छेद 326 है। लेकिन इस विधेयक में उल्लखित प्रक्रिया तथा संविधान का अनुच्छेद 326 से मेल नहीं खाते। इस सम्बन्ध में जहां तक दूसरी श्रेणी के लोगों का सम्बन्ध है मुझे विधेयक की वैधता पर सन्देह है। जहां तक तीसरी श्रेणी का सम्बन्ध है मुझे यह निवेदन करने की अनुमति दी जाये कि जो लोग असम में 25 मार्च, 1971 या उसके बाद आए हैं उनकी कानूनी स्थिति क्या है ? उनका नाम काट दिया जाएगा तथा उन्हें निष्काषित कर दिया जायेगा। समझौते में यही कहा गया है। विधेयक में निकालने तथा उनका नाम काटने की व्यवस्था है। सम्भवतः नाम काटने से तात्पर्य मतदाता सूची से उनका नाम हटाने से है जो कुछ मैं कहता हूं उसमें संशोधन हो सकता है अगर ऐसा है तो यह नहीं बताया गया है कि उन्हें इस देश से और इस राज्य से कैसे निकाला जाएगा और उन्हें कहां जगह दी जाएगी। उन्हें बाहर निकालने के लिए क्या उपाय किये जाएंगे इस बारे में भी विधेयक मौन है। बहरहाल एक महत्त्वपूर्ण बात ध्यान देने की यह है कि विधेयक में विदेशियों को निकालने का उल्लेख किया गया है। लेकिन यह भारतीयों की बात नहीं करता। इस सम्माननीय सदन में मेरे विद्वान मित्रों को इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर गौर करना चाहिए। इसमें केवल उन लोगों का उल्लेख किया गया है जो 25 मार्च, 1971 को आये हैं या जिनके 25 मार्च, 1971 को या उसके बाद आने की सम्भावना है। इस विधेयक की यह एक अच्छी विशेषता है इसलिए तेलगु देशम दल के अनुसार यह समझौता ठीक है। और इन बातों के साथ मैं विधेयक को स्वागत करता हूं। धन्यवाद।

श्री भोलानाथ सेन (कलकत्ता दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे वह समय याद है तथा सदन के अधिकांश सदस्यों को भी उस समय की याद होगी जब बंगलादेश की लड़ाई चल रही थी। विश्व के नेताओं में एक, हमारी भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी मानव सम्मान के लिये संघर्ष कर रही थीं। वे मानवीय मूल्यों के लिए संघर्ष कर रही थीं। वे वहां विपत्ति में पड़े लोगों को बचाने, हत्या, बलात्कार, खून-खराबे को रोकने के लिए लड़ाई कर रहीं थीं।

उस समय लाखों व्यक्ति, मात्र हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री का आश्रय लेने के लिए इस देश में आये। उन्होंने उनको आश्रय दिया। कुछ व्यक्ति वापस चले गये कुछ किसी कारण नहीं जा पाये। एक समझौते के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया कि 1971 में एक निश्चित तारीख को आधार तिथि माना जाये और उसके बाद आने वाले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता न दी जाये। खाली अन्तर्राष्ट्रीय समझौता हो जाने से वह देश का कानून नहीं बन जाता। अतः यह स्वाभाविक है कि इसके लिये कानून बनाया जाये ताकि 1971 की निर्धारित तारीख से पूर्व आने वालों को कुछ संरक्षण मिल सके। 1966 तक आने वालों के लिये कोई समस्या नहीं है। उन्हें नागरिक माना गया है। उनके बारे में कोई समस्या नहीं है। इस समय पैदा हुई समस्या को स्पष्ट किया गया है और यह सभी के लाभ के लिए है। इस संबंध में उपद्रव, मतभेद, बंद, जनता बंद, तथा कई अन्य बंद होते रहे हैं। जीवन में पूरा अवरोध आ गया था, कभी कभी अचानक ऐसा होता था। किसी नगर में कुछ घटनाएं होती हैं तथा कुछ व्यक्ति बंद की घोषणा कर देते हैं। यह अच्छी बात नहीं है। अतः सभी सम्बद्ध व्यक्तियों के लाभ के लिये सभी के सहयोग से असम समझौता हुआ। अब उन्हें भारत का नागरिक कैसे बनाया जायेगा यह इसमें बताया गया है। यह सच है कि जो व्यक्ति 1966 और 1971 के बीच आये थे उन्हें स्वतः ही नागरिक घोषित नहीं किया जायेगा जैसा कि 1966 से पूर्व आने वालों को किया जायेगा। यदि इस बारे में कानून न होता तो

[श्री भोलानाथ सेन]

उनकी क्या स्थिति होती। वे लोग तो एक प्रकार से विदेशी ही होते उनको अपने अधिकारों का पता नहीं था। 1966 से पूर्व तथा 1960 के बाद आने वाले व्यक्तियों को यह पता नहीं था कि उनके अधिकार क्या हैं। यह पता चला कि उनमें से कुछ लोग राज्य के मतदान में भाग लेते रहें तथा उस राज्य में निर्वाचन में हिस्सा लेते रहे हैं। मेरे माननीय मित्र ने अनुच्छेद 326 का उल्लेख किया है। परन्तु एक बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए, कि अनुच्छेद 326 देश में निर्वाचन के बारे में है। केवल भारत के नागरिक ही मतदान कर सकते हैं, बाहर के लोग नहीं। विदेशी मतदान में भाग नहीं ले सकते। विदेशी लोगों को देश के प्रशासन में स्थान नहीं मिल सकता कि कौन उनका प्रतिनिधित्व करे, कौन विधान सभा का सदस्य बने तथा कौन प्रधान मंत्री बने। यह भ्रामक स्थिति है। बेशक उन्हें नागरिक नहीं घोषित किया गया, बेशक वे निश्चित रूप से बाहर से आये थे तथा कानून की दृष्टि में पूर्ण रूप से विदेशी थे, वे मतदान करते रहे, 1967 की मतदाताओं की सूची में उनके नाम थे तथा उन्होंने मतदान किया और हमें पता नहीं चला कि विदेशी लोग देश में आये और उन्होंने मतदान में भाग लिया तथा देश की सरकार का निर्माण किया। हम इसे स्वीकार कैसे कर सकते हैं। अब इसे विनियमित किया जा रहा है। 1966 तक विनियमित करने का सरकार ने निर्णय लिया है। 1966 के बाद समस्या है। क्या हो रहा है ? देखिए जिन लोगों को कोई शक्ति प्राप्त नहीं थी, जिनको कोई अधिकार नहीं थे, उन्हें कुछ अधिकार दिये गये। यह वास्तव में विभिन्न स्थिति है।

मैं उप खण्ड (4) की धारा 6 को पढ़ूंगा। (4) उप धारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के, उस तारीख से जिसको उनके विदेशी होने का पता चला है और उस तारीख से दस वर्ष की अवधि के अवसान तक वही अधिकार और बाध्यताएं होंगी जो भारतीय नागरिक की हैं। जिसके अन्तर्गत पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के अधीन पासपोर्ट अभिप्राप्त करने के अधिकार और उससे संबंधित बाध्यताएं हैं। किन्तु वह उक्त दस वर्ष की अवधि के अवसान के पूर्व किसी समय किसी विधान सभा या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किए किसी निर्वाचन नामावलि में अपना नाम सम्मिलित करने का हकदार नहीं होगा, अब कानून का संरक्षण भी हो गया है। पहले कोई संरक्षण नहीं था। किसी विदेशी को मान्यता नहीं थी। अब उन्हें अधिकार दिए जा रहे हैं, वे कह सकते हैं, मुझे इस कानून द्वारा वही अधिकार दिये गये हैं जो अन्य नागरिकों को प्राप्त हैं, मेरे व्यापार को छीना नहीं जा सकता। मैं अपना व्यापार जारी रख सकता हूँ, मैं अपनी आजीविका यहीं कमाऊंगा, मैं यहां पर धन कमा सकता हूँ क्योंकि विधि द्वारा इसे मान्यता मिल गई है। 1966 और 1971 के बीच आने वाले व्यक्तियों को कोई ऐसे अधिकार पहले उपलब्ध नहीं थे। देश में ऐसा कोई कानून नहीं था, जो उन्हें यह संरक्षण देते। अब उन्हें यह संरक्षण दिया जा रहा है। कई लोग हज के लिए जाते है तथा उन्हें पासपोर्ट आवश्यक होता है। उन्हें पासपोर्ट दिया जायेगा। हो सकता है वे बंगलादेश जाकर अपने संबंधियों से मिलना चाहें उन्हें पासपोर्ट दिये जायेंगे तथा उसे इस विधि द्वारा कानूनी मान्यता मिलेगी इस संबंध में कोई अनिश्चितता नहीं है केवल इतनी ही कार्यवाही की जा रही है कि विदेशी के रूप में पहचाने जाने की तारीख से वे 10 वर्ष तक मतदान में भाग नहीं ले सकेंगे। यह संविधान के अनुच्छेद 326 के विपरीत नहीं है, क्योंकि उन्हें आजतक नागरिक घोषित नहीं किया गया। परन्तु उन्हें विधि एवं न्यायाधिकरणों की प्रक्रिया द्वारा नागरिक

घोषित किया जायेगा। इसमें मैं कोई गलत बात नहीं पाता। वास्तव में मैं समझता हूँ कि अभी भी कुछ असंतोष है। पहले जब असम समझौता हुआ था तब कुछ असंतोष पैदा हुआ था। "असम खतरे में" "अल्प संख्यक परेशान हैं" ऐसी बातें कह कर राजनीति खेली जा रही थी। सभी तरह की बातें कही जा रही थीं। अब वे समाप्त हो गई हैं यह वास्तविक नाराजगी है। यदि किसी व्यक्ति की उन लोगों के प्रति कोई भावना है जिन्हें देश में कानूनी रूप से नागरिकता दी जा रही है—अब उसके लिए शिकायत का कोई अवसर नहीं है अब जबकि कानून पारित किया जा रहा है। समझौता-समझौता है, कानून पारित नहीं किया गया था। अब कानून पारित किया जा रहा है।

जहां तक 1971 के बाद आने वाले व्यक्तियों का संबंध है, स्पष्ट रूप से इस बारे में कानून है क्या हम विदेशियों से व्यवहार नहीं करते? क्या विदेशियों संबंधी अधिनियम विद्यमान नहीं हैं? क्या पुलिस विद्यमान नहीं हैं? वह क्या करती है? विदेशियों को बाहर निकाल दिया जाता है। इसके लिए किसी अन्य कानून की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कानून पहले से विद्यमान है, अर्थात किसी विदेशी को भारत में रुकने नहीं दिया जाएगा, यदि वह भारतीय नागरिकता नहीं लेता, यदि वह देश में विधिवत प्रवेश नहीं करता, तो सरकार के पास उसे निकालने की सर्वोच्च शक्ति है। वह कानून अभी भी विद्यमान है। यह बात अत्यन्त स्पष्ट है। 1971 के बाद आने वालों को इस कानून द्वारा संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। चाहे बंगलादेश हो, या कोई अन्य देश हो उन्हें समझ लेना चाहिए कि, उन्हें भारत में प्रवेश की, तथा भारत और राज्य की राजनीति में तथा संस्कृति और अन्य बातों में समस्याएं खड़ी करने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती। किसी को भी ऐसा नहीं करने दिया जायेगा। यह एक दृढ़ अभि वचन है, यही कानून पारित किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। कल मैंने लोगों को यह कहते हुए सुना था कि दो तरह की नागरिकता होगी, इत्यादि-इत्यादि। यह एक विचित्र परिस्थिति है नागरिक दो तरह के नहीं होते। इस विशेष कानून की जिसका प्रारूप ध्यानपूर्वक तैयार किया गया है प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक शब्द को ध्यानपूर्वक पढ़ने की आवश्यकता है। एक प्रकार से नागरिक माने गये वे व्यक्ति हैं जो 1966 से पूर्व आये। यह ठीक है। जो व्यक्ति 1966 और 1971 के बीच आये, उन्हें एक प्रक्रिया द्वारा अपने को विदेशी घोषित कराना होगा। तथा बाद में समुचित प्रक्रिया द्वारा अपने को नागरिक घोषित कराना होगा। इस हेतु प्रक्रिया निर्धारित की जा रही है और हर एक को उससे गुजरना पड़ेगा। मान लीजिए आप यूरोप अथवा इंगलैण्ड जाते हैं तथा आप उस देश के नागरिक बनना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे? आपको पांच या सात वर्ष इन्तजार करना होगा—उसके बाद आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपको उस देश के नागरिक के रूप में मान्यता मिलेगी। वह भी सरकार पर निर्भर करेगा। निर्णय लेने में सरकार सार्वभौम है। आप उसके निर्णय को चुनौती नहीं दे सकते। यदि आप हिथ्रो एयरपोर्ट जायें तो आपको बाहर निकाला जा सकता है, तब आपके पास कोई उपाय नहीं है क्योंकि आप विदेशी हैं। प्रत्येक सरकार के लिए आवश्यक है कि बाहर वाले व्यक्तियों, विदेशियों के आक्रमण से देश की रक्षा करे। ऐसा किया जा रहा है। यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि जो कोई भी 1971 के बाद आया है, उसे नागरिकता प्रदान नहीं की जायेगी अतः, इसमें तीन खण्ड हैं और जब तक यह वर्गीकरण न्याय संगत है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

[श्री भोलानाथ सेन]

एक खण्ड में कहा गया है कि 1956 से पूर्व आने वालों की स्थिति अलग है। एक अन्य खण्ड में 1956 तथा 1971 के बीच आने वालों का उल्लेख है। उनमें उस वर्ग के लोगों में कोई भेदभाव नहीं है। उनमें से प्रत्येक को उस सारी प्रक्रिया से गुजरना होगा जिसकी यहां पर घोषणा की गई है।

1971 के बाद आने वालों के बारे में काई भेदभाव नहीं है। तीसरी श्रेणी को युक्तियुक्त रूप से वर्गीकृत किया गया है। किसी को भी भारत का नागरिक कहलाने नहीं दिया जायेगा तथा उन्हें बाहर निकाला जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, वर्षों बाद सरकार ने यह विशेष अवधि निर्धारित की है। हमारे प्रधान मंत्री ने वह कार्य किया है जिसकी सारे विश्व में सराहना की गई है। अन्तर्राष्ट्रीय पत्रों में जैसे गर्डियन, द टाइम्स आदि में, तथा अमरीका में भी प्रशंसा हुई। उनकी प्रशंसा हुई। क्योंकि प्रधान मंत्री ने न केवल पंजाब की अपितु आसाम की समस्या का भी हल किया।

यह केवल इस देश की स्थिति है कि जहां पर विपक्ष समझता है कि उनके शस्त्र छिन गए हैं तथा वे अब पहले विद्यमान स्थिति का लाभ नहीं उठा सकते। वे पहले की तरह खेद पूर्ण स्थिति का लाभ नहीं उठा सकते।

मैंने अल्पसंख्यक के बहुत से व्यक्तियों से बात की है। आपने समाचार पत्रों में भी पढ़ा होगा कि अल्पसंख्यक और वे लोग जो 1971 से पूर्व आये थे, संतुष्ट हैं। वे जानते हैं कि उनके हितों पर किसी भी तरह कुप्रभाव नहीं पड़ेगा तथा उनके हितों की इस कानून के अधीन रक्षा भी की जायेगी। मैं यही कहना चाहता था।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल हन्नान अन्सारी (मधुबनी) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बिल का जो कि गवर्नमेंट की तरफ से पेश हुआ है, स्वागत करता हूँ। लेकिन साथ हो साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि फोरनर्स के बारे में जो तरीके अपनाये गये हैं उनमें उस सेक्शन के साथ ज्यादती भी हो रही है। इस बारे में सुधार करने की बहुत जरूरत है।

बर्थ सर्टिफिकेट का कोई भी दस्तूर असम के अन्दर या प्राविंस के अन्दर सरकारी दफ्तरों में नहीं पाया जाता है। साथ ही साथ एन० आर० सी० के बारे में भी वहां कोई इन्तजाम सरकारी दफ्तर में नहीं है। जिन इलाकों में लोग वोटर्स लिस्ट में हैं उन इलाकों में भी प्रभाव पड़ा है। वहां भी लोग कतार बांध कर जाते हैं लेकिन वोटर लिस्ट गायब कर दी जाती है। इससे उनके सामने बड़ी कठिनाइयां पैदा हो रही हैं।

जो लोग वोटर्स लिस्ट लेकर जाते हैं और दिखाते हैं उसको मान्यता नहीं दी जाती है। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि वे इन बातों पर खास तौर से ध्यान दें। वहां पर यह बात नहीं होनी चाहिए। जो लोग वहां पर सही मायनों में, सरकार के उसूलों के मुताबिक वहां के नागरिक हो सकते हैं वे नागरिकता से महरूम न रह जाएं इस पर तवज्जो देने की जरूरत है।

इन चन्द बातों को कह कर मैं इस बिल का स्वागत करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान, आप जानते हैं कि जब असम समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे हमने उसके कुछ उपबन्धों का विरोध किया था। विधेयक पुरःस्थापित किये जाने पर भी हमने उसका विरोध किया। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारा विरोध सरकार के नेक इरादों से नहीं है, जहां पर, कि उन्होंने 1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च, 1971 के बीच असम में प्रवेश करने वाले लोगों को कुछ अधिकार देने की चेष्टा की है। परन्तु हमने इन लोगों के मताधिकार को छीन लिए जाने का विरोध किया। जैसा कि श्री भोलानाथ सेन ने भी उल्लेख किया है, हमारा देश अपने वचन से बंधा है। बांगलादेश युद्ध के दौरान यह घोषणा की गई थी-युद्ध के विनाश है के परिणाम स्वरूप,.....

बांगला देश युद्ध के दौरान यह स्पष्ट कर दिया गया था कि वहां हुए युद्ध तथा घोर विपत्ति के कारण जो लाखों शरणार्थी भारत आए उन्हें वापस भेज दिया जायगा और अन्य लोग जो उससे पहले आए हैं उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी और मतदाता सूची से उनके नाम किसी गलती के कारण नहीं अपितु उस समय सरकार की स्वीकृत नीति के कारण मतदाता सूची में सम्मिलित किये गये थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धता का उल्लेख किया है। हमारी वही वचनबद्धता थी और लोग बांगलादेश से आ गए। अब यहां यह कहा जाता है कि भारतीय मूल के उन लोगों को मतदाता सूची से निकाल दिया जाएगा जो उस अवधि के दौरान असम में आ गए हैं। आपको भारतीय मूल के लोगों के प्रति इतनी एलर्जी क्यों है ? उन लोगों का क्या होगा जो भारतीय मूल के नहीं हैं ? हमारा एक देश है और आपको अच्छी तरह याद होगा कि आपके नेता ने उस समय क्या किया। देश का विभाजन हुआ। इन लोगों का इसमें कोई दोष नहीं था। वह तो पीड़ित लोग हैं जिनको आना पड़ा। देश को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित किया गया। सांप्रदायिक दंगे हुए। वे यहां आए और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त, 1947 को देश की जनता को एक सन्देश में कहा, "वे भाई हैं। हमें उनकी भावनाओं और दुःखों को बांटना है।" इस तथ्य के बावजूद कि हमारे यहां एक अधिनियम है विदेशी अधिनियम जिसका श्री सेन ने उल्लेख किया है, हमारी सरकार ने इन लोगों को यहां आने दिया और उन्हें शरण दे दी तथा उन्हें नागरिकों के रूप में स्वीकार किया। अब पता नहीं क्या हो गया। आप उनसे उनका मतदान अधिकार छीन लेना चाहते हैं। जब उन्होंने आन्दोलन आरंभ किया, जब अखिल असम छात्र संघ नेताओं ने इसे आरंभ किया। हमने तीव्रता से उनका विरोध किया। उस समय, श्रीमती गांधी प्रधान मंत्री थीं। उन्होंने सभी विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई और पश्चिम बंगाल की सरकार का प्रतिनिधित्व भी उसमें था और एक सर्वसम्मत निर्णय लिया गया। यह निर्णय वर्ष 1971 को आधार वर्ष बनाना था। यही सर्वसम्मत निर्णय था। उसके बाद क्या हुआ ? आपसे वह स्थिति असम आन्दोलन के उन नेताओं ने छीन ली जिनको हमारे देश में अलगाववादी की संज्ञा दी गई। हम सब ने तीव्रता से उनका मुकाबला किया। किंतु अब इस अधिनियम के द्वारा आपने वहां के अल्पसंख्यकों को निराश किया है। वह एक अलग प्रश्न है। अब हम देखें कि वहां किस प्रकार का आन्दोलन हुआ है। विदेशियों को निकाल भगाने के नाम पर वास्तविक भारतीय गैर जरूरी लोगों को पृथकतावादी तथा सांप्रदायिक आधार पर निशाना बनाने तथा असमर्थ निकाल भगाने का आन्दोलन छेड़ दिया गया। यह वहां के आन्दोलन का इतिहास है। असम के लोगों का कोई दोष नहीं है। उनकी उचित शिकायतें हैं और यह हमारी अपनी असफलता है कि हम वहां लोगों को बड़े पैमाने पर संघटित नहीं कर

[श्री सैफुद्दीन चौधरी]

सके और इस प्रकार के आन्दोलन को रोक न सके। हम पश्चिम बंगाल में तो इस प्रकार के आन्दोलन को रोकने में सफल रहे। किन्तु असम की बात और है। वहां पृथकतावादी आन्दोलन अक्सर होता रहता है ..... (व्यवधान)

रक्षा मंत्री जी, आप हँसिए मत। कृपया सुनिए। हमारी स्थिति है.....

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : मैं समझता हूं कि मुझे हँसने का अधिकार है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं बहुत प्रसन्न हूं यदि आप हँसते हैं। तो आप लोगों की कीमत पर हँस रहे हैं (आप लोगों के हितों की हँसी उड़ाते हैं)। आप इन्हें निकाल कर वहां के लोगों के हाथों में देना चाहते हैं। फिर भी, आपको हँसने का पूरा अधिकार है।

अब, स्थिति यह है। यह सरकार क्यों उस वायदे से फिरी है जो उनके साथ किया गया था, और वही सर्वसम्मत निर्णय भी था ? अल्पसंख्यकों ने कुछ प्रहार सहन किए हैं और उन्होंने इनका सामना करने का प्रयत्न भी किया। किंतु दूसरी बात अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थी। वह यह कि यद्यपि आन्दोलन पांच वर्ष से अधिक समय तक चला, वह कम होता रहा—प्राकृतिक मृत्यु के समान नहीं अपितु उस प्रतिरोध के कारण जो असम के लोगों द्वारा भी दिखाया गया। कई असमी लोगों ने अपनी जान गवां दी। उन्होंने बहादुरी का परिचय देकर 1971 को आधार-वर्ष के रूप में मनवाने के लिए और राज्य के लोगों में शान्ति बनाये रखने के लिए अपना जीवन न्योछावर किया। इसका क्या होगा ? चुनाव के दिनों मैं वहां गया था और मैं वहां एक महीने रहा। हमारे कितने ही लोग अपनी जगह नहीं जम पाये। वे बाहर आ गए और उन्होंने वहां अपना आधार बनाया और कई महीने वहां रहे। उन्होंने भारी बलिदान दिए हैं। आपने सब ओर निराशा ही दी है। आपने उन लोगों को भी निराश किया जिन्होंने इस देश तथा इस सरकार और लोगों की एकता तथा अंतर्राष्ट्रीय बचनबद्धता का साथ दिया। वह लोग जिन्होंने अपना जीवन गंवाया अपना सब कुछ खो दिया, वह आपके लिए कुछ नहीं हैं ? आप उनसे मताधिकार छीन रहे हैं। मैं विदेशियों के आने तथा वहां रहने और शान्ति भंग करने के हित में नही हूं। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह विदेशियों के आने पर नियंत्रण रखे। आप मैत्री पूर्वक ढंग से ऐसा नहीं कर सके तो अब आपको कांटेदार तार की बाड़ लगानी पड़ी। हमने उस बात पर आपका समर्थन किया है। उस समय जब युद्ध हुआ आपने कुछ मानव मूल्यों की प्रतिज्ञा की और कहा कि जो युद्ध के परिणामस्वरूप आ रहे हैं उन्हें वापस भेज दिया जाएगा किंतु जो उससे पहले आया उसे नागरिकता प्रदान की जाएगी। अब हम उस प्रतिज्ञा से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। अत: आप मताधिकार को नागरिकता अधिकार से अलग करने को किस प्रकार तर्कसंगत ठहरा रहे हैं। मैं गृह मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि यदि न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया जाता है कि उन्हें मताधिकार भी दिया जाना चाहिए तो फिर इसके प्रति उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी ? यह अत्यन्त आवश्यक प्रश्न है।

महोदय, आन्दोलन क्षीण हो रहा था। असम समझौते ने पृथकतावाद (अलगाववाद) आन्दोलन को बढ़ावा दिया है और उसके परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर (उत्तरपूर्व) क्षेत्र के विभिन्न भागों में अलगाववाद पुन: सिर उठा रहा है। जब हमने इस समझौते का कुछ कारणों के आधार पर विरोध

किया तो "हिन्दुस्तान टाइम्स" ने भी 20 अगस्त को लिखाकि वामपंथी मोर्चे ने जो स्थिति ली है वह यह है कि उत्तरपूर्वी क्षेत्र में पृथकतावादी आन्दोलन की पुन: सम्भावना है और उसे ध्यान में रखना है । मैंने सोचा कि अनेक प्रतिक्रियाओं तथा अनेक प्रकार की आलोचना के पश्चात भी वह विधेयक को लाना चाहते हैं तो इसमें मताधिकार भी शामिल होगा ।

आप मताधिकार छीन रहे हैं । हम इसका समर्थन नहीं कर सकते । हमें इस बात का अत्यन्त खेद है कि इस समझौते में आपने उन लोगों को निराश किया है जो देश की अखंडता, जनता की एकता के पक्षधर हैं जिन्होंने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अलगाववादी तथा साम्राज्यवादी मनसूबों का विरोध किया । आप मनमाने ढंग से उन नागरिकों का मताधिकार छीन लेने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं जिनके नाम इसमें थे और जिनको अन्य नागरिक अधिकार प्राप्त होंगे । आप किस प्रकार इसे अलग कर रहे हैं यह हमारी समझ से बाहर है और मेरा विचार है कि यह पूरी तरह असंवैधानिक है ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का विरोध करता हूं ।

[हिन्दी]

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : उपाध्यक्ष महोदय, 2 फरवरी, 1980 को "आसू" की तरफ से एक मैमोरेन्डम हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी को पेश किया गया था । उसमें उन्होंने यह कहा था कि जो फारेनर 1971 में या उसके बाद में आए, उन्हें आसाम से निकाल दिया जाए । कुछ तो वापिस चले गए और कुछ लोग वहां बैठ गए उससे कुछ ऐसा मसला पैदा हुआ जिससे उन्होंने ए०ए०एस०यू० (आसू) ने यह सोचा कि एक वक्त ऐसा आयेगा कि उनकी आइडेन्टीटी, कल्चर और लैंग्वेज खत्म हो जायेगी, जिसका नतीजा आप सब जानते ही हैं कि कितना वहां पर एजीटेशन

3.00 म० प०

हुआ । लेकिन साथ-साथ हमारी लेट प्राइम मिनिस्टर इन्दिरा जी ने फैसला किया कि उन एजिटेशनिस्टस को किसी न किसी तरह कान्फरैंस टेबुल पर लाया जाए और उनके साथ बातचीत की जाए । वह बातचीत हुई भी और चलती रही लेकिन वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाये । उसके बाद भी वह सिलसिला चलता रहा । बदकिस्मती से इस समय इन्दिरा जी हमारे साथ नहीं हैं लेकिन वे जो चुनौती छोड़ गई थीं, उसको हमारे मौजूदा प्राइम मिनिस्टर राजीव जी ने बहुत खूबी के साथ पिक-अप किया और 5 जनवरी, 1985 को कौम के नाम एक नशरियात में उन्होंने ऐलान किया, जो मैं आपके सामने अंग्रेजी में ही कोट करना चाहता हूं, चूंकि मैं उसको पूरी तरह से उसी भाव में ट्रांसलेट नहीं कर पाऊंगा इसलिए आपके सामने अंग्रेजी में ही कोट करता हूं : —

[अनुवाद]

> "असम में विदेशियों के मसले को हल करने के लिए गम्भीर प्रयास किये जायेंगे और जो बात आपसी बातचीत से हल हो सकती है, वह आपसी मुठभेड़ से नहीं हो सकती ।"

[हिन्दी]

उन्होंने यह बात 5 जनवरी को कही और बातचीत का सिलसिला जारी रखा । अल्टीमेटली 15 अगस्त को इसी साल, हमारी आजादी के दिन आसू और उनके सहयोगियों ने, जिसमें असम गण

[श्री पी नाम गलयाल]

संग्राम परिषद आदि आते हैं, सबने मिलकएक सैर'टलमैंट किया और आज जो बिल आया है, यह उसी सैटलमैंट का परिणाम है, जिसे सब लोगों ने माना था। अब तो उन सारे लोगों ने मिलकर एक पार्टी बना ली है, जिसे ए०जी०पी० यानी असम गण परिषद के नाम से जाना जाता है। मैं कोई कानूनदां तो नहीं हूं और न कोई लीगल एक्सपर्ट हूं। लेकिन एक ले-मैन की हैसियत से मुझे इस 3.02 म० प०

[श्रीमती बराव राजेश्वरी पीठासीन हुई]:

बिल में कोई ऐसी बात दिखाई नहीं देती जो गलत हो। इससे कोई नये मुश्किलात पैदा होने वाले नहीं हैं। इस बिल में बहुत अच्छी बातें हैं और मैं इसका समर्थन करता हूं।

वैसे तो हमारे मुअज्जिज साथी सेन साहब ने डिटेल्स में सब कुछ क्लिअर कर दिया है, 1966 और 1971 के बीच में जो कन्ट्रोवर्सी थी, वह भी अब क्लिअर हो गई है, मैं उसे फिर से रिपीट करना नहीं चाहता।

मुझे हाल ही में आसाम जाने का मौका मिला तो मुझे उधर कुछ एप्रीहेन्शन देखने को मिली, ऐसी एप्रोहैन्शन उन लोगों में नहीं है जिनको आपने इस बिल में कवर कर लिया है, वह 1966 और 1971 वाले मसले पर भी नहीं है बल्कि उन लोगों में है जो असलियत में इण्डियन नेशनल हैं : उनमें से कोई बंगाली है, कोई बिहारी है, कोई यू० पी० वाला है, कोई राजस्थान वाला है या दूसरे प्रान्तों के लोग हैं जो बहुत पहले से वहां जाकर बसे हुए हैं और अपना बिजिनैस करते हैं, कोई खेतीबाड़ी में लगा है; कोई टी गार्डन में लेबर है या जिसका अपना काम है। वे काफी पहले से आसाम में जाकर सैटल हो चुके हैं, उनके बाप-दादा आसाम में पैदा हुए और उनका परिवार तब से अब तक वहीं रहता आया है लेकिन बदकिस्मती से, ए०जी०पी० के रिप्रेजैन्टेटिव्ज ने वहां हाल ही में कुछ ऐसी मिस-अन्डरस्टैन्डिग पैदा कर दी है और "विदेशियों" का जो लफ्ज आपके एकोर्ड में है, उसके बारे में उन्होंने यह कहना शुरु कर दिया है कि इसमें वे लोग भी आते हैं जो बाहर से आसाम में आकर बस गए हैं या जो बगाल से यहां आकर बस गए हैं या किसी दूसरे प्रदेश से वहां बस गए हैं। इस बात को वहां पर एक्सप्लौएट किया गया है।

इस बात को वहां पर एक्सप्लौएट किया गया, तो उससे उन लोगों में काफी एप्रीहैंशन पैदा हुआ है और जब इलेक्टोरल रोल्स की छानबीन हो रही थी, तो ए० जी० पी० के लोगों ने उन इलेक्टोरल रोल्स को छात्रों को दिया, जो छठवो, सातवीं, आठवीं, नवीं और दसवीं में पढ़ते थे; उनको एक-एक पर्चा पकडा दिया, और उन्होंने केवल नाम को पढ़कर जैसे मुकर्जी, चैटर्जी, बैनर्जी, वगैरा है, काटो नाम, क्योंकि वह तो बंगाली होगा, इसी प्रकार से अन्य लोगों के नाम पढ़कर ही यह अंदाजा लगा लिया गया कि यह तो बिहारी है, बंगाली है या यू० पी० का हो सकता है। इस आधार पर उन लोगों के नाम वोटर लिस्ट्स में से हटा दिए गए बिना किसी छानबीन के जिससे वहां के लोगों में बहुत क्षोभ पैदा हो रहा है। इस प्रकार से वहां पर लगभग 22 लाख लोगों के खिलाफ कम्पलेंट फाइल की है।

वहां पर जो छोटेदर्जे के मुलाजिम जो कि क्लर्क लेबल के और अन्य लोग हैं जिन्होंने 66-67 से पहले वोट डाले हैं, उन लोगों तक के नाम उन लिस्टों में से हटा दिए गए हैं जिससे उन्हें काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है और उनको कहा जा रहा है कि बर्थ सर्टिफिकेट

लाओ और किसी को कहा जा रहा है कि पहले वोट डाला है इसका प्रूफ लाओ, अब वे दूर दराज ट्रायबल एरिया के लोग कहां से ये लाएं। वे लोग तीन-तीन, चार-चार दिन तक सफर करके वहां आते हैं और जब उनको इस प्रकार का सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो बेचारे वापस चले जाते हैं, कई लोगों को मिलता है, कई लोगों को नहीं मिलता है। जो वहां के ओरिजनली रहने वाले लोग हैं उनके नाम भी स्ट्रकडाउन हुए हैं, वे अभी तक रेटीफाई नहीं हुए हैं। इसमें सरकार को जरूर देखना चाहिए और उन लोगों के नाम रेटिफाई करने चाहिए।

एक दीफू कांस्टीटूएंसी है जिसके एक सिटिंग मैम्बर मिस्टर के० गुटी थे, उनका नाम भी काट दिया गया है। इससे आपको पता लग जाएगा कि वहां के जो ओरिजनली रहने वाले हैं उनके नाम भी उन स्कूल के बच्चों ने काट दिए हैं। इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है इसकी तरफ ध्यानदेने की जरूरत है। जो वहां के लोकल ट्राइबल्स हैं, जबसे आसाम बना होगा तबसे उनके दादा परदादा बैठे हुए हैं, उनके नाम भी काट दिए गए हैं।

श्री मधु दण्डवते : क्या वह पार्लियामेंट का सिटिंग मैम्बर था ?

श्री पी० नामग्याल : नहीं, वह असेम्बली का सिटिंग मैम्बर था। खैर उनका नाम तो उन्होंने रिस्टोर करवा लिया होगा उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, लेकिन और लोगों का कैसे होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि वे इसकी तरफ ध्यान दें और सरकार इसको देखे।

इसके अलावा मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि इसको वहां पर पब्लिसिटी देने की जरूरत है। लोगों में बहुत कनफ्यूजन इस 1966 और 71 के मसले के बारे में है। इसलिए वहां के रेडियो, टी० वी० द्वारा बहुत ज्यादा इसको पब्लिसिटी दी जानी चाहिए। वहां के जो लोकल आफिसर्स हैं वे इसको उतनी पब्लिसिटी नहीं दे रहे हैं, वे जानबूझकर नहीं देना चाहते हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस मीडिया को वहां पर स्ट्रेंथन किया जाए।

इसी प्रकार से बार्डर को सील करने की जो बात है, बार्डर पर फेंसिंग करने का जो काम है, उसे भी जल्दी किया जाए ताकि चोरी-छिपे आने वाले लोगों को रोका जा सके क्योंकि हमारे देश में कपड़ा है, खाना है, ये चीजें उनको मिल जाती हैं इसलिए ये सिलसिला चलता ही रहेगा। अतः इस फेंसिंग के काम को जल्दी पूरा किया जाना चाहिए। जब तक आप इसको पूरा नहीं करेंगे तब तक लोग वहां से देश में आते ही रहेंगे।

इन्हीं चन्द लफ्जों के साथ, जो बिल माननीय होम मिनिस्टर ने यहां प्रस्तुत किया है, इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूँ और उनके द्वारा मैं मुहतरिम प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी को मुबारिकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पंजाब का मसला हल किया, असम का मसला हल कर दिया, समझिये हल हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जो बाकी छोटे-मोटे इश्जूज हैं उनको भी आप जल्दी हल कर देंगे।

इन चन्द लफ्जों के साथ मैं आपको एक बार फिर धन्यवाद देता हूं, मुबारकबाद देता हूं।

شری پی۔ نام گیال (لداخ):

اپادھیک مہودی، ۲ فروری ۱۹۸۰ کو ، آسو ، کیطرف سے ایک میمورنڈم ہماری سورگیہ پردھان منتری شریمتی اندرا گاندھی کو پیش کیا گیاتھا۔ اس میں انہوں نے یہ کہاتھا کہ جو فارینر ۱۹۷۱ میں یا اس کے بعد آئے انہیں آسام سے نکال دیا جائے کچھ تو واپس چلے گئے اور کچھ لوگ وہاں بیٹھ گئے۔ کچھ ایسا مسئلہ پیدا ہوا جس سے انہوں نے "A.A.S.U." نے سوچا کہ ایک وقت ایسا آئیگا کہ ان کی جو آئڈنٹیٹی کلچر اور لنگویج ختم ہوجائیگی جس کا نتیجہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کتنا وہاں پر ایجیٹیشن ہوا لیکن ساتھ ساتھ ہماری لیٹ پرائم منسٹر اندراجی فیصلہ کیا کہ ان agitations کو کسی نہ کسیطرح ان کو کانفرنس ٹیبل پر لایا جائے اور ان کیساتھ بات چیت ہو۔ وہ بات چیت ہوتی رہی اور چلتی رہی لیکن وہ کسی نشکرش پر نہیں پہونچ پائی۔ اس کیبعد بھی سلسلہ چلتا رہا۔ بدقسمتی سے اسوقت اندرا جی ہمارے ساتھ نہیں ہیں لیکن وہ جو چنوٹی چھوڑ گئیں تھیں اسکو موجودہ پرائم منسٹر راجیو جی نے بہت خوبی کیساتھ پک اپ کیا اور ۵ جنوری ۱۹۸۵ کو قوم کے نام ایک نشریات میں انہوں نے اعلان کیا جو میں آپ کیسامنے انگریزی میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں چونکہ میں اس کو پوری طرح اس بہاؤ میں ٹرانسلیٹ نہیں کرپاؤنگا اس لئے آپ کے سامنے انگریزی میں ہی کوٹ کرتاہوں

"earnest effort will be made to settle the foreigners issue in Assam and that the give and take of the Conference Table can yield victories which confrontation cannot"

انہوں نے یہ بات ۵ جنوری کو کہیں اور بات چیت کا سلسلہ جاری رکھا۔ الٹی میٹلی ۱۵ اگست کو اس سال ہمری آزادی کے دن ، آسو ، اور ان کے سہگیوں نے جس میں اسم گن سنگرام پریشد

آدی آتے ھیں سب مل کر ایک سیٹلمینٹ کیا اور آج جو بل آیا ھے یہ اسی سیٹلمینٹ کا پرینام ھے جسکو سب لوگوں نے مانا تھا۔ اب تو ان سارے لوگوں نے مل کر ایک پارٹی بنالی ھے جس اے۔ جی۔ پی۔ یعنی اسم گن پریشد کینام سے جانا جاتا ھے۔ میں کوئی قانون دان تو نہیں ھوں اور نہ کوئی لیگل اسپرٹ ھوں۔ (سبھا پتی مھودیا شریمتی بسو راجیشوری پیٹھا سین ھوئیں) لیکن لے مین کی حیثیت سے مجھکو اس میں کوئی ایسی بات دکھائی نہیں دیتی جو غلط ھو اس سے کوئی نئی مشکلات پیدا ھونیوالی نہیں ھیں۔ اس بل مین بہت اچھی باتین مین میں اس کا سمرتھن کرتاھوں۔

ویسے تو ھمارے معزز ساتھی سین صاحب نے ڈٹیلس مین سب کچھ کلیر کردیا ھے ۱۹۶۶ اور ۱۹۷۱ کے بل میں جو کنٹروورسی تھی وہ بھی کلیر ھوگئی ھے اب اسکو پھر سے رپیٹ کرنا نہیں چاھتا۔

مجھکو حال ھی میں آسام جانیکا موقع ملا تو مجھکو ادھر کچھ امپریہینشن دیکھنیکو ملی یہ امپریہینشن ان لوگوں میں نہین ھے جن کو آپ نے اس بل میں کور کرلیا ھے وہ ۱۹۶۶ اور ۱۹۷۱ والے مسئلہ پر بھی نہیں میں بلکہ ان لوگوں میں ھے جو اصلیت میں انڈین نیشنل ھیں۔ ان میں کوئی بنگالی اور کوئی بہاری ھے کوئی یوپی والا ھے کوئی راجستھان والا یا دوسرے پرانتون کے لوگ ھیں جو بہت پہلے سے وھاں جاکر بس گئے ھیں اور اپنا بزنس کرتے ھیں کوئی کھیتی باڑی میں لگا ھے کوئی ٹی گارڈن میں لیبر یا جس کا اپنا کام ھے۔ وہ کافی پہلے سے آسام میں جاکر سیٹل ھوچکے ھیں ان کے باپ دادا آسام میں پیدا ھوئے اور ان کا پریوار تب سے اب تک وھیں رھتا آیا ھے لیکن بدقسمتی سے اے۔جی۔

شری پی۔ نام گیال (لداخ):

پی۔ کے ریپریزینٹیٹیوز نے وہاں حال ہی میں کچھ ایسی مس انڈر اسٹینڈینگ پیدا کردی ہے اور «ودیشیوں» کا جو لفظ آپ کے ریکارڈ میں ہے اس کیبارے میں انہوں نے یہ کہنا شروع کردیا ہے کہ اس میں وہ لوگ بھی آتے ہیں جو باہر سے آکر بس گئے ہیں یا جو بنگال سے یہاں آکر بس گئے ہیں یا کسی دوسرے پردیش سے وہاں بس گئے ہیں۔ اس بات کو وہاں پر ایکسپلائٹ کیا گیا ہے۔

اس بات کو وہاں پر اکسپلائٹ کیا گیا تو اس سے ان لوگوں میں کافی اپیریہینشن پیدا ہوا ہے اور سب الیکٹرول رولس کی چھان بین ہورہی تھی تو اے۔ جی۔ پی۔ کے لوگوں نے ان الیکٹرول رولس کو چھاروں کو دیا جو چھٹوین ساتوین آٹھوین نوین اور دسوین میں پڑھنے والے تھے ان کو ایک ایک پرچہ پکڑا دیا اور انہوں نے کیول نام کو پڑھ کر جیسے مکرجی، چیٹرجی، بینرجی وغیرہ ہے کانو نام۔ کیونکہ وہ تو بنگالی ہوا اس پر کار ان لوگوں کا نام پڑھ کر ہی یہ اندازہ لگا لیا گیا کہ یہ تو بہاری ہے اور یہ بنگالی یا یوپی کا ہوسکیا ہے۔ اس آدھار پر ان لوگوں نام ووٹر لسٹ سے ہٹا دیا گیا بنا کسی چھان بین کے جس سے ان لوگوں میں بہت شبھہ پیدا ہورہا ہے۔ اس پر کار وہاں پر لگ بھگ ۲۲ لاکھ لوگوں کیخلاف کمپلینٹ فائل کی ہیں۔

وہاں پر جو چھوٹے درجہ کے ملازم جو کہ کلرک لیول کے اور دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے ۶۶-۶۷ سے پہلے ووٹ ڈالے ہیں ان لوگوں تک کا نام ان لسٹوں میں سے ہٹا دیا گیا ہے جس

سے انہیں کافی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور ان کو کہا جارہا ہے۔ کہ برتھ سرٹیفیکیٹ لاؤ اور کسی کو کہا جا رہا ہے کہ پہلے ووٹ ڈالا ہے اس کا پروف لاؤ اب وہ دور دراز ٹرائیبل ایریا کے لوگ کہاں یہ لائیں۔ وہ لوگ تین تین چار چار دن تک سفر کرکے وہاں آتے ہیں اور جب ان کو اس پر کار کا سرٹیفیکیٹ نہیں ملتا تو بیچارہ واپس چلے جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کو ملتا ہے کئی لوگوں نہیں ملتا ہے۔ جو وہاں کے اوریجنلی رہنے والے لوگ ہیں انکے نام بھی اسٹرک ڈاؤن ہوئے ہیں وہ ابھی تک ریٹیفائی نہیں ہوئے ہیں۔ اس میں سرکار کو ضرور دیکھنا چاہئے اور ان لوگوں کا نام ریٹیفائی کرنا چاہئے۔

ایک دیفو کلٹی ٹوئینسی ہے جس کا ایک سیٹینگ ممبر مسٹر کے۔ کٹی۔ تھے۔ ان کا نام بھی کاٹ دیا گیا اس سے آپ کو پتہ لگ جائیگا کہ وہاں کے جو اوریجنلی رہنے والے ہیں ان کا نام بھی ان اسکول کے بچوں نے کاٹ دیا ہے۔ اس لئے میری سرکار سے گذارش ہیکہ اسکی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے جو وہاں کے لوکل ٹرائبلس ہیں جب سے آسام بنا تب سے ان کے دادا پردادا بیٹھے ہوئے ہیں ان کا نام بھی کاٹ دیا گیا ہے۔

شری مدھودنڈوتی: کیا وہ پارلیمینٹ کا سیٹینگ ممبر تھا۔

شری پی نام گیال: نہیں وہ اسمبلی کا سیٹینگ ممبر تھا۔ خیر ان کا نام تو انہوں نے رسٹور کروالیا ہوگا اس میں تو کوئی دقت نہیں ہوئی ہوگئی۔ لیکن اور لوگوں کا کسطرح ہوگا اسلیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کیطرف دھیان دین اور سرکار اسکو دیکھے

اسکے علاوہ میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسکو وہاں پر پبلسٹی دینے کی ضرورت ہے۔ لوگوں میں بہت کنفیوزن

شری پی۔ نام گیال (لداخ):

ھے۔ ۱۹٦٦ اور ۱۹۷۱ کے مسئلہ کیبارے میں اس لئے وہاں کے ریڈیو، ٹی۔وی۔ دوارا بہت زیادہ اسکو پبلسٹی دی جاے۔ وہاں کے جو لوکل آفیسرس میں وہ اسکو اتنی پبلسٹی نہیں کر رہے ہیں۔ وہ جان بوجھکر نہیں دینا چاھتے ہیں۔ اس لئے میرا انورودھ ہیکہ اس میڈیا کو وہاں پر اسٹرینگتھن کیا جاے۔

اس پرکار بارڈر کو سیل کرنیکی جو بات ھے بارڈر پر فینسنگ کرنیکا جو کام ھے اسکو بھی جلدی کیا جاے تاکہ چوری چھپے آنیوالے کو روکا جاسکے کیونکہ ھمارے دیش میں کپڑا اور کھانا ھے یہ چیزیں ان کو مل جاتی ہیں اسلئے یہ سلسلہ چلتا ھی رھیگا اس فینسنگ کے کام کو جلدی پورا کیا جانا چاھئے جب تک آپ اسکو پورا نہیں کرینگے تب تک لوگ وہاں سے اس دیش میں آتے ھی رھینگے۔

انہی چند لفظوں کیساتھ جو بل مانیہ ھوم منسٹر نے یہاں پرستوت کیا ھے۔ اسکیلئے ان کو دھنیواد دیتا ھوں۔ اور ان کے دوارا میں محترم پرائم منسٹر شری راجیو گاندھی کو مبارکباد دینا چاھتا ھوں کہ انہوں نے پنجاب کا مسئلہ حل کیا آسام کا مسئلہ حل کردیا۔ سمجھئے حل ھورھا ھے اور میں امید کرتاھوں کہ جو باقی چھوٹے موٹے ایشوز ہیں ان کو بھی آپ جلدی حل کردینگے۔

ان چند لفظوں کے ساتھ میں آپ کو ایک بار پھر دھنیواد دیتاھوں مبارکباد دیتاھوں۔

[हिन्दी]

डा० गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, इस बिल के बारे में मैं जब सोच रहा था तो मुझे वह दिन याद आया जब पं० जवाहरलाल नेहरू ने आजादी के बाद नान-एला-इन्मैंट की पालिसी बनाई और उस वक्त ईस्टर्न गुट और वैस्टर्न गुट दोनों ने भारत को ब्लेम किया दोनों कहते थे कि तुम उससे मिले हुए हो, उससे मिले हुए हो।

इस बिल के बारे में यही है कि पाइनौरिटीज के लोग भी हमसे खुश नहीं और आसु के लोग भी हमसे खुश नहीं, जैसा कि अभी इस सदन में कहा गया था।

अभी काफी दिनों तक मैं असम में था और उस जगह पर था जहां सबसे ज्यादा माइनौरिटीज को तबाह किया गया, तंग किया गया। मैं गांव-गांव में जाकर लोगों से मिला। लोग यही कहते थे कि हमें वोटिंग राइट नहीं चाहिए, हमें रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। यह आप हमें दिला दीजिए। मैं यह कहता हूं कि इस बिल के लाने के बाद वहां की माइनौरिटीज को सबसे ज्यादा खुशी हुई है। मैं अपने विपक्ष के मित्रों से पूछता हूं···

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : आप वोटिंग राइट खत्म कर दीजिए ।

श्री भोला नाथ सेन (कलकत्ता दक्षिण) : वह बंगाल में हो गया ।

डा० गौरीशंकर राजहंस : सभापति महोदय, अभी की परिस्थितियों में इसका इससे अच्छा समाधान हो ही नहीं सकता था । मैं विदेश के बहुत से अखबार पढ़ता हूँ, देश के अखबार तो पढ़ता ही हूँ, यही एक मसला पंजाब के साथ असम का था जिसमें सारी दुनिया के अखबारों ने, कुछ पश्चिम बंगाल के अखबारों को छोड़कर, प्रधान मंत्री की तारीफ की । सारे देश के लोगों ने प्रधान मंत्री की तारीफ की । इससे अच्छा इसका समाधान हो ही नहीं सकता ।

मेरे मित्र जो एजीटेटेड हैं; नाराज हैं, उनको वस्तुस्थिति को समझना चाहिए । सरकार ने जो सबसे ज्यादा अच्छा उपाय हो सकता था, वह किया । 1966 के पहले जो लोग आये उनको रख लिया और 1966 के बाद 25 मार्च, 1971 के बीच जो लोग आये, उनको केवल 10 वर्ष के लिए सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, बाकी सारे अधिकार मिलेंगे ।

मुझे माइनौरिटीज के लोगों ने कहा कि हम वोटिंग राइट नहीं चाहते उसमें हमारी इतनी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मैं स्कूल में नौकरी करता था, फार्नर कहकर मुझे वहां से हटा दिया गया, मुझे यह नौकरी दिला दीजिए । मेरी जमीन थी, आसु के लोग आकर हमें ब्लेकमेल करते हैं कि हम तुमको यहां से निकलवा देंगे, यहां प्रापर्टी नहीं रख सकते, हमें अधिकार नहीं कि खेत को जोत सकें । इसीलिए मैं कहता हूँ कि वहां के लोग इस बिल से बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं और उनके लिए इससे अच्छा समाधान हो ही नहीं सकता ।

दूसरे लोग, जो कहते हैं कि माइनौरिटीज को जबर्दस्ती बहुत ज्यादा अधिकार दे दिए गये, उनको इस देश में तरजीह दे दी गई तो मैं यही कहूंगा कि ह्यूमैनेटेरियन रीजन भी कोई रीजन होता है । वह यहां आये, काफी दिनों तक हमारी संस्कृति, सभ्यता के साथ घुले-मिले हैं, इसीलिए 1966 के पहले जो आये हैं वह हमारे हैं, 1966 से 71 के बीच जो रहे होंगे, उनको हम और सुविधाएं देते रहेंगे । 1971 के बाद जो लोग आए हैं । हम उन्हें बेशक डिटैक्ट करके बाहर करने का प्रयास करेंगे ।

इस बिल में कहने लायक बहुत बातें नहीं हैं । अन्त में मैं वही कहूँगा जो कि मैंने पहले कहा था कि इससे अच्छा समाधान कुछ नहीं हो सकता था । जो लोग कहते हैं कि कोई दूसरा समाधान है तो मैं कहूंगा कि वह एकतरफा बात कर रहे हैं और सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं ।

श्री काली प्रसाद पाण्डे (गोपालगंज) : महोदया, सिटिजनशिप अमैंडमैंट बिल जो कि माननीय गृह मंत्री जी द्वारा लाया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ । समर्थन करने का मूल उद्देश्य यह है कि बहुत दिनों से हिन्दुस्तान की जनता दो समस्याओं के प्रति आंखें बिछायी हुई थी कि कब इन समस्याओं का समाधान होगा, जिसमें से एक पंजाब की समस्या और दूसरी असम की समस्या थी । इन दोनों समस्याओं का प्रधान मंत्री जी ने समाधान किया ।

महोदया, मैं विरोध पक्ष का सदस्य हूँ, लेकिन विरोध करने का यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि जो अच्छा काम हो उसका हम विरोध करें और जो गलत काम हो, उसकी हम तारीफ करें ।

[श्री काली प्रसाद पाण्डे]

"आसू" के जो लोग थे, उनमें से बहुतों ने कहा कि आन्दोलन मर चुका है, लेकिन फिर भी समस्यायें बहुत जटिल हो चुकी थीं। जब असम में कांग्रेस आई० की सरकार बनी और साइकिया मुख्यमन्त्री बने तो असम के कुछ लोग यह समझते थे कि आन्दोलन खत्म हो चुका है, लेकिन प्रधान मन्त्री जी ने इस बारे में फिर से सोचा और इस समस्या का समाधान किया।

असम के बहुत से लोग बिहार और उत्तर प्रदेश में रहते हैं। मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। सभी ने इस समझौते का स्वागत किया। मैं भी एक निर्दलीय सदस्य होने के नाते निष्पक्ष भाव से इस बिल का स्वागत करता हूं।

[अनुवाद]

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : महोदया, मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हुआ हूं किन्तु मुझे विपक्ष के अपने बन्धु की यह बात सुनकर हैरानी हो रही है कि यह विधेयक राजनैतिक उद्देश्य से लाया गया है। मैं उन्हें सन 1978 की याद दिला कर बताना चाहूंगा कि असम आन्दोलन की जनक जनता पार्टी है। जनता पार्टी द्वारा किए गए अनेक गलत कार्यों में एक यह भी है क्योंकि यह आन्दोलन 1978 में मंगलडोई से शुरु हुआ था। उस समय उपचुनाव कराया जाना था। मैं और अधिक राजनैतिक विस्तार में नहीं जाना चाहता। यह विधेयक संसद में समय पर प्रस्तुत किया गया है और इस बात पर मैं जोर देना चाहता हूं क्योंकि यह विधेयक समझौते के बाद लाया गया है। महोदया, हमें असम में व्याप्त विशेष परिस्थितियों को देखना होगा। बंगलादेश की सीमाएं असम और पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई हैं लेकिन पश्चिम बंगाल की आर्थिक और राजनैतिक परिस्थितियां इतनी उपयुक्त नहीं है कि बंगलादेश देश की सीमा वाले व्यक्ति पश्चिम बंगाल जा सकें। बंगलादेश वासियों को जमीदारों ने अपने खेतों तथा चाय बागानों में काम करने के लिए बुलाया क्योंकि ये लोग बहुत मेहनती होते हैं। धीरे-धीरे उन्होंने वहां जमीन अर्जित करनी शुरु कर दी। उनकी संख्या खासकर गोपालपाड़ा, बारपेट आदि में बढ़ने लगी। ये लोग तो मंगलडोई में कुदालगांव तक पहुंच गए। भारी संख्या में उनके आने से मूल असमिया लोगों को बुरा लगने लगा और आन्दोलन शुरु हो गया।

इस विधेयक में तीन श्रेणियों के व्यक्तियों के साथ अलग-अलग व्यवहार की व्यवस्था की गई है और ऐसा करना सही भी है। हम देखते हैं कि विभिन्न देशों में यहां तक की अमरीका में भी विदेशियों पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। कुछ साल पहले हमारे भारतीय मित्र वहां जाते थे और अमरीका तथा अन्य देशों में नागरिकता प्राप्त कर लेते थे तथा सम्पत्ति अर्जन कर लेते थे। अब हम देखते हैं कि अनेक विकासशील देशों में अभी नागरिकता संबंधी कानूनों में संशोधन किया जा रहा है और आर्थिक कारणों से विदेशियों को नागरिकता प्रदान करने से रोका जा रहा है। असम में भी अगर समय रहते बाहर से लोगों के आने पर रोक नहीं लगाई गई तो बहुत खतरा पैदा हो जाएगा। यह किसी एक अल्पसंख्यक समुदाय का प्रश्न नहीं है। बल्कि यह एक ऐसे देश से आने वाले लोगों का प्रश्न है जहां असम की तुलना में प्रति वर्ग मील में अधिक लोग रहते हैं। असम की हरी-भरी फसलें बंगलादेश वासियों को लुभाती हैं। मेरा गृह मंत्री से अनुरोध है कि वह बंगलादेश सीमा पर कटीली तारें लगाने के सरकार के निर्णय को लागू करें।

जहाँ तक अल्पसंख्यकों का संबन्ध है, जब कोई विदेशी इस देश में आता है और भूमि अर्जित करता है तो इसका सम्बन्ध किसी एक धर्म से नहीं होता। मान लीजिए, नेपाल से एक व्यक्ति सीमावर्ती राज्य बिहार में आने का निर्णय लेता है और उसके बाद वहीं रहने लगता है। क्या उसके साथ वही व्यवहार किया जाना चाहिए जो विदेशियों के साथ किया जाता है? गोपाल पाड़ा और बारपेट की विशेष भौगोलिक स्थितियों तथा कुछ साल पहले जमीदारों द्वारा बंगला-देशियों को आमंत्रित करने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। अखिल असम छात्र संघ (आसु) के साथ समझौता करने में सफल होने पर हमें अपने युवा प्रधान मंत्री को बधाई देनी चाहिए। लेकिन साथ ही मैं केन्द्र सरकार और सभी विपक्षी नेताओं भी को चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस देश में युवा पीढ़ी में एक नई प्रवृति उभर रही है। वे अपने आर्थिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं तथा भूमि-पुत्र के विचार को अपना रहे हैं। इसीलिए अनेक किस्म के आन्दोलन शुरु हुए हैं। चाहे गुजरात हो या पंजाब अथवा असम में अखिल असम छात्र संघ इन आन्दोलनों में युवकों का ही हाथ रहा। किसी भी आन्दोलन के शुरु होने पर उसके खतरनाक रुख अपनाने से पूर्व ही कार्यवाही कर ली जानी चाहिए अन्यथा जन-धन की हानि होती है।

समय रहते इस विधेयक को लाने के लिए मैं एक बार फिर गृह मंत्री को बधाई देता हूँ और इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदया, मेरे विचार से अधिक बेहतर यही होता अगर इस विधेयक का शीर्षक "कांट्रेक्शन आफ लूपहोल्स बिल" रखा जाता। इस विधेयक का उद्देश्य यही है। समझौते में बहुत कमियां रह गयी थीं और काफी अरसा बीत जाने के बाद अब यह विधेयक कुछ हद तक इन कमियों को पूरा करता है अगर ऐसा है तो इस विधेयक का स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन क्या यही काफी है। इसका मतलब है कि इससे यही एक मात्र एक महत्त्वपूर्ण बात यह हुई है कि इसने असम के अधिकांश लोगों में, खासकर अल्पसंख्यकों में यह आशंका पैदा कर दी गई है कि जिनको दस साल के लिए मतदान से वंचित किया गया है उन्हें और सभी तरह से नागरिक समझा जाएगा या नहीं? यह प्रश्न असम में बहुत से लोगों द्वारा उठाया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर एकबार मतदान से वंचित कर दिया गया तो नागरिक नहीं रहेंगे। इसलिए इस प्रश्न के साथ ये सब प्रश्न भी जुड़े हुए हैं कि क्या आप असम में सम्पत्ति का दावा कर सकते हैं? क्या आपके बच्चों को वहां शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है या क्या आप वहां रोजगार प्राप्त कर सकते हैं? यह निराधार प्रश्न नहीं है क्योंकि इसके पीछे कुछ पृष्ठभूमि है, कुछ इतिहास है। इस समय मैं इस सबके विस्तार में नहीं जाना चाहता। तो इस डर का कोई कारण है। बहरहाल, इस विधेयक में यह स्पष्ट किया गया है कि इस श्रेणी के लोगों को मैं तो कहूंगा कि इस दुर्भाग्यपूर्ण श्रेणी के लोगों को विश्वास दिलाया जा रहा है कि दस साल तक के लिए मतदाता सूची में से उनका नाम नहीं रहेगा लेकिन उन्हें नागरिकता के अधिकार मिलेंगे। मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि समझौते के अनुसार तथा अभी भी माननीय मंत्री ने यह बात दोहराई है कि 10 साल के बाद उनके नाम शामिल कर लिए जाएंगे। लेकिन विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है इसका क्या मतलब है। यह मुझे यहां नहीं बताया गया। इसका तात्पर्य है है कि 10 साल बाद दोबारा मतदान सूची में अपना नाम शामिल करवाने के लिए आवेदन करने के हकदार हो जाएये। ऐसी बात नहीं है। मैं नहीं जानता। शायद मेरा अंग्रेजी का ज्ञान कुछ

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

दोषपूर्ण है। लेकिन शामिल करने का एक विशेष अर्थ है। इसका मतलब है कि आपका नाम मतदाता सूची से अब काट दिया जाएगा और दोबारा से उसमें शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन विधेयक में निश्चय ही ऐसी व्यवस्था नहीं है। समझौते में यह है।

श्री एच० ए० डोरा : आप यहां विधेयक में देखिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इसका मतलब है कि 10 साल बाद उन्हें फिर से नाम दर्ज कराना पड़ेगा। अब वे नाम भी दर्ज नहीं करा सकते। 10 साल बाद उन्हें नाम दर्ज कराना होगा। यह बहाल करना नहीं कहा जा सकता। उनका नाम स्वत: ही शामिल नहीं किया जाएगा। बहरहाल, मेरा अपना विचार यह है कि इस समझौते को तैयार करने में कुछ जल्दबाजी की गई है। पंजाब समझौते की तरह इसपर उतना ध्यान तथा सतर्कता नहीं बरती गई। कुछ जल्दी की गई है और इसी कारण ये कमियां इसमें रह गई हैं। 15 अगस्त या 16 अगस्त की रात को या सुबह होने से पहले इस पर किसी तरह हस्ताक्षर कर दिए गए थे।

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : आप पृष्ठ 3 देखिए। धारा 5 इस प्रकार है :

"उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति उस तारीख से जिसको उसके विदेशी होने का पता चला है, दस वर्ष की अवधि के अवसान की तारीख से सभी प्रयोजनों के लिए भारत का नागरिक समझा जाएगा"।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप मेरी बात समझे नहीं। समझौते में आपने लिखा है कि उनका नाम बहाल किया जाएगा।

श्री एच० ए० डोरा : उन्हें अधिकार नहीं मिला है। उन्हें नागरिक माना जाएगा आप विधेयक को देखिए। नागरिकों को आवेदन नहीं करना पड़ता।

श्री एस० बी० चव्हाण : जी नहीं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं कलकत्ता शहर में बरसों से रह रहा हूँ और मेरे पिता का मकान वहीं हैं। मैं कलकत्ता निगम को करों का भुगतान कर रहा हूँ लेकिन मेरा नाम मतदाता सूची में नहीं है।

श्री एच० ए० डोरा : धन्य है मार्क्सवादी सरकार।

व्यवधान

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री जी इस बात का दावा मत करिए कि इस देश में तैयार की जाने वाली मतदाता सूची में कोई गलत नहीं है और वे सही होती हैं। आप भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है। बहरहाल, मेरा मुद्दा केवल यही है कि इस समझौते पर सुबह होने से पहले हस्ताक्षर इसलिए किये गए थे क्योंकि पहले ही यह निर्णय ले लिया गया था कि इसकी घोषणा लालकिले के प्राचीर से की जाएगी। मेरे विचार से इन बातों को निपटाने पर यह सही तरीका नहीं है। इसका संबंध भविष्य से तथा लाखों लोगों के जीवन से है।

बहरहाल एक सदस्य—मैं नहीं कहता कि हर कोई ऐसा है—राज्य सभा के कांग्रेस (आई) के एक सदस्य श्री असद मदानी ने यह कहा है। गुवाहाटी में उन्होंने जो कुछ कहा उसका शब्दांश मैं यहां उद्धृत कर रहा हूं :

"मुझे तसल्ली हो गई है कि असम समझौता सरकार की अभिव्यक्त

नीतियों के विपरीत है। यह भारतीय संविधान का उल्लघंन है, राष्ट्रीय एकता कोखं डित करने वाला है, भारत की अर्न्राष्ट्रीय वचनबद्धता के खिलाफ है तथा सैकड़ों हजारों भारतीय के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है"

उन्होंने कहा था कि वे कांग्रेस (आई) को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा आदि आदि।

वह अल्पसंख्यक समुदाय के एक प्रमुख सदस्य हैं। उन्होंने इस तरह प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बहरहाल मैं उनकी राय से सहमत नहीं हूं।

श्री एस० वी० चव्हाण : यह विधेयक पुरः स्थापित होने से पहले की बात है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : खैर, हर बात विधेयक पुरःस्थापित होने से पहले हुई थी।

[हिन्दी]

श्री सी० अंगा रेड्डी : क्या सरकार ने उनके मुताबिक किया है।

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदया, अब यह एक अच्छी बात है कि फिलहाल जैसा कि उन्होंने पहले प्रश्न काल के दौरान आज सुबह दूसरे संदर्भ में कहा है, कम से कम कुछ समय के लिये आंदोलन और प्रदर्शन जो कई वर्षों से हो रहे हैं, बन्द हो गये हैं तथा वहां सामान्य जीवन अपेक्षाकृत शान्तिपूर्ण है। हम इसका स्वागत करते हैं। यह पर्याप्त नहीं है। समझौते और सम्बन्धित विधान के आधार पर भविष्य में इस तरह के आन्दोलन या प्रदर्शन पुनः नहीं होने चाहिये। इस लिए सर्वप्रथम यह बहुत आवश्यक है कि इस त्रुटि को दूर किया जाये। आपने इसे करने में कई महीने लगाये हैं। फिर भी देर आये दुरुस्त आये।

मैं केवल एक या दो बातें जानना चाहता हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी के दुबारा से सत्ता में आने के बाद के दिनों में उन्होंने यहां सभी विभिन्न दलों की और इस प्रश्न में दिलचस्पी रखने वालों की बहुत बड़ी बैठक बुलाई थी जिसमें एक सर्वसम्मत निर्णय लिया गया था। उस समय से अब तक किसी ने भी आसाम में—आन्दोलनकारियों के अलावा—सर्वसम्मति के इस विचार का विरोध नहीं किया है कि मार्च 1971 को आधार वर्ष माना जाये। जहां तक आन्दोलन कारियों का सम्बन्ध है वे कभी 1951 से 1971 की बात करते हैं तो कभी 1961 से 1971 की बात करते हैं और उन सभी लोगों को जो उस अवधि या अवधियों के दौरान आए हैं आदि का पता लगाया जाना चाहिये। वे महोदया, मैंने भी उन लम्बी चर्चाओं में भाग लिया जो सरकार, 'आसु' तथा असमगण संग्राम परिषद के प्रतिनिधियों तथा कुछ दलों के नेताओं के बीच दिल्ली में हुई। मैं जानता हूं कि उनका दृष्टिकोण क्या रहा है। तब से सरकार इस बात पर अडिग रही है कि 1971 आधार वर्ष होना चाहिये।

अब एक अन्य विचार आया है। 1971 को अभी-भी उस वर्ष के रूप में लिया जाना है जो चुनाव होने की स्थिति में मतदाताओं की सूची तैयार करने के लिए आधार होगा लेकिन एक अन्य विचार आया है कि विदेशियों का पता लगाने के लिये 1966 को आधार वर्ष माना जायेगा। और उन्हें देश से निकाला जाएगा या नहीं, मैं नहीं जानता। मंत्री जी को इसे स्पष्ट

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

करना है। न्यायाधिकरण के द्वारा ऐसे लोगों का पता लगाया जाएगा जो विदेशी हैं। वे आसाम में रह सकेंगे और उन्हें नागरिकता का पूरा अधिकार प्राप्त होगा तथा 10 वर्षों के पश्चात् उनके नामों को पुनः सम्मिलित किया जाएगा। इस समझौते के उपबन्धों के अनुसार भी उन्हें किसी भी तरह से विदेशी नहीं माना जा रहा है। बिना नागरिकता के एक विदेशी को यहाँ रहने की अनुमति कैसे दी जा सकती है। और अब आप विदेशियों को पहले से ही आश्वासन दे रहे हैं कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी, उसे रहने दिया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि वे किसी भी तरह से विदेशी नहीं हैं। सरकार उन्हें नागरिक के रूप में मानने के लिए तैयार है लेकिन बिना किसी औचित्य के उनको दस वर्ष के लिए मताधिकार से वंचित कर रही है। क्यों और इसके क्या कारण हैं। निस्सन्देह यह एक छूट है जो कुछ दबाव में आकर दी गई। शायद अगस्त 14/15 की उस रात के दौरान क्योंकि उन आन्दोलनकारियों के नेता 1971 को आधार वर्ष के रूप में मानने के लिए तैयार नहीं हुए थे उनको कुछ छूट देना आवश्यक हो गया और इस नई विचारधारा 1966 से 1971 के लोगों की एक नई श्रेणी को लाया गया। मैं श्री भोलानाथ सेन को, जो उसी राज्य के रहने वाले हैं जिस राज्य का मैं रहने वाला हूं, याद दिलाना चाहता हूं कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और उस युद्ध तथा पूर्वी पाकिस्तान में उस समय विद्यमान स्थिति के परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल तथा अन्य राज्यों में बड़ी संख्या में लोग शरणार्थियों के रूप में आये। वे वास्तविक शरणार्थी थे। उनके लिए वहां रहना सम्भव नहीं था। उन्हें अपना घर परिवार छोड़ना पड़ा और इधर आना पडा। उस समय हमारी सरकार ने कहा कि मानवीय कारणों से हम इन लोगों को वापस नहीं भेज सकते; हमें उनको सहायता तथा शरण देनी होगी। 1965 की लड़ाई के बाद इस अवधि में हमारे देश में वास्तविक शरणार्थियों की एक लहर आई। उनके लिए भी यह सम्भव नहीं था वे वापस जायें। अब उनका कोई कसूर न होने पर भी उनको 10 वर्ष के लिए मताधिकार से इसलिए वंचित किये जा रहे हैं कि कुछ अन्य लोगों को संतुष्ट किया जा सके। और आप कह रहे हैं कि 10 वर्षों के बाद आपके नाम पुनः सम्मिलित किए जाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि वे विदेशी नहीं हैं। उनके ऊपर यह जिम्मेदारी क्यों डाली जा रही है और किस कारण ? कृपया इसे स्पष्ट करें।

ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनका पहले से ही विदेशियों के रूप में पता लगा लिया गया है। ऐसे कुछ लोग हैं जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल करने पर कई आपत्तियां की गईं जैसा कि हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं और इन आपत्तियों में से कई आपत्तियां सही पाई गई हैं। इसका मतलब यह हुआ कि उनके नामों को मतदाता सूची में शामिल करने की अनुमति नहीं दी जा रही है क्योंकि यह कहा जाता है कि वे न तो जन्म प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सके। मैं अपना जन्म प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकता हूँ। मैं नहीं जानता हूं, महोदया, कि क्या आप इसे प्रस्तुत कर सकती हैं न वे नागरिकता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं नहीं जानता हूं कि इस सदन में बैठे हुए हममें से कितने लोगों के पास नागरिकता प्रमाण-पत्र हैं। मेरे पास कोई प्रमाण-पत्र नहीं है; यदि आप चाहते हैं तो कल आप मुझे देश से निकाल सकते हैं न ही उनके नाम राष्ट्रीय रजिस्टर में पाए गये हैं। जहां तक राष्ट्रीय रजिस्टर का सम्बन्ध है हमें असम प्रशासन के उपस्थित प्रतिनिधियों द्वारा उस बातचीत के दौरान बताया गया था कि राष्ट्रीय रजिस्टर को 1961 के बाद अब तक अद्यतन नहीं बनाया गया है और इसके कई खण्ड रिकार्ड में उपलब्ध नहीं हैं। आपको इस बारे में

इस तरह का सख्त और कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहिए। जो लोग विशेषरूप से वहां से यहां शरणार्थी के रूप में आए हैं। वे गरीब लोग हैं। उन्हें कानून आदि की ज्यादा जानकारी नहीं है। उनमें से कई लोग अनपढ़ हैं। वे यह नहीं जानते कि इन कागजात, प्रमाण-पत्र आदि को किस तरह प्राप्त करना है।

अब, 1966 से 1971 तक के लोगों के अलावा अन्य लोगों को जिन्हें विदेशी माना गया है और जो विधेयक थे उप खण्ड (4) के अन्तर्गत नहीं आते हैं, उनके साथ सरकार क्या करने जा रही है। आप उन्हें निष्कासित करने या देश से निकालने जा रहे हैं अथवा कोई और कार्यवाही करने जा रहे हैं ? मैं संतुष्ट नहीं हूं क्योंकि मुझे पता चला है कि एक केबिनेट मंत्री, श्री ए०बी०ए० गनी खां चौधरी को असम भेजा गया जिन्होंने आसाम कांग्रेस (आई) के चीफ श्री धरनीधर वसुमत्तारी तथा आसाम के मंत्री श्री साधन रंजन सरकार के साथ 9 अक्तूबर को बारपेरा का दौरा किया। उन्होंने वहां सार्वजनिक भाषण में यह घोषणा की कि आसाम से किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं निकाला जायगा चाहे उसे विदेशी ही घोषित क्यों न कर दिया गया हो और यदि आवश्यक हुआ तो इस संबंध में संविधान में संशोधन किया जायगा। यह 13 अक्तूबर के आसाम ट्रिब्यून में प्रकाशित हुआ था। मैं नहीं जानता कि क्या आपके द्वारा उन्हें यह सब कुछ कहने के लिए प्राधिकृत किया गया था। यह ठीक है कि आपने उनको वहां अल्पसंख्यकों को शांत करने के लिए भेजा था ताकि कांग्रेस को कुछ वोट मिल सकें। लेकिन यह बहुत गैरजिम्मेदारी का वक्तव्य है।

श्री भोलानाथ सेन : हो सकता है कि ऐसा संवाददाता ने लिखा हो।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि ऐसा था तो श्री ए०बी०ए० गनी खां चौधरी को यहां आना चाहिए और इसका खण्डन करना चाहिए तथा यह कहना चाहिए कि उन्होंने यह कभी नहीं कहा। असम के उन लोगों को इसके बारे में पता चलना चाहिए। दूसरा मुद्दा यह है कि मैं नहीं जानता कि क्या मंत्री जी ने इस बारे में कुछ कहा है क्योंकि दुर्भाग्यवश मुझे अस्पताल में किसी को देखने जाना था-इस प्रशासनिक कार्य के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जायेगा। क्या इसे पूरी तरह से राज्य प्रशासन पर छोड़ दिया जायेगा या किसी तरह केन्द्र इसके साथ जुड़ा है ? केन्द्र ने पहले ही समझौते में नागरिकता प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए पूरी जिम्मेदारी ले रखी है क्योंकि आन्दोलनकारियों ने कहा है कि वे कोई भी नागरिकता प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं करेंगे जो केन्द्र के द्वारा जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में केन्द्र को भी इस पूरे काम के लिए अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए यदि वे लोगों के विभिन्न वर्गों में कोई विश्वास बिठाना चाहते हैं। उसके बारे में क्या स्थिति है ? मैं नहीं जानता कि वे क्या करने जा रहे हैं। मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता लेकिन यह पहला विधानांग है जिसमें समझौते के मूल तत्वों का समावेश किया गया है। यह मेरी समस्या है। यदि यह केवल इस मुद्दे तक सीमित होता तो मैं इसकाकि सी तरह से विरोध न करता लेकिन मेरे विचार से समझौते के मूल तत्व पूरी तरह से अतर्कसंगत और अनुचित हैं और संविधान के किसी अनुच्छेद या कानून के अनुरूप नहीं हैं। जैसाकि हमारे वित्त मंत्री का कहना है कि भविष्य में हमें कोई दीर्घकालिक वित्तीय नीति बनानी होगी और हर वर्ष बजट नहीं लाया जाना चाहिये। इस मामले में भी दस वर्ष का समय रखा गया है। हम इन लोगों को पहले से आश्वासन दे रहे हैं, कि यद्यपि अब विदेशियों के रूप में उनका पता नहीं लगाया गया है लेकिन 10 वर्ष के बाद इन लोगों के नामों को मतदाता सूची में पुनः सम्मिलित कर लिया जाएगा। यह परस्पर विरोधी है। श्री भोलानाथ सेन जी आप बहुत ऊंचे वकील हैं लेकिन मैं नहीं हूं।

श्री भोलानाथ सेन : यह अवधि विदेशी होने का पता लगने के बाद से यह 10 वर्ष होगी।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : इन दस वर्षों के दौरान आप क्या करने जा रहे हैं ? क्या वे नागरिक बन जायेंगे ?

श्री भोलानाथ सेन : नहीं। पता लगने के दस वर्ष बाद।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि वे चाहें तो 10 वर्ष के बाद वे नागरिकता कैसे प्राप्त करेंगे ? उन्हें इसके लिए आवेदन करना होगा। उनके नामों को स्वतः पुनःसम्मिलित नहीं किया जाएगा जैसा कि मंत्री जी के वक्तव्य और समझौते के प्रावधान से स्पष्ट होता है। पुनः सम्मिलित किये जाने नाम की कोई चीज नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को फिर से आवेदन करने आदि की प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। अतः कृपया उन्हें यह बता दें। क्या अब सभी नामों का एक साथ लोप किया जायेगा और बाद में उन्हें पुनः सम्मिलित किया जायेगा ? और यदि ऐसा है तो विधेयक में ऐसा प्रावधान किया जाये। विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

श्री एस० बी० चव्हाण : ऐसा विधेयक में है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बैठने से पहले मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह सदन और देश को बतायें कि 1971 को आधार वर्ष मानने की जो आम राय बनी थी वह उससे क्यों हट गए हैं और उन्होंने 1966 से 1971 के बीच आने वाले लोगों की एक नई श्रेणी क्यों बना दी है जिसके बारे में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। मैं समझता हूं कि यदि कोई चाहे तो वह न्यायालय में इसे सफलता पूर्वक चुनौती दे सकता है।

[हिन्दी]

श्री मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : माननीय सभापति महोदय, मैं इस बिल का हृदय से समर्थन करता हूं। कई वर्षों से माननीय स्वर्गीय इंदिरा जी के कार्यकाल से यह मसला विचाराधीन था। उन्होंने भी अपना भरसक प्रयास किया कि इस मसले को किसी हद तक सुलझाया जाए। इसकी पृष्ठभूमि में मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि भारत सैकड़ों वर्षों से एक विशाल देश रहा है। इस भारतवर्ष की नींव देश-प्रेम, राष्ट्रीयता, जातीयता और सर्वधर्म को हमेशा सम्मान देती रही है। हमने संसार में चक्रवर्ती विजय प्राप्त की है। भारतवर्ष का नाम सारे संसार में विश्व-विजयी के रूप में विख्यात हुआ। हमारा देश कुछ समय तक गुलामी की बेड़ियों में भी जकड़ा रहा परन्तु हम आजादी प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्न करते रहे। जब भारतवर्ष के बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लोग आजादी प्राप्त करने की मद में झूम उठे, भारतवर्ष की स्वतंत्रता, एकता और अखण्डता की पुनः स्थापना के लिए स्थानांस्थान पर खून की होलियां खेली जाने लगीं तो हमें आजादी प्राप्त हुई। हमने अपने लहू और मांस से सींच कर स्वतंत्र भारत की नींव रखी।

आजादी के बाद, हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के कार्यकाल में भारत ने विश्व में बहुत बड़ी गरिमा स्थापित की और भारत का सम्मान सारी दुनिया में बहुत बढ़ा। निर्विरोध रूप से 105 राष्ट्रों की अध्यक्षता को स्वीकार करके उन्होंने भारत के नाम को विश्व के मस्तक पर मुकुट के समान चमका दिया। हम उपग्रह की दुनिया में पहुंचे। हमारी सीमाएं काफी सशक्त हुईं। हम खाद्यान्न, विज्ञान और पैट्रोलियम आदि कई क्षेत्रों में स्वावलम्बी हुए और जो भारत पहले दूसरे देशों के सामने जाकर झोली पसारा करता था, उस युग का अन्त हो गया और हम सभी क्षेत्रों में न केवल स्वावलम्बी हो गए बल्कि दुनियां के कई छोटे देशों की मदद कर सकने की

स्थिति में भी आ गए। हमारी प्रगति को देखकर कुछ विदेशी ताकतों को काफी ईर्ष्या हुई और उन्होंने षडयंत्र रचकर यहां के कुछ लोगों को भड़काना आरम्भ कर दिया। धीरे-धीरे वह आग आसाम में उठी, फिर पंजाब में उठी। वहां बहकावे में आकर लोगों ने स्थान-स्थान पर आन्दोलन करने आरम्भ कर दिए। आपको शायद स्मरण हो कि हजारों-लाखों आदमियों ने वहां पर अपनी आहुतियां दी हैं। हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी ने वहां पर पुनः चुनाव कराकर शान्ति स्थापित की। जैसा यहां पर हमारे कुछ माननीय सदस्य बता रहे थे कि विदेशी ताकतों ने आसाम में कुछ स्टूडैन्टस को बहकाया, कुछ संस्थाओं को बहकाया और एक आन्दोलन का रूप दे दिया जो हमारे प्रजातंत्र के, भारत की अखण्डता, स्वतंत्रता और एकता के मार्ग में आड़े आने लगे। वह धमाका पंजाब में भी हुआ और उसके कारण हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री को अपने प्राणों तक को न्यौछावर करना पड़ा। यदि हमें स्मरण हो तो उन्होंने अपने अन्तिम भाषण में कहा था कि—मेरे शरीर से निकली हुई एक-एक बूंद भारतवर्ष की स्वतंत्रता, एकता और अखण्डता को मजबूत करे, यही मेरी अन्तिम इच्छा है जिसे मैं देशवासियों के सामने प्रकट करना चाहती हूं।

उसी तारतम्य में हमारे माननीय युवा प्रधानमंत्री जी ने 14 अगस्त को आसाम का यह पैक्ट किया, सुलहनामा किया। उससे पूर्व उन्होने पंजाब समस्या का भी अंत किया और वहां शान्ति स्थापित की। अभी-अभी वहां चुनाव भी हो चुके हैं और पंजाब से आये माननीय सदस्य इस सदन में मौजूद हैं, जो कमी हम कुछ समय पहले महसूस करते थे, अब वह नहीं रही। आज हमें यह देखकर हर्ष होता है कि चुनाव के बाद पंजाब में शान्ति है और चन्द गुमराह लोगों ने जिस तरह से वहां अशान्ति का वातावरण बना रखा था, अब वे शान्त हैं और यह सोचने पर मजबूर हैं कि प्रान्त और देश की तरक्की के लिए यह अति-आवश्यक था। उसी तरह से हमारे युवा प्रधानमंत्री जी ने आसाम में भी शान्ति स्थापित करने के लिए यह उचित कदम उठाया।

वहां पर उन्होंने यह प्रयत्न किया और उसके अनुसार आज यह बिल हमारे समक्ष है। वहां पर भविष्य में चुनाव होने जा रहा है। हम हृदय से इसका स्वागत करते हैं कि वहां पर लोक तंत्र और प्रजातंत्र की स्थापना के लिए हर प्रयास किया जाएगा और यह अत्यन्त आवश्यक है कि वहां चुनाव हों। वह प्रांत जो कि पिछले कई वर्षों से इस घृणित भावना में धधक रहा था जिसकी प्रगति रुक गई थी, जहां पर लोग आखिरी सांस लेने लगे थे, जहां पर व्यापारिक संस्थाएं बंद हो गई थीं, व्यापार लगभग ठप्प पड़ गया था, जहां पर हमारे युवक और बालकों की शिक्षा बंद हो गई थी और प्रगति का मार्ग एक तरह से रुक गया था वहां के लिए अब हम ऐसी आशा रखते हैं कि आने वाले दिनों में चुनाव कराकर वास्तव में प्रजातंत्र और लोकतंत्र की स्थापना कर उस प्रदेश की उन्नति होगी। हम यह भी आशा रखते हैं कि उनकी सभी मांगों को जो प्रदेश की उन्नति के लिए आवश्यक हैं; हम पूरी कर सकेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं इस सदन के माध्यम से वहां के निवासियों से यह प्रार्थना करता हूं कि वहां पर जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें शांतिपूर्ण ढंग से भाग लें और चुनाव को सफल बनाएं। हम वहां के चुनाव के बाद, जो प्रतिनिधि वहां से चुनकर आएंगे, उनका स्वागत करेंगे। मैं इस बिल का स्वागत करते हुए धन्यवाद देता हूं।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया (संगरूर) : आदरणीय चेयर पर्सन साहिबा, और मेरे साथी, हम आसाम के मसले पर बहुत गम्भीरता से विचार कर रहे हैं। भारतवर्ष के सामने समय-समय पर मुश्किलात आती रही हैं। इस महान् हाउस ने जिसके हम सभी सदस्य हैं, बड़ी-बड़ी मुसीबतों में देश को अगुवाई दी है, आजादी के संघर्ष में हमने अगुवाई दी। इस हाउस ने देश की गरीबी को दूर करने में, देश के लोगों को आजादी का सपना पूर्ण करने में, देश को आगे बढ़ाने में और देश को इकट्ठा रखने के लिए बड़े-बड़े नेताओं ने महत्त्वपूर्ण रोल अदा किया। इसलिए हम इस पवित्र जगह पर बैठ कर गम्भीरता से सोचें।

यह आसाम का मसला क्यों पैदा हुआ। अब हमारे सामने जो विचार हो रहा है जिसके अन्तर्गत कहा जा रहा है कि ऐसा प्रॉविजन किया जाएगा जिससे कि कुछ लोगों को दस वर्ष के लिए चुनाव में हिस्सा लेने से वंचित कर दिया जाएगा। इसके ऊपर गहनता से सोचिए, इस हाउस में जहां पर हम 75 करोड़ लोगों का प्रतिनिधिव कर रहे हैं वहां पर ऐसी-बात करना क्या जायज है ? हम यहां पर लोगों का प्रतिनिधित्त्व किस आधार पर कर रहे हैं - हम यहां पर लोगों का प्रतिनिधित्त्व चुनाव के आधार पर ही तो कर रहे हैं, फिर एक प्रदेश के कुछ लोगों को दस वर्ष के लिए चुनाव में हिस्सा लेने से रोकने की बात करें, तो क्या इसको जायज कहा जाएगा, क्या इसके लिए दुनिया की जम्हूरियत, दुनिया के लोग हमारी तारीफ करेंगे कि बहुत अच्छी है हिन्दुस्तान की पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के लोग जो अपने ही प्रदेश के एक भाग के लोगों को चुनाव में मतदान से वंचित कर रहे हैं। इसलिए इसके ऊपर बहुत ध्यान से सोचा जाना चाहिए।

चुनाव के लिए आप 1966 से 1971 तक का ईयर ले रहे हैं, उसमें हमें देखना है कि क्या आप लोगों को डुअल सिटीजनशिप दे रहे हैं। क्या यहां पर दो तरह की सिटीजनशिप होगी और क्या इस प्रकार से हमारी इमेज बढ़ेगी ? बिलकुल नहीं बढ़ेगी। आप हमारे पूर्वजों को देखिए — महात्मा गांधी, गुरू नानकदेव जी महाराज और गुरु गोबिन्द सिंह जी महाराज और इस देश के अन्य तमाम योद्धओं ने तथा सभी लोगों ने एक ही बात के लिए संघर्ष किया और जिन्दगी दे दी। सरदार भगत सिंह, लाला लाजपत राय और सुभाष चन्द्र बोस ने अपनी जिन्दगी दे दी इस बात के लिए कि इक्वल राइट्स होने चाहिए, इक्वल आपर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर एक को। यह करना हमारा फर्ज है। इसलिए मन्त्री जी कृपा करके सोचें क्या हम इक्वल राइट दे रहे हैं, इक्वल आपर्चुनिटी दे रहे हैं ? हम तो छीन रहे है। यह छीनने का काम इस देश की शान के विपरीत है, इस हाउस की शान के विपरीत है जनकि सरकार ने कहा था कि इक्वल राइट देंगे, वायदा किया था इस बात का। मैं पहले दिन कुछ सख्त शब्दावली का प्रयोग करने के खिलाफ हूँ लेकिन यह कहना चाहता हूँ कि आपको यह शोभा नही देता। आप इस देश में रहने वालों को पासपोर्ट देंगे, शहरियत देंगे, व्यापार करने का अधिकार देंगे लेकिन वोट का अधिकार नहीं देगें—यह क्या तमाशा होगा ? इसलिए मैं कहता हूँ कि रेट्रीट करने का काम छोड़ दीजिए। गुरु गोविन्द सिंह जी ने औरंगजेब को लिखा था कि आप सखुनवर नही हैं जो जबान से कहते हैं उससे पीछे हट जाते हैं। मैं कहता हूँ श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने जो वायदा असम के लोगों से किया था उससे आप पीछे हट रहे हैं। यह नही होना चाहिए।

पंजाब में भी ऐसे झगड़े चल रहे हैं। हर जगह आप पीछे हट रहे हैं। यह कैसे होगा ? सन्त लौंगोवाल के साथ एक समझौता हुआ, मैं सिर्फ रेफेन्स ही दे रहा हूँ, पंजाब का क्वैश्चन

यहां पर नहीं उठा रहा हूं। हम खुश हैं कि पंजाब के मसले का हल हो गया। सन्त लौंगोवाल के साथ एक सन्धि हुई थी, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब ने साइन किया और सन्त लौंगोवाल जी ने साइन किया। उस समझौते में जो कुछ लिखा गया उसको आप सब जानते ही हैं। उसको इस सदन में पेश किया गया। जो कुछ उसमें लिखा गया था वह इस हाउस की प्रापर्टी बन गया है, वह हाउस की जायदाद बन गया है। जो लिखा गया था उसमें एक बात यह कही गई कि चण्डीगढ़ पंजाब को मिलेगा और उसके एवज में तीन बातो को आधार मानकर कुछ हिन्दी बोलने वाले इलाके हरियाणा को दिए जायेंगे। आधार क्या थे :

[अनुवाद]

भाषाई साम्य, भौगोलिक सम्बन्ध और सामीप्य तथा एकता

[हिन्दी]

और तीसरा आधार था "विलेज ऐज यूनिट"। इसको माना गया और यह कहा गया कि इसके आधार पर कमीशन बनेगा। इससे आप आसाम की तरह से पीछे हट गए, एक लफ्ज उसमें और एड कर दिया "अदर इंस्ट्रक्शन्स"। लेकिन बाद में हाउस के बाहर एक प्रेस कान्फ्रेन्स में प्रधान मन्त्री जी ने कहा कि नोटिफिकेशन इश्यु करने में गल्ती हो गई है। जब यह कह दिया कि गल्ती हो गई तो कौन सा पहाड़ गिरने वाला है लेकिन उस गल्ती को क्या खुदा आकर ठीक करेगा ? वह तो आपको ही ठीक करनी है। क्यों नहीं करते हैं ठीक ? क्या विदेश के लोग यह नहीं कहेंगे कि सन्त लौंगोवाल के पवित्र खून से जो लिखा गया था इस देश की अखण्डता को कायम रखने के लिए—मैं खालिस्तान को एक मिनट के लिए भी रद्द करता हूँ, कभी जिन्दगी में अकाली दल ने खालिस्तान को न तो सपोर्ट किया है, न करेगा और न यह होगा—लेकिन सन्त लौंगोवाल के पवित्र खून से जो समझौता लिखा गया उससे भी आप पीछे हट रहे हैं तो इस देश का इतिहास क्या कहेगा ? अगर ऐसी बात चलेगी कि लिखने के बाद, समझौता करने के बाद उससे हेर-फेरी होगा तो भविष्य में बात करने के लिए कोई भी अकाली लीडर नहीं आयेगा। हम तो पहले ही एक्स्ट्रिमिस्ट्स से लोहा लेकर यहां पर आए हैं, देश के लिए आए हैं, अपने लिए आए हैं, देश की अखण्डता के लिए आए हैं, भारतवर्ष की महानता के लिए आए हैं इसलिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेन्ट को रेट्रीट नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि सभी को वोटिंग राइट देना चाहिए और यह जो अमेन्डमेन्ट आया है वह गलत है। मैं मन्त्री जी से विनती करूंगा कि पीछे हटने की बात को आप छोड़िए, इधर का उधर, उधर का इधर झगड़ा कराने की बात छोड़िए और अपोजीशन का मत लेकर इस देश का डेवलपमेंट कीजिए। आप असम का डेवलपमेंट

4.00 म०प०

कीजिए। असम के चाय बागानों के मजदूरों की किस्मत को ठीक करने के लिये उन्हें 500 करोड़ रुपये दीजिए। इस काम के लिये हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन इस अमेंडमेंट का हम समर्थन नहीं करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अमेंडमेंट का विरोध करता हूँ।

[अनुवाद]

श्री एस० एम० भट्टम (विशाखापत्तनम) : महोदय, मुझे उपलब्ध सीमित समय में, मैं

[श्री एस० एम० भट्टम]

ऐसे महत्त्वपूर्ण मामलों का संक्षेप में उल्लेख करूंगा जो कि चर्चा के दौरान उठ खड़े हुए हैं। ऐसा करते समय मैं एकबार फिर कहूँगा कि हमारे दल ने ठोस रूप से उस समझौते का समर्थन किया है जो 14 अगस्त, 1985 को किया गया और जिसकी घोषणा 15 अगस्त, 1985 की सुबह की गई और हम उस पर दृढ़ हैं। जिस समय समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हमने इसका समर्थन किया था और इसलिये समझौते के विभिन्न प्रावधानों को लागू करते समय भी हमें इसका समर्थन करना पड़ेगा। हम इससे मुकर नहीं सकते हैं। यह एक नैतिक वचन बद्धता है। यह नहीं हो सकता कि हम पहले सरकार का समर्थन करें और बाद में समर्थन न करें। अतः उस विचार से हमारे लिए यह ठीक नहीं है कि हम सारे मामले को फिर से उठाएं। अतः उचित समझौता क्या होना चाहिये था, समझौते के उपबन्ध क्या होने चाहिये थे, हम अब इन सब बातों को फिर से नहीं उठा रहे हैं। मेरा एकमात्र मुद्दा यह है। इस विधेयक का उद्देश्य समझौते के विभिन्न उपबन्धों को लागू करना है। समझौते में जो कुछ है, यह उसमें न कमी ही करेगा और न ही बढ़ोत्तरी करेगा। अतः समझौता ठीक है या नहीं, इस समय यह चर्चा का विषय नहीं हैं। जिस समय समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे तो हम उस पर वचनबद्ध थे। हमने जनता के अन्य वर्गों के साथ इसका समर्थन और स्वागत किया था। अतः, अब हम उससे मुकर नहीं रहे हैं। मैं यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। परन्तु अब जो मुद्दा उठाया गया है वह यह है कि कुछ ऐसे मामले हैं, उदाहरण स्वरूप प्रवासियों की एक धारा, कुछ लोगों को दस वर्ष के लिए मताधिकार से वंचित कर दिया जायेगा। आपत्ति इस पहलू पर थी विशेषकर दो आधारों पर, संवैधानिक और विधिक आधार और अन्य विभिन्न पहलू। जहां तक हमारा सम्बन्ध है, नये सिरे से मामले का पुनरीक्षण करना हमारे बस में नहीं है। यह उस समय मान लिया गया था। यह समझौते का अंग था।

4.03 म०प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

इसलिए, हम मामले को फिर से नहीं उठा रहे हैं। एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या यह कानूनी रूप से हो सकता है, क्या यह संवैधानिक रूप से वैध है, क्या यह न्यायालय की छान-बीन पर खरा उतरता है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है यही वह सारा मामला है जो कि महत्त्वपूर्ण या संगत है। उस विचार से हमारे मित्रों ने कहा है कि इसमें सभी प्रकार की कानूनी त्रुटियां और परस्पर विरोधी बातें हैं जो संवैधानिक दृष्टि से उपयुक्त हैं। यहां मेरे पास दो-तीन उपबन्ध हैं जिनकी ओर मैं सदन का ध्यान दिलाऊंगा। संविधान के अनुच्छेद 11 में यह प्रावधान है :

> "संसद विधि द्वारा नागरिकता के अधिकार का विनियमन करेगी।"
>
> "इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से सम्बद्ध अन्य सब विषयों के बारे में उपबन्ध बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी।"

नागरिकता से सम्बद्ध सभी मामलों में संसद सक्षम प्राधिकरण है। संसद विधान बना सकती है, संसद कानून बना सकती है और वह कोई भी अधिनियम पास कर सकती है। अतः; उस आशय का एक संवैधानिक उपबन्ध है। परन्तु जो मुद्दा उठाया गया था वह यह है कि क्या यह संविधान के अनुच्छेद 326 से मेल खाता है।

जहां तक इसका सम्बन्ध है, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान अनुच्छेद 327 की ओर दिलाना चाहूंगा। इसमें कहा गया है :

> "विधान मण्डलों के लिए निर्वाचनों के विषय में उपबन्ध बनाने की संसद की शक्ति: इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संसद समय समय पर, विधि द्वारा संसद के प्रत्येक सदन अथवा किसी राज्य के विधान मण्डल के सदन या प्रत्येक सदन के लिए निर्वाचनों से सम्बद्ध या संसक्त सब विषयों के सम्बन्ध में जिनके अन्तर्गत निर्वाचक नियमावलियों को तैयार कराना·····।"

वे विधान पास कर सकते हैं। अनुच्छेद 327 में यही कहा गया है।

जहां तक निर्वाचन नियमावलियों को तैयार करने का सम्बन्ध है, संसद एक कानून बनाने और विधान पास करने में सक्षम है। अतः, जहां तक हमारा सम्बन्ध है, इस प्रकार का विधान पास करने की लोक सभा की, इस सम्मानित सदन की क्षमता संदिग्धता से परे है। परन्तु औचित्य या अन्यथा अन्य विचार से वाद-विवाद और चर्चा के लिए खुला है। इसका विरोध किया जा सकता है, इस पर विवाद किया जा सकता है। एक भिन्न दृष्टि से, हमारी चर्चा का जो विषय नहीं हो सकता, ऐसा एक मात्र मुद्दा है, समझौते की शर्तें। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम उस समझौते की शर्तों से बन्धे हुए हैं जो कि 15 अगस्त को हुआ था। इसलिए, उस विचार से हम इसका समर्थन करते हैं। हमारे लिए और कोई दूसरा मार्ग नहीं है।

इसमें इस देश के नागरिकों और बंगलादेश के आप्रवासियों के बीच भेद करने की बात कही गयी है। असमियों, गैर-असमियों और निस्सन्देह अल्पसंख्यकों के प्रश्न को भी उठाया गया। जहां तक मैं समझता हूं, असमियों, गैर-असमियों का तो प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति भारतीय नागरिक है और जो कोई भी भारतीय नागरिक है, उसके सम्बन्ध में किसी ने कोई आपत्ति या विवाद नहीं उठाया है और न ही इसका विरोध किया है। यह एक भिन्न देश के आप्रवासियों से सम्बद्ध है, मेरा मतलब है देश का वह भाग जो अब बंगलादेश है। यह उन्हीं से सम्बद्ध है। यह केवल आप्रवासियों का प्रश्न है। अन्यथा, अल्पसंख्यकों के मामले में भी कोई प्रश्न नहीं उठता क्योंकि यह इस देश के नागरिकों के विरुद्ध नहीं है, यह अल्पसंख्यकों के विरुद्ध नहीं है। अल्पसंख्यक जो कि मूलरूप से असम के निवासी हैं, उदाहरणस्वरूप, तमिल, तेलुगु, बिहारी सभी वहां हैं पर उनके प्रति किसी को कोई आपत्ति नहीं है। प्रश्न तो केवल आप्रवासियों के बारे में उठता होता है।

इस प्रकार हमें सीमित दृष्टि से इस पर विचार करना है। अब भेद नागरिकों और आप्रवासियों के बीच किया जाता है। उस समय यही समझा गया था। अब, आपत्ति का महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस विधेयक का समय। 15 अगस्त को यह समझौता हुआ और संसद का सत्र चल रहा था। उसी समय संसद के समक्ष एक विधेयक लाया जा सकता था और उसे पास किया जा सकता था। ऐसा नहीं किया गया है। चुनाव अधिसूचना जारी हो जाने के बाद, इस विधेयक को कुछ निर्वाचन लाभ प्राप्त करने के दृष्टिकोण से लाया गया है। इसके बारे में मैं यही महसूस करता हूं यह उचित नहीं है।

समझौते में इस सम्भावित विधान के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया था जिसे समय के अन्तराल में लाया जाना था। यह बात बाद में सोची गई, मुझे बाद के विचार से कोई आपत्ति

[श्री एस० एम०भट्टम]

नहीं है। परन्तु महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ये शब्द समझौते में ही हैं, उदाहरणस्वरूप रक्षोपाय और आर्थिक विकास। इन बातों का समझौते में समावेश किया गया है।

जहां तक रक्षोपायों का सम्बन्ध है, अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। उदाहरणस्वरूप, सरकार ने असम में एक तेलशोधक कारखाना लगाने का वायदा किया था। सरकारी क्षेत्र तो दूर रहा सातवीं योजना के दौरान निजी क्षेत्र में भी कोई तेलशोधक कारखाना लगाने का प्रावधान नहीं है। अत: एक वायदा किया गया था और उसे पूरा नहीं किया जा रहा है। उनकी यह भी मांग है कि असम में एक औद्योगिकी संस्थान खोला जाए। यह प्रस्ताव भी ठुकरा दिया गया और इसका भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इसी प्रकार सरकार ने उस समय जो घुसपैठ विरोधी उपाय करने का प्रस्ताव किया था और उन्होंने कुछ बातें करने का वायदा किया था, उसके सम्बन्ध में भी हमें यह पक्का पता नहीं है कि अब स्थिति क्या है यहां तक कि सर्वेक्षण और कांटेदार तार लगाने का कार्य जो कि मार्च 1984 में आरंभ किया गया था, भी निलम्बित कर दिया गया है। उसके बाद क्या हुआ ? क्या वे कार्य को फिर से आरंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि मुझे बताया गया है, इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए लगभग 250 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर गश्त का काम भी तेज किया जाना है। उसके लिए भी 250 करोड़ रुपये की आवश्यकता की बात कही जाती है और प्रारम्भ में राशि प्रदान की भी गई परन्तु बाद में इसे स्वीकृत नहीं किया गया और न ही दिया गया और इस सम्बन्ध में कोई कदम भी नहीं उठाये गये।

अत:, मुद्दा यह है कि समझौते के अन्य पहलुओं, असम समझौते के अन्य भागों पर क्योंकि वे उनके हितों को सुरक्षा प्रदान करते हैं, वे उनके आर्थिक हितों को बढ़ावा देते हैं, सांस्कृतिक और सामाजिक हितों को बढ़ावा देते हैं आवश्यक ध्यान नहीं दिया गया। जहां तक इसका सम्बन्ध है, मन्त्री महोदय को सही ढंग से याद करना होगा और यह देखना होगा कि कुछ न कुछ किया जाए।

अपनी बात समाप्त करने से पहले, मैं एक बार फिर यह कहूंगा कि हम मामले को फिर से नहीं उठा रहे हैं। उस दिन जिस समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे हम उसका स्वागत करते हैं। हमें एक बार फिर इसका स्वागत और समर्थन करना होगा और उस पर दृढ़ रहना होगा। निस्सन्देह, इसके बारे में हर प्रकार की आशंकाएं और संदेह और विभिन्न प्रकार के मत व्यक्त किये गये हैं। उदाहरणस्वरूप जब पंजाब समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे तो हमने उसका समर्थन किया था और उसके बाद कुछ लोग उससे मुकर गये। विभिन्न क्षेत्रों के कुछ वर्गों के लोगों ने इस पर ऊंगली उठाई, हमने कहीं भी इस पर ऊंगली नहीं उठाई है। जब हम एक बार एक अवस्था में इसका समर्थन कर चुके हैं तो हमें इस पर आडिग रहना होगा और इसीलिए हम एक बार फिर इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, और यह कामना करते हैं कि जो समझौता हुआ था उसको पूरा करने और पूर्णतया उसे लागू करने के साथ-साथ असम की जनता के आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक हितों को बढ़ावा देने की ओर भी सरकार को आवश्यक रूप से उचित ध्यान देना चाहिये।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : सबसे पहले मैं गृह मन्त्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रीय समाजवादी गणतंत्र देश है। और सरकार की यह घोषित नीति है। मैं भारतीय हूं और मैं कहीं भी जा सकता हूं तथा भारत में कहीं भी कोई काम कर

सकता हूं। आसाम में यह आंदोलन था कि आसाम आसिमियों के लिए है तथा वे सोच रहे थे कि वे विशेषरूप से आसाम में भारत की नागरिकता का निर्णय ले सकते हैं और उस आंदोलन में केन्द्र सरकार अपनी नीति से अलग हो गई है तथा उस आंदोलन के आगे उसने घुटने टेक दिए हैं। वह आंदोलन मुख्य रूप से अन्य सभी भारतीयों लोगों को निकालना था चाहे वह कोई भी हों और चाहे वह किसी भी समय से वहां रह रहे हों तथा वह कोई भी काम कर रहे हों। अतः वह आंदोलन कुछ विशेष प्रकार का था जिसके आगे केन्द्रीय सरकार ने घुटने टेक दिए क्योंकि किसी भी राज्य सरकार को भारत की नागरिकता का निर्णय करने के लिए प्राधिकृत नहीं किया गया है क्योंकि यह भारत सरकार का काम है। अतः वहां अल्पसंख्यक अब बहुमत में हैं। वहां प्रश्न यह उठता है कि इन लोगों को वोट देने की आप अनुमति क्यों नहीं दे रहे हो? क्या इसलिए कि आसाम सरकार कह रही है कि वह असंतुलित हो जाएगी। 'असंतुलन' से आपका क्या अभिप्राय है? अतः इसको स्पष्ट किया जाना चाहिए क्योंकि आसाम पहले से ही एक विशिष्ट राज्य है। साम्प्रदायिक और संकीर्ण आधारों के कारण इसका कई बार बटवारा हो चुका है। एक समय था जब नागालैण्ड अरुणावल, मेघालय तथा मिजोरम सभी आसाम में थे। इन लोगों को अलग किया गया है? तब अल्पसंख्यकों को यह कैसे विश्वास हो सकता है कि 10 वर्षों के बाद उन्हें भारत के नागरिक के रूप में मान्यता दी जाएगी तथा उन्हें वोट देने का अधिकार होगा। इस विधेयक के बाद भाषाई तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के बीच डर बना हुआ है।

आपको यह निर्णय लेना होगा कि असमिया कौन हैं? क्या ऐसे लोग जिनके चेहरे मंगोलियन से मिलते हों केवल वही असमिया हो सकते हैं तथा उनको वहां रहने का अधिकार है या कुछ अन्य लोग या भारतीय वहां रह सकते हैं? इसकी परिभाषा की जानी चाहिए अन्यथा आप गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न करने जा रहे हैं। अन्य राज्य भी कह सकते हैं कि भाषाई अल्पसंख्यक विदेशी हैं और उन्हें यहां से चले जाना चाहिए या उन्हें दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में रहना चाहिए। अब, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोग कहा जाएंगे क्योंकि उनके पास अपना कोई राज्य नहीं है? यदि असमिया अपनी संस्कृति को रखना चाहते हैं और अन्य भारतीयों के वहां जाने से वहां असंतुलन आता है तो भारत सरकार को सभी लोगों तथा अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति की भी रक्षा करनी चाहिए। यदि हम वर्तमान स्थिति को स्वीकार करते हैं तो प्रत्येक राज्य को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और अपनी संस्कृति भाषा और अन्यों को बचाने के लिए और अधिक संगठन आगे आएंगे। अतः भाषाई राज्य की यह शुरुआत जो आसाम में शुरु हुई है। भविष्य में कई समस्याएं पैदा करेगी। मौजूदा कार्यवाई के द्वारा आपने दो तरह के नागरिक बना दिए हैं।

संरक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? क्या अल्पसंख्यक दूसरे दर्जे के नागरिक हैं तथा क्या उनको संरक्षण दिया जाना आवश्यक है? उनको संरक्षण कौन प्रदान करेगा? क्या अपनी रक्षा के लिए उनके पास बराबर अधिकार नहीं हैं या वे लाभभोगी बने रहेंगे क्योंकि वे अल्पसंख्यक हैं या क्योंकि उनका अपना कोई राज्य नहीं है? भारत में कई जातियां, जनजातियां, भाषा तथा संस्कृति है। क्या आप प्रत्येक के लिए राज्य या कुछ इसी तरह की व्यवस्था कर सकते है ताकि वे अपनी संस्कृति, भाषा और अपने पसन्द की चीजें अपनी पसन्द के अनुसार रख सकें? क्या आप इसे कर सकते हो?

दूसरे, अब औद्योगीकरण के कारण हर जगह जनसंख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए, क्या एक व्यक्ति जो केरल से आया है वह आसाम या किसी दूसरे राज्य में दूसरे दर्जे का नागरिक होगा

[श्री पीयूष तिरकी]

क्योंकि उसे संरक्षण की आवश्यकता है ? क्या उसे संरक्षण की आवश्यकता है ? चूंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है । जो मिश्रित स्वरूप लिये हुए है । आपको उन्हें बराबर अधिकार, तथा अवसर देने को आश्वासन देना चाहिए चाहे वे कहीं भी रहना चाहते हों । वह सरकार की शर्त होनी चाहिए तथा सरकार को उसकी घोषणा करनी चाहिए ।

इसके अतिरिक्त आसाम में ही बिहार, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश के आदिवासी चाय बागानों में काम करते हैं । उनकी संख्या 40 लाख है । उनको जनजाति के रूप में मान्यता नहीं दी गई है क्योंकि यदि उन्हें जनजाति के रूप में मान्यता दी जाती है और उनके लिए आरक्षित स्थानों की व्यवस्था की जाती है तो सरकार असंतुलित होती है । सरकार को इस तरह के प्रभाव को महसूस करना चाहिए अन्यथा आप गृह युद्ध को आमंत्रित कर रहे हैं ।

अन्त में, मैं कहना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र अलीपुरद्वार में अभी भी 4 हजार लोग कैम्पों में हैं । इन लोगों का क्या किया जाये ? वे दस वर्ष के लिए कैम्पों में कहां रहेंगे ? कैम्पों में दस वर्ष रहने के बाद उनको आसाम को वापस जाना होगा । लेकिन उनका भविष्य क्या होगा ? सरकार को इसे भी स्पष्ट करना चाहिए । आसाम से कई लोग पश्चिम बंगाल में आए हैं क्योंकि वे बंगाली भी बोलते हैं । यदि कोई व्यक्ति कोई बोलता है जो राज्य की भाषा नहीं है तो वह कहां रहेगा । इसका मतलब यह हुआ कि असमियों के अलावा जो लोग आसाम में रहते हैं, क्या उन्हें वहां रहना मनाही है ? सरकार को इस मुद्दे पर स्पष्ट निर्णय देना चाहिए । भारत के संविधान में किसी भी धर्म, संस्कृति या कोई भी भाषा को बोलने की व्यवस्था है और उन सबको सामान माने जाने की समस्या है, चाहे वह कहीं भी रहता हो । उन्हें आसाम में आन्दोलन तथा प्रदर्शन के दबाव में इसको बदलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए । सरकार को इसके आगे घुटने नहीं टेकने चाहिए । इसलिए, इस संशोधन विधेयक को पारित करने से पहले इसमें गहन विचार की आवश्यकता है । सरकार को इस पर विचार करना चाहिए । अन्यथा आप भारत के लिए तथा अन्य लोगों के लिए भी कई समस्याओं को आमंत्रित करेंगे ।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, सरकार द्वारा यह जो नागरिकता संशोधन विधेयक यहां प्रस्तुत किया जा रहा है वह एक विपरीत कदम है क्योंकि यह नागरिकता के अधिकार को खत्म करने की कोशिश करता है, अन्य नागरिकता के अधिकारों, मतदान देने के अधिकार, नागरिकता के अन्य अधिकार से अलग करता है अर्थात व्यक्ति को जब अपनी सम्पत्ति रखने, अपना व्यापार आदि करने के अधिकार हैं, यह विधेयक उन पर कुठाराघात करता है लेकिन इसे मतदान करने का अधिकार नहीं होगा । मेरा निवेदन है कि इस तरह की व्यवस्था ऐसे देश में उपयुक्त होगी जहां राजा द्वारा राज्य किया जाता हो । लेकिन निश्चितरूप से यह सार्वभौमिक लोकतंत्र गणराज्य को शोभा नहीं देता जहां मतदान करने का अधिकार एक मूलभूत अधिकार है जिसके लिए हमारे सामने मानवता का पूरा इतिहास है । सभापति महोदय, मैं कहूँगा कि इस विधेयक में एक बड़ी राजनैतिक चाल खेली गई है । अब यह कहा गया है कि भारतीय मूल के जो व्यक्ति निर्दिष्ट क्षेत्रों से 1 जनवरी, 1966 और 25 मार्च, 1971 के बीच आसाम में आकर बस गए हैं उनको नागरिकता के सारे अधिकार प्राप्त होंगे परन्तु वे मतदान में भाग नहीं ले सकते । अतः मैं इसे राजनैतिक चाल की संज्ञा देता हूँ । मैं इस सदन से आदरपूर्वक निवेदन करता हूँ कि राजनीतिक चाल आन्दोलनकारियों के समक्ष घुटने टेकने जैसा है । इन

आन्दोलनकारियों को अलगाववादी की संज्ञा स्वयं सत्तारूढ़ दल ने ही दी थी और कहा था कि वे विदेशी शक्तियों के हाथ की कठपुतली हैं। आज हम देखते हैं कि वही सरकार इन आन्दोलनकारियों के समक्ष घुटने टेक कर खुद इसमें शामिल हुई है। सरकार क्षमा-याचक की तरह यह कहती है कि क्या किया जाए। वहां आन्दोलन था और पूरे राज्य में खलबली मची थी। कृपया हमारी अकुशलता के लिए हमें माफ करें और हम कुछ नहीं कर सके। इसलिए हमने उनके सामने घुटने टेक दिए हैं तथा अब ऐसे लोगों के मतदान के अधिकार को खत्म करना होगा। बस मतदान का अधिकार ही खत्म करना होगा। मैं कहूंगा कि सरकार का यह रवैया राष्ट्रीय एकता के लिए बड़ा हानिकर है।

महोदय, यह विधेयक इस सदन द्वारा इससे पूर्व स्वीकार की गई सभी कानूनी परिस्थितियों को नकारता है। संविधान तो अलग रहा, नागरिकता अधिनियम 1955 को ही ले लीजिए। इस अधिनियम के अनुसार 1971 में किसी विशेष तिथि तक आए सभी व्यक्तियों जिनके बारे में हम कह रहे हैं, की नागरिकता नियमित कर दी जाएगी और अभी तक यह धारणा थी कि आधारभूत तारीख 1971 की वह तारीख मानी जाएगी क्योंकि वह ही केवल एक व्यावहारिक तारीख है। परन्तु अब हम यह देखते हैं कि 1966 और 1971 के बीच में आने वाले भारतीय मूल के लोगों को, जो आसाम में बस गए, नागरिकता अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत मतदान के अधिकार सहित उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। आपने एक तो उनके अधिकार उनसे छीन लिए दूसरी ओर आप सदन में आकर इस तरह का चित्र पेश करते हैं मानो आप लोगों को कुछ छूट दे रहे हों। और उन्हें कुछ अधिकार प्रदान कर रहे हों।

यह विधेयक अवैध आप्रवासी (न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण) अधिनियम 1983 के अन्तर्निहित सिद्धान्त के प्रतिकूल है। उस विशेष समय में यह सदन यह समझता था कि 25 मार्च, 1971 की तारीख आधारभूत तारीख मानी गई है और उसके बाद आने वाले लोगों को निकाल दिया जाएगा या उनको नागरिकता के अधिकार नहीं होंगे। परन्तु आज यह उन सब बातों तथा उन सब आश्वासनों का उल्लंघन करता है जो कि इस राष्ट्र को दिए गए हैं। इसके प्रति बड़ा ढीला रवैया अपनाया गया है। हमें हमेशा बताया जाता रहा है कि कोई भी करार, कोई भी समझौता मनमाने ढंग से नहीं किया जाएगा। वह तर्कसंगत सिद्धान्तों पर आधारित होगा। उनको इस सदन में कई बार दोहराया गया है अर्थात जिनमें संविधान, विभिन्न कानूनों तथा अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों के उपबन्ध आते हैं। महोदय आपने इस सदन में कई बार यह सुना होगा कि समझौता किया जायेगा जो मनमाने ढंग से नहीं किया जायेगा और तर्कसंगत सिद्धान्तों पर आधारित होगा लेकिन आज इन सब आश्वासनों को हवा में उड़ा दिया गया है और अन्तर्राष्ट्रीय करारों की तरफ ढीला-ढाला रवैया लिया गया है। बंगलादेश की लड़ाई के बाद आपने कुछ वचन दिए थे और आज हम इन वायदों से मुकर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि हमारा देश राष्ट्र संघ में क्या मुंह दिखायेगा। मुझे बहुत दुःखी मन से कहना पड़ता है कि अन्तर्राष्ट्रीय करारों से इस ढंग से मुकरने के बाद हमारे देश का क्या सम्मान रह जायेगा।

मैं कहूंगा कि इस विधेयक द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्रों से आने वाले भारतीय मूल के लोग अर्थात पूर्वी पाकिस्तान से आकर आसाम में बसने वाले लोगों और अन्य देशों से आने वाले लोग जो आसाम या किसी अन्य स्थान पर बस गये, के बीच गंभीर भेदभाव किया जा रहा है। दो श्रेणियों के बीच भेदभाव है। भारतीय मूल के लोग जो निर्दिष्ट क्षेत्र अर्थात पूर्वी पाकिस्तान से 1966 से

[श्री जी० एम० बनातवाला]

1971 के दौरान आए हैं, वह एक श्रेणी है जो आपने बनाई है। उन व्यक्तियों का पता चलने के दस वर्ष बाद तक उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। ऐसे लोग भी हैं, जो विशिष्ट क्षेत्रों से नहीं आए हैं। विधेयक में विशिष्ट क्षेत्रों की क्या परिभाषा दी गई है? ये क्षेत्र आज बंगला देश में हैं। लेकिन जो लोग नेपाल से आए हैं, उनका क्या होगा? इस सम्बन्ध में विधेयक में कुछ नहीं कहा गया है। क्या उन्हें भी निकाला जा रहा है? जो लोग किसी एक क्षेत्र या अन्य क्षेत्रों से आकर आसाम में बस गए हैं उन लोगों के साथ कैसा भेदभाव किया जा रहा है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो विशिष्ट क्षेत्रों से आकर आसाम न बस कर अन्य स्थानों में बस गए हैं, उन्हें यह अधिकार है कि वह नागरिकता प्राप्त करने के लिए कहें जिसमें उन्हें नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5 के अन्तर्गत मत देने का अधिकार भी प्राप्त है। आप जनता के कितने वर्ग बना रहे हैं? आप भेदभाव पर भेदभाव किये जा रहे हैं और हमें बताया जाता है कि एक प्रगतिशील कदम उठाया जा रहा है। इसलिए, विधेयक के विभिन्न उपबन्धों का मूल्यांकन करने पर आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि उपबन्धों में जनता को दिए गए आश्वासनों को तोड़ा गया है और अल्पसंख्यकों के साथ भी विश्वासघात किया गया है। नेली में जनसंहार हुआ और आज आप चाहते हैं कि राजनैतिक नरसंहार भी पुनः हो। असम समझौते पर नजर डालिए और देखिए कि उस असम समझौते के बाद क्या हो रहा है। आन्दोलनकारियों को कहा जा रहा है कि उनके प्रति उदार रुख अपनाया जाएगा। लेकिन उसके बाद वहां जो नेली में जनसंहार हुआ तथा अन्य घटनाएं हुईं, जो घृणित अपराध हुए, सरकार ने उन अपराधियों को दण्ड देने का क्या प्रयास किया?

मैं तो कहूंगा कि अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों को भी बड़े सरल ढंग से लिया जाता है। मैं यह भी कहूंगा कि मताधिकार के मामले को भी से गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है मानो इसका कोई महत्त्व ही नहीं है। केवल मताधिकार के मामले में ही बाधा डाली गई है। प्रभुसत्ता सम्पन्न लोकतांत्रिक गणराज्य में मताधिकार के मामले के सम्बन्ध में जो लापरवाही का रुख अपनाया जा रहा है वह गणतंत्रीय समाज के स्वरूप का विनाश करने वाला है और उससे इसकी विचारधारा दृढ़ नहीं होती।

महोदय, मैं तो कहता हूं कि यह सारी बात, यह सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार की नीति ही ढुलमुल है। और यह सब आसाम में आन्दोलनकर्त्ताओं को तुष्ट करने के उद्देश्य से किया जा रहा है। अन्ततः यह सब मनमाने ढंग से हो रहा है। हमें बताया गया था कि आज तक किसी को नहीं पता कि इन लोगों के क्या अधिकार हैं। आप कहते हैं आप उन्हें नहीं जानते। आपने उनके वोट लिये और सरकार बना ली और अब आपमें इस सदन में आने का साहस है। आपको उन लोगों के वोट मिले हैं, उन्हें आपने आश्वासन दिया है कि आप उनका समर्थन करेंगे, आपने उनके वोट प्राप्त कर अपनी सरकार बनाई है और आप बड़ी निष्कपटता से इस सभा में आते हैं और कहते हैं, "हम नहीं जानते कि इन लोगों के क्या अधिकार थे, हमने आज तक जिस तरह असम पर शासन किया है उसके लिए हमें क्षमा कीजिए।" उन्हें दिए गए सभी आश्वासनों को तोड़ते हुए इस तरह का रुख अपनाया जा रहा है। इसीलिए मेरा कहना है कि इस विधेयक के उपबन्ध मात्र असम के आन्दोलनकर्त्ताओं को तुष्ट करने हेतु बनाए गए हैं। मैं सदन के समक्ष ऐसे कितने उदाहरण रखूं जिससे मेरी इस बात का समर्थन हो कि यह सब उन्हें तुष्ट करने

के लिए किया गया है। हम देखते हैं कि असम में मतदाता सूची से अंधाधुंध नाम काटे गए हैं। मतदाता सूची में लाखों लोगों के नाम नहीं हैं। मामला न्यायालय में गया और न्यायालय का मत था कि चूंकि चुनाव प्रक्रिया शुरु हो गई है अब न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह सब सांप्रदायिक आन्दोलनकारियों को खुश करने के उद्देश्य से किया जा रहा था। मैं तो कहूंगा कि जिस वर्ष समझौता हुआ उसके तुरन्त बाद असम में कई दल यह चिल्लाते हुए घूम रहे थे—

"हाथा बीड़ी मुखा पान, जाओ मियाँ पाकिस्तान"

अर्थात हाथ में बीड़ी, मुंह में पान लिए मियाँ अर्थात मुसलमान पाकिस्तान जाएंगे। आपने हमारे देश में ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया है, जो राष्ट्रीय एकता के लिए घातक हैं। इन सबके बावजूद दावा यह किया जाता है कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जा रहा है अतः, महोदय, ऐसे उपबन्ध, राजनैतिक परिवर्तन, जो 1966 और 1971 के बीच असम में आकर बस गए, भारतीय मूल के लोगों के सम्बन्ध में किए गए हैं, के विरुद्ध मैं अपना रोष, न्यायसंगत रोष प्रकट करता हूं और इसका विरोध करता हूं। अभी भी बहुत सी बातें कही जा सकती हैं, फिर भी इस समय भी मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह पूरे मामले की पुनरीक्षा करे। इसमें जल्दबाजी न की जाये और राजनैतिक बातों को ध्यान में न रखा जाये। यह एक गंभीर मामला है। इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं और इस ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान दिया जाना चाहिए न कि इसे हल्के ढंग से लिया जाना चाहिए, जैसा कि किया जा रहा है।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक, इस विधेयक के ऐसे उपबन्धों, जिनसे ऐसे राजनैतिक परिवर्तन आए हैं, जिनका मैंने जिक्र किया, का विरोध करता हूं।

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। यह राष्ट्रीय अखण्डता की विचार धारा के विरुद्ध है। यह विधेयक असम में घोर राष्ट्रोन्मादी शक्तियों के समक्ष समर्पण मात्र है।

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : घोर राष्ट्रोन्मादी शक्तियां .. **(व्यवधान)**

श्री अमर राय प्रधान : आप इससे इन्कार कर सकते हैं। यह विधेयक असंवैधानिक और अलोकतन्त्रीय है। यह विधेयक पेश किया जा रहा है, गृह मंत्री महोदय अच्छी तरह जानते हैं कि यह विधेयक केवल 16 दिसम्बर को होने वाले चुनावों के लिए ही प्रस्तुत किया जा रहा है। इस तथ्य के कारण इसे वोट इकट्ठे करने वाला विधेयक भी कहा जा सकता है। यह उससे अधिक कुछ नहीं है। हम यह अच्छी तरह जानते हैं और लोग विशेषकर अल्पसंख्यक, चाहे वे भाषायी हों या धार्मिक, यह अच्छी तरह जानते हैं कि चुनावों के बाद, उन्हें मछली की तरह फ्रांइग पेन में डाल दिया जाएगा और उन्हें पीड़ित करने के बाद राष्ट्रोन्मादी शक्तियां उसे समाप्त कर देंगी। यह स्थिति है। यह असम की राष्ट्रोन्मादी शक्ति है। विधेयक के सम्बन्ध में कुछ कहने से पहले मैं सरकार का ध्यान कल पूछे गए अपने प्रश्न संख्या 365 के भाग (ग) की ओर दिलाना चाहता हूं : "क्या असम राज्य की मतदाता सूचियां तैयार हो चुकी हैं।" उनका उत्तर था–

> "जी हां महोदय, गहन पुनरीक्षण के पश्चात् और 1.1.85 को अर्हक तारीख मानकर असम में सभी 126 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचक नामावलियां 7 नवम्बर, 1985 को प्रकाशित कर दी गई थीं"

[श्री अमर राय प्रधान]

मेरे विद्वान मित्र, श्री भोलानाथ सेन ने संविधान की धारा 326 का उल्लेख किया था, और उन्होंने प्रश्न पूछा था कि क्या वे विदेशी मतदान नहीं कर सकते। संविधान के अनुसार, आप किसी नागरिक को मतदान करने से और मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित नहीं कर सकते। इस मामले में उस व्यक्ति की स्थिति क्या होगी जो 16 दिसम्बर के बाद इस सभा का सदस्य बनता है ? वह विदेशी भी हो सकता है। बाद में यदि यह पाया जाता है कि वह विदेशी है तो उसकी स्थिति क्या होगी ? क्या उसे सभा से निष्कासित कर दिया जाएगा ?

विधेयक के साथ लगे वित्तीय ज्ञापन में, आप एक भी नाम या सही आंकड़े नहीं दे पाए हैं कि कितने लोग इससे प्रभावित होंगे अर्थात मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो 1 जनवरी, 1966 से 25 मार्च, 1971 के बीच असम आए। वित्तीय ज्ञापन में आपने कहा है :

> "चूंकि इस अवधि के दौरान आए लोगों की सही सूचना उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह अंदाजा लगाना संभव नहीं है कि विदेशियों का पता लगाने और उनका पंजीकरण करने संबंधी कितना काम होगा।"

24 जनवरी, 1980 को मैंने इस सम्मानित सभा में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी से पूछा था कि असम में विदेशियों से उनका क्या तात्पर्य है और उनकी संख्या कितनी है। उस समय वह आंकड़े नहीं बता पायी थीं। किन्तु अखिल असम छात्र संघ और अखिल असम गण परिषद ने कुछ आंकड़े दिए थे लेकिन वह सही नहीं हैं। हम ये सब बातें भूल चुके हैं।

अब आप भेदभाव कर रहे हैं। इस विधेयक के माध्यम से, आपने भारत के नागरिकों को तीन श्रेणियों में बांटा है एक वे जो भारत के नागरिक हैं, दूसरे वे जो भारतीय मूल के लोग हैं और तीसरे वे जो किसी अन्य देश के मूलवासी हैं।

मैं माननीय गृह मंत्री से माननीय प्रधानमंत्री की पत्नी के संबंध में प्रश्न पूछना चाहता हूं। उन्हें भारत की नागरिक बनने में कितना समय लगा ? बंगलादेश से आए भारत मूल के लोगों को भारतीय नागरिक बनने में कितना समय लगेगा ? इस प्रकार का भेदभाव और पक्षपातपूर्ण व्यवहार क्यों किया जा रहा है ? भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अन्तर्गत कानून के सामने सब समान हैं। क्या यह बात यहां लागू होती है ? क्या प्रधानमंत्री के लिए और अन्य लोगों के लिए कानून अलग-अलग हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने यह मुद्दा उठाने का प्रयत्न किया कि 1965 के युद्ध के बाद भारत में लाखों शरणार्थी आये और वे लोग दण्डकारण्य और अण्डमान में रह रहे हैं। उनकी क्या स्थिति होगी ? क्या आप इसका उत्तर दे सकते हैं ? नहीं। फिर यह विधेयक लाने का क्या फायदा है ? (व्यवधान) आपने कहा है कि असम में कई विदेशी रह रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बंगला देश के राष्ट्रपति जनरल इरशाद ने क्या कहा है। समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है। जनरल इरशाद ने प्रेस की बैठक में स्पष्ट कहा है। 10 सितम्बर को समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ था कि भारत में एक भी बंगलादेशी स्थायी रूप से नहीं रह रहा। तब वे विदेशी, भारतीय मूल के विदेशी कहां हैं ? क्या आप हमें बता सकते हैं ? एक भी बंगलादेशी वहां नहीं हैं। यह स्थिति है। विधेयक में कई जगह विरोधी बातें कही गयी हैं। हम बिलकुल भूल गए हैं

कि राष्ट्र तथा अपने नेताओं को हमने क्या वचन दिए थे। मैं यह तथ्य इसलिए उद्धृत करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि राष्ट्रीय नेता—मोहनदास करमचंद गांधी ने 38 वर्ष पहले क्या वायदे किए थे, मैं समझता हूँ आपने उनका नाम सुना होगा। 21 जुलाई, 1947 को प्रार्थना के बाद उन्होंने यह भाषण दिया। यह इस प्रकार है :

> "मेरे मित्रों, चाहे वे लोग जिन्हें अत्याधिक डर है या किसी अन्य करण से पाकिस्तान छोड़ते हैं, उन्हें भारत में शरण दी जाएगी। इस सम्बन्ध में मेरा मत स्पष्ट है। ऐसे शरणार्थियों को इस संघ में शरण मिलनी चाहिए"

अब, पहले प्रधान मंत्री तथा वर्तमान प्रधान मंत्री के नाना श्री जवाहर लाल नेहरू ने 15 अगस्त, 1947 को यह वचन दिया था :

> "हम अपने उन भाई-बहनों के बारे में सोचते हैं जो राजनैतिक सीमा से हमसे अलग कर दिए गए हैं और जो हमें प्राप्त हुई इस स्वतंत्रता की खुशी हमारे साथ नहीं बांट सकते। वे हमारा ही अंश हैं और हमारे ही रहेंगे। वे हमारे ही भाई-बहन हैं। उन्हें भारत में आने और यहां प्रतिष्ठा तथा सम्मान से रहने का पूरा हक है।"

क्या स्थिति ऐसी है ? महात्मा गांधी ने जो कहा, जवाहर लाल नेहरू ने जो कहा, यहां तक कि श्रीमती इन्दिरा गाँधी ने जो कहा उसे हम पूरी तरह भूल गये हैं। यह निश्चय ही इस विधेयक के विपरीत है। यहां तक कि हम इन्दिरा-मुजीब संधि को भी भूल चुके हैं। इन सब परिस्थितियों में, इस विधेयक से हमें सहायता नहीं मिलेगी। इससे न केवल भ्रम पैदा होगा अपितु अन्ततः इससे राष्ट्रीय अखण्डता का भी प्रश्न उठेगा और इसके कारण लोग विभिन्न तरह से धार्मिक रूप से, भाषा के आधार पर बंट जाएंगे। ऐसा नहीं होने देना चाहिए, जैसा कि श्री बनातवाला ने कहा।

वे लोग, करीब 6000 लोग जो आज भी असम की सीमा पर रह रहे हैं, वे मुस्लिम भी हैं और हिन्दु भी। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि उनके पास 57 वर्ष पूर्व से पंजीकृत दस्तावेज हैं, मैं 1947 की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि वे विदेशी हैं। श्री प्रियरंजन दास मुंशी भी पाकिस्तान से आए शरणार्थी हैं। क्या वह अपना नागरिकता प्रमाण-पत्र या जन्म प्रमाण-पत्र दिखाएंगे।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : कृपया हमें असम समस्या के बारे में अपने दल के प्रस्तावों के बारे में बताइए।

श्री अमर राय प्रधान : क्या विदेशी निर्धारित करने का यह तरीका है ? यह फूट डालो और शासन करो वाली बात हुई। हम जानते हैं कि यह विधेयक केवल मत इकट्ठा करने के उद्देश्य से बनाया गया है।

सभापति महोदय : अब मंत्री महोदय बोलेंगे।

श्री सी० जंगा रेड्डी : मैं भी बोलना चाहता हूँ।

सभापति महोदय : आप मंत्री महोदय के बाद बोल सकते हैं। मैं आपको आखिर में बुलाऊंगा।

श्री सी० जंगा रेड्डी : महोदय, मैं अभी बोलना चाहता हूँ ।

[हिन्दी]

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : सभापति महोदय, जो आसाम का एकार्ड बना है और उसके माफिक जो आज बिल लाए हैं इसके पहले कांग्रेस के एम० पी० वहां पत्र और पत्रिकाओं में इसके विरुद्ध वक्तव्य निकालते रहे हैं केवल माइनारिटीज को खुश करने के लिए । आज जो एकार्ड हुआ यह तीन साल पहले भी हो सकता था । लेकिन इसके पहले वहां खून की नदियां बहीं, 200, 150 और 50 मत पाने वाले लोग वहां चुनाव में जीतकर आ गए और सरकार बना ली । पोलिंग के दिन मतदाताओं को पोलिंग स्टेशनों पर मत देने के बजाय उसके खिलाफ अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी । उस समय वहां खून की नदियां बहीं । यह कांग्रेस वालों की आदत है ।

इसके बाद वहां अपने माफिक और अपने अधिकार में आने लायक वातावरण बना करके तब यह बिल यहां लाए हैं । फिर भी देर में एक नेक काम किया है, इसके लिए हम इसको सपोर्ट करते हैं । मगर सिटिजेनशिप जो दे रहे हैं वह सिटिजेनशिप देने के बाद वोटिंग का अधिकार नहीं रहे, यह किस तरह से आप कर सकते हैं ? संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं हुआ है । संविधान में कोई इसके लिए प्राविधान नहीं है । सिटिजेन होते हुए भी वोटर्स लिस्ट में नाम न रहे यह कैसे हो सकता है ? हमको तो ऐसा मालूम पड़ता है कि कुछ प्रेशर के कारण आपको ऐसा करना पड़ा है । इसके बारे में आपको सोचना होगा कि अगर कोई इसको कोर्ट में चेलेंज करे तो क्या स्थिति होगी ?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे लोग हैं ।

श्री सी० जंगा रेड्डी : मुंशी साहब इस बारे में अलग बात बोलते हैं, अब्दुल गनी खां चौधरी अलग बोलते हैं । कांग्रेसी मुस्लिम अलग बोलता है, कांग्रेसी हिन्दू अलग बोलता है ।

मेरा अनुरोध है मंत्रिमंडल से कि आप यह बिल तो ला रहे हैं, मगर लाने के पहले लीगल ओपिनियन ले लें । कोर्ट में जाने के बाद भी उनकी सिटिजेनशिप बनी रहे इस तरह का प्राविधान कोर्ट में होना चाहिए । मगर इसके साथ-साथ मतदाता सूची में भी उनका नाम होना जरूरी है । किसी ने चेलेंज कर दिया तो यह ऐक्ट कंडेम हो जायेगा । फिर दूसरा संशोधन लाना पड़ेगा । इसलिए ला मिनिस्ट्री से बात करके चुनाव के पहले ही इसके लिए बिल आए तो अच्छा रहेगा । धन्यवाद ।

[अनुवाद]

श्री एस० बी० चव्हाण : माननीय सभापति महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने चर्चा में भाग लिया एवं अपने विचार प्रकट किये । दुर्भाग्य से इस तरह के विधेयक पर जिस तरह की चर्चा होने की अपेक्षा की थी वैसा नहीं हुआ है । मैं जानता हूं कि कुछ राजनैतिक दलों में असम गण परिषद के साथ किसी तरह का समझौता करने की होड़ लगी हुई थी परन्तु इसमें उन्हें सफलता नहीं मिल सकी । इसीलिये मैं समझता हूं कि अधिकतर लोगों को एक तरह की गलतफहमी है । वे हमारे साथ नहीं हैं तो हम क्या कर सकते हैं ? मुझे खेद है परन्तु मैं ऐसा ही समझता हूं ।

महोदय, एक मुद्दा बार-बार उठाया गया है। मैं इस मुद्दे का जवाब नहीं देना चाहता था परन्तु कुछ माननीय सदस्य जो कि समझते हैं कि वे बहुत अच्छे संसदविज्ञ हैं, उन्होंने काफी गम्भीरता से इस बात को कहा है तथा हमें उनकी बातों पर ध्यान देना होगा। इसीलिये, शुरु में ही मैंने इस बात को स्पष्ट करना आवश्यक समझा।

आपको यह बात स्वीकार करनी होगी कि जो राजनैतिक समझौता हुआ था उसे कानूनी रूप दिया जा रहा है। अगर हम इससे परे हट कर सोचें तो निश्चित ही आप इस विधेयक में कुछ खामियां पायेंगे। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस समझौते की परिधि में यह देखने की कोशिश करें कि समझौते के प्रावधानों को जो कानूनी आयास दिया गया है, उसमें खामियां हैं अथवा समझौते के विरुद्ध हैं। उन बातों का अवश्य ही स्वागत किया जायेगा।

अकाली दल के एक सदस्य जिन्होंने चर्चा में पहली दफा भाग लिया वे बहुत ही सुस्पष्ट थे कि जो कुछ भी समझौता किया गया है उसका पूरी तरह सम्मान किया जाना चाहिये। मैं उन्हें समझौते को पढ़ने का अनुरोध करता हूं। यह विधेयक समझौते के प्रावधानों को कानूनी रूप देता है। हमने यही करने की कोशिश की है। अतः, इस आधार पर मैं माननीय सदस्य से निष्पक्षता से कहूंगा कि अगर इसे उचित ढंग से कानूनी दस्तावेज में बदला गया है तो उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। अगर हम समझौते से फिरते हैं तो मैं समझता हूं कि उनका कहना ठीक होगा। पर उनका विचार ऐसा नहीं है।

कुछ माननीयों ने कहा है कि समझौते का कथन तो ठीक है परन्तु इसमें कानूनी एवं संवैधानिक मुद्दे भी अन्तर्ग्रस्त हैं। उनका मत है कि इसमें कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से विधेयक को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। कुछ माननीय सदस्यों ने अनुच्छेद 326 का सहारा लिया है। मेरे मित्र श्री भोला नाथ सेन ने अनुच्छेद 327 के साथ पठित अनुच्छेद 327 की सारी बातें समझाने की कोशिश की है।

(व्यवधान)

मैं संविधान के एक अन्य अनुच्छेद का हवाला दूंगा जिसके बारे में मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय सदस्य की भी वही राय होगी। उनका मुख्य मुद्दा है क्या संसद इस तरह के विधेयक को पारित करने में सक्षम है? अगर आप 1955 के नागरिकता अध्यादेश को पढ़ें तो उसमें धारा 11 एवं 12 दी गई हैं। मैं उन्हें पढ़कर सदन का समय नहीं लेना चाहूंगा परन्तु मैं उनका उल्लेख कर रहा हूं। आप उन्हें पढ़ सकते हैं और अगर मैं गलती पर हूं तो आप मुझे बतायें। मैं संविधान के अनुच्छेद 11 को पढ़ना चाहूंगा :—

> "इस भाग के पूर्ववर्ती उपबन्धों में की कोई बात नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के तथा नागरिकता से सम्बद्ध अन्य सब विषयों के बारे में उपबन्ध बनाने की संसद की शक्ति का अल्पीकरण नहीं करेगी।"

सिर्फ इतना ही नहीं है कि अनुच्छेद 326 तथा 327 ही इस बात को स्पष्ट करते हैं अपितु प्रविष्टि 17 से भी यह बात एकदम स्पष्ट होती है कि विधि निर्माण के संबंध में केन्द्र सरकार के क्या-क्या अधिकार हैं। मैं संविधान के अनुच्छेद 11 का भी उल्लेख कर रहा हूं जिसमें स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि एक नागरिक को प्राप्त होने वाले किसी भी अधिकार को समाप्त करने या बनाने का सरकार को पूरा-पूरा अधिकार है। अतः, यह बहुत ही व्यापक अधिकार है जिसकी व्यवस्था की गयी

[श्री एस० बी० चव्हाण]

है। मौजूदा किसी भी कानून अथवा संविधान के अंतर्गत किसी भी तरह की खामी रहने का कोई प्रश्न नहीं है। आज प्रश्न काल के दौरान कुछ मुद्दे उठाये गये थे और मैंने कहा था कि इस समय संविधान में संशोधन करने का प्रश्न नहीं उठता, जिसे कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ अलग ही ढंग से लिया। उनका कहना था कि यह कहने का यह बहुत ही सरल तरीका है कि हम इसे अभी नहीं करना चाहते परन्तु बाद में अवश्य ही करेंगे। सच तो यह है कि मैं अपनी स्थिति को एकदम स्पष्ट करूंगा कि जहां तक इस विषय का संबंध है संविधान में संशोधन करने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमने विधि मंत्रालय तथा इस क्षेत्र के वकीलों से भी सलाह मसविरा किया है और हम पूरी तरह संतुष्ट हैं कि विधेयक में किसी भी तरह की कमी नहीं है और मैं नहीं समझता कि इस पर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। बहुत से ऐसे विधान हैं जिन्हें अदालत में चुनौती दी गई है। परन्तु यह कहने का कोई कारण नहीं है कि इसमें हमें कुछ खामियां नजर आती हैं। हमें इस पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए था। जो कुछ हम कर सकते हैं वह है विधि मंत्रालय से सलाह-मसविरा और ऐसा हमने किया है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भी अपने विचार जाहिर किये हैं और मैं नहीं समझता कि जहां तक समझौते की शर्तों एवं वर्तमान विधेयक का संबंध है, उनमें गलतफहमी की कोई गुंजाइश है।

5.00 म० प०

कुछ माननीय सदस्य मुझे उकसाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं कुछ कहूं, जो कि मैं नहीं कहना चाहता। मैं जानता हूं कि अगर मैंने कुछ कहा तो वह चुनाव के दौरान उसका पूरा फायदा उठायेंगे इसलिये कुछ भी कहने से पहले मुझे सचेत रहना होगा। लेकिन इस कार्य में उनको सफलता नहीं मिलेगी उनको चुनाव के दौरान यह कहने का मौका नहीं दिया जायेगा कि मैंने ये-ये बातें सदन में कही थीं मैं नहीं समझता कि वह उचित प्रस्ताव होगा।

एक और मुद्दा था जिसे मैं इस समय स्पष्ट करना चाहूंगा। बंगालियों एवं बिहारियों के साथ मित्र व्यवहार करने का प्रश्न कहां है? इसीलिये मैंने कहा था कि चुनावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी स्थिति पैदा कर दी गई है कि एक समुदाय के लोग इस समझौते के विरुद्ध हैं तथा वे इसका फायदा उठाते हैं। सदन की जानकारी के लिये मैं कहूंगा कि जो लोग पाकिस्तान या बंगलादेश से भारत आये हैं मेरे पास उनकी सही संख्या तो उपलब्ध नहीं है परन्तु मोटे रूप में मैं आपको बता सकता हूं कि न सिर्फ अल्पसंख्यक ही वहां से भारत आये हैं अपितु अन्य लोग भी भारत की सीमा में आये हैं। दूसरे शब्दों में, बहुमत उन लोगों का है जो अल्पसंख्यक नहीं हैं। सभी को यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिये। परंतु विदेशी-विदेशी ही होते हैं। इसमें इस या उस समुदाय का प्रश्न नहीं है। चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान अभी तक वे लोग नागरिकताविहीन हैं। और इसीलिये हमने सोचा कि उनको कानूनी नागरिकता प्रदान की जाये..... (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या आप हमें बता सकते हैं कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रश्न कैसे पैदा होता है यह प्रश्न केवल विदेशीयों से ही संबंधित है।

श्री एस० बी० चव्हाण : इस तरह से बात को बिगाड़ा जा रहा है। वास्तव में, असम जनसंख्या के संदर्भ में अल्प-संख्यक एक भिन्न प्रश्न है, परन्तु विदेशीयों में भी यह सोचना कि यह व्यक्ति बहुसंख्यक से है या यह अल्पसंख्यकों में से है सही नहीं है। जब तक उन्हें कानूनी नागरिकता नहीं मिलती वे विदेशी ही हैं उन्हें हिन्दू या मुस्लमान नहीं समझा जायेगा। हम उन दोनों में कोई फर्क नहीं कर सकते। प्रश्न था इन सभी लोगों को कानूनी संरक्षण प्रदान करना और मैं कह सकता हूँ कि 1966 तक अधिकांश लोग इसके अन्तर्गत आ चुके थे। ऐसा हो सकता है कि 1966 और 1971 के बीच जो लोग वहाँ आये उनका बहुत ठीक आंकलन उपलब्ध न हो, परन्तु इसी के साथ मैं कह सकता हूँ कि उनकी संख्या जनवरी, 1966 तक आये लोगों की अपेक्षा बहुत अधिक नहीं है। वास्तव में 1966 तक आए लोगों को पूर्ण सुरक्षा तथा पूर्ण नागरिकता अधिकार प्राप्त होगा। अतः अन्य लोगों के साथ भिन्न व्यवहार की बात से किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। परन्तु एक और बात थी जो माननीय सदस्य, श्री इन्द्रजीत गुप्त ने उठायी थी कि सामूहिक रूप से नाम काटे जायेंगे तथा उसके बाद किसी प्रकार से सामूहिक रूप से उनके नाम बहाल किए जाएंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने ऐसा नहीं कहा है। यह आपका समझौता कहता है, परन्तु विधेयक में यह बात नहीं है।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप विधेयक को एकबार फिर से पढ़ें। इसमें बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख है कि कौन से लोग मताधिकार से वंचित होंगे। यह पूर्ण रूप से एक गलतफहमी है जिसे मैंने आसाम से आये लोगों में देखा है। अगर मतदाता सूची से नाम हटा दिये जाते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति यह समझता है जैसे कि उसका नागरिकता का अधिकार समाप्त हो रहा है। मैं आपको स्पष्ट तौर पर बताना चाहता हूँ तथा प्रत्येक व्यक्ति को इसे समझ लेना चाहिए, अगर मतदाता सूची से किसी का नाम हटा दिया जाता है तो भी उसका नागरिकता का अधिकार समाप्त नहीं होता है। उसका अधिकार समाप्त हो जायेगा अथवा वह एक नागरिकता विहीन व्यक्ति अथवा एक विदेशी व्यक्ति हो जायेगा अगर विदेशियों विषयक अधिनियम के अन्तर्गत तथा विदेशियों से संबंधित न्यायाधिकरण, प्रक्रिया से गुजरने के पश्चात्, इस निर्णय पर पहुंचता है कि वह एक विदेशी है। जब तक कि सक्षम प्राधिकारी यह घोषित नहीं करता कि वह एक विदेशी है, कोई भी नागरिकता के अधिकार से किसी को वंचित नहीं कर सकता। परन्तु यह एक सामान्य गलतफहमी है जो मैंने अधिकतर लोगों में पायी, उनमें भी जिनके नाम हटाये गये हैं और उन लोगों में भी जिनके नाम शामिल किये गये हैं, स्वतः ही नागरिक नहीं हो जाते अथवा स्वतः ही उनका नागरिकता का अधिकार समाप्त नहीं हो जाता है। अतः, स्थिति यह है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को समझना है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माफ कीजिए, आपने जो अभी कहा उससे और भी भ्रम पैदा होता है। आपने कहा है कि केवल ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे अन्तिम रूप से न्यायाधिकरण द्वारा विदेशी करार दिया जाता है, नागरिकता का अधिकार समाप्त होने का प्रश्न उठता है। परन्तु यहां पर आप कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो पंजीकृत इत्यादि हैं, उसके उस तारीख से जिससे उसके विदेशी होने का पता लगता है, वही अधिकार तथा दायित्व प्राप्त होंगे जो एक भारतीय नागरिक के हैं। मैं इस कथन का स्वागत करता हूँ, परन्तु आप यह कहने की कोशिश कर रहे हैं

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

कि विदेशी पाये जाने की दशा में ही उसके नागरिकता के अधिकार नहीं रहेंगे। मेरा कहना यह है कि समझौते में आपने लिखित में कहा है कि 10 वर्ष की अवधि के बाद उन लोगों के नाम जिनको मताधिकार से वंचित कर दिया गया है पुनः मतदाता सूची में सम्मिलित कर लिये जायेंगे। परन्तु विधेयक के अनुसार ऐसा नहीं है। विधेयक में कहा गया है : "उसे किसी भी विधान सभा अथवा संसदीय चुनाव क्षेत्र की किसी भी निर्वाचन नामावली में किसी भी समय दस वर्ष की निर्धारित अवधि के समाप्त होने से पूर्व अपना नाम सम्मिलित करवाने का अधिकारी नहीं होगा।" इसका अर्थ है कि दस वर्ष की अवधि के दौरान उसे मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। 10 वर्ष की अवधि के पश्चात् उसका नाम स्वतः ही मतदाता सूची में पुनः आ जायेगा। आप इसको लिखित में देकर शक से बाहर क्यों नहीं कर देते ? प्रत्येक व्यक्ति को सोचने की प्रकिया से गुजरना होगा कि वह फिर कब मतदाता बनेगा।

श्री एस० बी० चव्हाण : आपको कुछ तसल्ली रखनी होगी। मुझे स्पष्टीकरण को पूरा करने दीजिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अब, आपने कहा है कि उसे एक विदेशी के रूप में पंजीकृत किया जायेगा। 10 वर्ष के पश्चात् जब उसका नाम पुनः सम्मिलित किया जायेगा तो उसे एक भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत करना पड़ेगा।

श्री एस० बी० चव्हाण : यह बिल्कुल एक भिन्न प्रकार का रजिस्टर होगा, जिसे हमने निर्धारित किया है। उसका नाम इस रजिस्टर में लिखा जायेगा। प्रक्रिया विदेशियों विषयक अधिनियम की होगी और विदेशियों से संबंधित 1964 के न्यायाधिकरण आदेश के तहत उनका पता लगाया जायेगा। इस प्रक्रिया पर अमल करते हुए एक अलग से रजिस्टर रखा जायेगा और सभी नामों को इसी रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। पता लगने की तारीख के बाद, उसके 10 वर्ष बाद अथवा दस वर्ष की समाप्ति के पश्चात् उन सभी को जिनका नाम रजिस्टर में होगा नागरिक समझा जायेगा।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : उन्हें मताधिकार नहीं होगा। **(व्यवधान)**

श्री एस० बी० चव्हाण : यह गलतफहमी है। यह वहाँ पर है। आप इसे पढ़िये। आप उप-धारा (5) को देखें; इसके अनुसार, इतने वर्ष की समाप्ति पर उन सभी को, जिनके नाम रजिस्टर में दर्ज किये गये हैं, उसके बाद नागरिक समझा जायेगा। **(व्यवधान)** अन्य सभी अधिकारों के लिए वे नागरिक हैं। यह मात्र मताधिकार की बात है। हम इस प्रकार का कानून बनाने में सक्षम हैं अथवा नहीं, मैंने स्पष्ट कर दिया है। इसी कारण मैंने इसे मात्र पढ़ा है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिये कि मताधिकार को छोड़कर, अन्य सभी अधिकार उनको प्राप्त होंगे जो वहां पर 1966 और 24 मार्च, 1971 से हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वे 16 दिसम्बर को वोट देंगे ?

श्री एस० बी० चव्हाण : जब तक उनके नाम निकाले नहीं जाते उन्हें मत देने का अधिकार है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने 1971 में मतदान किया है। उन्होंने 1967 में मतदान किया है। अब वे 1985 में मतदान कर रहे हैं। इसके पश्चात् दस वर्षों के लिए उन्हें उनके मताधिकार से वंचित कर दिया जायेगा। तब दस वर्षों के बाद वे फिर से मतदान कर सकेंगे। यह क्या है ?

श्री एस०बी० चव्हाण : यही उपबन्ध है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह कुछ लोगों को खुश करने के लिए किया गया है। और कुछ नहीं है।

श्री एस० बी० चव्हाण : एक बात यह कही गयी थी। यह कहा गया है कि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय वायदे किये गये थे इत्यादि, जैसे कि हम उनसे मुकरने की कोशिश कर रहे हैं। यह सत्य नहीं है। मेरे पास समझौते की प्रतियां हैं। यह एक मानवीय समस्या है। बहुत लोगों को सीमा पार करनी पड़ी है। कुछ लोग भारत से बंगला देश गये थे। कुछ लोग बंगला देश से भारत आये थे। वे उसके पश्चात् भी आते रहे हैं। उन्हें शरण देने की कुछ व्यवस्था करनी पड़ी है। इस संबंध में हर तरह से प्रयास किए गए कि उनकी शांति भंग नहीं हो। मैं नहीं समझता कि ऐसा कुछ प्रतिबंध लगा हुआ था कि वे लोग जिन्हें हम शरणार्थी मानते हैं उन्हे भी मत देने का अधिकार प्राप्त है, जिसका उन्हें वायदा किया गया था। आप मुझे ऐसा कोई कारण नही बता सकते कि जो लोग हमारे पास शरणार्थी बनकर आए उन्हें भी मतदान का अधिकार देने का वायदा किया गया था। अब शरणार्थियों को नागरिक बनाया जा रहा है। वास्तव में सबको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जो अन्यथा..... (**व्यवधान**) मैंने आपकी बात में व्यवधान नहीं डाला। मेरी बात में व्यवधान नहीं डाला जाना चाहिए। कृपया ऐसा मत कीजिए। मुझे अपना भाषण समाप्त करना है। मेरा भाषण समाप्त होने के बाद आप हर तरह से अपने मुद्दे उठा सकते हैं और मैं यथा संभव इसे विस्तार में बताने का प्रयत्न करूंगा।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : कुछ समय सीमा भी है।

श्री एस० बी० चव्हाण : किसी भी अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध का उल्लंघन नहीं हुआ है। स्वर्गीया प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा दिए गए किसी भी आश्वासन का उल्लंघन नहीं किया गया है। मैं नहीं समझता कि ऐसा हुआ है। इंदिरा जी ने मात्र यह कहा था कि 1971 को प्रारंभिक वर्ष माना जा सकता है, संधि वार्ता से आप यह देखने का प्रयत्न करें कि समझौता शांतिपूर्वक हो। हमारे वर्तमान प्रधान- मंत्री जी ने, पद सभालने के तुरंत बाद जनवरी 1985 में नीति विषयक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने कहा कि टकराव से किसी भी तरह समाधान नहीं किया जा सकता। इस संबंध में आमने-सामने बैठकर चर्चा की जानी चाहिए। वे 1961 से 1966 और 1967 के बीच आते रहे। आपको यह आश्चर्य होगा कि वे 1971 की मतदाता सूची को मानने के लिए भी तैयार नहीं थे। अब उन्होंने 1971 की मतदाता सूची स्वीकार करली हैं। मैं नहीं समझता कि उनके साथ इससे बढ़िया समझौता और कोई हो सकता था।

श्री बनातवाला ने बड़ी स्पष्ट बात कही थी कि आप राजनैतिक दबाव के सामने झुकने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे आशा है कि सदन के समक्ष आने वाले अन्य मामलों में भी आप ऐसी ही

[श्री एस० बी० चव्हाण]

नीति अपनाएंगे। यदि आप आंदोलन के आधार पर लोगों की भावनाओं को उत्तेजित करने का प्रयत्न करते हैं....

श्री जो० एम० बनातवाला : मैंने पृथकतावादी दलों का जिक्र किया है। मैंने अपनी बात बड़े स्पष्ट ढंग से कही है। सदस्यों ने सदन में जो कुछ कहा है उसका गलत अर्थ मत लीजिए।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं आपका कहने का अभिप्राय समझता हूं। बनातवाला, हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं। हम पिछले 25 वर्षों से एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं किसी की बात को तोड़मरोड़ कर कहने नहीं जा रहा हूं। मुझे तथ्यों की जानकारी है और तथ्यों के आधार पर ही मैं आपको बता रहा हूं कि अंततः स्थिति की वास्तविकता पर विचार करना होगा। आप संभवतः बहुत कठोर नीति नहीं अपना सकते और यह नहीं कह सकते कि। "हम केवल इसी नीति का समर्थन करेंगे" चूंकि हम संभवतः इस तरह का दृष्टिकोण नहीं अपना सकते, इसलिए आदान-प्रदान जैसी कोई संधि वार्ता होनी चाहिए। स्थिति, विशेषकर हमारे देश की सीमा पर बड़ी जटिल हो गयी थी। ऐसी समस्याएं कब तक चलती रहेंगी जो लोगों के दिमाग को आन्दोलित कर रही हैं? सबसे अच्छा रास्ता यही है कि विचारों के आदान-प्रदान से समस्या का समाधान किया जाए। भावनाओं में न बहा जाए। मैं नहीं समझता कि अंततः इस तरह की स्थिति से कोई सहायता मिलेगी। यह अखिल असम छात्र संघ का ही प्रश्न नहीं है। यह बहुत गलत बात है। अखिल छात्र संघ हो या न हो, हमें असम के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखना है। मैं नहीं समझता कि कोई भी व्यक्ति असम के लोगों की उपेक्षा कर सकता है। उन्होंने असम के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। और किसी में इस आंदोलन के विरुद्ध आंदोलन चलाने और सच्चाई जानने का साहस न कांग्रेस पार्टी में था न किसी अन्य दल में। इस समस्या का समाधान करने के लिए यह समझौता किया गया और हम इसे कानूनी रूप देने का प्रयास कर रहे हैं।

शायद मुझे किसी अन्य मुद्दे को स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। कुछ छोटे-मोटे मामले भी हो सकते हैं। निर्वाचन अधिकारियों तथा ऐसी प्रक्रियाएँ जिनका उन्होंने अनुकरण किया है, के विषय में कुछ समस्या हो सकती है। मैं नहीं समझता कि गृह मंत्रालय निर्वाचन अधिकारियों को किसी तरह का मार्गदर्शन करने में सक्षम है। विशेष मार्ग निर्देशों का अनुकरण करना और अपनी मतदाता सूचियां तैयार करना निर्वाचन आयोग का काम है।

अखिल भारतीय छात्र संघ और अन्य लोगों द्वारा दिए जा रहे नारों और अन्य बातों को सरकार की नीति कहना बिलकुल गलत है। जो लोग जनता के विभिन्न वर्गों के बीच फूट डालने वाले हैं हम उन बलों का पूर्णतः विरोध करते हैं। उसके लिए केवल अखिल असम छात्र संघ ही नहीं अपितु विभिन्न अन्य ताकतें भी हैं जो रुढ़िवादी नीतियों पर चलते रहे हैं और असंख्य लोगों में फूट डालने का प्रयत्न करते रहे हैं। हमें ऐसी स्थिति पैदा नहीं करनी चाहिए जिससे इन रूढ़िवादी तत्त्वों को विभिन्न वर्गों के बीच फूट डालने में सफलता मिले। एक ओर हम असम के लोगों को पूरा आश्वासन देते हैं कि समझौता पूर्ण रूप से कार्यान्वित किया जाएगा। उस संबंध में पीछे हटने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमने बड़ी संख्या में घुसपैठियों के प्रवेश पर रोक लगाने का वचन दिया

है। आज सुबह ही हमसे प्रश्न किया गया था। दुर्भाग्य से, वह सदस्य उपस्थित नहीं हैं। औसतन 2400 घुसपैठिये प्रति माह आते हैं। ये सभी लोग सीमा पार करने की कोशिश करते रहे हैं और हम उन्हें सीमा से बाहर खदेड़ने का प्रयत्न करते रहे हैं। इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता कि ये लोग यहां आए हैं। बंगलादेश सरकार कुछ भी कहे, मैं बिना डर के कह सकता हूं कि वास्तव में बड़ी संख्या में लोग यहां आए हैं। लेकिन वे बड़ी ही असाधारण जटिल परिस्थितियों में यहा आए थे और संभवत: इसी कारण हम उनके प्रति कड़ा रुख नहीं अपना सकते और इसीलिए यह कानून बनाया जा रहा है। जो मुद्दे उठाए गए थे मैंने उनके बारे में बताने का पूरा प्रयत्न किया है।

माननीय सदस्य श्री एच०ए० डोरा और उनके अन्य मित्रों ने यह प्रश्न उठाया है कि यह विधेयक इतने विलम्ब से क्यों लाया गया है। उनका कहना है कि असम की स्थिति से राजनैतिक फायदा उठाने के लिए ही ऐसा विधेयक बनाया गया है। मैं यह बिलकुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि समझौता होने के बाद यह संसद का पहला सत्र है। हमने 14 अगस्त को समझौते पर हस्ताक्षर किए। उसके बाद विधेयक बनाने का अधिक समय नहीं था। विधेयक का प्रारूप तैयार करने, उसमें संशोधन करने, उसकी जांच तथा अध्ययन करने में समय लगता है। यह बहुत मेहनत की और लंबी प्रक्रिया है। मैं नहीं समझता कि आप इस विधेयक से हम पर कोई राजनैतिक लाभ उठाने का आरोप लगा सकते हैं।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : आप अध्यादेश जारी कर सकते थे।

श्री एस० बी० चव्हाण : मुझे खुशी है कि यह बात श्री अमल दत्त कह रहे हैं।

श्री अमल दत्त : मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि जो आप कर रहे हैं यदि आप उसके बारे में वास्तव में गम्भीर थे। **(व्यवधान)**

श्री एस० बी० चव्हाण : मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि श्री अमल दत्त सरकार को अध्यादेश जारी करने के लिए भी कह सकते हैं। वास्तव में अब मैं कह सकता हूं कि एक प्रस्ताव रखा गया था कि क्या हमें अध्यादेश जारी करना चाहिए लेकिन पुन: हमने सोचा कि यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है जिसकी चर्चा सदन में की जानी चाहिए तथा इस संबंध में अध्यादेश जारी नहीं किया जाना चाहिए। यह सरकार का निर्णय था। वास्तव में मैं वह बात प्रकट न करने का प्रयत्न कर रहा था लेकिन चूंकि आपने मुझे बाध्य किया है, मुझे वह बात सदन में कहनी पड़ी।

श्री अमल दत्त : आपने इस बारे में तभी सोचा जब आपको प्रश्न की सूचना मिली, इससे पहले आपने ऐसा करने के बारे में नहीं सोचा था।

श्री एस० बी० चव्हाण : श्री अमल दत्त, मेरे विचार से आप भी बैठक में उपस्थित थे। मैं नहीं जानता कि आप हमारी सलाहकार समिति के सदस्य हैं या नहीं। सलाहकार समिति में मैंने इस स्थिति के बारे में बिलकुल स्पष्ट कर दिया था। राज्य सभा में जब समझौते की शर्तें सभापटल पर रखी गई थीं—इस समय सदन में ऐसी चर्चा की अनुमति नहीं है, लेकिन राज्य सभा में काफी प्रश्न पूछे गए थे—मैंने अपनी स्थिति बिलकुल स्पष्ट कर दी थी कि उन्हें मतदान का अधिकार होने के अलावा अन्य सभी अधिकार मिलेंगे। यह बात मैं आज नहीं बता रहा हूं मैंने यह बात राज्य सभा में भी और सलाहकार समिति में भी कही थी। मुझे आशा है कि वे सदस्य जो इस समिति के भी सदस्य हैं, मेरी बात साबित करेंगे...**(व्यवधान)**

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उस समझौते में, कहीं भी यह नहीं लिखा है कि उनका कोई अन्य अधिकार छीना जाएगा। फिर ये प्रश्न कहां से उठते हैं ? चूंकि वे मतदान करने के अधिकार से अविच्छेद्य रूप से जुड़े हैं....

श्री एस०बी० चव्हाण : आप समझौते पर पुनः नजर डालें। इसमें....बातें कही गई हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या समझौते में यह भी लिखा है कि उनके अन्य अधिकार भी छीन लिए जाएंगे ?

श्री एस० बी० चव्हाण : इस विधेयक में ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, जो समझौते में न लिखी गई हो। जो बातें समझौते में कही गई हैं, उन्हीं को कानूनी रूप दिया जा रहा है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : समझौते में केवल मतदान का अधिकार छीन लिए जाने की बात कही गई है। ये सब बातें कैसे उठती हैं कि सम्पत्ति के अधिकार की रक्षा की जाए, पासपोर्ट मिलने के अधिकार की रक्षा करनी होगी ? क्या इसलिए कि वे मतदान देने के अधिकार से अविच्छेद्य रूप से जुड़े हैं ?

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं समझता हूं कि मैंने जहां तक संभव था, माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों का जवाब दे दिया है। मैं नहीं समझता कि मुझे और अधिक कुछ कहने की आवश्यकता है। मेरा सदन से अनुरोध है कि इस विधेयक पर विचार किए जाने का समर्थन करें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि नागरिकता अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब विधेयक पर खंडवार चर्चा करेगी।

खंड 2 (नई धारा 6क का अंतःस्थापन)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1,

पंक्तियों 6 से 9 तक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाय :—

(ख) "अवैध प्रवासी होने का पता चला है" से "अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा निर्धारण) अधिनियम, 1983 के उपबन्धों के अनुसार अवैध प्रवासी पाया गया है" अभिप्रेत है; (1)

पृष्ठ 2, पंक्ति 17,—

"विदेशी" के स्थान पर "अवैध प्रवासी" प्रतिस्थापित किया जाये। (2)

पृष्ठ 2, पंक्तियां 17 और 18,—

"विदेशियों विषयक (अधिकरण) आदेश, 1964" के स्थान पर "अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा निर्धारण) अधिनियम, 1983" प्रतिस्थापित किया जाये। (3)

पृष्ठ 2, पंक्ति 19,—

"विदेशी" के स्थान पर "अवैध प्रवासी" प्रतिस्थापित किया जाये। (4)

पृष्ठ 2, पंक्ति 35,—

"विदेशी" के स्थान पर "अवैध प्रवासी" प्रतिस्थापित किया जाये। (5)

पृष्ठ 2, पंक्ति 44,—

"विदेशियों विषयक (अधिकरण) आदेश, 1964" के स्थान पर "अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा निर्धारण) अधिनियम, 1983" प्रतिस्थापित किया जाये। (6)

पृष्ठ 2, पंक्ति 45,—

"विदेशी" के स्थान पर "अवैध प्रवासी" प्रतिस्थापित किया जाये। (7)

पृष्ठ 3, पंक्ति 6,—

"आदेश" के स्थान पर "अधिनियम" प्रतिस्थापित किया जाये। (8)

पृष्ठ 3, पंक्ति 32,—

"विदेशी" के स्थान पर "अवैध प्रवासी" प्रतिस्थापित किया जाये। (9)

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 6 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :—

"(9) धारा 10 की कोई भी बात उपधारा (3) के अन्तर्गत पंजीकृत किसी व्यक्ति के संबंध में लागू नहीं होगी।" (10)

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 6 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :—

"(9) इस धारा की कोई भी बात भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के दिन या उसके पश्चात् भारत में जन्मे किसी भी व्यक्ति पर लागू नहीं होगी और ऐसा व्यक्ति सभी प्रयोजनों के लिए भारत का नागरिक माना जायेगा।" (11)

इन संशोधनों का उद्देश्य यह है कि, विदेशी अधिनियम के अन्तर्गत विदेशियों की पहचान करने संबंधी जो काम किया जा रहा है उसकी बजाय, यह काम अवैध अप्रवासी (न्यायाधिकरण) अधिनियम, 1983 द्वारा गठित न्यायाधिकरणों द्वारा किया जाना चाहिए। इसका अभिप्राय यह नहीं है कि मुझे विधेयक ठीक लगता है अपितु यह जहां तक संभव है, उन्हें नचाने/उबारने का प्रयत्न मात्र है।

श्री एस० बी० चव्हाण : सारा उद्देश्य यह लगता है कि जो लोग 1971 से 1983 के बीच आए उन्हें इसे विधेयक के क्षेत्राधिकार में लाया जाना चाहिए, जबकि वास्तव में सरकार का ऐसा इरादा नहीं है। इसके द्वारा केवल असम समझौते को कानूनी रूप दिया जा रहा है। मुझे खेद है कि मैं श्री बनातवाला के संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बनातवाला द्वारा रखे गये संशोधन को सभा में मतदान के लिए रखता हूं

संशोधन संख्या 1 से 11 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

[उपाध्यक्ष महोदय]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

5.26 म०प०

रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबन्ध) विधेयक

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं प्रस्ताव* करता हूं :—

"कि लोकहित में, औद्योगिक उपक्रमों का स्वामित्व रखने वाली कम्पनियों और संभाव्य रुग्ण कम्पनियों का ठीक समय पर पता लगाना, विशेषज्ञ बोर्ड द्वारा ऐसे निवारक, सुधारात्मक उपचारी और अन्य उपायों का, जिनका ऐसी कम्पनियों की बाबत किया जाना आवश्यक है, शीघ्र अवधारण और इस प्रकार अवधारित उपायों का शीघ्र प्रवर्तन सुनिश्चित करने की दृष्टि से तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का विशेष उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

माननीय सदस्यों को पता है कि रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 1985 संसद के पिछले सत्र के दौरान लोक-सभा में पुर:स्थापित किया गया था । मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यों को विस्तार से अध्ययन करने का अवसर मिला और मैं उम्मीद करता हूं कि प्रस्तावित विधान पर रचनात्मक वाद-विवाद हो सकेगा ।

बढ़ती हुई औद्योगिक रुग्णता पर सरकार को गम्भीर चिन्ता है । औद्योगिक इकाइयों में रुग्णता से उत्पादन पर, रोजगार पर तथा केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के राजस्व पर कुप्रभाव पड़ता है । इससे बैंको तथा वित्तीय संस्थानों की निवेश्य निधियों का भी निवेश नहीं किया जा सकता है जिससे बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की वाणिज्यिक अर्थक्षमता पर कुप्रभाव पड़ता है ।

इस विधेयक को इस महान सभा में लाये जाने के उद्देश्य तथा कारण, उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में दर्शाये जा चुके हैं । भारत सरकार तो उद्योगों में रुग्णता का समय पर पता लगाने तथा उसके बारे में उपचारात्मक उपायों पर बल देती रही है, लेकिन अनुभव यह रहा है कि रुग्ण कम्पनियों को पुनरुज्जीवित करने और उनके पुनरुद्धार के लिए विद्यमान संस्थागत इन्तजाम और प्रक्रिया अपर्याप्त है

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत

और रुग्ण इकाइयों का पुनर्वास कार्यक्रम तैयार करने की प्रक्रिया में समय भी बहुत अधिक लगता है। विधियों और अभिकरणों के बाहुल्य से रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के बारे में कार्रवाई करना कठिन हो जाता है। अतः यह महसूस किया गया है कि एक विशेष विधान बनाया जाये ताकि औद्योगिक कम्पनियों की रुग्णता का ठीक समय पर पता लगाया जा सके तथा उनके पुनरुद्धार के लिए शीघ्र उपाय किये जा सकें विधेयक का उद्देश्य एक अर्द्ध न्यायिक निकाय की स्थापना करना है जिसका नाम औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड होगा। इस बोर्ड को वित्तीय संस्थाओं से पुनर्वास योजनाएं बनबाने का अधिकार होगा। रुग्ण एककों के पुनर्वास केलिए बोर्ड जो कार्य करने पर विचार कर सकता है वे हैं–प्रबन्धकों को बदलना, शेयर पूंजी का पुनर्गठन, विलय, रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के पूरे अथवा आंशिक प्रतिष्ठानों की बिक्री अथवा उनका लीज पर दिया जाना तथा अन्य उपचारात्मक एवं सुधारात्मक उपाय। प्रस्ताव है कि बोर्ड को विशिष्ट प्राधिकरण तथा आयकर अधिनियम की धारा 72 (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार की शक्तियां दी जायें ताकि रुग्ण औद्योगिक कंम्पनियों को अन्य कम्पनी के साथ मिलाये जाने के मामले में आयकर में छूट दी जा सके। जहां बोर्ड यह अनुभव करता है कि कोई रुग्ण कम्पनी अपनी रुग्णता स्वतः ही दूर कर सकती है, वहां बोर्ड उन्हें ऐसा करने के लिए समय दे सकता है।

रुग्णता की सूचना देने की जिम्मेदारी रुग्ण औद्योगिक कम्पनियों के प्रबन्धकों पर डाली जा रही है। इसके अलावा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, कोई सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थान अथवा कोई अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक भी किसी औद्योगिक कम्पनी की रुग्णता के बारे में लिख सकते हैं। भागीदार कम्पनी में प्रारम्भिक रुग्णता के बारे में जान सकें; इस उद्देश्य से विधेयक में यह प्रावधान भी किया गया है कि यदि एक कम्पनी की पूंजी के पचास प्रतिशत की क्षति हो जाये, तो कम्पनी को मामले की जानकारी भागीदारों को देनी होगी। कम्पनी को मामले की रिपोर्ट प्रस्तावित औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड को भी देनी होगी। उम्मीद की जाती है कि शेयर होल्डर कम्पनी में रुग्णता को रोकने तथा इसे रुग्ण होने से बचाने के लिए उपयुक्त कदम उठायेंगे।

विधेयक में अपीलीय अधिकरणों की भी व्यवस्था की गई है जिसमें बोर्ड के आदेशों के विरुद्ध अपीलें की जा सकेंगी। बोर्ड तथा अपीलीय अधिकरण के क्षेत्राधिकार में आने वाले मामले सिविल न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में नहीं आयेंगे।

सरकार अनुभव करती है कि यह एक महत्त्वपूर्ण कानून है और इसलिए इसे 'फेरा' तथा शहरी भूमि (सीमांकन तथा विनियमन) अधिनियम को छोड़कर अन्य सभी कानूनों की अपेक्षा पहले लागू किया जा रहा है।

इस विधेयक के अनुसार रुग्ण औद्योगिक कम्पनी वह कम्पनी है जिसे निरन्तर दो वर्ष नकद घाटा हुआ है और जिसकी पूरी पूंजी दूसरे वर्ष के अन्त में संचित घाटे के कारण समाप्त हो गई है।

विधेयक में ऐसी सभी रुग्ण कम्पनियों, लघु और अनुषगी उद्योगों को छोड़कर, जो औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1961 की निर्दिष्ट पहली अनुसूची में उल्लिखित सभी उद्योगों में लगी है, नौवहन उद्योग को छोड़कर, सम्मिलित हैं। नौवहन उद्योग को इसलिए छोड़ दिया गया है क्योंकि उसकी अपनी विलक्षण समस्याएं हैं जिनका समाधान बिल्कुल पृथक ढंग से

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

खोजा जाता है। लघु उद्योगों को इसलिए छोड़ा गया है कि उनकी संख्या बहुत अधिक है तथा कम से कम शुरू में उनसे निपटना बोर्ड के लिए संभव नहीं होगा। यह उल्लेखनीय है कि रुग्णता निर्धारित करने के लिए एकक के रूप में कम्पनी को लिया गया है न कि औद्योगिक प्रतिष्ठान को। इसका भाव यह है कि यदि किसी कम्पनी के किसी विशेष एकक में रुग्णता है जबकि कम्पनी रुग्ण नहीं है तब कम्पनी इस स्थिति में होगी कि अपने को स्वस्थ बनाने के उपाय कर सके। सरकार अनुभव करती है कि एस०आई०एफ०आर० की स्थापना द्वारा बढ़ती हुई औद्योगिक रुग्णता की समस्या के समाधान में सहायता मिलेगी तथा अर्थक्षम रुग्ण उद्योगों का पुनर्निर्माण तेजी से हो सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं सभा से अनुरोध करता हूँ कि वह विधेयक पर विचार करे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि लोकहित में, औद्योगिक उपक्रमों का स्वामित्व रखने वाली रुग्ण कम्पनियों और संभाव्य रुग्ण कम्पनियों का ठीक समय पर पता लगाना, विशेषज्ञ बोर्ड द्वारा ऐसे निवारक, सुधारात्मक, उपचारी और अन्य उपायों का, जिनका ऐसी कम्पनियों की बाबत किया जाना आवश्यक है, शीघ्र अवधारण और इस प्रकार अवधारित उपायों का शीघ्र प्रवर्तन सुनिश्चित करने की दृष्टि से तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का विशेष उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि लोक हित में, औद्योगिक उपक्रमों का स्वामित्व रखने वाली रुग्ण कंपनियों और संभाव्य रुग्ण कंपनियों का ठीक समय पर पता लगाना, विशेषज्ञ बोर्ड द्वारा ऐसे निवारक, सुधारात्मक, उपचारी और अन्य उपायों का, जिनका ऐसी कंपनियों की बाबत किया जाना आवश्यक है, शीघ्र अवधारणा और इस प्रकार अवधारित उपायों का शीघ्र प्रवर्तन सुनिश्चित करने की दृष्टि से तथा उनसे संबंधित या उनके अनुषंगिक विषयों का विशेष उपबन्ध करने वाला विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाये जिसमें 11 सदस्य हों, अर्थात् :—

(1) **श्री जी० एम० बनातवाला**
(2) **प्रो० मधु दण्डवते**
(3) **श्री वाई० एस० महाजन**
(4) **श्री शान्ताराम नायक**
(5) **प्रो० नारायण चन्द पराशर**
(6) **डा० ए० के० पटेल**
(7) **डा० जी० एस० राजहंस**
(8) **श्री सी० माधव रेड्डी**
(9) **श्रीमती कृष्णा साही**
(10) **श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह; और**
(11) **श्री मूल चन्द डागा**

और उसे फरवरी, 1986 के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक अपना प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाये।"

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : उन लोगों की जिम्मेदारी का क्या होगा जिन्होंने उनको रुग्ण बताया है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मैं वाद-विवाद के दौरान उत्तर दूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : परन्तु विधेयक में ऐसा कुछ नहीं है। कुप्रबन्धकों को आवांछनीय मुद्रा की तरह हटाया जाना चाहिए।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मुझे अपने शब्द याद हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपको अपने शब्द याद हैं ?

श्री सी० माधव रेड्डी (आदिलाबाद) : मैं विधेयक का सशर्त समर्थन करता हूँ। यह स्वागत योग्य कदम है। हम लम्बे समय से, जबकि वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत करते समय बताया था कि वह ऐसा विधेयक ला रहे हैं, इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और आज मुझे इस पर चर्चा में भाग लेते हुए प्रसन्नता है यद्यपि मेरा विचार था कि विधेयक पिछले सत्र में ही पारित हो जाना चाहिए था।

इसके अलावा, वित्त मंत्री ने अभी-अभी बताया कि विधेयक की परिधि से दो महत्त्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों को बाहर रखा गया है। एक है लघु उद्योग क्षेत्र, क्योंकि, जैसे कि उन्होंने बताया है, इस विधेयक का सम्बन्ध रुग्ण कम्पनियों से है न कि रुग्ण उद्योगों से और चूंकि लघु उद्योग क्षेत्र नियमित क्षेत्र के बाहर है कम से कम यही समझा जाता है परन्तु मैं उनसे सहमत नहीं हूँ—अतः लघु उद्योग इस विधेयक की परिधि के बाहर हैं। कई ऐसे लघु उद्योग हैं जो कम्पनियों द्वारा चलाये जा रहे हैं। उन्हें इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए विधेयक में कोई प्रावधान करना चाहिये कि विधेयक में भागीदारी अथवा प्रबन्ध के दूसरे उपक्रमों को भी विधेयक की परिधि में लाया जाये। विधेयक की यही कमी है क्योंकि हम पाते हैं कि बहुत से उद्योग जो कि आज रुग्ण हैं ? इसी क्षेत्र के हैं।

सन् 1979 में हमें बताया गया था कि 22,000 रुग्ण इकाइयां हैं। 1981 में यह संख्या बढ़कर 26,000 हो गई तथा 1982 में 68,000 तक पहुंच गई। 1984 में रुग्ण ईकाइयों की संख्या 83,000 हो गई। रुग्ण इकाईयों में काफी संख्या लघु उद्योगों की है। ये लगभग 80 प्रतिशत है। इसका अर्थ हुआ आप विधेयक की परिधि में से 80 प्रतिशत रुग्ण औद्योगिक इकाईयों को छोड़ रहे हैं। इस पर मुझे आपत्ति है।

जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कहा है कि औद्योगिक रुग्णता हमारे देश में बहुत ही गम्भीर हो गई है। यद्यपि सभी विकसित देशों में औद्योगिक रुग्णता व्याप्त है परन्तु हमारे देश में रुग्ण इकाईयों का अनुपात वास्तव में बहुत ज्यादा है तथा इसके लिये कुछ न कुछ करना होगा।

पहली बार हम औद्योगिक रुग्णता दूर करने के लिये एक व्यापक विधेयक को लाये हैं। तभी से हमने कई प्रयास किये तथा हमें बुरी तरह असफलता मिली। 1971 में हमने भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की स्थापना की थी। पहले यह संवैधानिक निकाय नहीं था। पिछले वर्ष हमने इसे संवैधानिक निकाय में बदला है। इस निगम के पास 50 करोड़ रुपये की प्रदत्त राशि है तथा 200 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी है इसके बावजूद भी यह उद्योगों की रुग्णता समाप्त करने में समर्थ नहीं हो सका।

[श्री सी० माधव रेड्डी]

1971 में जब निगम की स्थापना की गई थी तो सोचा गया था कि यह रुग्णता सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित है। इसलिए इसका मुख्यालय कलकत्ता में खोला गया। उस समय यह सोचा गया था कि यह उद्योगों का अधिग्रहण करेगा तथा उनका प्रबन्धन चलायेगा न कि सिर्फ उनकी वित्तीय सहायता ही करेगा क्योंकि इन रुग्ण इकाईयों को सिर्फ वित्तीय सहायता से ही चलाया नहीं जा सकता। बाद के वर्षों में कई इकाईयों को वित्तीय तौर पर सहायता दी गई और उनका प्रबन्धन पूरी तरह संवर्धकों के हाथ में चला गया। ये सभी संवर्धक तथा कम्पनी प्रबन्धक बड़े-बड़े व्यक्ति थे उन्होंने इस निगम की धन राशि को हड़पने का सोचा अंततः उन्होंने निगम को दिक्कतों में डाल दिया जिसके परिणामस्वरूप आज मैं देखता हूं कि जो बैंक कहलाता है, को खुद पुनःनिर्माण की आवश्यकता है।

औद्योगिक पुनर्संरचना एक अत्यन्त ही जटिल विषय है। यह बहुत ही कठिन है। उद्योगों के पुनर्वास की सम्पूर्ण धारणा जो विधेयक में दी गई यह स्वागत योग्य है। कार्य करने वाली एजेन्सी, बोर्ड, अपीलिय प्राधिकरण सभी की धारणायें काफी संघटित हैं। इसमें थोड़ी सी गतिशीलता का अभाव है क्योंकि मैंने देखा है कि ये सब करने के पश्चात हम क्या करने जा रहे हैं। निश्चय ही, हमें दो चीजों की आवश्यकता है, एक तो है प्रबन्धन के बारे में। आप प्रबन्धन में किस तरह से सुधार लायेंगे? दूसरी बात है 'धन' के बारे में। आप धन की व्यवस्था कहां से करेंगे? मैंने देखा है कि वित्तीय ज्ञापन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि चूंकि इस समय यह कहना कठिन है कि कितने धन की आवश्यकता होगी इसीलिए ज्ञापन में इस विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है। परन्तु हम जानते हैं कि इन सभी इकाईयों के पुनर्स्थापन में 300 करोड़ रुपये की अनुमानित राशि लगेगी। यह कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे यहां भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आदि जैसी कई एजेन्सियां हैं तथा और भी कई वित्तीय संस्थाएं हैं। वे भी इसमें योगदान कर सकती हैं तथा हम इनके द्वारा एकत्र किये गये धन को 'पुनर्निर्माण कोष' कह सकते हैं। इस विधेयक में इस तरह के धन इकट्ठा करने का प्रावधान होना चाहिये था ताकि हमारे पास एक धन राशि होती जिसमें हम हर वर्ष वृद्धि कर सकते थे। अब क्या करना चाहिये? इसके लिये मेरे पास कुछ सुझाव हैं।

मैं समझता हूं कि इनके पुनर्निर्माण का उत्तरदायित्व इन्हीं क्षेत्रों का है, तो इसके लिये धन की व्यवस्था भी इसी क्षेत्र से होनी चाहिये। अर्थात औद्योगिक क्षेत्र से तथा जैसे ही उद्योग काम करना शुरु कर दें तो उन्हें सुचारु रूप से चलाने के लिये इन उद्योगों को कुछ न कुछ योगदान करना चाहिये ताकि रुग्ण उद्योगों की मदद के लिये इस निरन्तर चलने वाले कोष में वृद्धि होती रहे।

मेरा दूसरा सुझाव है कि हमारे यहां औद्योगिक स्थिति बीमा योजना हो सकती है जिसके द्वारा हम उद्योगों पर दबाव डाल सकते हैं कि वे औद्योगिक स्थिति सुदृढ़ करने वाले कोष में योगदान करें ताकि इस धन को रुग्ण इकाईयों की मदद करने के लिये उपयोग में लाया जा सके। एक और गलत बात है जिसे मैंने विधेयक में पाया है। इसके एक खण्ड में बताया गया है कि जब तक इकाई रुग्ण रहेगी तथा पुनर्निर्माण योजना तैयार की जाती है अथवा सारी बातों की पुनर्रिक्षा की जा रही है जिसमें शायद एक या दो वर्ष लग जायें, तो सभी अनुबन्ध जो इन रुग्ण इकाईयों के साथ किये जा चुके हैं उन्हें स्थगित करना होगा। अन्य अनुबन्धों के बारे में मैं सरकार से सहमत हूं। परन्तु जिन अनुबन्धों पर रुग्ण इकाईयों ने श्रमिकों के साथ हस्ताक्षर किये हैं उसके लिये आप क्या

करने जा रहे हैं ? क्या आप चाहते हैं कि श्रमिकों को परेशानी हो ? इस संबंध में मैंने कुछ आलोचनाएं सुनी हैं कि अगर उद्योग रुग्ण है इसका कारण है श्रमिकों ने इसे मुश्किल में डाल दिया है। परन्तु यहां मैं यह बताऊंगा कि 1983 में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बहुत ही दिलचस्प सर्वेक्षण करवाया था। उसने 100 रुग्ण इकाईयों को चुना तथा रुग्णता के कारणों को जानने की कोशिश की, फलस्वरूप जो तथ्य सामने आये उससे पता चला कि 100 रुग्ण इकाईयों में से सिर्फ 2 ही श्रमिक समस्या के कारण रुग्ण थीं, 66 इकाईयों के रुग्ण होने का कारण था, कुप्रबन्धन, कम्पनी के मुनाफे, पूंजी तथा सभी चीजों का सफाया कर देना हमारे देश में अधिकांश उद्योगों के रुग्ण होने का यह मुख्य कारण है यद्यपि अन्य कारण भी हैं जैसे कि कच्चा माल मिलने में दिक्कत या विपणन में दिक्कत होना या फिर कभी-कभी उद्योग को बिजली की आपूर्ति पूरी तरह से नहीं होती है आदि-आदि। परन्तु मुख्य कारण था कि उद्योग का संचालन ठीक नहीं था। आप इस बारे में क्या करने जा रहे हैं ? प्रबन्धन में आप किस प्रकार सुधार लायेंगे ? क्योंकि इस अधिनियम के तहत, कुछ इकाईयां हो सकती हैं जिनका आपको अधिग्रहण करना पड़े। इस बोर्ड को अधिग्रहण करना पड़ेगा या फिर बोर्ड की ओर से प्रबन्धन हाथ में लेना होगा अथवा बोर्ड के निर्देशानुसार ऐसा करना होगा या फिर बोर्ड द्वारा पारित किये गये आदेशों पर संचालन एजेन्सी को अधिग्रहण करना पड़ेगा। ये संचालन एजेन्सी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक हो या भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक या आई०सी०आई०सी०आई० हो अथवा कोई और एजेन्सी। आप दो तीन सालों तक इन रुग्ण इकाईयों को नहीं रखेंगे ? दो या तीन वर्षों के बाद आप इन रुग्ण इकाईयों को निजी क्षेत्रों में हस्तांतरित कर देंगे या फिर इनका विलयन कर देंगे। परन्तु कुछ वर्षों के लिये यह इकाईयां हमारे पास रहेंगी। अब आप इन इकाईयों के बारे में क्या करने की सोच रहे हैं ? आप किस तरह से इसका प्रबन्धन सम्भालेंगे ? क्या आप प्रबन्धन पूल बनाने की सोच रहे हैं ? इस संबंध में मैं एक सुझाव दूंगा। सरकार मजदूरों को प्रबन्धन में भागीदार बनाने का सोच रही है। आप भी ऐसी ही योजनाओं की बात कर रहे हैं तथा मॉडल योजनाएं विभिन्न उद्योगों को प्रेषित की जा रही हैं। परन्तु अभी तक एक भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने ऐसी किसी भी योजना को नहीं अपनाया है। क्या आप इसकी शुरुआत नहीं कर सकते जबकि आप रुग्ण इकाईयों को फिर से चलाने जा रहे हैं तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं इसमें पूंजी निवेश करेंगी ? उस अवस्था पर आप श्रमिकों को प्रबन्धन में भागीदार बनाने वाली बात पर अमल क्यों नहीं करते ? आखिरकार आपको प्रबन्धन में सुधार करना है। आप इसको किस प्रकार करेंगे ? श्रमिकों को प्रोत्साहन देकर, उनको शेयरधारी बनाकर आप निश्चित ही प्रबन्धन में सुधार ला सकते हैं। आप श्रमिकों का प्रबन्धन पूल (निकाय) भी बना सकते हैं। आप सक्षम व्यक्तियों को लीजिये, उन्हें प्रशिक्षण दीजिये तथा उन्हें इस पूल (निकाय) में रखिये ताकि इन्हें इन इकाईयों के प्रबन्धक बनाकर भेजा जा सके।

अब मैं वित्त के प्रश्न पर आता हूं। यह एक धारणा है कि पर्याप्त धन समय पर नहीं दिया जाता है। विशेष रूप से, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक तो 2-3 वर्ष लगाता ही है। पुनर्वास योजना के बनने एवं मंजूर होने के बाद रुग्ण इकाई को वास्तव में धन मिलने में काफी वर्ष लगें, ऐसा नहीं होना चाहिये।

मैंने देखा है कि इस विधेयक में 60 दिन की अवधि का प्रावधान किया गया है। 60 दिन क्यों ? यह बहुत ज्यादा है। जब आप जानते हैं कि एक उद्योग रुग्ण हो गया है तो इसकी जान-

[श्री सी० माधव रेड्डी]

कारी देने के लिये एक महीने का समय काफी है। और इसके तुरन्त बाद संचालन एजेन्सी को योजना बनाने के लिये कहा जाना चाहिये। इस संदर्भ में, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि संचालन समिति, जिनके बनाये जाने की संभावना है, भी ज्यादा समय लेंगी। पुनर्वास योजना तैयार करने के लिये वे एक वर्ष का समय ले सकती हैं। उस अवधि में आप क्या-क्या करेंगे ?

किसी एक इकाई को रुग्ण घोषित करने के लिये तीन माप दण्ड बनाये गये हैं जैसा कि मंत्री जी ने कहा है। एक तो यह कि उद्योग को दो वर्ष वित्तीय हानि हुई हो तथा दूसरा पंजीकरण के पश्चात कम्पनी लगातार सात वर्षों तक बनी रही हो। होता यह है कि पंजीकरण के बाद कम्पनी 3-4 सालों बाद अपना कारोबार शुरु करती है। ऐसा नहीं है कि कम्पनी का पंजीकरण हो गया तथा उसने तुरन्त ही काम शुरु कर दिया हो, वह 4 साल बाद भी व्यापार शुरु कर सकती है। इस बात पर ध्यान देना होगा। यह कम्पनी के कार्य शुरु करने के सात वर्षों बाद होना चाहिये न कि पंजीकरण के सात वर्षों बाद। तीसरा मापदण्ड है अगर कम्पनी का शुद्ध मूल्य 100 प्रतिशत कम हो तो वह रुग्ण करार दी जा सकती है। यदि कम्पनी का शुद्ध मूल्य समाप्त हो गया हो तो वह उसे रुग्ण घोषित किये जाने के लिये पर्याप्त है। आप ऐसा क्यों कहते हैं कि उसे वित्तीय हानि भी होनी चाहिए। हो सकता है वित्तीय हानि न होकर किसी तरह से उसका मूल्य ही पूरी तरह समाप्त हो जाये।

उद्योग को संभवतः रुग्ण घोषित करने के लिये अन्य प्रावधान भी हैं। अगर कम्पनी की कुल सम्पत्ति 50 प्रतिशत तक कम हो जाती है तो आप कार्यवाही नहीं करते हैं, कम्पनी की आधी पूंजी समाप्त होने के पश्चात भी आप पांच वर्षों तक इन्तजार करते हैं। कोई ऐसा तरीका होना चाहिये जिससे अग्रिम कार्यवाही की जा सके। संचालन एजेन्सियां या बैंक जो कि संबंधित इकाई की वित्तीय संस्थाएं हैं वे इस स्थिति में होनी चाहिये कि उन्हें इस बात की जानकारी हो कि फलां उद्योग रुग्ण होने जा रहा है तथा उसके बाद कार्यवाही होनी चाहिये।

ये कुछ टिप्पणियां हैं जिन्हें मैं बताना चाहूंगा और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इन्हें ध्यान पूर्वक देखेंगे तथा इनमें से कुछ सुझावों को मानेंगे, खासतौर पर प्रबन्धन तथा प्रबन्धन पूल (संघ) में श्रमिकों को भागीदार बनाना तथा "औद्योगिक पुनर्निर्माण कोष" बनाने के बारे में जिससे भविष्य में रुग्ण इकाईयों को मदद मिल सके।

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने सदन में जो बिल रखा है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। यह जो सिक इंडस्ट्रीज का ठीक करने का प्रोग्राम है, यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण प्रोग्राम हो गया है। यह सिक इंडस्ट्रीज की मदद करने के लिए सरकार की तरफ से बड़ा अच्छा कदम उठाया गया है।

मैंने इस बिल को ध्यान से पढ़ा है। इसमें दो-तीन चीजें हमारे ध्यान में आई हैं। इसमें स्माल स्केल इंडस्ट्रीज को मदद देने के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। यह ठीक है कि इतने लार्ज स्केल यूनिट्स को और स्माल स्केल यूनिट्स को संभालना केन्द्रीय सरकार के लिए मुश्किल होगा। लेकिन स्माल स्केल यूनिट्स को जो कि सिक हों, उनको भी मदद मिलनी चाहिए। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को यह निर्देश दिये जा सकते हैं कि वे भी अपने यहां ऐसे बिल पास करें और स्माल स्केल

यूनिट्स को जो कि सिक हों, संभाले । इससे स्माल स्केल सिक्यूनिट्स को भी मदद मिल सकेगी । इससे उनको भी जानकारी सरकार से हासिल होगी ।

इस बिल से एक डर और है । कुछ कम्पनियां ऐसी होती हैं जिनके पास बहुत से यूनिट्स होते हैं अब किसी कम्पनी के पास दस यूनिट हैं । उनमें से तीन सिक हो गये, बल्कि वे ठीक चल रहे हैं तो ऐसी कम्पनियों के लिए यह आब्लीगैटरी होना चाहिए कि वे अपने सिक यूनिट्स को भी संभालें । इस तरह का आब्लीगेशन उन कम्पनियों पर होना चाहिए । अगर इस तरह का प्रावधान इस बिल में होता तो बहुत अच्छा होता । आशा है मंत्री जी इस पर विचार करेंगे ।

एक चीज और हमारे ध्यान में आई है कि जो बड़े औद्योगिक घराने हैं वे अपने माडर्न टेक्नोलौजी वाली कंपनियों पर तो ज्यादा ध्यान देते हैं और उनसे करोड़ों रुपया कमाते हैं लेकिन उनकी कंपनियां जो पुराने यूनिट वाली हैं उनको सिक बना देते हैं । ऐसा कोई प्रोविजन इस बिल में होना चाहिए कि वे ऐसा नहीं कर सकें । आपके पास बड़े-बड़े औद्योगिक घराने के लिए एम०आर० टी०पी० एक्ट हैं और दूसरी जानकारी आपको हासिल है । उनको भी इस बिल के परव्यू में लाया जाना चाहिए जिससे कि वे अपनी दो कंपनियों को सिक बनाकर अपनी आठ कंपनियों में मजा न मार सकें । इस दृष्टि से मुझे यह थोड़ा नर्म बिल लगता है ।

इसमें यह भी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई कम्पनी अपने यूनिट्स को जानबूझ कर सिक न बना सके । अगर कोई कम्पनी अपने यूनिट को जानबूझ कर सिक बनाती है तो उसको सजा मिलनी चाहिए । इस बिल में ऐसी कम्पनियों को सजा देने का कोई प्रावधान नही है । जब तक कोई सजा देने का प्रावधान नहीं होगा तब तक ऐसे ही चलता रहेगा ।

कई जगह पर हमारे ध्यान में आया है कि कम्पनियां 80-90 परसेंट तक तो धन फाइनेंशियल इंस्टीच्यूशंस से ले लेती हैं और 10 से 20 परसेंट मेन्युपुलेशन कर देते हैं। इस तरह से उनका अगर कोई यूनिट नहीं चला तो उनका तो कुछ नहीं गया । उस यूनिट में पैसा डूबा तो वह सरकार का पैसा डूबा । अगर यूनिट घाटे में चला तो वे उसे सिक बना देते हैं । इस तरह के लोगों के लिए भी कोई प्रावधान इस बिल में होना जरूरी है । उनके लिए भी कोई आब्लीगेशन हो इसका प्रावधान आप कीजिए ।

आपने इसमें एक आब्लीगेशन दिया है कि वे एक पर्टिकुलर टाइम के अन्दर अकाउंट्स फाइनेलाइज करें और पर्टिकुलर टाइम के अन्दर वह यूनिट के सिक होने की रिपोर्ट करें । अगर कोई बिजनेसमैन अपने यूनिट को सिक करने के 2 महीने के बाद खबर करता है तो मंत्री महोदय को मालूम होना चाहिए कि वह अकाउंट्स फाइनेलाइज करने में और बेलेंसशीट बनाने में चाहे तो 2-3 साल मजे से निकाल सकता है । चाहे इनकम टैक्स के प्रावीजन कितने ही हों, चाहे कंपनीज एक्ट के कितने हों, जानबूझकर करने वाला मजे से दो तीन साल का टाइम पास कर देगा । इसमें यह चीज होनी चाहिए थी कि फाइनांशल इयर एंड होने के 6 महीने के अंदर आपकी बैलेंस शीट बननी चाहिए और दो-तीन महीने के अंदर यदि सिकनेस हो तो हमको रिपोर्ट मिलनी चाहिए । इस तरह का इसमें प्रावीजन नहीं है, इसमें यह लूपहोल रह गया है, इसका पूरा फायदा वे लोग उठाएंगे जो जानबूझ कर यूनिट को सिक करना चाहते हैं, उनको इसका पूरा फायदा मिलेगा । आज सबसे ज्यादा जरूरत पैसे की है । आपने बोर्ड बना दिया है, आपके पास पूरे फिगर्स आ गए, पूरी जानकारी आपने हासिल कर

[श्री बनवारी लाल पुरोहित]

ली और स्टडी करके यह भी तय कर दिया कि कौन से कारण से यूनिट सिक है और इसको कैसे मदद करनी चाहिए। अब समस्या यह आती है कि किसी यूनिट को 5 करोड़ रुपया यदि दें तो यह यूनिट माडर्नाइज होगा तथा ठीक से चलेगा लेकिन 5 करोड़ देने के लिए खाली बैंक को सर्कुलेट कर देने से हमारा परपज सर्व नहीं होगा, क्योंकि सिक होने के पहले जो मालिक होगा वह सारे दरवाजे बैंकों के खटखटा चुका होगा, फाइनांशल इंस्टीट्यूशन के पास गया होगा और सब तरफ से न होने के बाद उसका यूनिट सिक हुआ होगा, वह भी एक्सपर्ट होता है, सब कुछ उसको मालूम होता है, सबको वह अपने प्रपोजल्स भेज चुका होता है तभी बाद में यूनिट सिक होता है। तो खाली गवर्नमेंट के सबको जानकारी भेज देने से उसको पैसा मिल जाएगा, यह कैसे हो सकता है। यदि कुछ प्रावीजन ऐसा होता कि सेंटर गवर्नमेंट उस स्कीम के पास होने के बाद जिसको बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एज ए गारंटर खड़ी होगी और तभी उसको पैसा मिल सकता है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी लेगी, इस तरह की बात इस बिल में हमको दिखाई नहीं देती है। यदि सही मायने में इसको इफेक्टिव बनाना है तो इस तरह का प्रावीजन करना पड़ेगा। एक बात बड़ी खुशी की है कि इनकम टैक्स के एग्जंप्शन के बारे में मंत्री जी ने कहा है, यह बहुत जरूरी है कि उनको इनकम टैक्स के एग्जंप्शन वगैरह देकर पैरों पर खड़ा किया जाए, लेकिन मैं तो यहां तक कहूंगा कि सिक यूनिट को फिर से खड़ा करना एक तरह का री-बर्थ है। अगर सिक यूनिट को फिर खड़ा करना है तो उस स्थिति में नए यूनिट्स को जितनी भी फैसिलिटीज मिलती हैं वे सारी की सारी फैसिलिटीज इस तरह के यूनिट को मिलनी चाहिए तभी वह यूनिट, या कारखाना अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है।

ये कुछ बातें हैं, मैं तो माननीय मंत्री महोदय से यही निवेदन करूंगा कि एक तो स्माल स्केल सेक्टर की ओर जरूर ध्यान दें और यदि सरकार यह ठान ले तो कोई असंभव बात नहीं है कि छोटे यूनिट न संभलें। छोटे-छोटे जो हमारे उद्योग हैं, वहां पर भी मजदूर लोग बेकार हैं, बहुत सारी संख्या में मजदूर वहां काम करते हैं, वे बेकारी से बच जाएंगे। रीजनल पेपर्स में हम लोग रोज पढ़ते हैं कि छोटे उद्योग भी बड़ी संख्या में बंद होते जा रहे हैं कई बार, उनकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जो यूनिट सिक होने वाले हैं, उनके बारे में इस बिल के तहत ध्यान रखा जाएगा, लेकिन जो हजारों यूनिट सिक हो गए हैं, आलरेडी जो हजारों यूनिट सिक पड़े हुए हैं, मजदूर बेकार हैं, उनकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। इससे वे यूनिट फिर से चालू हो सकेंगे। बंबई में जो टैक्सटाइल मिलें हैं, आज उनके असेट्स बुक्स में चाहे कुछ भी हों, उनकी डेप्रीशिएटेड वैल्यू चाहे निल हो गई हो, लेकिन आज करोड़ों रुपये की वर्थ है, जमीनों और बिल्डिंग्स की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, इसलिए उनको उनके पैरों पर खड़ा करने पर विचार करना चाहिए। उनकी जमीन बेच कर पैसा खड़ा किया जा सकता है। जो तीन-चार बातें मैंने कही हैं, आशा है मंत्री जी उन पर ध्यान देंगे। मैं एक बार फिर इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप सिर्फ दो मिनट के लिये बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

डा० गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जितने बिल पेश हुए, उनमें सबसे दिलचस्प यह बिल है। हमारे यहां बिहार में डाउरी को कहते हैं "दान-

दहेज," दान-दहेज पर कहावत है—"दान-दहेज खा लो, बहू को जला दो।" मतलब यह कि सारे फाइनांशल इंस्टीट्यूशंस की मदद ले लो और इंडस्ट्री को सिक कर दो। इससे अच्छा बिजनेस और कोई नहीं हो सकता। मैं कहना चाहता हूं श्रीमन्, मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अगर आप चाहते हैं तो कल जारी रख सकते हैं।

6.00 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा बृहस्पतिवार, 21 नवम्बर, 1985/30 कार्तिक, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई

मुद्रक : प्रिन्टवैल प्रिन्टर्स, 126 पटपड़गंज, दिल्ली–92